

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	0 1
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	04 / 05
03. Referee Board	0 6

(Science / विज्ञान)

04. Studies On Floristic Diversity In Govt. P. G. College Surajpur Campus (C.G.) India (Bhoopendra Kumar Bramhe, T. R. Rahangdale)	08
05. Effect Of Green Manure (<i>Hydrilla Verticillata</i>) On Gram (<i>Cicer Arietinum</i>) Germination (Malini Johnson, Saroj Mahajan)	12
06. Papaya And Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar)	15
07. Aloe Vera - A Systematic Review On Its Medicinal Properties (Dr. Shail Bala Sanghi)	18
08. 'A case study of Kishanpura Lake Indore', Madhya Pradesh (Dr. D.S. Waskel, Dr. K.S. Alawa)	20
09. Effect Of The Geomagnetic Storms On Our Climate (Lokendra Kumar Borker)	23
10. Environmental Education And Conservation Of Nature (Dr. Avinash Dube, Dr. Kumud Dubey)	25
11. Bioplastics And Bio-Degradable Plastics Its Types And Its Environmental Impacts (Dr. Sunita Phadnis)	27
12. पेय जल के शुद्धिकरण की विभिन्न विधियों का अध्ययन एवं महत्व (डॉ. डेविड स्वामी)	2 9
13. 16 फरवरी- विश्व पेंगोलियन दिवस (अंचल रामटेके)	3 2

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

14. Artificial Intelligence In E-Commerce (Dr. Rajendra Singh Waghela, Pawan Pushpad)	34
15. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के राजस्वों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. एल. एन. शर्मा)	3 8
16. उदारीकरण का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी)	4 3
17. नीमच जिले में अपराध का गिरता ग्राफ - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. एल. एन. शर्मा)	4 7
18. भारत में कृषि विपणन : समस्याएँ एवं समाधान (छ.ग. के विशेष संदर्भ में) (नीति देवांगन)	5 0
19. जीएसटी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव (डॉ. रायकू जामरा)	5 2

(Economics / अर्थशास्त्र)

20. जनजाति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का एक तुलनात्मक अध्ययन (नारायण प्रसाद चौधरी)	5 4
21. वर्तमान में महात्मा गाँधी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता (डॉ. वसुधा अग्रवाल)	5 9

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

22. राष्ट्रीय आंदोलन में हिन्दी भाषा का योगदान (डॉ. जे. के. संत, डॉ. माया पारस)	6 2
---	-----

23. कार्ल मार्क्स और उनके विचारों की प्रासंगिकता - एक अध्ययन (डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी) 64
24. सुकरात के विचार एवं गीता दर्शन (डॉ. आभा तिवारी, डॉ. सीमा शर्मा) 66

(History / इतिहास)

25. रीवा जिले की प्रमुख सरायें एवं धर्मशालाओं का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. मो. स्वालकीन खान) 67
26. कुषाण युगीन सांस्कृतिक समृद्धि (डॉ. शुक्ला ओझा) 70
27. मुगल कालीन भारत का राजनीतिक परिवेश (डॉ. सुनीता शुक्ला) 72

(Sociology / समाजशास्त्र)

28. नगरीकरण : उभरती हुई समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (डॉ. संजय जोशी) 73
29. बस्तर जनजाति लोकनृत्य ककसाड़ (पेन-करसीता) (डॉ. के. आर. ध्रुव, डॉ. बसंत नाग) 76
30. समाज में मीडिया की भूमिका (डॉ. कल्पना कोठारी) 79
31. सुखी जीवन के चार अनुबंध (समझौते) (डॉ. ऋचा एस. मेहता) 82
32. मानव जीवन का समग्र विकास और विज्ञान (एक मनोसामाजिक विश्लेषण) (डॉ. रश्मि दुबे) 84

(Geography / भूगोल)

33. जाँजगीर-चौम्पा जिले में भूमि उपयोग में परिवर्तन (डॉ. कपूरचंद गुप्ता) 86
34. छत्तीसगढ़ में जनजातियों का स्वास्थ्य व पोषण संबंधी समस्याओं एवं विकास की संभावनाएँ (डॉ. प्रमोद कुमार साहू) 90

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

35. राष्ट्रीय चेतना के कवि - मैथिली शरण गुप्ता (डॉ. रशीदा खान) 94
36. समाचार पत्रों में भाषा का बदलता स्वरूप (डॉ. अमित शुक्ल) 96
37. माखनलाल चतुर्वेदी एक साहित्यिक संख्या (संगीता शुक्ला) 98
38. हिंदी साहित्य के शताब्दी पुरुष डॉ. राम विलास शर्मा (डॉ. सरोज जैन) 100
39. प्रथम जैन साध्वी आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी : व्यक्तित्व एवं कृतित्व (डॉ. गणेश लाल जैन) 102

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

40. Tribes Of Chhattisgarh - Cultural Practices, Ethos And Ethnicity (Hemkumari Patel) 104
41. Incapability To Realize The Hidden Dark Impulses In The Characters Of K. A. Porter's Ship Of Fool's (Dr. Anita Tripathi) 107

(Drawing / चित्रकला)

42. करोड़ों का भारतीय चित्रकार - तैयब मेहता (डॉ. यतीन्द्र महोबे) 108

43. चित्रण में कलागत तत्व की महत्वता (अर्चना) 110

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

44. कराटे खेलने का हरियाणा के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता पर प्रभाव 112
(डॉ. गजेन्द्र सिंह सारोहा, प्रवीण कुमार)

(Education / शिक्षा)

45. A Study of B.Ed. Pupil Teacher's Environmental Awareness In the Context of Their 116
Gender and Graduation Subjects (Dr. M.P. Gupta, Neerupa Agrawal)

(Law/विधि)

46. Judicial Control Of Administrative Actions Relating To Environment From Different 119
Viewpoints (Dr. Pushpa Bhandari, Bharat Sarupria)

47. Anti Competitive Agreements With Reference To Competition Act, 2002 (Varun Kumar Yadav) 121

(Psychology / मनोविज्ञान)

48. अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं में संवेगात्मक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन 123
(घनश्याम डेहरिया)

(Others / अन्य)

49. बुंदेलखंड की स्त्री (मेघा मिश्रा) 126

50. प्राचीन शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था (डॉ. प्रवीण ओझा) 127

51. किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 - एक विधिक अध्ययन 129
(डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल)

52. Medieval Art and Architecture in India (Sunil Sharma) 132

53. देश के विकास के लिए 'शराब है खराब' इन्दौर (म.प्र.) के सदर्र्भ में (डॉ. दीपक जैन) 134

54. मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना के 136
आधार पर मूल्यांकन करना (डॉ. गंगाराम वास्केल)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi, ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
(5) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Studies On Floristic Diversity In Govt. P. G. College Surajpur Campus (C.G.) India

Bhoopendra Kumar Bramhe* T. R. Rahangdale**

Introduction - The forest of the Surajpur provide a large number of plants whose fruits, seeds, tubers shoots, leaves etc. make important contribution to the diet of tribals. These plants not only provide inexpensive food but several other useful products like medicine, fiber, fodder, dyes etc. they also provide useful genus for crop improvement. The floristic study in Govt. P. G. College campus is important not only to identify the potential sources which could be utilized as alternative food or in time of scarcity but to select promising types for domestication and conservation.

Surajpur district of Chhatisgarh state in central India was declared a district on 15 August 2011 by the state Chief Minister Dr. Raman Singh along with eight other new districts. Surajpur district is the first district to receive National Satyan Maitra Literacy Award. The district is known for its market (economical and quality product) and other major tourist places of Chhattisgarh with Tamor Pingla Wild Life Sanctuary. Administrative headquarter of Surajpur District is Surajpur city. National Highway 43 passes through Surajpur District. As of 2011 census Surajpur district has a population of 7,89,043. Males constitute 53% of the population and females 47%. Surajpur has an average literacy rate of 61%. In Surajpur, 16% of the population under 6 years of age. Surajpur District is famous for its tourist places and temples such as Bhageshwari Devi temple in Kudargarh, Patal Bhairav Mandir in Bhaiyathan.

Surajpur is a small, district level city located in northern Chhattisgarh, India. It can be found 180 miles north of the city of Raipur, the capital city of the state, and about 35 miles west of Ambikapur city. Geographic coordinates of district Surajpur is 23.21' north (Latitude) and 82.85' east (longitude). The annual average rainfall is 1304 mm. The temperatures are highest on average in May, at around 32.9°C. In December the average temperature is 16.7°C. It is the lowest average temperature of the whole year.

Materials and Methods - The P.G. College campus of Surajpur, particularly rich biodiversity areas were extensively surveyed, Ethnobotanically regarding medicinal plants. The preliminary surveys were carried out in July 2018. During the pilot survey a general idea of the College campus, related aspects were gathered. field surveys were latter

carried out at regular intervals. Fieldwork started from September 2018 and seasonal surveys were made in rainy, winter and summer seasons. Regular surveys were helpful ingaining information of plants and their varied phenophases.

During the Study diagnostic features of the plants including occurrence, status, local name, medicinal uses, religious aspects and conservational strategies were noted in the field book. Reports of the rural physicians, medicine men and other knowledgeable people were also recorded. Three voucher specimens of each medicinally important plant were collected and numbered. These specimens were kept in the field press for the preparation of herbarium as per method suggested by Jain and Rao (1978) and Agrawal (1983).

In Surajpur district hardly and botanical research work on forest specially on Flora or their documentation was not carried out, Only few information regarding occurrence of the different plants are available in records of Botanical survey of India. Therefore, it was felt essential to have in depth knowledge of P.G. College campus vegetation to understand the plants diversity of P.G. College campus Surajpur, their potential and current status of plants. Our study endeavors to cover all the information regarding medicinal and other plants of the P.G. College campus to give a complete picture of P.G. College campus flora. The College campus of the Surajpur provide a large number of plants diversity whose fruits, seeds, tubers shoots, leaves etc. not only provide inexpensive food but several other useful products like medicine, fiber, fodder, dyes etc.

Laboratory work includes the processing, study of morphological features, dissection, identification, matching, mounting and preservation of plants. All the above processes were completed in laboratories of Department of Botany Govt. P.G. college Surajpur. (C. G.) After the laboratory work, herbariums of the specimens were prepared.

Results and Discussion - An extensive plant survey was carried out in the Govt. J. S. T. P. G. College, Surajpur campus During 2018 – 2019. During the survey more than 300 plants collected. Among them 200 angiospermic plant

* Asst. Professor (Botany) Govt. P.G. College, Balaghat (M.P.) INDIA
** Asst. Professor (Botany) Govt. P.G. College, Surajpur (C.G.) INDIA

have been identified . Out of 200 angiospermic plants, 180 species, 150 genera, 51 families are belonging to dicotyledons while 23 species, 22 genera and 08 families belonging to monocotyledons (Table– 01). Due to various factor such as changing environmental conditions, biotic factors, destruction of habitat etc. biotic factors destruction of habitat some plant species facing threats for their existence. The Govt. P. G. College, Surajpur campus shows rich floristic diversity in respect to the distribution of species, genera and families of both dicotyledons and monocotyledons. Table – 2 indicates a list of flowering plants which are found in campus.

Table – 1 Distribution of angiospermic plants in Govt. P. G. College, Surajpur Campus

Angiospermum	Genera	Species	Families
Dicotyledons	150	180	51
Monocotyledons	22	23	08
Total	171	200	59

Table – 2 Identification, analysis and presentation of data is a major part of work. The family have been arranged alpbetically whith their plant species, in a table given below-

S.	Family	Botanical Name
1	Amaranthaceae	<i>Achyranthus aspera</i> L.
2		<i>Gomphrena globosa</i> L.
3		<i>Celosia argentea</i> L.
4		<i>Aerva lanata</i> (L.) Juss
5		<i>Alternanthera sessilis</i> (L.)
6		<i>Amaranthus spinosus</i> (L.)
7	Apocynaceae	<i>Rowlfia surpentina</i> L.
8		<i>Plumarea alba</i> L.
9		<i>Nirium indicum</i> L.
10		<i>Tabernaemontana divericata</i> L.
11		<i>Beaumontia grandiflora</i> L.
12		<i>Thevetia neriifolia</i> Juss.
13		<i>Catharanthus roseus</i> L.
14		<i>Allamanda cathartica</i>
15		<i>Hemidesmus indicus</i> (L.)
16	Asclepiadaceae	<i>Calotropis gignentia</i> L.
17		<i>Calotropis gignentia</i> (Ait.)
18		<i>Pergularia daemia</i> (Forssk.)
19	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.
20	Asteraceae	<i>Blumea balsamifera</i> L.
21		<i>Elephantopus scaber</i> L.
22		<i>Xanthium strumarium</i> L.
23		<i>Vernonia cinerea</i> L.
24		<i>Ageratum cozoides</i> L.
25		<i>Spilanthes acmella</i> L.
26		<i>Sphearanthus indicus</i>
27		<i>Sonchus oleraceous</i> DC.
28		<i>Tridex procumbens</i> L.
29		<i>Eclipta prostrata</i> L.
30		<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.
31		<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
32		<i>Spilanthes paniculata</i> Wall.
33		<i>Tegetes patula</i> L.
34	Acanthaceae	<i>Andrographis Paniculata</i> (Burm.F.).

35		<i>Barlreia prionitis</i> L.
36		<i>Thunbergia alata</i> L.
37		<i>Hygrophila auriculata</i> (Schum.)
38		<i>rungia pectinata</i> L.
39		<i>Justicia quinquangularis</i> Koenig
40	Anacardiaceae	<i>Mengifera indica</i> L.
41	Annonaceae	<i>Annona squamosa</i> Linn. <i>Polyalthia longifolia</i> Sonn.
42		<i>Artabotrys hexapetalous</i> L.
43	Araceae	<i>Monstera deliciosa</i> L.
44		<i>Scindapsus aures</i> L.
45		<i>Colocasia esculenta</i> (L.)
46	Balsaminaceae	<i>Impatiens balsamina</i> L.
47	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosafolia</i> D. Don
48		<i>Bignonia capreolats</i> L.
49		<i>Manosa allicaea</i> L.
50	Bombacaceae	<i>Bombex Ceiba</i> L.
51		<i>Cieba pentdra</i> Eng.
52	Boraginaceae	<i>Heliotropium indicum</i> L.
53	Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i> L <i>Cardamine hirsuta</i> L.
55	Capparidaceae	<i>Cleome viscose</i> L.
56	Chinopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.
57	Combrataceae	<i>Quisqualis indica</i> L.
58	Commelinaceae	<i>Commelina benghalensis</i> L.
59		<i>Tradescantia zebrina</i> L.
60		<i>Tradescantia spathacea</i> L.
61	Convolvuleceae	<i>Merremia emarginata</i> Burm.F.
62		<i>Evoivulus alsinoides</i> L.
63		<i>Ipomoea hederifolia</i> L.
64		<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.
65		<i>Argyreia sericea</i> Dalz.
66	Costaceae	<i>Costus specious</i> J. Koenig.
67	Crassulaceae	<i>Bryophyllum Pinnatum</i> L.
68		<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> L.
69	Cucurbitaceae	<i>Cucumis callosus</i> Rottl.
70		<i>Diplocyclos palmatus</i> L.
71		<i>Momordica charantia</i> L.
72		<i>Bryonia critica</i> L.
73	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> L.
74		<i>Eleocharis geniculata</i> L.
75	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.)
76	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum.
77		<i>Euphorbia hirta</i> L.
78		<i>Bridelia crenulata</i> Roxb .
79		<i>Ricinus communis</i> L.
80		<i>Euphorbia pulcherrima</i> L.
81		<i>Emblica officinalis</i> Gaertn.
82		<i>Acalypha indica</i> L.
83		<i>Putranjiva roxburghii</i> L.
84		<i>Croton spaeiciflorus</i> Morng.
85		<i>Euphorbia tithymaloides</i> L.
86		<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.
87		<i>Euphorbia heterophylla</i> L.
88		<i>Crozophora rottleri</i> (Geiseler)
89	Fabaceae	<i>Pongemia pinnata</i> L.

90		<i>Tephrosia purpurea</i> Pers.
91		<i>Desmodium trifolium</i> L.
92		<i>Alysicarpus monilifer</i> L.
93		<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.
94		<i>Butia monosperma</i> Lam.
95		<i>Clitoria annua</i> J. Graham
96		<i>Abrus Precatorius</i> L.
97		<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth.
98		<i>Smithia conferta</i> J. E. Smith
99		<i>Zornia gibbosa</i> Span.
100		<i>Atylosia volubilis</i> Gamble.
101		<i>Cassia mimosoides</i> L.
102		<i>Cassia siamea</i> Lam.
103		<i>Cassia fistula</i> L.
104		<i>Cassia tora</i> .L.
105		<i>Cassia occidentalis</i> L.
106		<i>Cassia alata</i> L.
107		<i>Delonix regia</i> L.
108		<i>Bauhinia purpurea</i> L.
109		<i>Mimosa pudica</i> L.
110		<i>Albizia lebeck</i> L.
111		<i>Accasia auriculiformis</i> L.
112		<i>Parkea roxburghai</i> L.
113		<i>Calliandra heamotocephala</i> L.
114	Lamiaceae	<i>Coleus amboinicus</i> L.
115		<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
116		<i>Ocimum basilicum</i> L.
117	Liliaceae	<i>Asparagus recemosus</i> Willd.
118		<i>Urginea indica</i> (Roxb.)
119	Martyniaceae	<i>Martynia annua</i> L.
120	Malvaceae	<i>Abutilon indicum</i> Don.
121		<i>Hibiscus rosa sinensis</i> L.
122		<i>Sida acuta</i> Burm F.
123		<i>Sida cardifolia</i> L.
124		<i>Sida rhombifolia</i> L.
125		<i>Urena lobata</i> L.
126	Menispermaceae	<i>Cocculus hirsutus</i> L.
127	Miliaceae	<i>Azadiricta indica</i> A. Juss.
128		<i>Ailanthus excelsa</i> L.
129	Moraceae	<i>Morus alba</i> L.
130		<i>Ficus benghalensis</i> L.
131		<i>Ficus hispida</i> L.
132		<i>Ficus religiosa</i> L.
133		<i>Ficus racemosa</i> L.
134	Myrtaceae	<i>Callistemon lanciolatus</i> DC.
135		<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.
136		<i>Psidium guajava</i> Linn.
137		<i>Syzygium cumini</i> L.
138	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea nouchali</i> Burm.F.
139	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i> L.
140		<i>Boerhaavia diffusa</i> L.
141	Oleaceae	<i>Nyctanthes aebor-tritis</i> L.
142		<i>Jasminum multiflorum</i> L.
143		<i>Jasminum sambac</i> Ait.
144	Onagraceae	<i>Jussieua suffruticosa</i> Linn.
145		<i>Ludeigia octovalvis</i> (Jacq.)
146	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.

		<i>Oxalis corimbosa</i> L.
		<i>Oxalis latifolia</i> L.
147		<i>Biophytum reinwardtii</i> (Zucc.)
148	Papaveraceae	<i>Argemone maxicana</i> Linn.
149	Plumbaginaceae	<i>Plumbago Zeylanica</i> L.
150	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.
151	Polygonaceae	<i>Antigonon leptopus</i> Stuntz.
152		<i>Muehlenbeckia</i> <i>plactyclada</i> Meisen.
153	Poaceae	<i>Bothriochola pertusa</i> L.
154		<i>Coix lacryma - jobi</i> L.
155		<i>Cynodon dactylon</i> L.
156		<i>Dactyloctenium aegyptium</i> L.
157		<i>Digitaria setigera</i> Roth.
158		<i>Dimeria ornithopod</i> Trin.
159		<i>Eleusine indica</i> L.
160		<i>Eragrostis uniolooides</i> Retz.
161		<i>Ischaemum indicum</i> Houtt.
162	Primulaceae	<i>Anagalis arvensis</i> L.
163	Proteaceae	<i>Grevillea pteridifolia</i> L.
164	Rhamnaceae	<i>Ziziphus jujuba</i> L.
165	Rutaceae	<i>Aegle marmelos</i> Correa.
166		<i>Citrus aurantifolia</i> Linn.
167		<i>Murraya paniculata</i> Linn.
168	Rosaceae	<i>Rosa indica</i> L.
169	Rubiaceae	<i>Neolamarckia kadamba</i> Miq.
170		<i>Musenda lutiola</i> L.
171		<i>Olenlenda corymbosa</i> L.
172		<i>Spermacoce hispida</i> L.
173		<i>Ixora coccinea</i> L.
174	Scrophlluriaceae	<i>Bacopa monnieri</i> L.
175		<i>Lindernia caespitosa</i> (Blume)
176		<i>Lindernia nummularifolia</i> (Don.)
177		<i>Scoparia dulsis</i> L.
178		<i>Sopubia delphiniifolia</i> L.
179	Solanaceae	<i>Datura Stromonium</i> L.
180		<i>Nicotiana tobacum</i> L.
181		<i>Physalis peruviana</i> L.
182		<i>Solenum xanthocarpum</i> L.
183		<i>Solenum nigrum</i> Linn.
184		<i>Physalis angulata</i> L.
185		<i>Cestrum nocturnum</i> L.
186	Sterculiaceae	<i>Melochia corchorifolia</i> Linn.
187	Tiliaceae	<i>Grewia hirsute</i> Vahi.
188		<i>Grewia asiatica</i> L.
189		<i>Corchorus capsularis</i> L.
190		<i>Corchorus oleitorius</i> L.
191	Terneraceae	<i>Turnera ulmifolia</i> Mill.
192	Urticaceae	<i>Laportea interrupta</i> L.
193	Vitaceae	<i>Cissus quadrangularis</i> L.
194		<i>Cayratia trifolia</i> L.
195	Verbinaceae	<i>Lantana camara</i> L.
196		<i>Duranta repens</i> Jacq.
197		<i>Vitex negundo</i> L.
198		<i>Ticktona grandis</i> L.
199	Zingibaraceae	<i>Curcuma domestica</i> Vahi.
200		<i>Hedychium coronarium</i> Koenig

Conclusions - The present study records 200 wild and cultivated plants which are used by the students and people. During present observation and interaction with people 200 wild and cultivated plants has been enumerated with their various value. From the survey conducted, it is seen that the people are utilizing the resources in a sustainable manner by maintaining them as a renewable resource. The people by their natural instinct have perfected this technique without compromising the welfare of future generations.

Acknowledgement - The author is indebted to Dr. S.K. Chile, Prof. U. Tiwari, Prof. C. Swami for their supervision and valuable suggestion throughout the course of the study. Author also thankful to My colleague, College staff and local peoples and forest authorities for their cooperation and sharing their knowledge during study period.

References :-

1. Bramhe B. K., M. Saleem, Khan A.A. 2010 Herbal treatment by Gonds and Baigas of District Balaghat, Madhya Pradesh, India. Social Change and Development in India Gayatri Publication Rewa. ISSN 0973-3914, Vol. -8, Page No. - 779-784.
2. Bramhe Bhoopendra Kumar, Floristic Studies in Govt. J. S. T. P. G. College Balaghat Campus, (M.P.), India, Golden Research Thoughts (International Multidisciplinary Research Journal), ISSN 2231-5063, Impact Factor : 3.4052(UIF), Volume-4 | Issue-9 | March-2015

3. Bramhe B. K. 2013. Study of wild edible plants of Balaghat District(M.P.), Socialchange and development of India. ISBN 978-81-87364-55-9, Page- 452-454.
4. Bramhe Bhoopendra Kumar, Floristic Studies in Govt. J. S. T. P. G. College Balaghat Campus, (M.P.), India, Golden Research Thoughts (International Multidisciplinary Research Journal), ISSN 2231-5063, Impact Factor : 3.4052(UIF), Volume-4 (Issue-9) March-2015
5. Jain S. K. 1991. Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethnobotany. Deep Publisher, New Delhi.
6. Sing, H. B. & Arora, R. K. 1978, wild edible plants of India, ICAR, New Delhi.
7. Bhalla, N.P. Sahu, T .R., Mishra, G.P. and Dakwale. R.N. (1982). Traditional Plant medicines of Sagar District, Madhya Pradesh. *J. Econ. Tax on Bot.* **3** : 23-32.
9. Duthie, J.F. (1960). Flora of the upper Gangentic Plain and of the Adjustcent Siwalik and Subhimalayan Tracts. Botanical survey of India. Calcutta.
10. Hooker, J.D. (1872-1890). The Flora of British India, 7 Vol. L. Reeve and Co.,
11. Jain S.K. (1968). *Medicinal plants* National Book Trust, New Delhi.



Colocasia esculenta (L.) *Cucumis callosus* Rottl. *Asparagus recemosus* Willd.



Andrographis Paniculata (Burm.F.)



Cassia occidentalis L. *Aegle marmelos* Correa. *Costus speciosus* (Koenig.)



Datura Stramonium L.



Solenum nigrum Linn. *Momordica charantia* L. *Corchorus oleitorius* L.



Cleome viscosa L.



Phyllanthus amarus Schum. *Oxalis corniculata* Linn. *Plumbago Zeylanica* L.

Effect Of Green Manure (*Hydrilla Verticillata*) On Gram (*Cicer Arietinum*) Germination

Malini Johnson* Saroj Mahajan**

Abstract - *Hydrilla verticillata* is the rich source of variable nutrients and chemical constituents. The present investigation was conducted with submerged aquatic weed, *Hydrilla verticillata*, obtained from Sirpur talab, Indore (M.P.) on grams (*Cicer arietinum*) plants. The fresh aquatic weeds were processed and mixed in different ratio with soil. The research was undertaken to study the affect of application of different ratio of green manure and soil on grams crop. There were five treatments in total consisting of green manure and soil. The present investigation has been initiated to evaluate the effectiveness of manure on growth of grams. The results obtained proved that all the vegetative growth parameter viz-number of pods and length of grams plants were significantly improved by the use of green manure manufactured from aquatic weeds- *Hydrilla verticillata*. Farmers use huge chemical fertilizers for wheat production, which causes health and environmental hazards. Adoption of green manure in grams cropping systems and improvement of organic manure are needed to reduce use of chemical fertilizer.

Key Words - Green manure, *Hydrilla verticillata*, grams.

Introduction - *Hydrilla verticillata* considered as noxious weed. It can survive in a few centimeter of water. It is ecologically sound and grows 2.5cm in one day in fresh water. The plant possesses numerous mechanisms of vegetative reproduction that enable it to spread very rapidly. Management and control of this weed have been achieved by the potential use of it as green manure in agricultural field. The advantages of green manuring for increased crop productivity has also been reported elsewhere (Kelssa, 1988; Tadesse, 1989; Yeshanew and Asgelil, 1999). Use of chemical fertilizers has increased worldwide for cereal production (Abril et al., 2007) due to availability of inexpensive fertilizers (Graham and Vance, 2000). The continued use of chemical fertilizers causes health and environmental hazards (Pimentel, 1996). Effective use of green manure is an important issue in developing countries. The manure contains important nutrients such as N, P, K, organic matter, Ca, Mg, etc. (Abdelhamid et al., 2004)

Effective use of green manure is an important issue in developing countries. Possible options to reduce chemical fertilizer use could be adoption of grams crops and reduces dependence on chemical fertilizer. Uses of such green manure in agriculture may contribute to conserve the environment as well as improve soil fertility.

Study Area - Indore district lies the heart of malwa plateau. Geographically it lies at 20 .40, N latitude and 75. 45, E longitude and 553 meter from sea level. Sirpur talab is constructed in the year 1868 during the regime of Holkar State. The Sirpur talab is located at the Sirpur village district

Indore (M.P.) Sirpur talab is manmade, totally rain feed perennial water body, open enough to get solar radiations

Materials And Methods - The soil was collected from Sirpur talab and mixed well. This soil samples were dried samples and ground with the help of wooden pestle and mortar than it was passed through 2 mm sieve to separate the coarse particles.

Aquatic weed *Hydrilla verticillata* was separated by hand from Sirpur talab. Aquatic weeds absorbed nutrients are added back to soil on as fertilizer. They thus could be used for nutrient recycling. The aquatic weeds and soil mix properly and the soil of the experimental pot was prepared for growing grams by using different ratio of weeds and soil viz control and pure weeds in the ratio 3:1 the three part weeds and one part soil and another 1:1 50% weeds and 50% soil, similarly 1:3 ratio one part weeds and three part soil were mix and filled in pot.

Cicer arietinum - JG11 was grown in different pots in last week of November 2010. During observations water is the most important factor affecting crop cultivation. 250 ml. of water was given in different plastic pots alternate days. There cultivation was simple. Thus were harvested during the last two weeks of April.

Result And Discussion - The present study was undertaken to assess the effect of *Hydrilla verticillata* use as green manure on productivity of grams. The seed chosen were having a high germination percentage (> 85 %). For rapid germination and emergence, a firm, smooth seedbed is required that will allow proper depth of planting as well

* Asst. Professor (Botany) Govt. College, Kannod (M.P.) INDIA

** Associate Professor, Govt. Mata Jija Bai Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA

as good seed-soil contact. Pot experiments were carried out with green manure of *Hydrilla verticillata* aquatic plant to find out effects of green manure on germination by grams. The Table No.01 shows the result grams with different ratios of fertilizers. The fertilizers increased efficiency of water use could result from restriction on the ability of the plants to extract water from the soil during early crop growth, leaving more to support the grain-filling stage.

Due to the fertilizer used in pots the growth of grown was better than control. The pot in which *Cicer arietinum* was sown, the longest length of plant was observed to be 26.1 cm when the weed soil ratio was 3:1 and *Hydrilla verticillata* used as fertilizer while 17.3 cm. when the pure weed was used. Nitrogen content of composts were also increased due to N fixing bacteria (Wong et al. 2001) Due to the fertilizer used in pots the growth of grown was better than control.

Cicer arietinum the flowering started on after six weeks. The number of pods was more i.e. 15-20, when *Hydrilla verticillata* use as fertilizer in the ratio weed and soil 3: 1 was used and the control plant was having only 8-10 pods in the study year 2010-11. Table No-02. Good qualities of seeds were observed. Which were normal in colour and bright in appearance, they were unweathered and free from diseases. Care was taken so that the grain could not be damaged during thrashing and could remain free from insects and infestations. The moisture contents were also monitored so as to permit long storage. An economical analysis of the costs and benefits of the high performing green manure treatments would be valuable. Higher values were obtained for compost than for green manure of similar organic material. (Fujihiro et al. 2013).

The highest grain yield 4023 and 5007 kg ha⁻¹ and Stover yield 5330 and 7170 kg ha⁻¹ was recorded under 100% NPK + FYM 10 t ha⁻¹ treatment (T9) in maize and wheat, respectively. Maximum uptake of macro (N, P, K) nutrients by maize and wheat crop was recorded under application of integrated use of chemical fertilizers along with manure (Meena et al 2019).

The above result indicate that green manure is superior to others in vegetative parameters for grams crop. Miller et al. (2006) monitor equal or greater positive cropping sequence effect of pea on subsequent wheat than mustered.

Conclusions - Higher values were obtained for green manures. *Hydrilla verticillata* absorbed nutrients from water. Death and decay of these plants release the nutrients in water, which help in obtaining crop yields of grams one

step ahead in sustainable agriculture. However, before its recommendation to farmers, further field studies are required. Grams plants harvested poses good and healthy quality of seeds which mostly were of same size and shape.

References :-

1. Abdelhamid MT, Horiuchi T, Oba S (2004): Composting of rice straw with oilseed rape cake and poultry manure and its effects on faba bean (*Vicia faba L.*) growth and soil properties. *Biores. Technol.* 93: 183-189.
2. Abril A, Baleani D, Casado-Murillo N, Noe L (2007): Effect of wheat crop fertilization on nitrogen dynamics and balance in the Humid Pampas, Argentina. *Agric. Ecosyst. Environ.* 119: 171-176
3. Graham PH, Vance CP (2000): Nitrogen fixation in perspective: an overview of research and extension needs. *Field Crops Res.* 65: 93-106.
4. Pimentel D (1996): Green Revolution and chemical hazards. *The Sci. Total Environ.* 188 (Suppl. 1): S86-S98.
5. Fujihiro.A., Nkkiko.K. and Chio K (2013): Effects of compost and organic green manure on soil fertility and nutrient uptake in wheat-rice cropping system. *Int.J.Manure Fertilizer (vol) 2* pp 407-412.
6. Kelssa K. (1988) Fertilizer requirement studies of maize (*Zea mays L.*) production in Ethiopia. *In: Desta Beyene (eds.). A review of soil science research in Ethiopia.* IAR, Addis Ababa, Ethiopia.
7. Miller, MR., Engel, RE., Holmes JA., (2006): cropping sequence effect of pea and pea management on spring wheat in Northern great plains. *Agron J* 98;1610-1619.
8. Meena, B.L.; Sharma, S.K.; Meena, R.H.; Verma, A and Purohit H.S.: (2019): Effect of fertilizers and manure application on uptake & yield of maize-wheat and nutrient availability in Typic Haplustept. *Green Farming Vol. 10 (1):* 22-26.
9. Tadesse Y. (1989): Effect of green manuring on soil fertility and grain yield of maize. *Sebil 2 (1-2),* 26-28.
10. Yeshanew A, Asgelil D. (1999): The effect of green manuring and application of fertilizer on the yield of bread wheat at Adet in Northwestern Ethiopia. pp 182-185. *In: The tenth regional wheat workshop for Eastern, Central and Southern Africa.* Addis Ababa, Ethiopia: CIMMYT.
11. Table no 01 The growth parameter of the *Cicer arietinum*, *Hydrilla verticillata* use as fertilizer 2010-2011 (cm).

Observation Table

S.No.	Weeks Duration	Control	100% Weeds	Weeds: Soil,3:1	Weeds: Soil 1:1	Weeds: Soil 1:3
1	1	3.2	2.1	5.3	4.1	3.8
2	2	6.6	4.3	8.6	7.8	7.3
3	3	10.4	6.3	13.7	11.3	11.5
4	4	14.7	9.6	16.5	15.6	15.6
5	5	16.4	11.4	20.4	18.3	17.8
6	6	18.5	14.2	22.6	21.5	19.3
7	7	19.4	14.9	23.1	22.1	20.3
8	8	19.9	15.2	23.7	22.7	20.7
9	9	20.6	15.8	24.2	23.1	21.2
10	10	20.8	16.1	24.8	23.4	21.6
11	11	21.1	16.5	25.4	23.8	22.1
12	12	21.6	16.9	25.8	24.2	22.6
13	13	21.8	17.3	26.1	24.8	22.8
14	14	21.8	17.3	26.1	24.8	22.8

Papaya And Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar*

Abstract - We clean our body every day; we brush, bath, scrub: apply moisturizers, sunscreens and many more for looking beautiful. However our external beauty is totally depends on internal health. Papaya is a natural food that gives us a deep cleanse internally. Papaya has good anti-bacterial property and promotes good digestion. Almost every parts of the plant can be used. In raw papaya two power packed enzymes are found namely chymopapain and papain which breakdown protein, fats and carbohydrates very easily. Quite similar to the function of a broom, raw grated papaya cleanses your colon and digestive tract of any sludge and fecal matter. The fiber acts like an internal broom that helps anyone with chronic constipation, acidity, piles and diarrhea. The enzymes latex present in raw papaya gives our body a sparkling cleanses from the inside.

Key Words – Digestion, Detoxify, Papain, Chymopapain.

Introduction - Christopher Columbus, an Italian voyager once referred to papaya as the fruit of the angels. The fruit which is extremely rich in Vitamin C has a wide range of health benefits making it a great fruit option to include in our diet. Here are some of the top health benefits of papaya. According to Franziska Spritzler, the papaya is an incredibly healthy tropical fruit. It is loaded with antioxidants that can reduce inflammation, fight disease and help keep you looking young. Papaya is a cerise-orange colored juicy fruit, which is not only fragrant and delicious but also very healthy. Papaya is a natural source of vitamins and minerals that are essential for the normal functioning of the body. It is famous for its luscious taste and sunlit color of the tropics and can be eaten as a fruit in the raw form, a smoothie, a milkshake, or as a vegetable in various recipes. Latex derived from the raw papaya fruit is used as a meat tenderizer and is also used in the manufacturing of several cosmetic, skin and beauty products as well as certain chewing gums. They are available for consumption throughout the year. The whole fruit, including other parts of the trees, are beneficial to health in several ways. Papaya in form raw contain enzyme, which are used in the preparation of dietary supplements and chewing gums. According to the USDA National Nutrient Database, papaya is rich in antioxidant nutrients such as carotenes, flavonoids and vitamin C as well as vitamin B (folate and pantothenic acid). It is also a good source of fiber and minerals such as magnesium. Together, these nutrients help improve cardiovascular health and protect against colon cancer.

Objectives –

1. To clean and detoxify individuals body from internally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.

3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.

Methodology – To solve the above problem, I focused on digestion and life style of the human being.

Benefit of Papaya - There are many benefit of papaya which is given below.

Digestion – in today's times, it is near impossible to avoid eating foods that are bad for your digestive system. Often we find ourselves eating junk food or restaurant food prepared in excessive quantities of oil. Eating papaya daily can make up for such occasional mistakes, as it has a digestive enzyme know as papain along with fiber which helps improve your digestive health. Papaya is a great source of dietary fiber. This nutrient absorbs toxins in the colon that can cause cancer and eliminates them from the body through bowel movement. Due to its rich fiber content, papaya aids digestion and imparts a beautiful glow to your skin.

Lower Cholesterol – Papaya is rich in fiber, Vitamin C and antioxidants which prevent cholesterol build up in your arteries. Too much cholesterol build-up can lead to several heart disease including heart attack and hypertension.

Protects Against Arthritis - Arthritis can be a really debilitating disease and people who have it may find their quality of life reduced significantly. Eating papayas are good

for your bones as they have anti-inflammatory properties along with Vitamin C which helps in keeping various forms of arthritis at bay. A study published in Annals of the Rheumatic Diseases showed that people who consumed foods low in Vitamin C were three times more likely to have arthritis than those who didn't.

Heart Health – Fiber also helps lower cholesterol. The digestive process requires bile acids, which are made partly with cholesterol. As your digestion improves the liver pulls cholesterol from the blood to create more bile acid. In this way our bad cholesterol decreases from the body. Papaya having three powerful antioxidant vitamins, namely vitamin A, C and E means papaya are helpful in preventing problems such as atherosclerosis and diabetic heart diseases. The presence of pro-carotenoids phytonutrients helps prevent oxidation of cholesterol in the body. When oxidation of cholesterol takes place, it sticks to the walls of the blood vessels and forms plaque that can lead to heart attacks and strokes. Vitamin E and vitamin C obtained from papaya help in preventing the cholesterol from sticking to the walls, thereby keeping your heart healthy. As a good source of fiber, papaya also helps reduce the LDL cholesterol level in the body. Include papaya in your daily diet as a mid-evening snack to keep your heart young. It also helps in treating sores, wounds, and ulcers.

Papaya Fight Inflammation – Chronic inflammation is at the root of many diseases, and unhealthy food and lifestyle choice can drive the inflammatory process. Inflammation can be measured by testing several blood markers, including C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor (TNF) and interleukin-6 (IL-6). Studies have shown that antioxidant-rich fruits and vegetables like papaya help reduce these inflammatory markers. For example, one study showed that men who increased their intake of fruits and vegetables high in carotenoids had a significant decrease in CRP. The enzymes present in papayas, especially the papain and chymopapain, reduce the inflammation in different parts of the body, according to research published in Molecular Nutrition & Food Research

Prevents Infections - Papaya are effective for killing intestinal worms, thereby avoiding infections and complications associated with them.

Prevents Signs of Ageing - All of us would love to stay young forever, but no one in this world has managed to do it. Still, healthy habits like eating a papaya daily will prolong the process and may make you look 5 years younger than you are. Papaya is rich in Vitamin C, Vitamin E and antioxidants like beta-carotene which help prevent your skin from free radical damage keeping wrinkles and other signs of ageing at bay.

Prevents Cancer - Papaya is a rich source of antioxidants, phytonutrients and flavonoids that prevent your cells from undergoing free radical damage. Some studies have also linked the consumption of papaya to a reduced risk of colon and prostate cancer. Research suggests that the **lycopene** in papaya can reduce cancer risk. Papaya's cancer-fighting

ability appears to be due to its ability to reduce free radicals that contribute to cancer development and progression. Among 14 fruits and vegetables with known antioxidant properties, only papaya demonstrated anti-cancer activity in breast cancer cells. The scientists exposed different types of cancer-affected cells to different papaya leaf extracts and found that the growth of tumors slowed down. The fruit has gained credibility and has been used in many medicines for its anticancer powers. Studies show that papaya seed extract can have chemotherapeutic effects. Papaya seeds are rich in flavonoids that can reduce the risk of cancer by arresting the development of cancerous cells.

Treats Macular Degeneration - Macular degeneration is a disease of the eye. In this condition, the ocular cells degenerate which results in blurred vision and can cause blindness as well. This is an age-related illness and adding papaya to the diet is beneficial for reducing the risk of developing macular degeneration. An antioxidant named beta-carotene gives papaya its orange color. Just as carrots help improve the eyesight due to the presence of beta-carotene; papayas are also known to be effective in reducing the effect of macular degeneration. According to a study published in the Archives of Ophthalmology, a consumption of 3 or more servings of this fruit on a daily basis may lower the risk of age-related macular degeneration.

Stimulates Hairs Growth - Papaya has folic acid that helps improve circulation to the hair follicles and promotes hair growth. Include papaya in your meals and get ready to flaunt long and healthy hair.

Controls Dandruff - One of the best papaya seed benefits is that it can help reduce dandruff when used in a hair pack. One of the main causes of dandruff is a fungal infection. The antifungal properties of papaya seeds help in controlling and preventing dandruff.

Clears Pigmentation – If you have acne or if you are suffering from uneven pigmentation, papaya can come to your rescue. Papaya has skin lightening properties that help clear blemishes and pigmentation. Also, the beta-carotene, enzymes and phytochemicals present in papaya help promote fairness. The enzyme papain, along with the alpha-hydroxy acids, acts as a powerful exfoliator and dissolves inactive proteins and dead skin cells. This, in turn, will make your skin lighter and softer.

Boosts Immunity – Do you often fall sick? It is possible that you have low immunity. No worries, eating papayas can boost your immune system. Papaya is rich in antioxidants that scavenge the free radicals that have a negative impact on your immune system. This boosts your immunity.

Activates Human Growth Hormones - Dried papaya nourishes the endocrine system and promotes the production of arginine in the body. Arginine is a type of essential amino acid that is known to activate the human growth hormones. These hormones play a key role in rebuilding bones, muscles, skin and liver cells and promote overall cell rejuvenation.

Discussion - Papaya makes our digestive system healthy. When our digestive system is healthy than chances of getting illness is very less. Papaya makes our immune system very strong so chances of growth of micro – organism are very less. Papaya removes bad cholesterol from our body and makes our heart healthy. Papaya also makes our skin healthy. I author of this paper, I am continuing eating natural raw and ripen papaya during last one and half year. Above mentions specialties of papaya are true. I am not falling ill since last one and half year and I have not taken single tablet of any kind. This shows that affect of eating natural papaya have some beneficial for our health.

Findings -

1. Papaya makes skin colour natural.
2. Papaya clears unnecessary darkness of the skin.
3. Papaya helps in digestion.
4. Papaya makes our immune system strong.
5. Papaya removes unnecessary cholesterol from our body.

Suggestion -

1. Eat neutral raw or ripen papaya.
2. Do not eat warehouse ripen papaya; it may be harmful for us.
3. Do not eat large amount raw or ripe papaya at a time,

Conclusion – it is old says that “Health is Wealth”. If health is well than all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits papaya in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. By doing this an individual will have to do less exercise and get maximum benefit related to the health.

References :-

1. <https://www.msm.com/en-in/health/nutrition/11-health-benefits-of-papayas/ar-AA2bCze>
2. <https://healthline.com/nutrition/8-proven-papaya-benefits#section8>
3. <https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit/health-benefits-of-papaya.html>
4. <http://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-papaya-for-skin-and-hair/#gref>
5. <https://food.ndtv.com/health/4-remarkable-raw-papaya-benefits-from-internal-cleansing-to-glowing-skin-1679908>
6. <https://www.lybrate.com/topic/10-benefits-of-raw-green-papaya/f02f7b8763f43e2de3abd8f097fc4111>
7. <https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/green-papaya-has-many-nutritional-benefits/articleshow/30844139.cms>.

Aloe Vera - A Systematic Review On Its Medicinal Properties

Dr. Shail Bala Sanghi*

Abstract - Aloe vera is a herb distributed all over the world. The herb is used internally to counter most of the problems of digestion, diabetes, immune system, and peptic ulcers. It also contains anti-bacterial, anti-septic, anti-viral, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-oxidant, moisturizing, anti aging effects. This review highlights the importance of using Aloe vera as a medicinal herb.

Key Words - Aloe vera. Medicinal, Herb.

Introduction - The name Aloe comes from the Arabic word *alloe* meaning a shining bitter substance¹. The botanical name of Aloe Vera is *Aloe Barbadosensis* Miller. It belongs to the Liliaceae family, which has about 360 species. Aloe Vera is a cactus like plant that grows readily in hot and dry climate and currently, because of high demand, is cultivated in large quantities. It grows mainly in dry regions of Asia, Africa, America and Europe. In India, it is found in Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu². Cosmetics and some medicinal products are made from the mucilaginous tissue at the centre of the Aloe vera leaf and are called Aloe Vera gel. This gel is a clear, tasteless, thin, jelly like material. The other part of the plant is a group of specialized cells known as the pericyclic tubules. They occur just beneath the outer green rind of the leaf. These cells produce exudates that consist of bitter yellow latex with powerful laxative-like action². This plant has yellow flowers. The leaves, arranged in a rosette configuration are triangular and spear like and have thorny ridges.

Chemical constituents of the plant - There are over 100 active biologic constituents found within aloe³. The plant is a rich source of natural, health –promoting substances:
Polysaccharides: Aloe gel is 99% of water with a pH of 4.5 and is a common ingredient in many non prescription skin salves. The gel has an emollient polysaccharide, glucomannan. It is a good moisturizer, and is used in many cosmetics. Other poly saccharides such as arabinan, arabinorhamnagalactan, galactan, galactogalacturan, glucogalactomannan and glucuronic acid containing polysaccharides are isolated from the Aloe vera inner leaf gel part⁴.

Anthraquinones /Anthrones: Aloe emodin, aloetic acid, anthranol, aloin A and B, isobarbaloin emodin ester of cinnamic acid are also found in Aloe vera.

Vitamins/ Minerals - It provides vitamin C, A, E, B, B Carotene, Zinc, Calcium, Copper, Magnesium, Manganese and phosphates.

Enzymes - It contains allise, alkaline phosphatase, amylase, catalase, lipase, peroxidase and corboxy peptidase enzymes.

Amino acids - It provides 20 of the 22 human required amino acids and 7 of the 8 essential amino acids.

Plant sterols: 4 plants steroids campesterol, cholesterol, bsitosterol and lupeol.

Therapeutic uses of Aloe vera - The Aloe vera exudates are transparent, slippery mucilage or gel given by the thin walled tubular cells in the inner central zone (parenchyma) of the leaf. This mucilage was applied to inflamed skin and during the 20th century, it was helpful for radiation burns. The bioactive compounds are used as astringent, homeostatic, antidiabetic, antiseptic, antibacterial, antioxidant and anti tumor agents and also effective in treating stomach ailments, gastrointestinal problems, constipation, radiation injury, wound healing, burns, dysentery, diarrhea and treatment of skin diseases. Currently the plant is widely used in skin care⁵.

Aloe vera has 75 potentially active constituents, vitamins, enzymes, minerals, sugar, lignin, saponin, salicylic acid and amino acids.

- 1. Anti-oxidant activity** - It contains vitamin A, B Carotene, C and E. They are anti oxidants. It provides calcium, magnesium, potassium, sodium, and zinc minerals which are essential for the proper functioning of various enzymes which are antioxidants.
- 2. Wound healing** - Cumulative evidence supports the use of Aloe Vera for the healing of first to second degree burns⁶. The wound healing properties of Aloe Vera gel has been attributed to mannose-6 phosphate⁷. Brady kinase enzymes help in the reduction of excessive inflammation, when applied to the skin topically.
- 3. Anti-ulcer activity** - A number of glycoproteins present in Aloe vera gel have anti tumor and anti ulcer effects⁸.
- 4. Anti bacterial and anti viral activity** - Aloe vera gel provides 12 anthraquinones which are phenolic

compounds traditionally known as laxatives. Aloin and Emodin acts as analgesics, antibacterials and antivirals⁹.

5. Anti septic and analgesic properties - Aloe vera gel provides some fatty acids like cholesterol, campesterol, B-sisosterol and lupesol. All of them have anti-inflammatory action and lupesol also possess antiseptic and analgesic properties¹⁰.

6. Other medicinal uses - Traditionally, Aloe vera gel is used both topically (treatment of wounds, burns, and skin irritations) and internally to treat constipation, ulcers, diabetes, headache, arthritis, immune system deficiency¹¹. Aloe vera contains polysaccharides which increase the insulin level and show hypo glycaemic properties¹².

7. Cosmetics and skin protection application - Aloin and its gel are used as skin tonic for pimples. Aloe vera is also used for soothing the skin and keeping the skin moist to help avoid flaky scalp and skin in harsh and dry weather¹³. Aloe vera show laxative effect due to presence of anthraquinone. It has also been reported to have moisturizing and anti aging effect along with anti septic and anti diabetic effects¹².

Conclusion - In late years, ethno-botanical and traditional uses of natural compounds, especially of the plant origin receive much attention as they are well tested for their efficacy and generally believed to be safe for human use. Many Indian herbs are being used in traditional practices to cure various human ailments. Aloe vera, has an important place among such wound healing medicinal plants it can also be used in treating many diseases and use as cosmetics products also. Furthermore property of Aloe vera has also made a better understanding of its use as a potential drug in addition to contemporary drugs further research should be encouraged to utilize the herbs with medicinal properties.

References:-

1. Ghazanfar S.A. Hand book of Arabian medicinal plants .Boca Rato; CRC Press, 1994.
2. Richard L.W. Aloe vera gel: Update for dentistry. *Pharmacology Today*.2005 ;6-9
3. Ronald M. S., Aloe vera; its chemical and therapeutic properties. *Int J Dermatol*.
4. Choi S., Chung M.H., A review on the relation - ship between Aloe vera components and their Biologic effects. *Semin Integr Med* (2003) ;1:53-62
5. Shelton R M. Aloe vera Its chemical and therapeutic properties. *Int. J Dermatol*, 1991; 30; 679-83.
6. Maenthaisong R., Chaiyakunapruk N. and Niruntra S., The Efficacy of Aloe vera for Burn Wound Healing: A Systematic Review *Burns* (2007) 33 (6) : 713-718.
7. Davis,R.H., Donato,J.J. Hartman,G.M.and Hass,R.C. ,Anti-Inflammatory and Wound Healing Activity of a Growth Substance in Aloe vera .*Journal of the American Podiatric Medical Association* (1994) 84 (2) :77-81.
8. Sai Krishna Borra, Radha Krishna Lagisetty and Gowrinath Reddy Mallela. 2011 .*African Journal of Pharmacy and Pharmacology* vol.5, pp.1867-1871.
9. Lawrence R, Tripathi P, Jeyakumar E. Isolation, Purification and Evaluation of Antibacterial Agents from Aloe vera. *Journal of Microbiology*. 2009,40:906-15.
10. Barcroft and Myskja Aloe vera; Nature'S Silent Healer, BAAM (2003)
11. Tanaka,M.et al., Identification of Five Phytosterols from Aloe vera Gel as Anti -diabetic Compounds. *Biological and pharmaceutical Bulletin*, 29 (7):1418-1422.
12. Eshun, K. and He, Q., Aloe vera: A Valuable Ingredient for the Food, Pharmaceutical and Cosmetic Industries—A Review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* (2004) 44 (2):91-96.
13. West D.P. and Zhu Y.F., Evaluation of Aloe vera Gel Gloves in the Treatment of Dry Skin Associated with Occupational Exposure. *Am. J. Infect Con* (2003), 31(1):40-42.

'A case study of Kishanpura Lake Indore', Madhya Pradesh

Dr. D.S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

Abstract - The Physio-chemical characteristics of Kishanpura lake Indore, Madhya Pradesh have been studied. The study of water quality Kishanpura Lake was seasonally carried out of two years 2017-2018. Five sampling stations were selected at lake. The water samples collected were analyzed as per slandered methods of APHA (2005). Obtained result were compared with standard values laid down by various agencies BIS (1991) and WHO (1992). The study was conducted based on their water sources, plankton community and origin of pollution such as utilization by human and animals. In this study Temperature, Transparency, PH, TDS, Free Co₂, Dissolved oxygen, Total alkalinity, chloride, BOD, sulphate etc.

Keywords - APHA, Physio-chemical, Kishanpura Lake, Madhya Pradesh.

Introduction - Water is an important constituent of all living organisms and basic needs of human beings. Lake has always been the most important fresh water resources and most development activities are still development upon them. The Physio-chemical are very important factors of environment. This fluctuates population dynamic of the lake. the principle physical and chemical condition operative in natural waters make up the basic plate form through various combination and intencies, upon which the occurrence, distribution and success of aquatic organism the degree of pollution generally assessed by studying physical and chemical characteristic of the water bodies.

Materials and Methods - Kishanpura Lake situated on Indore – Dhar road near Indore city is mainly used for fisheries, irrigation and domestic purpose. Detailed about Kishanpura lake- Maximum depth of lake- 13.10 M, Origin of lake- Gambhir river, Situation- Indore Dhar road, Location of lake- Near chhota Betma Village, Distance- 22 Km., Latitude 22 – 40-30, Longitude 75-39-00, Catchment area 11 Sq.Km., Type of lake Earthen, Length of lake 955.55 M., Top width of lake 3.0 Km.

The water samples were collected from 4 different directions and one samples counter point of lake. Water samples were collected in plastic bottles seasonal during 2017-2018. Physio-chemical parameters were analyzed as per the slandered method APHA and Trivedi and Goel.

Table 1 and 2 (see in next page)

Results and Discussion - The Physico-chemical parameters of selected five stations in the Kishanpura Lake have been given in table one and two.

Transparency – transparency has a direct bearing on the light penetration of water and depends upon suspended matter and dissolved colored substance. The high values were recorded during winter season and low values were

recorded in rainy season. Transparency of lake water is also affected due to total solids of fully organic matters, slits and turbulence caused by the current, waves human and cattle activities (singh et. al. 1999).

Temperature- temperature is basically important for its effects or certain chemical and biological reaction taking place in water and aquatic organisms (Srivastava and patil 2002). The higher values were recorded during summer season and lower values recorded in winter seasons.

Total dissolved solids- TDS refers any minerals, salts metals cautions or any onions dissolved in water. TDS values found maximum in rainy season and minimum in the summer season high solid contain having inferior portability may induce an unfavorable physicochemical reaction in the transient consumers.

Free CO₂- the concentration of free co₂ in lake studied was of observed to be generally low. The reason for the absence of free co₂ due to its utilization in photosynthetic activity seems during study. The lower constriction of free co₂ can be attributed to photosynthetic activity of macrophytes.

Dissolved oxygen- Dissolved oxygen is an important factors that determined the quality of a water assessment, which reflects the physical and biological process periling in water the Dissolved oxygen content where found minimum in rainy and maximum in the winter season. Dissolved oxygen in a natural and waste water depends on the physical, chemical and biological activities in the water bodies. The high value Do was found in winter season and low value was found in rainy season.

Biological oxygen demand- BOD is an important parameter which is widely used to determine the pollution load of waste water. The object of BOD test is determined in amount of biochemically disable, carbonaceous matter (Gupta et.al. 2003). The BOD was found minimum in winter

* Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

** Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

season and maximum in summer season.

P^H- the P^H indicates the intensities of acidity and alkalinity. The P^H value where found minimum rainy season and maximum in the summer season. High P^H value was recorded summer season because of the due to utilization of by carbonate and carbonate buffer system due to evaporation of water. The P^H value of all water sample where found to be higher than that of the slandered permissible limit BIS (1991) & who (1992).

Chloride- the chloride was recorded higher in the summer season and minimum in the rainy season due to evaporation of water and mixing of organic waste of animals. It is directly correlated with the pollution level (Munnawar 1970).

Alkalinity- Total alkalinity is a measure the ability of water is neutralized or assimilates acids. Total alkalinity was recorded higher values in the summer season and lower in rainy season. High value was summer season due to mixing of garbage .Inside the lake.

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. B.L.Chouhan, principal and Dr.Amita Dagaonkar, Head of Zoology Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Indore for help during study the Kishanpura Lake. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References :-

1. APHA (1992).Standard method for examination of water and waste water. Washington D.C.
2. Basavaraja Simpi, S.M. Hiremath,K.N.S. Murthy, K.S.Chandarash,APPA, Anil N. Patil, E.T.Puttiah (2011).Analysis of water quality using physico-chemical

- parameters Hosahalo tank in S.Himega district, Karnatka, India, 11 (3).
3. BIS (1991). Specification for drinking water quality Indian slandered institution New Delhi, India.
4. Gupta, S.M. (2003).Physico-chemical characteristics and analysis of water quality of Bikaner city, Asian Jou.chemical, 15:727.
5. Gopal Krishana H.M.(2011).Assessment of Physico-chemical status of ground water sample, Inacotcity, Res.Jou. of chemi.Science, 1(4), 117-124.
6. Gallardo B., Clavero M., Sanchez M.I.,Vila M.(2016).Global ecological impacts of invasive species in aquatic ecosysytem. Global change boil, 22:151-163.
7. Jain M.K., Dadhich L.K., Kalpana S.(2011). Water quality assessment of Krishanpura Dam, Baran, Rajasthan, India, Nature envi. and pollu.,Tech, 10(3), 405-408.
8. Johengen T.H. (2014). Changing ecosystem Dynamics in the Laurentian Great Lake. Bottom up and Top down regulation, Bio. Science, 64:26-39.
9. Munnawar M. (1970). Limnological studies on fresh water ponds of Hyderabad, India, Int.Biotype. Hydrobiologia, 35,127.
10. Singh, B.N. & S. Rai (1999). Physico-chemical studied of Ganga River at Varansi. Jou. Envi.Pollution, 6:43-46.
11. Shrivastava V.S. & Patil P.R.(2002). Tapti river water pollution by industrial waste. A Statical approach. Nature Envi. Pollu. Tech., 1:285-290.
12. Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986). Chemical and biological method for water pollution studied, Envi. Pub. Karad, 215.

Table-1 Seasonal variation of Physio-chemical parameters in Kishanpura Lake During 2017.

S. No.	Parameters	Station I			Station II			Station III			Station IV			Station V		
		Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
1	Temperature 0°C	27	26	34	27.2	25.4	33.4	27.1	26.1	33.8	27.1	26	33.3	27.1	26	34
2	Transparency	20	30	36	19	29	35	20	29	35	21	29	35	21	31	36
3	Free CO ₂ *	0.0	2.0	3.0	0.1	2.1	3.1	0.2	2.0	3.0	0.2	2.0	3.1	0.2	2.2	3.1
4	Total dissolved solids*	150	130	110	148	128	111	151	129	112	247	125	112	146	128	112
5	Dissolved Oxygen*	7.0	8.2	7.8	7.1	8.5	7.7	7.2	8.5	7.6	7.1	8.6	7.6	7.1	8.8	7.8
6	Alkalinity*	130	245	210	128	250	211	130	247	215	129	244	212	129	246	211
7	Chloride*	27	22	32	28	24	32	26	21	31	26	23	33	27	21	30
8	BOD*	3.0	2.2	3.8	2.8	2.5	4.0	3.0	2.4	3.9	2.8	2.3	3.8	3.1	2.5	4.0
9	Sulphate*	6.0	8.1	4.1	6.2	8.2	4.2	6.2	8.0	4.2	6.1	7.8	4.2	6.5	8.2	4.2
10	PH*	7.2	7.8	8.0	7.1	7.6	7.9	7.0	7.5	7.9	7.1	7.5	7.9	7.1	7.7	7.8

Transparency-cm, * mg/l

Table-2 Seasonal variation of Physio-chemical parameters in Kishanpura Lake During 2018.

S. No.	Parameters	Station I			Station II			Station III			Station IV			Station V		
		Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
1	Temperature 0°C	27	26	34	27.2	26	33.8	27.1	26.1	33.8	27.2	26.3	34	27.1	26.2	34.1
2	Transparency	21	31	36	19	29	35	20	29	35	21	30	36	22	30	36.1
3	Free CO ₂ *	0.1	2.1	3.0	0.1	2.2	3.1	0.2	2.0	3.1	0.2	2.1	3.1	0.2	2.3	3.2
4	Total dissolved solids*	151	130	112	149	129	111	151	129	111	248	125	112	148	126	112
5	Dissolved Oxygen*	7.0	8.3	7.8	7.1	8.1	7.7	7.2	8.5	7.7	7.0	8.5	7.6	7.1	8.2	7.8
6	Alkalinity*	131	240	212	129	245	211	132	247	211	129	242	210	131	247	212
7	Chloride*	27	27	33	28	24	34	26	21	31	25	22	34	26	22	30
8	BOD*	3.0	2.2	3.5	2.0	2.5	4.0	3.0	2.4	3.9	2.6	2.2	3.6	3.1	2.5	3.5
9	Sulphate*	6.0	8.1	4.1	6.2	8.2	4.2	6.2	8.0	4.2	6.1	7.2	4.2	6.6	8.0	4.2
10	PH*	7.0	7.8	8.0	7.1	7.6	7.6	7.2	7.5	7.9	7.1	7.4	7.7	7.1	7.8	7.9

Transparency-cm, * mg/l

Effect Of The Geomagnetic Storms On Our Climate

Lokendra Kumar Borker *

Abstract - The growing evidence that the changes the geomagnetic field affect biological systems. Recent study indicate that physically stressed human biological systems may respond to fluctuations in the geomagnetic field .Possibly the most closely study of the variable Sun's biological effects has been the degradation of homing pigeons navigational abilities during geomagnetic storms.During geomagnetic storms, the number and energy of electrons and ions increase. When satellite travels through this energized environment, the charged particles striking the spacecraft cause different portions of the spacecraft to be differentially charged.. Studies of severe geomagnetic storms are widely applicable in the field of space weather phenomena, satellite communications, navigation and power systems. We cannot stop these harmful geomagnetic storm events any way but protect to our scientific systems or us by forecasting of them.

Key Words- Geomagnetic storms, coronal mass ejection, coronal hole, ionosphere and magnetosphere.

Introduction - During Geomagnetic storms, very low Earth's magnetic field and harmful radiation received from the Sun hazards to us and our climate .Earth's atmosphere and magnetosphere allow adequate protection for us on the ground, but astronauts in space are subject to potentially lethal dosages of radiation. The penetration of high-energy particles into living cells, measured as radiation dose, leads to chromosome damage and potentially, cancer. Large doses can be fatal immediately. Solar protons with energies greater than 30MeV are particularly hazardous. Solar protons events can also produce elevated radiation aboard aircraft flying at high altitudes. The sun is the heat engine that drives the circulation of our atmosphere. It has long been assumed to be a constant source of energy and output can vary with the 11 year solar cycle atmospheric scientist observed that this variation is significant and that it can modify climate over time. Plants growth has been shown to vary with the 11- year sunspot and 22- year magnetic cycles of the Sun, as evidenced in tree-ring records. During proton events, many more energetic particles reach Earth's middle atmosphere. They cause molecular ionization, creating chemical that destroy atmospheric ozone and allow increased amounts of harmful solar ultraviolet radiation to reach Earth's surface.

There is a growing evidence that the changes the geomagnetic field affect biological systems. Recent study indicate that physically stressed human biological systems may respond to fluctuations in the geomagnetic field .Possibly the most closely study of the variable Sun's biological effects has been the degradation of homing pigeons navigational abilities during geomagnetic storms.

Pigeons and other migratory animals, such as Dolphins and whales, have internal biological compasses composed of the mineral magnetite wrapped in bundles of nerve cells. While this probably is not there primary method of navigation, there have been many pigeon race smashes, a term used when only a small percentage of birds return home from a release site. Because these losses have occurred during geomagnetic storms pigeon handlers have learned to ask for geomagnetic alerts and warnings as an aid to scheduling races.

During geomagnetic storms, the number and energy of electrons and ions increase. When satellite travels through this energized environment, the charged particles striking the spacecraft cause different portions of the spacecraft to be differentially charged. Ionosphere storms can affect radio communication at all latitudes. Some radio frequencies are absorbed and others are reflected, leading to rapidly fluctuating signals and unexpected propagation paths. Television and radio station are little affected by these storms and may fail at this time. Radar bounces signal can be severely hampered by radio clutter. Some submarine detection systems use the magnetic signatures of submarines as one input to their locating schemes. Geomagnetic storms can mask and distort these signals. The telegraph lines in the past were affected by geomagnetic storms as well. Earth's magnetic field is used by geologists to determine subterranean rock structures. For the most part, these geodetic surveyors are searching for oil, gas, or mineral deposits. They can accomplish this only when Earth's field is quite, so that true magnetic signatures can be detected. Other surveyors prefer to work

during geomagnetic storms, when the variations to Earth's normal subsurface electric currents help them to see subsurface oil or mineral structures.

In presence study taken 15 geomagnetic storms events during study period (1986-2002) that have caused the geomagnetic D_{st} index to exceed 250 nT. These storms have a direct effect to us and create much adverse effect within ionosphere and geomagnetosphere. 14 were associated with coronal mass ejection (CMEs) and 01 storm was associated with coronal holes (CHs). It is also found that out of CMEs associated severe storm events 09 were associated with large solar flares and solar proton events with higher energy. These storm events having large magnitude comparatively other storm events. Out of selected severe storm events all storm events were associated with transient disturbances in solar wind streams. We have also found that 14 severe storm events are caused by fast interplanetary shocks and only one severe storm events was caused by magnetic clouds. From these observations, we find that severe geomagnetic storms are mostly caused by coronal mass ejection, transient disturbances in solar wind streams and interplanetary shocks and verified the latest paradigm of CMEs, solar wind streams and interplanetary shocks as discussed by scientific community. Studies of severe geomagnetic storms are widely applicable in the field of space weather phenomena, satellite communications, navigation and power systems. We cannot stop these harmful geomagnetic storm events any way but protect to our scientific systems or us by forecasting of them.

The largest geomagnetic storm ever recorded occurred in 14 March 1989, just three months before the peak of solar cycle 22. This is likely a coincidence because comparison of the number of days with high geomagnetic activity against annual sunspot numbers shows that peaks in geomagnetic storming do not necessarily occur during the years of maximum solar activity. This storm was the result of large and complex sunspot group identification as region 5395. This region produced 11 X-class and 48 M-

class X-ray flares during 6-19 March 1989. During this storm the magnetopause is typically located at about 10 times of the Earth's radius and solar wind pressure pushed the magnetopause approximately of 4.7 times the Earth's radius. The total energy dissipated in the magnetosphere is 1.97×10^{25} ergs calculated during the storm time. Many solar activities will process before three days before to onset date of this storm, so it is more difficult to find a unique solar source for this storm.

During the geomagnetic storm of 14 March 1989 (Figure 1.) scientific community has observed various natural and scientific problems. Numerous LORAN navigation problems occurred, especially on March 6 and 13. This was exacerbated because land station could not use HF radio to report the problems to users. The MARS HF service from was out worldwide while 144148 MHz transceivers, normally used for short -range communications, were receiving powerful signals from remote locations. California highway patrol messages were overpowering local transmission in Minnesota. The Hydro-Quebec Power Company experienced a massive failure that left most of Quebec without for up to nine hours. The magnetic storm induced a huge current in the power lines of the James Bay generating station. As a result, overcurrent protection tripped circuit breakers province-wide. In central Sweden there was a simultaneous power loss on six different 130 KV Power distribution systems at about the same time as the Hydro-Quebec failure. Brilliant aurora was seen across the U.S. on the nights of 12-14 March 1989. Backpackers in the remote mountains of North Carolina reported seeing static red aurora for about four to six hours. Red auroras were reported from the Florida Keys, Grand Cayman Island and Cancun, Mexico.

References :-

1. Geophys.res.Lett.-Zierer,B and K.Musula, K.Zirin,H.
2. Space.com – Than, K.
3. The Interplanetary causes of and magnetic Storms- Tsurutani ,B.T, and Gonzalez ,W.D,
4. Space science-Stern,D.P.



Figure 4.13 On 14th March 1989, the voltage of Quebec's power grid began to fluctuate alarmingly. About 6 million people were without electricity for nine hours.

Environmental Education And Conservation Of Nature

Dr. Avinash Dube* Dr. Kumud Dubey**

Abstract - Environment education is essential to promote the value and necessity of local, national and global cooperation in prevention and solution of environmental problems. Awareness and sensitivity for a healthy environment can be developed through formal class room teaching as well as from non-formal ways also. Environmental concerns are to be brought in all subject areas, because it is related with everyday life. Rural and urban common people should be encouraged to participate personally or in committees on environment protection issues ,as practical aspects of **environment education is more important and considered as think globally , act locally.**

Key Words - Environment education, Nature, Conservation.

Introduction - Education is an act that has a formative effect on mind, character or physical ability of an individual. It is the process of facilitating learning or acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits and widely recognized as the foundation of a progressive society. Environment education is a multidisciplinary branch of education which aimed to study the structure and function of natural ecosystem and its effective and suitable management to create a sustainable environment for all to live in. Environment education has four major components as awareness towards various aspects of environment, real life situations which indicates problems arise in environment, conservation and sustainable development, which aims at utilization of resources not only by the present but also by the future generations in a manner that utilization is balanced.

The degradation of our environment is linked to continuing problems of pollution, loss of forest, solid waste disposal, e-waste etc. The awareness, knowledge and skills needed to understand the problems and their possible solutions. The perspective should be integrated, interdisciplinary and holistic in nature.

The present study is made to analyze the goals, objects, needs and expectations towards environment education because most people agreed as it is an urgent need, only some have ideas what to be done but it is time to participation of each people in solving real life environmental problems and educating people by various ways, it may help to save our environment.

Scenario of Environment Education - In 18th century Jean Jacques Rousseau stressed on the education that focuses on the environment, later Louis Agassiz a Swiss naturalist encouraged students to "study nature, not books". This was the foundation of a concrete environmental education

program. In 1970 Earth day was celebrated on 22nd of April for the first time. In 1972 environment education was declared to be a must to address the growing global environmental issues by UNESCO in the UN conference held in Stockholm, Sweden. According to UNESCO, environmental education is a way of implementing the goals of environmental protection. It is a life-long interdisciplinary field of study. It means education towards protection and enhancement of the environment and education as an instrument of development for improving the quality of life of human communities.

Basically environmental education programs are environmental studies, environmental sciences and environmental engineering, which concerned with social, physical, natural and engineering sciences. The formal environmental education in India is at primary school stage, lower secondary stage, higher secondary school stage, college stage and at university stage. Non formal environmental education is designed for any age group and it includes adult education, eco development camps, non-government organizations, in training programs, in foundation courses, research and development programs etc.

Necessary steps for environment education are awareness, knowledge, attitude building for motivating to protect environment, evaluation of environmental measures, skill and capacity building and participation (social groups and people personally involved at all levels).

Expectations and Reality - The success of any technology lies in its implementation parts. Concrete experimentation, reflective observation is essential in environment education, where a student centered on feeling or learning , must observe, reflect and try to understand reality .It includes outdoor activities not only trips to gardens or fields but also

*Professor (Physics) S.N. Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

** Associate Professor (Botany) M.L.C. Govt. Girls' College, Khandwa (M.P.) INDIA

experiential activities in the school campus with green projects and green clubs. Recently satellite images of earth surface shows there is an increase in green area, which is a result of our awareness through massive plantation. Cleanliness campaign is an example towards waste management.

But most countries still do not have a comprehensive environment education program that prepares them as future citizens to make ecologically sound choices and to participate in cleaning up and caring for the environment. Media is largely focused on explaining the problems but fall short on explaining or offering the possible solutions. The notion of empowerment is often absent.

There is a wrong myth that economic development is based only in industrialization but in international organization like World Bank and international monetary fund, environmental degradation is considered as harms. Global warming, acid rain, ozone layer depletion, improper monsoon, cyclones are results of issues due to environment degradation. Our planet needs a change in ideas and attitudes and education is away by which these changes can begin to sprout.

Concluding Remarks - A Chinese perception about education says "if you plan for one year, plant rice, if you

plan for ten years, plant trees, but if you plan for one hundred years, educate the people. Organisms are dependent on the environment to fulfill their needs. The environment is a reservoir of resources and conservation of environment is necessary to conserve natural resources.

Awareness, knowledge, skills and active participation of each person is required in terms of saving our nature. Environment education is a key component in this regard. Sensitivity and awareness can be developed through formal and informal education related with environmental tasks. Views of a common people should be included and implementation should be done. Overall a healthy environment is an absolute necessity for the well being of all organisms.

References :-

1. Agrawal K. C. (2008), Environmental Biology, Agro Botanical Publishers Bikaner.
2. Ernst J. and Erickson D.M. (2018) Env.edu.professional dev.for teachers; A study of the impact and influence of mentoring.The journal of Env. Education.vol.49.pp 357-374.
3. Mondal P., Env. Edu.Objectives,Aims and principles of env. edu.www.yourarticlelibrary.com

Bioplastics And Bio-Degradable Plastics Its Types And Its Environmental Impacts

Dr. Sunita Phadnis*

Introduction - Bioplastics are the plastics which are bio degradable (that can be decomposed by the action of living organism usually bacteria) they are derived from renewable resources like vegetable, oils and fats and also starch from corn and peas. One more definition of "Bioplastics" is that in this, all carbon is derived from renewable food stocks. They may or may not biodegradable completely. Bio based plastics contain both renewable and fossil fuel based carbon.

As we know that plastics are most versatile material, but with a big negative point that they are synthetic chemicals which do not belong to our world and do not mix well with nature. Discarded plastics are a big cause of pollution, cluttering rivers, seas, killing fishes, choking birds, cows. Plastic takes almost 500 years to break down in environment. It is very difficult to get rid of plastics as burning them gives off toxic chemicals and dioxins, collecting and then recycling them is very difficult due to their different chemical nature.

So what we need is a plastic, which has less life span, can be break down early, we should get rid of them at earliest, so a lot of research is going on in whole world to make a strong substitute of plastics and that is now known as environmentally friendly plastics.

Types - These can be categorised in three types :

1. **Bioplastics** : Made from natural materials such as corn starch.
2. **Biodegradable plastics** : Made from traditional petrochemicals, which are engineered to break down more quickly.
3. **Eco / recycled plastic** : Which are simply plastics made from recycled plastic materials rather than raw petrochemicals.

Detailed Study Of All Types :-

Bioplastics - Their components are derived from renewable raw materials. If the plastic is made from simple material, they will break down quickly, easily and thus we can get rid of them. Unlikely traditional plastic, bioplastic generally do not produce a net increase in carbon dioxide gas while breaking down (because the plants which were used to make them absorbed the same amount of carbon dioxide to begin with). Bioplastics are generally compostable; they decay in to natural materials that blend harmlessly with soil.

Some bioplastic can break down in few weeks. The corn starch molecules slowly absorb water and swell up, causing them in small fragments so that bacteria can digest more easily. But this is not true with all bioplastics some leave toxic residue behind. Some break down at high temperature in industries, or municipal composters or in biological active landfills (bio reactor landfills)

Chemical Nature Of Bio Plastic - Bioplastics are the polymers with some additives and plasticizers.

There are several natural chemicals sources from which bioplastics can be made.

1. Starch based plastics
2. Cellulose based plastics
3. Some aliphatic polyesters
4. Polyamide based plastics
5. Bio derived polyethylene
6. Genetically modified bioplastics

Bio Degradable - These plastics contain additives which makes them decay rapidly in presence of light and oxygen (heat and moisture also help).

Unlike bioplastic, biodegradable plastics are made of normal (petrochemical) plastics and do not break down always in to harmless substance. Sometimes they leaves some toxic residue that many times make them unsuitable for composting.

Some examples of bio degradable plastic are -

1.
 - I. Aromatic polyester: - they are almost totally resistant to microbial attack.
 - II. Aliphatic esters are biodegradable due to their potentially hydrolysable ester bonds.
 - III. Naturally produced-
 - a) Poly hydroxy alkanooates (PHAs)
 - b) Poly 3 hydroxy butyrate (PHBs)
 - c) Poly hydroxy valerate (PHV)
 - d) Poly hydroxy hexanoate (PHH)
 - IV. Renewable resources - Poly lactic acid (PLA)
 - V. Synthetic - Poly butelene succinate (PBS)
2. Poly unhydrides.
3. Poly vinyl alcohol.
4. Most of the starch derivatives.
5. Cellulose esters like cellulose acetate.
6. Polyethylene terephthalate.

Recycled Plastics - One of the best solution to dispose the old plastic is to recycle it as used milk bottles can be recycled in to same items of clothing. One of such product is ecoplastic which is used in place of wood for out door garden furniture it is made from high molecular polyethylene, it is long lasting, attractive, relatively low cost and gives nice impact to see.

The few problems that are associated with recycled plastics are :

1. The same items can not be made from old items, and only low grade items can be made.
2. They may not be better for environment, unless we know that they are made by net saving of energy and water, a net reduction in green house gas emission.
3. Keeping waste out of a landfill and recycle in to new item is great but it needs huge amount of energy even than production of new plastic.

Advantages And Disadvantages - Bioplastics and Biodegradable plastics is always a controversial subject with some advantages and disadvantages:

Advantages :

1. Under proper conditions, some biodegradable plastics can degrade to the point, where micro organism can completely metabolise them to CO₂ and water e.g. starch based bioplastics produced from sustainable farming method can be almost carbon neutral. The oxo bio degradable (OBD) plastic bags contain salt of metals which are necessary as trace elements in human diet (as said by OBD plastic bag association www.biodeg.org) and a study of Swedish university gave the report that OBDs are 91% biodegradable in soil within 24 months.
2. Bioplastics save 30-80% of green house gas emission.
3. They can give longer shelf life to the food which is kept in stores.

Disadvantages :

1. While decompositions in landfills, they produce methane gas. Methane is very powerful gas and adds to the problem of global warming.(this negative point of methane can be made beneficial if methane produced is captured and is used as clean and inexpensive energy)
2. Some of these need UV light or high temperature and many years to break down, they may leave micro-fragments or toxic residues.
3. They are made from plants such as corn, the land for growing these for bioplastic could have been useful for making food for world, so more production could cause a significant rise in food prices which may put in difficulty to poor people.
4. Some bioplastics, such as PLA are made from genetically modified corn. Some environmentalists consider GM crops are inherently harmful to environment.

5. They can not be easily recycled.

Environmental Effects - The environmental impact of bioplastic is a matter of discussion as the use of water, use of energy, deforestation are some of points which go against bioplastic.

Different types of bioplastic have different environmental strengths and weakness.

The production and the uses of bioplastic is sometimes regarded as more sustainable activity as compared to plastic production from petroleum (petro plastic) as it requires less fossil fuel for production and emits less green house gases if it biodegrades. The use of bioplastic can also result in less hazardous waste than petro derived plastics (which remain solid for years)

It is said that to produce 1 kg of starch based product uses 500 grams of petroleum and consumes almost 80% of energy. (as compare to produce traditional polythene plastic)

The bioplastic made from PLA emits 25-68% less green house gases compared to polythene.

It is now proved that production of most bioplastic results in reduced CO₂ emission compared to old plastic. But the global bio economy still requires a large production of bioplastic and this may create the adverse effect like deforestation and soil erosion.

Scientist studied the corn based plastic does not stand good as they create more acidification, carcinogens, ecotoxicity, eutrophication, ozone depletion and health problems compared to synthetic plastics, however they also said that biopolymer trumped the other plastic for biodegradability, low toxicity and uses of renewable resources.

A report by American carbon registry says that nitrous oxide caused from corn growing is 310 times more potent than CO₂. Pesticides are also used in growing corn based plastic.

Conclusion - Seeing the various impacts of bioplastic as well as bio degradable plastic, one day we may have a plastic which will be in a position to eliminate all above said defects. Research has shown that starch is competing synthetic polymer in cost also. Until then let us be clever and smart in using the plastic and to get read of them. A positive difference can be made by cutting down the use of plastics.

References :-

1. ps://www.explainthatstuff.com - Chris wood ford - June 2018
2. The truth about bioplastics - Renee cho, earth institute, Columbia University <https://phys.org/news/2017-1> .
3. Bio degradable plastic - Wikipedia https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodegradable_plastic .
4. Bio degradable plastic — www.pepctplastics.com

पेय जल के शुद्धिकरण की विभिन्न विधियों का अध्ययन एवं महत्व

डॉ. डेविड स्वामी *

शोध सारांश – जल मानव जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है। हमारे जीवन में जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल का उपयोग पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, नहाने एवं घरों की साफ- सफाई आदि कार्यों में होता है। विशाल आबादी वाले भारत देश में पीने का जल दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की लगभग 20: आबादी को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। पीने का जल का संकट गांव एवं शहर दोनों में फैल चुका है। अशुद्ध जल पीने से असंख्य रोगों को नियंत्रण मिलता है। वहीं अशुद्ध जल से त्वचा संबंधी बीमारियों को न्योता मिलता है। पेय जल की शुद्धता, गुणवत्ता एवं प्रबंधन जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश में बहने वाली एक मुख्य एवं पवित्र नदी है। नर्मदा नदी को मध्यप्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा अपनी सहायक नदियों सहित प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र के लिए पेयजल का स्रोत है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पेय जल की शुद्धता के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना, पेय जल की शुद्धिकरण की सामान्य एवं घरेलू विधियों को अपनाने हेतु जनमानस में जागरूकता लाना, नर्मदा नदी के तटों पर वृक्षोपरोपण, स्वच्छता, प्रदूषण की रोकथाम, जल संरक्षण के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण के संबंध में जागरूकता लाना ताकि सभी लोगों स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो सकें।

प्रस्तावना – प्रकृति में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पदार्थ होता है। सभी वनस्पति पदार्थों एवं जंतुओं के लिए जल आवश्यक मौलिक अंश होता है एवं पृथ्वी की परत का 71% निर्मित करना है। यह जन्तु एवं पादपों का आवश्यक अंश होता है। प्रकृति में जल विभिन्न रूपों में उपलब्ध है वर्षा का जल शुद्ध रूप में पृथ्वी पर आता है। यह समुद्र से वाष्पीकरण द्वारा बनता है। वर्षा का जल अतिमहत्वपूर्ण एवं जल का मुख्य स्रोत होता है। नदियों का जल शुद्ध होता है परंतु कुछ अशुद्धियों के कारण यह प्रदूषित हो रहा है।

जीवधारियों के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। पीने का पानी, कुओं, तालाबों, झरनों तथा नदियों से प्राप्त किया जाता है। सागर, झीलों तथा नदियों के पानी में अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिला दी जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप पानी में मिलाए जाने वाली गन्दगियों को रोकना मुश्किल हो रहा है। जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषित जल का प्रभाव जीवधारियों मानव पर पड़ रहा है। जिसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। जल भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिन्दा रह पाता है क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल होता है। अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की क्या, किसी सभ्यता की कल्पना, नहीं की जा सकती है। यह सब आज मानव को मालूम होते हुए भी जल को बिना सोचे-विचारे हमारे जल-स्रोतों में ऐसे पदार्थ मिला रहा है जिसके मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल हमें नदी, तालाब, कुएँ, झील आदि से प्राप्त हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण आदि ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित किया है जिसका ज्वलंत प्रमाण है कि हमारी पवित्र पावन गंगा नदी जिसका जल कई वर्षों तक रखने पर भी स्वच्छ व निर्मल रहता था लेकिन आज यही पावन नदी गंगा क्या कई नदियाँ व जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यदि हमें मानव सभ्यता को जल प्रदूषण के खतरों से बचाना है तो इस प्राकृतिक

संसाधन को प्रदूषित होने से रोकना नितांत आवश्यक है वर्ना जल प्रदूषण से होने वाले खतरे मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएंगे।

शोध प्रविधि – उक्त अध्ययन (शोध पत्र) में द्वितीयक अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया गया है जो मुख्यतः इन्टरनेट, विभिन्न शोध पत्रिकाओं एवं संदर्भ पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त छात्र समूह चर्चा के द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई है।

जल प्रदूषण के कारण – जल के निश्चित भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं, अतः जल के इन लक्षणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसका मनुष्य जंतुओं एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है।

जल प्रदूषण के कारण दो प्रकार के होते हैं –

1. **प्राकृतिक कारण** – यह प्रदूषण अचानक या प्रायः हो जाता है। हवा में गैसों या धूल के कणों का वर्षा के पानी में मिल जाना, जमीन पर गिरे पानी में सिल्ट का मिल जाना, बर्फ के पिघलने पर उसमें विभिन्न लवणों का घुल जाना, जमीन पर मिट्टी के क्षारीय पदार्थों का घुल जाना तथा पानी में घुल मिल जाना या कार्बनिक पदार्थों का पानी में घुल जाना आदि सब प्राकृतिक जल प्रदूषण के स्रोत है।

2. **मानवीय कारण** – मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप विभिन्न जल स्रोतों जैसे झील नदी तालाब, झरनों आदि में अपशिष्ट पदार्थों के मिलाने से जो प्रदूषण होता है, वह जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत के अंतर्गत आता है।

वाहित मल – घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निस्तारित मल-मूत्रों को नदियों एवं जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। अनउपचारित वाहित मल के नदियों व जलाशयों के साफ जल में मिलने से स्वच्छ जल भी प्रदूषित हो जाता है।

● **अपमार्जक** – घरों, लाण्ड्रियों, होटलों तथा रेस्तरों में बर्तनों, फर्श व

कपड़ों की सफाई करने में साबुनो व अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। ये स्वंच विषाक्त होते हैं और साफ की गंदगी को भी अपने साथ बहाते हुए साफ जल में मिलकर इसे संदूषित कर देते हैं।

● **औद्योगिक अपशिष्ट** - विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले कार्बनिक -अकार्बनिक पदार्थों के जल में विसर्जित किए जाने से जल की अशुद्धता बढ़ जाती है। कोयले के धोवन तथा अन्य कच्चे मालों की सफाई करने से स्वच्छ जल-स्रोत भी गंदे हो जाते हैं।

ऊनी व सूती वस्त्र, जुट की धुलाई, चमड़े की रंगाई, शराबों, कागज निर्माण तथा तेल शोधन शालाओं, खनिज रसायन औषधि निर्माण इकाईयों से बड़े पैमाने पर संदूषित जल समीप के जलाशयों में बिना उपचारित किए प्रवाहित कर दिया जाता है। जिसकी अशुद्धियाँ जल में प्रदूषण करने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं।

● **प्रदूषित जल का मनुष्य, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव** - जल जीवों के प्रथम उपभोग की वस्तु है। जल का उपयोग जैविक व अजैविक क्रियाओं में अनेक रूपों में किया जाता है। आज सभी देशों में दुर्भाग्यवश जल राशिया, कूड़ा करकट, नगरीय एवं औद्योगिक कचरा अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थों के निस्तारण के लिए विशाल कूड़ादान बन गई है। अन्य प्रदूषणों की भांति जल प्रदूषणों ने भी आज के युग में गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है।

जल शुद्धिकरण की विभिन्न विधियाँ -

1. **उबालना** - कम मात्रा के पानी तथा घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले पानी को रोगाणु रहित करने के लिए पानी को उबालना एक अच्छा तरीका है। यह अधिक मात्रा में पानी के लिए सस्ता तरीका नहीं है। पानी को अच्छी तरह से उबालने के लिए एक प्रबल ऊष्मा स्रोत की जरूरत होती है। पानी को गर्म करने के लिए स्टोव, लकड़ी या दोनों में आसान गैस चूल्हों का उपयोग किया जा सकता है। साफ तथा धातु या अन्य पदार्थों से बने बर्तन जो कि गर्म करने पर न पिघलने का उपयोग पानी को उबालने में किया जा सकता है। उबालने से पानी में उपस्थित रोगाणु नष्ट होते हैं तथा साथ में पानी की अस्थायी कठोरता भी कम होती है। (कार्बन डायऑक्साइड निकलती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट अवसादित हो जाता है) उबाला हुआ पानी ठंडा करने के तुरन्त बाद उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि यह पुनः संक्रमित हो सकता है।

विधि - छन्ने में पानी को कुछ ढेर के लिए रखते हैं जिससे कि बड़े कण तली में बैठ जाते हैं। बर्तन के ऊपर से पानी को स्वच्छ उबालने वाले बर्तन में डालते हैं। पानी को कम से कम दो मिनट तक अच्छी तरह उबालते हैं। पर्वतीय या ऊँचे स्थानों में पानी को कम से कम पांच मिनट तक उबालना चाहिए। खराब स्वाद हटाने के लिए पानी को कुछ घण्टे के लिए छोड़ देते हैं अथवा एक साफ बर्तन से कुछ मिनट के लिए ढंक देते हैं। शोधित पानी को उपयोग से पहले एक बन्द बर्तन में रखते हैं। एक ली. पानी उबालने के लिए 1 कि.ग्रा. ईंधन की आवश्यकता होती है। अधिक पानी शोधन के लिए यह एक महंगी विधि है।

2. **क्लोरीनीकरण** - क्लोरीनीकरण एक प्रभावी ऑक्सीकारक है। पूरे विश्व में पानी को शुद्ध करने का क्लोरीनीकरण अच्छा तरीका है। इसके उत्पादों को सरल, सुगम और उपलब्धता, सस्ते एवं प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने तथा घरेलू स्तर में पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का एक उत्तम तरीका है। यह जीवाणुओं के कोशिका दीवार को भेदकर उनके जीवद्रव्य को नष्ट करता है। कई प्रकार के क्लोरीनीकरण पदार्थ उपलब्ध

हैं। जिनमें क्लोरीनिंग पाउडर प्रमुख हैं। प्रायः प्रयोग में लाये जाने वाले क्लोरीन उत्पाद निम्न प्रकार हैं -

- क्लोरीनिंग पाउडर
- क्लोरीन की गोली
- सोडियम हाइपोक्लोराइट

भावी तरीके से रोगाणु नष्ट करने के लिए क्लोरीन की मात्रा, प्रभावी सम्पर्क समय तथा अवशेष क्लोरीन की जानकारी होनी चाहिए। अवशेषी क्लोरीन, क्लोरीन की वह मात्रा है जो निश्चित समय तक पानी के सम्पर्क में रहने के बाद बचती है। एक तरफ अवशेष क्लोरीन शुद्धिकरण प्रक्रिया के पूरे होने का आभास, संचय करने एवं आवागमन के समय संक्रमण से रोकती है तथा दूसरी तरफ यदि इसकी सान्द्रता 0.2 MMC से अधिक हो तो हानिकारक प्रभाव डाल सकती है इसलिए क्लोरीन की उचित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक अशुद्धियों से बचने के लिए क्लोरीनीकरण से पहले पानी को छानना तथा संकलित करना चाहिए। गन्धे या कार्बनिक अशुद्धियों युक्त पानी में क्लोरीनीकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि मुक्त क्लोरीन कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके हानिकारक क्लोरोकार्बनिक यौगिक (थायोमेथेन्स) बनाता है जिससे कैंसर हो सकता है।

क्लोरीन के उत्पाद यदि मुँह, आँखों आदि में लगने पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाले क्लोरीनिंग पाउडर में 5% क्लोरीन होती है। सामान्य क्लोरीनिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए और इसे सफाई कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों से दूर रखना चाहिए। जल में क्लोरीनीकरण से लाभ जीवाणुओं को नष्ट करने में अत्यधिक प्रभावी अधिक मात्रा हो जाने पर अवशेष क्लोरीन के रूप में आसानी से पहचानी जा सकती है सस्ती सुगम उपलब्धता उपयोग में आसानी सुगमता से घुलना दोष कार्बनिक अशुद्धियों की उपस्थिति में यह हानिकारक ट्राइहैलोमेथेन्स बनाती है जिससे कि कैंसर हो सकता है। अतः शोधित होने वाले पानी में कार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। असहनीय स्वाद एवं गन्ध कम से कम 20 मिनट सम्पर्क समय की अनिवार्यता पानी में जन्मे रोगाणु जैसे सिसट व प्रोटोजोआ (क्रिप्टोस्पोरीडियम व जिआरडिआना) क्लोरीन द्वारा नष्ट नहीं होते। क्लोरीनीकृत पानी जिसमें अधिक अवशेष क्लोरीन होती है वे अन्य प्रक्रमों जैसे रिवर्स ओस्मोसिस में सिल्ली में प्रभाव डालती है। पानी साफ करने की क्लोरीनेशन बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से पानी शुद्ध होने के साथ उसके रंग और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आ चुके बदलावों के बावजूद क्लोरीन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। पानी को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने के लिए नगरपालिका, अस्पताल, रेलवे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है।

आरओ सिस्टम - पिछले कुछ सालों से मार्केट में पानी को साफ करने की एक नई तकनीक लोगों को अपना मुरीद बना रही है और इस तकनीक का पूरा नाम है- रिवर्स आसमोसिस प्रोसेस यानी आरओ। इस तकनीक में पानी को बेहद तेज दबाव के साथ साफ किया जाता है। आरओ सिस्टम द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्चस्तरीय तरीका है। प्रभावशाली आरओ तकनीक शुरुआती चरण में ही पानी की तमाम अशुद्धियों को दूर कर देती है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले आरओ सिस्टम में 220 से 240 पीपीएम युक्त पानी को स्वच्छ कर 25 पीपीएम तक ले आता है। आरओ सिस्टम पानी को पांच चरणों में साफ करता है और उसे गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से मुक्त कर

शुद्ध व मीठा बनाता है। आरओ प्रक्रिया में पानी को कई महीन झिल्लियों से गुजारा जाता है और इसके बाद पानी में मौजूद सभी बैक्टीरिया व रसायन बाहर निकल जाते हैं। ये सारी महीन झिल्लियां बिजली से संचालित होती हैं और इनसे गुजरने के बाद गंदे से गंदा पानी भी पीने योग्य बन जाता है।

निष्कर्ष – पेय जल शुद्धीकरण की सामान्य एवं घरेलू विधियों का उपयोग कर दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। पीने के जल में अनेक विषैले तत्व मौजूद होते हैं शुद्धीकरण की विधियों द्वारा जल को स्वच्छ, कीटाणु रहित किया जा सकता है। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा एवं पेय जल की मुख्य स्रोत है। नमामि देवी नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा-2016 के द्वारा

जनमानस में नर्मदा नदी के संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्रदूषण की रोकथाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी जिससे स्वच्छ पेयजल सभी जन-मानस को सतत् उपलब्ध रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.namamidevinarmade.mp.gov.in
2. www.indiawaterportal.org
3. पर्यावरण रसायन- एच.कौर एवं बी.के.शर्मा ।
4. यूनिफाइड रसायन विज्ञान पंचम सेमेस्टर डॉ.एम.एम.एन.टण्डन ।

16 फरवरी- विश्व पैंगोलियन दिवस

अंचल रामटेके *

शोध सारांश - पैंगोलियन के अवैध शिकार तथा तस्करी को देखते हुए इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 16 फरवरी को विश्व पैंगोलियन दिवस मनाया जाता है। इसकी खाल का दवाई, कपड़े आदि में प्रयोग तथा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ रही है। अतः इनके संरक्षण हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। (चित्र देखे अगले पृष्ठ पर)

शब्द कुंजी - पैंगोलियन ।

प्रस्तावना - आठवाँ वार्षिक विश्व पैंगोलियन दिवस 16 फरवरी 2019 को मनाया गया। विश्व पैंगोलियन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पैंगोलियन के विषय में जागरूकता पैदा करना है क्योंकि एशिया अफ्रिका में इसकी संख्या तीव्रता से कम हो रही है। वियतनाम में रेस्टोरेन्ट्स में इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी अधिकांश मांग चाइना में है, जहां इसे उपचार एवं भोजन के रूप में उपयोगी समझा जाता है। इसके अवैध शिकार एवं तस्करी से इनकी संख्या लगातार घट रही है। पैंगोलियन की प्रजनन दर भी कम है। 1 वर्ष में यह 1 से 3 बच्चे देता है।

Pangolijan शब्द Malay शब्द 'Pengguling' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ 'something thats roll up'.

उद्देश्य - इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य Pangolijan की घटती हुई संख्या के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं ध्यान आकर्षित करना है।

अध्ययन स्रोत - इस अध्ययन हेतु समाचार पत्र, इंटरनेट, पुस्तक तथा मध्यप्रदेश टाईगर फाउण्डेशन सोसायटी व वन बिहार नेशनल पार्क भोपाल द्वारा डी0बी0 सिटी मॉल भोपाल में बैम्बू व थर्माकोल से बने पैंगोलियन के स्ट्रक्चर से प्रेरणा ली गई है। जो कि पैंगोलियन के विषय में जागरूकता के लिए 16 फरवरी 2019 को डी0बी0 सिटी मॉल भोपाल में लगाया गया था।

पैंगोलियन का वर्गीकरण एवं सामान्य लक्षण -

Phylum	-	chordata
Sub phylum	-	vertebrata
Super class	-	Ganthostamata
Class	-	Mammalia
Sub class	-	Eutheria
Order	-	pholidota
Genus	-	Manis

भौगोलिक वितरण - यह अफ्रीका, नेपाल, भारत, सिक्कीम तथा हिमालय पर्वत पर पाया जाता है।

स्वभाव एवं आवास - यह रात्रिचर तथा बिल बनाकर रहता है।

भोजन - यह दीमक तथा चिटियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है।

(चित्र देखे अगले पृष्ठ पर)

1. इसे सामान्यतः स्केली आन्ट ईटर (scaly ant eater) अथवा पैंगोलियन कहते हैं।

2. यह लगभग 60 से 70 सेमी लम्बा होता है।
3. शरीर सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में विभक्त होता है।
4. शरीर का पृष्ठ तल कठोर खुरदुरे, बड़े-बड़े शल्कों से ढका रहता है जो एक दूसरे को ढके रहते हैं।
5. शल्कों के बीच में रूखे एवं कड़े बाल पाए जाते हैं।
6. सिर छोटा, थूथन नुकीला, दाँत अनुपस्थित आँखों तथा पिन्ना छोटे होते हैं।
7. पूंछ लम्बी व चौड़ी होती है, जिस पर शल्कों की पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 16-17 scals होते हैं।

पैंगोलियन का महत्व -

1. **किसानों का मित्र** - यह मिट्टी में उपस्थित चीटों व दीमक को नष्ट कर फसलों की सुरक्षा करता है, अतः किसानों का मित्र है। यह प्राकृतिक कीटनाशक है। ऐसा माना जाता है कि एक पैंगोलियन 70 मिलियन कीटों को प्रतिवर्ष खाता है।

क्र.	भोजन	मात्रा
1	चीटी व दीमक	70 मिलियन प्रतिवर्ष
2	चीटी व दीमक	191780 प्रतिदिन

Ohio state university के शोध के अनुसार विलियन डालर प्रतिवर्ष दीमक से होने वाले डेमेज की सुधार के लिये खर्च किए जाते हैं। इस प्रकार पैंगोलियन की संख्या इस समस्या का हल निकालने में लाभदायक है।

2. **पौधों के लिए लाभदायक** - यह अपने पंजो से मृदा को खोदकर बिल बनाता है क्योंकि यह बिल बनाने वाला जंतु है अतः इस तरह मिट्टी में हवा के गमन को सरल बनाता है। बिल बनाने के दौरान अपघटित पदार्थों को मृदा में मिश्रित कर मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाता है।

3. **बुलेट प्रूफ जैकेट, कपड़े व सजावट का सामान** - पैंगोलियन की खाल की दक्षिण पूर्व एशियाके देशों में भारी मांग है। इसकी परतदार खाल का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट, कपड़े, और सजावट के सामान के लिए किया जाता है। इसलिए इसका अवैध शिकार व तस्करी बढ़ रही है व जंगलों में इसका दिखना दुर्लभ हो गया है।

4. **दवाईयां** - अफ्रीका में Bushmeat के द्वारा इसका शिकार कर पारंपरिक अफ्रीकन दवाईयां बनाई जाती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका स्वास्थ्य लाभ भी है, जैसे यह किडनी के लिए लाभ दायक है। एशियन दवाईयां बनाने के लिये भी पैंगोलियन के शल्कों का प्रयोग किया जाता है जैसे दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अथवा रक्त संचार बढ़ाने के लिए।

5. **भोजन** - अनेक स्थानों पर भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

6. **विश्व पैंगोलियन मनाने का उद्देश्य** - लगभग 300 पैंगोलियन प्रतिदिन शिकार किए जाने के कारण यह स्तनधारी विश्व का अत्यधिक तस्करी किए जाने वाला जानवर बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी तस्करी के कारण इसकी संख्या तेजी से कम हो रही है।

एशियन पैंगोलियन की संख्या कम होने पश्चात तस्कर अब अफ्रीकन पैंगोलियन की तस्करी कर रहे हैं।

7. **पैंगोलियन की तस्करी से संबंधित कुछ तथ्य** -

1. बाघ, सिंह तथा भालू पैंगोलियन का शिकार करते हैं परंतु इसे असली खतरा इंसान से है।
2. हर 5 मिनट में एक पैंगोलियन पकड़ा जाता है।
3. 2-7 मिलियन पैंगोलियन हर वर्ष गैर कानूनी तौर पर पकड़े जाते हैं।
4. पैंगोलियन के 8 स्पीशीज हैं, जिसमें 4 एशिया तथा 4 अफ्रीका में पाये जाते हैं।
5. पैंगोलियन के शिकार व तस्करी पर 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

8. **पैंगोलियन संरक्षण हेतु कार्य** - राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून 2016 के अंतर्गत Protect किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधी के तहत वैश्विक स्तर पर पैंगोलियन की तस्करी पर रोक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले 10 वर्षों में 1 मिलियन पैंगोलियन मारे जा चुके हैं। Wild Live Protection Act 1972 के अंतर्गत पैंगोलियन का शिकार एवं तस्करी गैर कानूनी है।

मध्यप्रदेश इसके शिकार पर रोक के लिए STF का गठन करने वाला

पहला राज्य है।

9. विश्व पैंगोलियन दिवस पर पैंगोलियन के संरक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं पर जोर दिया गया है।

- 1 #World Pangoliyan Day पर ट्विट करके।
- 2 World Pangoliyan Day के Face book Page को Like करें।
- 3 World Pangoliyan Day पर blog करके।
4. Social Media पर जानकारी शेयर करके।
- 5 Pangoliyan से संबंधित चित्र, मॉडल बनाकर।
- 6 स्कूल स्तर पर Pangoliyan से संबंधित जानकारी प्रदान करें।
- 7 उन संगठनों का सहयोग करें जो पैंगोलियन के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं।
- 8 World Pangoliyan Day पर पार्टी उत्सव आदि आयोजित करें।
- 9 पैंगोलियन की तस्करी से संबंधित नियम व कानूनों का प्रचार प्रसार करके।
- 10 पैंगोलियन के आकार का केक बनाकर।
- 11 पारंपरिक दवाईयां देने वाले डॉक्टर को यह समझाकर कि पैंगोलियन के स्केल का दवा के रूप में प्रयोग गैर कानूनी है।
- 12 यदि आप पैंगोलियन की तस्करी अथवा हॉटल आदि में इसका प्रयोग होते देखे तो संबंधित विभाग को सूचित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bhopal city bhaskar 17.20.2019
2. पत्रिका 16 जनवरी 2017
3. www.pangolions.org (1Nov 2011)
4. www.havocscope.com (17 Feb 2018)
5. Httpll www.wafindia.org (7March 2018)
6. Flaw (20 Feb 2016)
7. Httpsll www.pangolion.org
8. Book practical zoology



Artificial Intelligence In E-Commerce

Dr. Rajendra Singh Waghela* Pawan Pushpad**

Abstract - Counterfeit consciousness has the intense capacity to obtain and break down vast volumes of information and give choices to activity. Online business is presently embracing this innovation to recognize designs in light of perusing, buy history, credit checks, account data and so forth. This information gathered at that point shape the premise of making altered suggestions for every client. Google and Microsoft are now putting into new AI activities. Numerous web based business organizations have begun actualizing distinctive types of AI to better comprehend their clients, and give an upgraded client encounter. Counterfeit consciousness has the intense capacity to obtain and break down vast volumes of information and give choices to activity. Online business is presently embracing this innovation to recognize designs in light of perusing, buy history, credit checks, account data and so forth. This information gathered at that point shape the premise of making altered suggestions for every client. Google and Microsoft are now putting into new AI activities. Numerous web based business organizations have begun actualizing distinctive types of AI to better comprehend their clients, and give an upgraded client encounter.

Counterfeit consciousness has the intense capacity to obtain and break down vast volumes of information and give choices to activity. Online business is presently embracing this innovation to recognize designs in light of perusing, buy history, credit checks, account data and so forth. This information gathered at that point shape the premise of making altered suggestions for every client. Google and Microsoft are now putting into new AI activities. Numerous web based business organizations have begun actualizing distinctive types of AI to better comprehend their clients, and give an upgraded client encounter.

Artificial intelligence has the powerful ability to acquire and analyze large volumes of data and provide decisions for action. E-commerce is now adopting this technology to identify patterns based on browsing, purchase history, credit checks, account information etc. This data collected then form the basis of creating customized recommendations for each customer. This information gathered at that point shape the premise of making altered suggestions for every client. Google and Microsoft are now putting into new AI activities. Numerous web based business organizations have begun actualizing distinctive types of AI to better comprehend their clients, and give an upgraded client encounter.

Many e-commerce businesses have started implementing different forms of AI to better understand their customers, and provide an enhanced customer experience. This paper highlights the role of artificial intelligence in e-commerce and its application in different areas of e-commerce.

Key Words - Artificial Intelligence, Web Portals, E-Commerce, Platforms, Brands.

Introduction - 2018 is a year full of surprises and we have seen progress and changes occurring in e-commerce, too. Artificial Intelligence is really taking over the world. AI is everywhere now, especially in e-commerce sector.

Artificial intelligence in eCommerce is used a lot! And by 2020 over 80 % of all customer interactions will be handled by Artificial intelligence. Today, companies like Alibaba, Rakuten, eBay, and Amazon are using AI for fake reviews detection, chatbots, product recommendations, managing big data, etc. and later on we will look at it more in details. Artificial intelligence has 3 key elements: data mining, NLP, and ML. These elements help e-commerce businesses improve results. With Artificial Intelligence, machines are learning how to assist us and how to perform manual tasks and what is fascinating is that they are doing their job

incredibly good, allowing us to focus more on a strategic level of business. Now, finally we have that time that we hadn't have before, now we can focus on creating something more and forget about doing repetitive tasks.

Artificial intelligence is a trend, yes, definitely, but it gives us so many opportunities that it is just impossible to cover them all in one article.

What is Artificial Intelligence?

"Artificial Intelligence is the development and use of computers to perform tasks that traditionally require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, and language translation." With AI, computers learn from data sets to understand underlying data structures and uncover procedures to make the correct use of the data. As described in Andreesen Horowitz's AI playbook1, it's

*Professor (Commerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts And Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

**Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalay, Indore (M.P.) INDIA

useful to understand AI in terms of a combination of goals and techniques. AI's goals can include recognizing what's in a picture, converting voice into typewritten words, or planning a route.

The techniques AI uses to achieve these goals can vary greatly, and include terms like deep learning and supervised learning. A crucial differentiation is between AGI (artificial general intelligence) and machine learning. AGI refers to machines generally being able to carry out tasks typically performed by humans. Machine learning refers to all techniques that allow computers to "learn without being explicitly" programmed. A particular application of machine learning is deep learning, which allows for a computer to recognize patterns from both labeled and unlabeled datasets. However, AI is broader than machine learning or its subset, deep learning. Other AI techniques include search, symbolic reasoning, logical reasoning and statistical techniques that aren't explicitly deep learning based. A truly comprehensive AI makes use of all techniques available, though the enterprise landscape is heavily focused on machine learning at the moment.

Artificial intelligence in E-Commerce - AI helping e-commerce businesses get closer to their customers. With the facilities of AI, e-commerce platforms today are able to utilize large datasets regarding customer behavior and usage patterns. Artificial intelligence self-learning algorithms can create personalized shopping experiences for online buyers. Following are highlights on AI powered ecommerce:

Real-time product targeting - E-Commerce Companies aim to offer their customers a best offline shopping experience to the online space, by offering the consumers a hassle-free way to discover the products they are looking for. Machine learning can help to present online shoppers with personalized product recommendations, discounts and offers.

Visual search - Image recognition platforms can help e-commerce websites visitors search by image, instead of text, and match relevant products to specific images. One example of the visual search is Pinterest's visual search which enables users to select an item in any photograph online, and then ask Pinterest to display similar items using image recognition software.

AI based hiring processes - HR departments can use AI technology in many ways. For example, the task of screening applications, reaching out, scheduling face-to-face interviews, and finding matches can be automated through Restless Bandit, software as a service product. This reduces the work of HR by providing the potential candidate for the job.

Voice Powered Search - Voice is slowly replacing text based search in online shopping. Voice recognition accuracy is improved than before. Almost 70% of requests are natural or made in a conversational language with Google assistant. Some smart devices with voice-controlled personal assistants are Apple's HomePod powered by Siri. Another example is Amazon's Echo powered by Alexa. Alexa voice based search can be used to place an order to be shipped from Amazon.

Customer Service - AI can influence customer service through the use of chatbots. Chatbots are computer program developed for conversational commerce. Chatbots interact in natural human language to give the customer a personal and satisfied customer service. Chatbots give marketers the ability to interact with the customer in real time and learn about the customer needs and deliver specific prescriptive guidance and results.

Virtual personal shoppers - Virtual personal shopper can assist the people in making the smart decision about their shopping, for example Flipkart launched a messaging service called Ping. Ping has worked as a shopping assistant until shutdown on 2016. It was powered by artificial intelligence to assist customers to quickly discover the items they were looking for. Amazon's home assistant, Alexa is also artificial intelligence enabled virtual personal shopper assistant. It provides the customer modern shopping experience and only needs to verify your voice pattern to process the order. Other example of the shopping assistant is Mona. Mona is an Artificial Intelligence powered mobile shopping assistant provides the customer an expert assistant. Mona learns from the styles customer likes, his ideal shopping point and his favorite brands.

Virtual Assistant - E-commerce virtual assistant is a software agent skilled in business support services and technical services. It can also perform tasks or services for an individual. The term "ChatBot" can also be used to refer to the virtual assistant. Recently Lenovo has also announced its virtual assistant to compete with Google now and Cortana. CAVA assistant is based on AI-powered deep learning. It has the face and voice-recognition features

AI fake reviews detection - Customer reviews have become important for consumer trust in the online shopping. According to Dimensional Research's recent study, 90 percent of respondents said that positive online reviews influenced their buying decisions. But, fake reviews can affect the buying decision. AI can be used to manage this problem. Amazon also uses AI to combat fake product reviews. Amazon's AI machine-learning system ensures that only verified customer purchase reviews are boosted. It also gives preference to those reviews that are marked as helpful by other users.

AI based sales process - Integration of AI with the customer relationship management system is an effective solution to manage sales. This AI enabled allows a CRM system to answer customer queries, solve their problems and even identify new opportunities for the sales team. The customers will no longer be offered products and services that are inappropriate for their online shopping.

Customer-Centric Advertisements - Artificial intelligence programs can be created to deliver customer-centric advertisements. Other areas where AI can be implemented in e-commerce is

- Product categorization
- Customer segmentation
- Sentiment Analysis
- Predictive merchandising

Artificial intelligence in E-Commerce: Case Studies

Amazon - Alexa is one of Amazon's most popular and most famous AI product. It helps drive the algorithms that are essential to Amazon's targeted marketing strategy. AI allows Amazon to predict what products will be the most demanded to provide customized recommendations based on customer searches.

Alibaba - As for Alibaba, probably, first what comes to our mind are AI assistants – Tmall Genie and Ali Assistant. Basically, by using AI, Alibaba wanted to enhance its competitive edge. It's customer service chatbot processes 95 percent of customer inquiries, both written and spoken ones, and it is very powerful now. What is more, Alibaba says that AI algorithms help to drive internal and customer service operations including smart product and search recommendations. Also, Alibaba uses AI to help map the most efficient delivery routes. Works quite well! And Alibaba claims that smart logistics have resulted in a 10 percent reduction in vehicle use and a 30% reduction in travel distances. Seems like it was the right investment for them!

eBay - eBay sees AI as a way to maintain consumer interest and a competitive edge. The eBay Shopbot helps users easily find products that they are interested in using NLP. Also, customers can communicate with the bot via text, voice or using pictures taken with their phone. Right now, machine learning is an integral component of eBay's business strategy.

Artificial intelligence in E-Commerce: Facts (See in the next page)

Artificial Intelligence Threats

A) Threat to Privacy - Natural language processing is the ability to understand human language by machines. AI program with the ability to recognize speech and understands natural language is also capable to understand each user conversation on emails and telephones. This may comprise privacy of users.

B) Threat to job - Citigroup has forecast that nearly a third of the jobs in the banking industry could be lost in the decade between 2015 and 2025. The computer can also perform some tasks of a doctor's job. IBM's Watson can detect lung cancer by analyzing MRI scans much more reliable than real people. Some accountant's task can also

be done by algorithms. Algorithms can now analyze financial data and prepare accounts. Insurance brokers and insurance can also be performed by computers using machine learning and big data.


Conclusions - AI is on the rise in the e-commerce industry, however, it is still far from being perfect. E-commerce firms continue to improve their AI tools to better match market demand. They also partner up with other companies to merge their competencies in AI and create more sophisticated solutions. We believe, that Artificial Intelligence in E-Commerce will impact transactions, customer retention, satisfaction, efficiency and many more. AI is changing the way we buy and sell online.




India is the fastest-growing ecommerce market. AI will have a significant effect on the way e-commerce businesses attract and retain customers. AI revolution in e-commerce will create plenty of new data science, machine learning and engineering. AI based e-commerce will also generate IT jobs to develop and maintain the systems and software that will be running those AI algorithms. But the confluence of AI and e-commerce may impact people lacking in-demand skill set face unemployment in coming years.

References :-

1. Avneet Pannu, "Artificial Intelligence and its Application in Different Areas", International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 10, April 2015
2. Siddharth Gupta, Deep Borkar, Chevelyn De Mello, Saurabh Patil, "An E-Commerce Website based Chabot" International Journal of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT), Vol. 6 (2), 2015
3. Saloni Shukla, Joel Rebello, "Threat of automation: Robotics and artificial intelligence to reduce job opportunities", <http://economictimes.indiatimes.com>
4. <https://www.avanade.com/en/about/avanade/partnerships/accenture-avanade-microsoft-allianc>
5. <http://indiantechnews.in/india-growing-fastest-in-e-commerce-says-study/>
6. <http://www.businessinsider.in>
7. <https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/artificial-intelligence-e-commerce/>

Artificial intelligence in E-Commerce - Facts





मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के राजस्वों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एल. एन. शर्मा *

प्रस्तावना - 'लोक वित्त' दो शब्दों के योग से बना है - लोक + वित्त। लोक Public का आशय जनसमूह से है, जिसमें राज्य एवं सरकार के रूप में जनसमूह विभिन्न क्रियाओं में सम्मिलित होता है जबकि वित्त Finance का अर्थ आर्थिक व्यवस्थाओं से है, जहाँ जनसमूह का अर्थ सार्वजनिक संस्थाओं से लगाया जाता है। इन सार्वजनिक संस्थाओं में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय (जिला मण्डल, नगरपालिकाएँ, ग्राम पंचायतें आदि) सम्मिलित हैं। अतएव इन संस्थाओं की आय-व्यय संबंधी क्रियाओं के समुचित अध्ययन को लोक वित्त अथवा राजस्व कहते हैं। सी.एस. बेस्टबेल के अनुसार 'लोक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण से संबंध रखता है। प्लेहन के अनुसार 'लोक वित्त राजकीय आय व्यय की नीतियों का एक अध्ययन है'। इस प्रकार सरकारी आय, सरकारी व्यय, सरकारी ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक स्थायित्व को लोक वित्त की विषय सामग्री माना है।

शोध का उद्देश्य - वर्तमान में देश के सभी राज्यों में विकास की ओर अग्रसर होने एवं देश में प्रथम स्थान पाने की होड़ लगी है। प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों के राजस्वों की तुलनात्मक अध्ययन कर यह ज्ञात करना है कि राजस्व की प्राप्ति तुलनात्मक रूप से अधिक है और उसके क्या कारण हैं। इसी प्रकार प्राप्ति तुलनात्मक से कम है और उसके क्या कारण हैं। साथ ही तुलनात्मक रूप से किस राज्य के व्यय अधिक है अथवा कम है तथा उनके क्या कारण हैं तथा तीनों राज्यों के राजस्व आधिक्य का तुलनात्मक अध्ययन करना शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों के राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित द्वितीयक समकों द्वारा किया गया है तथा तीन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के बजट अनुमानों में राजस्व के अंतर्गत कुल प्राप्ति एवं कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध व्याख्या एवं निष्कर्ष -

1. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका क्रं. 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 1 के अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

1. बजट अनुमानों में कुल प्राप्ति में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 03

प्रतिशत और राजस्थान से 9 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 03 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है। जबकि राजस्थान से 08 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 07 प्रतिशत पीछे है जबकि राजस्थान से 04 प्रतिशत आगे है।

2. राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 05 प्रतिशत और राजस्थान से 08 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में 2013-14 से 2014-15 में राजस्थान से 07 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 08 प्रतिशत पीछे है, जबकि राजस्थान से 06 प्रतिशत आगे है।

3. पूंजीगत प्राप्ति में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 10 प्रतिशत आगे और राजस्थान से 06 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 05 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 08 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 13 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 18 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस

राजस्थान में 05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 07 प्रतिशत पीछे है जबकि राजस्थान से 07 प्रतिशत आगे है।

2. कुल आयोजनेत्तर व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 12 प्रतिशत पीछे है तथा राजस्थान से 03 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई और राजस्थान में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 14.5 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 01 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 19 प्रतिशत पीछे है, जबकि राजस्थान से 01 प्रतिशत आगे है।
3. कुल आयोजना व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 05 प्रतिशत आगे और राजस्थान से 12 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 01 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 05 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 01 प्रतिशत तथा राजस्थान से 12 प्रतिशत पीछे है।

राजस्व वृद्धि की स्थिति एवं सुझाव -

1. सरकारों के राजस्व स्रोतों में, कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक 19 प्रतिशत है। अतः इस क्षेत्र में म.प्र. एवं राजस्थान सरकारों को वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास करना होगा। इस संबंध नीतिगत निर्णय लेकर प्राप्तियों में वृद्धि करना चाहिए।
2. कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की ही सर्वाधिक 19

प्रतिशत रही। अतः पुनः म.प्र. व राजस्थान सरकारों को इस मद में वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास करना होगा एवं राजस्व में वृद्धि करनी होगी।

3. कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में म.प्र. राज्य की सर्वाधिक वृद्धि दर 25 प्रतिशत रही। यहां राजस्थान व छत्तीसगढ़ सरकारों को पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि के कारगर उपाय करना होगा।
4. राजस्व आधिव्यय की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में सर्वाधिक वृद्धि दर छत्तीसगढ़ राज्य की 72 प्रतिशत रही जबकि म.प्र. व राजस्थान इस क्षेत्र में काफी पीछे है। अतः इन राज्यों को राजस्व आधिव्यय में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
5. राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में राजस्थान सरकार की सर्वाधिक 16 प्रतिशत है। अतः राज्य कर की आय बढ़ाने हेतु म.प्र. व छत्तीसगढ़ सरकारों को विशेष प्रयास करना होगा। कर अपवंचन रोकना एवं कर संग्रह में प्रोत्साहन नीति को अपनाना होगा एवं नये करों पर विचार करना होगा।
6. कर विभिन्न राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में म.प्र. सरकार की सर्वाधिक 50 प्रतिशत है। जबकि राजस्थान सरकार सबसे पीछे है। अतः छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकारों को कर विभिन्न राजस्वों पर भी विशेष ध्यान देना होगा और इसमें वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
7. केन्द्र से सहायता अनुदान आदि में वृद्धि दर वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में म.प्र. अग्रणी है। केन्द्र की सहायता व अनुदान भी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा करता है। अतः इस क्षेत्र में भी सूक्ष्म अध्ययन करके इन राज्यों को इसमें वृद्धि करने हेतु भरसक प्रयास करना चाहिए। विशेषकर केन्द्र व राज्यों में एक पार्टी की सरकारें हो तो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक वित्त के सिद्धांत एवं व्यवहार - डॉ. डी.एन. गुर्त।
2. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी. सिन्हा।
3. लोक अर्थशास्त्र - डॉ. पी.डी. माहेश्वरी, डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता।
4. व्यावसायिक वित्त - डॉ. आर.एम. कुलश्रेष्ठ।
5. नवीन शोध संसार (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320-3767
6. दिव्य शोध समीक्षा (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320-3767
7. Public finance - Arjun Pangommaver.
8. www.financemp.gov.in
9. www.financeraj.gov.in
10. www.financecg.gov.in

तालिका क्रं. 01

(प्रतिशत में)

क्रं.	मद	मध्यप्रदेश			छत्तीसगढ़			राजस्थान		
		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
		2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कुल प्राप्ति	15	27	12	18	24	19	24	35	08
2	राजस्व प्राप्ति	14	30	11	19	30	19	22	37	05
3	पूँजीगत प्राप्ति	23	05	25	13	-08	16	29	23	20
4	कुल व्यय	15	27	12	18	24	19	24	38	05
5	राजस्व व्यय	17	33	10	23	32	16	22	38	05
6	पूँजीगत परिव्यय	07	03	24	00	-07	32	29	39	03
7	राजस्व आधिक्य	-18	-14	25	-18	02	72	11	-28	-24

स्रोत - बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 02

(प्रतिशत में)

क्रं.	कुल प्राप्ति के शीर्षक	मध्यप्रदेश			छत्तीसगढ़			राजस्थान		
		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
		2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	कुल प्राप्ति	15	27	12	18	24	19	24	35	08
2	राज्य कर	18	17	11	26	17	12	27	19	16
3	केन्द्रीय करो में हिस्सा	10	17	10	15	15	64	15	12	27
4	कर विभिन्न राजस्व	04	-11	50	14	02	40	41	18	04
5	केन्द्र से सहायता अनुदान	18	101	01	18	96	-11	05	174	-28
6	उधार एवं अग्रिम की वसूली	26	-03	-75	-50	-81	-25	26	-21	497
7	शुद्ध लोक ऋण	25	-09	26	20	17	20	24	23	16
8	लोक लेखों से	-15	387	25	00	00	00	61	44	17

स्रोत - बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 03

क्रं.	व्यय के शीर्षक	मध्यप्रदेश			छत्तीसगढ़			राजस्थान		
		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
		2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कुल व्यय	15	27	12	18	24	19	24	39	05
2	कुल आयोजनेतर व्यय	13	15	13	25	-50	32	10	16	12
3	कुल आयोजना व्यय	18	44	11	13	43	12	30	49	23

स्रोत - बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

उदारीकरण का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी *

प्रस्तावना - वर्तमान युग को व्यापार युग कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिक युग में व्यापार का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस व्यापार युग में सम्पूर्ण विश्व एक परिवार की तरह हो गया है। आज वह देश सर्वशक्तिमान समझा जाता है, जो व्यापार के क्षेत्र में अगुआ है। इंग्लैंड जैसे छोटे राष्ट्रों ने व्यापार के बल पर ही साम्राज्य की स्थापना की तथा वैभव एवं धन प्राप्त किया। इसी प्रकार जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान आदि राष्ट्रों की अपूर्व उन्नति का एकमात्र कारण उनका व्यापारिक उत्थान ही है। भारत प्राचीन युग में 'सोने की चिड़िया' कहकर पुकारा जाता था। इसका मूल कारण भारत का व्यापारिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान होना ही था। वर्तमान में व्यापार का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार व्यापार का क्षेत्र भी व्यापक होता जा रहा है।

भारत गाँवों का देश है। इनमें देश के 70 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं। गाँवों में प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि व्यवसाय में लगे हुए अधिकांश कृषक रूढ़िवादी, निरक्षर एवं अल्पज्ञानी होते हैं। उन्हें अपने गाँव की निकटवर्ती मंडियों का ज्ञान नहीं होने के कारण वे अपनी उपज को नगरों तक पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं। देश में यातायात के साधनों का पूर्ण विकास नहीं होने से उत्पादित माल को नगरों एवं मण्डियों तक पहुँचाने में कठिनाई होती है। धन के अभाव में वे विकसित यातायात सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। अतः विवश होकर उन्हें अपनी उत्पादित उपज को गाँव के महाजन, साहूकार अथवा आढ़तियों को बेचना पड़ता है, जो इन्हें उपज का बहुत कम मूल्य देते हैं।

भारत के आन्तरिक व्यापार के अन्तर्गत उपभोक्ता तथा पूँजीगत वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में कपास, मंगूफली, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि कृषि उपज तथा खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज आदि और शक्कर, नमक, बीज, दवाईयाँ, मशीनें, चमड़ा व खाल, मिट्टी का तेल कागज आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं औद्योगिक पदार्थों का क्रय-विक्रय किया जाता है। कृषि उपज का क्रय-विक्रय गाँव से करबे तथा मण्डियों में किया जाता है। मण्डी से शहरों के अनेक उपभोग केन्द्रों तक उत्पादित उपज जाती रहती है। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ थोक विक्रेताओं के पास जाती हैं। स्थानीय थोक व्यापारी इन वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में स्थित व्यापारिक केन्द्रों एवं नगरों के फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। फुटकर व्यापारी उनका वितरण उपभोक्ताओं को कर देते हैं।

आज के प्रगतिशील युग में वस्तुओं का उत्पादन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनको उपभोक्ताओं तक पहुँचाना भी आवश्यक है, जो एक स्थान पर केन्द्रित नहीं है, वे तो भिन्न भिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं। सामान्यतया एक निर्माता के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचा

सके। अतः एक निर्माता वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए स्वयं अपने प्रयत्न तो करता ही है, साथ में वह अन्य व्यक्तियों की सेवाएं भी प्राप्त कर लेता है। जब निर्माता स्वयं ही उपभोक्ता तक पहुँचाता है तो उसे प्रत्यक्ष विक्रय और जब अन्य मध्यस्थों की सहायता से पहुँचाता है तो उसको अप्रत्यक्ष विक्रय कहते हैं।

इस प्रकार प्रत्यक्ष विक्रय एवं अप्रत्यक्ष विक्रय वे साधन हैं, जिनके माध्यम से वस्तुएं बेची जाती हैं। इन्हीं माध्यमों को विक्रय एजेन्सियाँ कहते हैं। विक्रय एजेन्सियाँ दो प्रकार की होती हैं (1) प्रत्यक्ष विक्रय एजेन्सियाँ, जिनके अंतर्गत निर्माता या उत्पादक अपनी स्वयं की दुकान, स्वयं के विक्रयकर्ता, डाक द्वारा, टेलीफोन द्वारा या विक्रय मशीन द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उत्पाद का विक्रय करते हैं। (2) अप्रत्यक्ष विक्रय जिसके अन्तर्गत निर्माता एजेन्टों के द्वारा थोक व्यापारी को एवं थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को एवं अन्त में फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की वस्तुओं का विक्रय करता है।

वस्तुओं के अप्रत्यक्ष विक्रय में यह आवश्यक नहीं है कि सभी मध्यस्थों की सेवाओं को काम में लाया जाए। यह असम्भव है कि प्रतिनिधि के द्वारा सीधी ही उपभोक्ता को वस्तुएं बेच दी जाए। इसी प्रकार फुटकर विक्रेता को सीधे ही निर्माता वस्तुएं बेच सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि व थोक विक्रेता की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाएगा। थोक विक्रेताओं के उन्मूलन की क्रिया सभी देशों में चल पड़ी है और निर्माता वस्तुओं को सीधे ही उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुएं फुटकर वितरण के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचती हैं। जो विक्रेता या खुदरा भण्डार स्थान-स्थान पर पाए जाते तो अपने स्थानीय उपभोक्ताओं की पूर्ति वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करके रहते हैं, वे फुटकर विक्रेता या रिटेलर कहलाते हैं। यह फुटकर विक्रेता या खुदरा भण्डार स्थान-स्थान पर पाए जाते हैं जो अपने स्थानीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। भारत में इस प्रकार के फुटकर विक्रेता विभिन्न रूपों व नामों से जाने जाते हैं जैसे सौदागर, पंसारी परचूनी वाला, पान वाला, कपड़े वाला, सायकल विक्रेता, दवाई विक्रेता, उपभोक्ता भण्डार, सुपर बाजार आदि।

फुटकर विक्रेता के पास विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित वस्तुएं तुलना के लिए मिल जाती हैं, जिससे उनका मूल्य भी उचित लिया जाता है। फुटकर विक्रेता अन्तिम उपभोक्ता को माल बेचता है, यह मध्यस्थों की शृंखला में अन्तिम कड़ी है। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं के स्थान के पास होने के कारण उनको अधिक दूर नहीं जाना पड़ता है। एक ही स्थान पर कई फुटकर विक्रेता के होने के कारण उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। इसका लाभ उपभोक्ता को मिलता है, जिससे उसको वस्तु उचित मूल्य पर मिल

जाती है।

भारत में फुटकर रूप में वस्तुएं बेचने का सबसे पुराना तरीका पूर्ण सेवा फुटकर विक्रेता का है। इसमें फुटकर विक्रेता दुकान रखता है, जिसमें सभी बेचने योग्य वस्तुएं रखी जाती हैं। भारत में अधिकांश फुटकर विक्रय कार्य नगरों, कस्बों एवं गांवों में इसी प्रकार के फुटकर विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। भारत में श्रृंखला भण्डारों के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे बाटा इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता, देहली क्लार्थ एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड दिल्ली, उषा पंचे आदि द्वारा अपनी फुटकर बिक्री हेतु दुकाने स्थापित की गईं की गईं हैं। सुपर बाजार वास्तव में वृहद विक्रय भण्डार है। जहाँ पर लगभग सभी प्रकार की भोजन सामग्री की वस्तुएं बड़े पैमाने पर फुटकर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। इसमें अधिकतर वस्तुओं के विक्रय विभाग अलग-अलग बने होते हैं। इन भण्डारों का उद्देश्य भी मध्यस्थों को हटाकर ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं बेचने का होता है। इन भण्डारों में वस्तुओं के मूल्य दूसरे प्रकार की दुकानों से कम होते हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, उन्हें खरीदने के लिए ग्राहक को अलग-अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है। स्वयं सेवा के सिद्धांत के अनुसरण से खर्च में भी कमी आती है और ग्राहक को भी स्वयं चुनने की सुविधा से प्रसन्नता होती है।

भारत में खुदरा व्यापार की स्थिति - भारत में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का प्रभाव भारतीय खुदरा व्यापार पर महत्वपूर्ण तरीके से पड़ा है। खुदरा व्यापार इस देश का सबसे बड़ा परम्परागत निजी उद्योग है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में दस प्रतिशत का योगदान करता है। कृषि के बाद इस क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। उदारीकरण के दौर में दर्जनों शॉपिंग माल्स महानगरों में खुल चुके हैं। अभी तक दिल्ली, मुंबई, पूणे, बैंगलोर, नागपुर आदि महानगरों में 200 से अधिक माल्स खुल चुके हैं और 700 नए शॉपिंग माल्स बनए जा रहे हैं। जिनमें से 40 प्रतिशत माल उपनगरों में बनने वाले हैं। बड़े शहरों में संगठित खुदरा व्यापार का क्षेत्र 35-40 प्रतिशत के हिसाब से तो, उपनगरों में 50-60 प्रतिशत के हिसाब से फैल रहा है। छोटे दुकानदारों के खुदरा व्यापार को इन शॉपिंग माल्स से कड़ी चुनौती मिलनी प्रारम्भ हो गई है।

इन शॉपिंग माल्स में उपभोक्ताओं को सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर अच्छी क्वालिटी की एवं उचित मूल्य पर मिलने लगी हैं, इन शॉपिंग माल्स में रोजमर्रा दैनिक जीवन की वस्तुओं के अलावा ब्राण्डेड वस्त्र, अच्छी कंपनियों द्वारा निर्मित जेवहरात, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कम्प्यूटर, संगीत उपकरण भी सुगमता से उपलब्ध होने लगे हैं। इन शॉपिंग माल्स में ग्राहकों की सुख-सुविधाओं एवं मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाती है। ग्राहक इन शॉपिंग माल्स में खरीदी के लिए सपरिवार जाने के लिए लालायित रहता है। विज्ञापन, प्रचार-प्रसार एवं भारतीयों में ब्राण्डेड वस्तुओं के प्रति बढ़ते आकर्षण ने भी शॉपिंग माल्स में की जाने वाली खरीदी को स्टेट्स सिम्बल से जोड़ दिया है। भारतीय बाजार में इन दिनों ब्राण्डेड वस्तुओं का आकर्षक सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण लोगों की जीवन शैली एवं मनोवृत्ति में खासा परिवर्तन आया है। एशिया में सबसे तेजी से माल्स भारत में ही बन रहे हैं। वर्ष 2019 तक पूरे देश में 22 करोड़ वर्ग फुट में 775 शॉपिंग सेन्टर होंगे। अगस्त 2015 तक भारत में 132 माल थे, जो 6 करोड़ 16 लाख फुट में बने हुए थे, 2016 के अन्त तक यह संख्या 158 माल्स तक जा पहुँची है। टाटा और रिलाएन्स के अलावा रिटेल बाजार में काम करने वाले बड़े उद्योग समूहों में रहेजा, आई.टी.सी., बाम्बे डॉइंग, मुरुगुप्पा ग्रुप और पिरामल ग्रुप शामिल हैं।

भारत के कुल फुटकर कारोबार में करीब एक करोड़ बीस लाख फुटकर कारोबारी हैं। भारत का वर्तमान फुटकर कारोबार 4 10 बिलियन डालर का है एवं इसमें 5 फीसदी की दर से वृद्धि होने की सम्भावना है। वर्ष 2020 तक भारत का फुटकर कारोबार बढ़कर 7 10 बिलियन डालर होने की सम्भावना है।

भारतीय संगठित खुदरा कारोबार विभिन्न गणनाओं के आधार पर 4.7 प्रतिशत के हिसाब से 75 अरब डालर तक सीमित है। भारत में लगभग 95 प्रतिशत फुटकर कारोबार असंगठित क्षेत्र में विभिन्न नगरों, कस्बों एवं दूरस्थ गाँवों में फैले फुटकर कारोबारियों द्वारा किया जाता है।

वैश्वीकरण ने व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं। अब विदेशी कम्पनियाँ भारत में भारतीय फल-सब्जियाँ बेचने खरीदने की बड़ी पैमाने की योजना बना रही हैं। भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीय खुदरा बाजार में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई है। इस खुदरा बाजार में उतरने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पहले से आतुर थीं। बहुराष्ट्रीय स्टोर कम्पनियाँ इस समय अपने भारतीय साझेदारों को तलाशने के काम पर जुटी हैं, ताकि वे विश्व के एक बड़े खुदरा बाजार में अपनी पेट बना सकें। कुछ देशी कम्पनियों ने भी खुदरा बाजार में उतरने के लिये अपने कारपोरेट कार्यालय खोल दिए हैं। यह सिलसिला बड़े जोर-शोर से शुरू हो गया है। चिन्ता का मुख्य बिन्दु यह है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने एफ.डी.आई.को केवल सिंगल ब्राण्ड रिटेल चेन की मंजूरी दी है, लेकिन वे इसकी आइ में मल्टी ब्राण्ड रिटेल चेन में घुसपैठ कर रहे हैं।

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार अब समय आ गया है कि खुदरा व्यापार के लिए समग्र नीति बनाई जाए, जिनमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए, न तो रोजगार के साथ खिलवाड़ हो और न ही बाजार पर किसी का एकाधिकार हो पाए। किन्तु अब यह सम्भव नहीं है। कि असंगठित खुदरा व्यापार को सरकारी संरक्षण और नियंत्रण मिल जाए।

खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - भारत में विदेशी कम्पनियों का एक तरह से निर्बाध प्रवेश हो रहा है और उन्हें अपना कारोबार करने की छुट सरकार ने दे रखी है। इससे राष्ट्र को क्या लाभ हो सकता है ? उदाहरण के लिए यदि ये ऊर्जा या विद्युत उत्पादन में निवेश करें। औद्योगिक मशीनों की उन्नत तकनीक सड़क रेल तथा यातायात और कृषि उत्पादन की वृद्धि में निवेश करके अपना योग दे तो भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित ही सुधरेगी। विदेशी कंपनियाँ इसी देश के पानी, कृषि उत्पाद और ऊर्जा के साधनों से उपभोग की वस्तुएं बनाकर अपने साधनों से उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करके भारी मुनाफा कमाकर अपने देशों को भेज रही हैं। कोकाकोला, पेप्सी, आदि पेय भारतीय पानी में ही रसायनिक घोल मिलाकर तैयार किए जाते हैं। इन पेयों ने भारतीय पेयों की प्रतिस्पर्धा में अपने अधिक साधनों के कारण विजय प्राप्त कर ली है। ये कम्पनियाँ भारत का बहुत बड़ा बाजार हथिया कर करोड़ों रूपयों का मुनाफा कमा रही हैं। इसी प्रकार गेहूँ से तमाम तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। खाने की वस्तुएं बिस्कुट, चॉकलेट, नूडल्स, पिज्जा । यहाँ तक कि भारतीय भुजिया, नमकीन आदि तक को इन कम्पनियों ने अपनी आय का साधन बना लिया है।

भारतीय खुदरा बाजार इसलिए विदेशी कम्पनियों को लुभा रहा है क्योंकि भारत में केवल पाँच प्रतिशत ही खुदरा बाजार संगठित क्षेत्र में है, जबकि अमेरिका में 80 फीसदी, ब्रिटेन में 80 फीसदी ब्राजील में 40 फीसदी चीन व मलेशिया में 20-20 फीसदी है। 95 प्रतिशत असंगठित भारतीय खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना बहुत बड़ा हित देख रही हैं,

लेकिन उनके हितों के लिए भारतीय हितों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। विदेशी पूँजी निवेश के कारण थाइलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनेशिया और मेक्सिको की अर्थव्यवस्थाएँ पिछले दौर में चरमरा गई थी। बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियों के निशाने पर वही क्षेत्र है, जिनमें भारतीय उद्योग धंधे पहले से ही सम्पन्न हैं, और वहाँ विदेशी पूँजी निवेश की आवश्यकता नहीं है, भारतीय खाद्य बाजार 6 अरब डालर का है, जो नौ फीसदी की दर से बढ़ रहा है। मोबाइल सेट और एक्सेसरीज का भारतीय बाजार 16.7 अरब डालर का है जो 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। बच्चों के कपड़ों का बाजार 2.9 अरब डालर का है। खेल उत्पाद, खिलौने स्टेशनरी, अण्डर गारमेन्ट, होजयरी, इत्र, जूते और जेवरात के बाजार भी भारी भरकम आय वाले क्षेत्र हैं। कुछ जो इनमें 30 फीसदी तक मुनाफे वाले कारोबार हैं, इसलिए इनका खुदरा बाजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ललचा रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में विलासिता और मनोरंजन की वस्तुएं कार, मोटर सायकल, टी.वी. आदि अनेक उपकरण भी बनाती हैं। इसमें समाज के उच्च वर्ग को कुछ लाभ होता दिखाई दे, किन्तु देश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या को इससे कोई लाभ नहीं है। इन कम्पनियों ने देश की भाषा और संस्कृति से भी जबरदस्त छेड़छाड़ की है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। भारत में भी बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों ने देश में स्थापित अनेक कम्पनियों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। क्षेत्रीय छोटे उद्योगों को इन्होंने प्रायः नष्ट ही कर दिया है। हेन्डलूम उद्योग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विदेशी कम्पनियाँ भारतीयों को काम देती हैं, परन्तु अपनी जरूरत के अनुसार ही। इन्होंने नमक बनाने वाली कम्पनियों को विवश कर दिया है कि वे सारा नमक उन्हीं को बेचे। नमक की कीमत सामान्यता पचास पैसे प्रति किलोग्राम होती है, परन्तु वे कम्पनियाँ उस पर एकाधिकार करके और उसे पीसकर पैकिंग करके सात आठ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपभोक्ता को बेचती हैं। यह उपभोक्ता का शोषण इन्होंने आयोडीन का बहाना लेकर सरकार तक को बाध्य कर दिया है कि वह उनके हित में इसका विज्ञापन करे, जब कि आयोडीन सहज ही अन्य तमाम खाद्य पदार्थों से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खुदरा बाजार में प्रवेश से न केवल रोजगार की कमी बल्कि लाइफ स्टाइल बदलने और भारतीय संस्कृति के क्षरण एवं पतन की भी आशंका है। विदेशी कम्पनियाँ भारतीय शालीनता और संस्कृति से अपरिचित हैं। वे सिर्फ अपने उत्पादों को बेचने की खातिर यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहेगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से न केवल बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है, बल्कि इससे उपभोक्ताओं के ठगे जाने का भी खतरा है। अभी सस्ती स्टोर्स पर सस्ती सब्जियाँ बेचकर लोगों को शॉपिंग माल्स में आने की आदत डाली जा रही है। जिस तरह ब्रिटिश कम्पनियों ने हिन्दुस्तान की गली, नुक्कड़ एवं चौराहे पर मुफ्त चाय बाँटकर उन्हें चाय की लत लगाई थी, कि अब हर हिन्दुस्तानी अपनी छाछ व दूध को छोड़कर चाय पीने को विवश है। इसी तरह जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी बड़ी पूँजी के दम पर छोटे व्यापारियों को खुदरा व्यापार से खदेड़कर बाजार पर एकाधिकार कर लेगी तो आलू और टमाटर पैकिंग में मिल सकते हैं और हो सकता है कि उनकी कीमत प्रति नग पाँच से दस रुपये तक हो। इसलिए जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुली छूट देने के बजाय यह हक सरकार और आम आदमी के पास रहना चाहिए कि दैनिक उपयोग की निहायत जरूरी चीजों के लिये उसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मोहताज नहीं होना पड़े। रोटी, कपड़ा, और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें बड़े पूँजीपति

घरानों की बाँदी न बन जाए।

भारत में खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समर्थकों द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार हैं कि विदेशी निवेशक सर्वप्रथम बड़े व्यावसायिक शॉपिंग माल्स में ही निवेश करेंगे, जो कि महानगरों एवं नगरों तक ही सीमित रहेंगे। 75 करोड़ लोग गाँवों व कस्बों में रहते हैं, जिन्हें स्थानीय फुटकर व्यापारियों की सेवाओं का ही सहारा लेना होगा। 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी की अनुमति फुटकर क्षेत्र में वैसे भी केवल पाँच वर्ष तक ही देने का प्रस्ताव है अर्थात् 51 प्रतिशत हिस्सेदारी देशी होगी, पाँच वर्ष की अवधि में भारत में फुटकर क्षेत्र 13 लाख करोड़ रुपये में आकार का हो जाएगा, जिसमें 5000 करोड़ रुपये का संगठित फुटबाल क्षेत्र होगा। यह क्षेत्र भी देशी भारतीय कम्पनियों के अधीन होगा, इस अवधि में घरेलू संगठित कारोबारी अपनी परिपक्वता में वृद्धि करेंगे तथा छोटे व्यापारियों को भी अपनी व्यावसायिक गुणवत्ता व नियमों में सुधार का अवसर प्राप्त होगा।

फुटकर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति से आगामी इस वर्ष में भारत इस क्षेत्र में 30 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है अर्थात् नये 20 करोड़ बिलियन डालर की लागत के 750 व्यावसायिक माल खुल सकते हैं, जिनमें 75 लाख नये रोजगार का सृजन होने की सम्भावना है। अकेला वालमार्ट भारत में आगामी बीस वर्षों के दौरान अपने कारोबार को 30 बिलियन डालर के स्तर तक पहुँचाने की योजना रखता है। विश्व की 20 से अधिक अन्तराष्ट्रीय फुटकर कम्पनियाँ भारत में निवेश करने को इच्छुक हैं।

भारत में खुदरा व्यापार बहुत ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है। अगले पाँच छह वर्षों के दौरान देश में 80 लाख से अधिक लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होने के अनुमान हैं। माना जाता है कि देश में खुदरा क्षेत्र में इस समय 210 लाख लोगों का रोजगार मिला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब 80 लाख नये लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से हो जायेगा तो एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब तीन करोड़ लोगों को इस क्षेत्र से सीधा रोजगार मिल सकेगा। इस तरह देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हो जायेगा। इस क्षेत्र की स्थिति तो और भी बेहतर हो सकती है, यदि खुदरा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिल जाए तो भारत में अभी भी इसका आकार 210 अरब डालर के करीब है और इसमें पाँच प्रतिशत वार्षिक की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें संगठित क्षेत्र की भागीदारी करीब 4.7 प्रतिशत है, और क्षेत्र 95 प्रतिशत कारोबार असंगठित क्षेत्र के पास है। देश में उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2020 तक संगठित क्षेत्र में पास खुदरा कारोबार का कुल बीस प्रतिशत के करीब आ जाएगा। साथ ही माना जा रहा है कि खुदरा क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र कारोबार का विस्तार भी होगा। भारत के खुदरा क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी निवेशक जहाँ बहुतायत से इच्छुक हैं, वही अनेक दिग्गज भारत को अपनी रिटेलिंग का स्रोत भी बना चुके हैं।

रिटेलिंग बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है और यह उत्पाद और सेवा क्षेत्र के लिहाज से अनेक नये अवसरों का सृजन कर रही है। अब आइटी सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कम्पनी डीवीएस का उदाहरण लिया जा सकता है। इस कम्पनी ने अब तक 400 रिटेल स्टोर्स तक अगले तीन माह में पहुँच बनाने की तैयारी कर ली है। इसे जोड़ने के बाद कम्पनी के सेवाएं प्राप्त करने वाले रिटेल स्टोर्स की संख्या एक हजार तक पहुँच जाएगी। इस कम्पनी की प्रबंध निर्देशक राखी नागपाल के अनुसार इस कम्पनी के ग्राहकों में

यूएस पिज्जा,लिक रिटेल, आइशर गुडस अर्थ,कैवमाल और सीजंस फर्नीचिंग आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इस कम्पनी की ओर से वित्तीय योजना,सी.आर.एम.,आपूर्ति एवं चैन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में सेवाएं दी जा रही हैं।

रिलायंस रिटेल की ओर से प्रमोट रिलायंस फ्रेश का जयपुर से भी आगाज हो गया है। दक्षिण भारत आईटी राजधानी कहे जाने वाले शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स में रिलायंस फ्रेश स्टोर खोलने के बाद रिलायंस रिटेल ने 17 स्टोर्स हैदराबाद में और खोले हैं। इसी क्रम में रिलायंस फ्रेश स्टोर के नाम से जयपुर के झोटावाड़ा रोड़ पर खोल दिया गया है। रिलायंस रिटेल अन्य तरह के स्टोर्स खोले जाने की तैयारी कर रही है जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में होंगे। जैसे एग्जी बिजनेस क्लीनिक के क्षेत्र पर भी रिलायंस की निगाह है, इसके अलावा कपड़ों, खाद्य उत्पादों के स्टोर्स भी खोले जाने की तैयारी है। गुजरात में अडानी रिटेल के अधिग्रहण करने के बाद रिलायंस समूह की निगाह मुंबई के सहकारिता आधारित स्टोर मराठा स्टोर्स पर लगी हुई है।

झीलों की नगरी उदयपुर में भी आज आधुनिकता अपने पैर पसार रही है और यहां पर भी टाउनशिप कल्चर व माल कल्चर विकसित हो रही है। इसी क्रम में यहाँ पर रियल स्टेट की अग्रणी कम्पनी ए.आई.पी.एल. एडवान्स इण्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) ने देश का प्रथम पैलेस मॉल 'दि सेलेब्रेशन मॉल' पेश किया है। यह मॉल यहाँ के सुखाड़िया सर्कल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर विकसित किया जा रहा है। माल की डिजाइन राजस्थानी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसी कारण से इसे हेरिटेज लुक दिया गया है। ए.आई.पी.एल.के निदेशक डॉ. दलजीत सिंह के अनुसार यह शहर के भव्यतम महलों से भी अधिक भव्य नजर आएगा।

देश का रिटेल कारोबारी क्षेत्र बहुत ही रोमांचक मुकाम पर पहुँच रहा है और इसमें अनेक तरह के दिलचस्प परिदृश्य और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक नई बात जो न दिनों हो रही है, वह यह कि रिटेल का काम करने वाली दिग्गज कम्पनियाँ अब अन्य कम्पनियाँ या उत्पादकों की ओर से उत्पादित उत्पादों का विपणन करने पर कम और खुद के ब्रांड नाम वाले

उत्पादों का सृजन और विपणन करने में अधिक दिलचस्पी ले रही हैं अर्थात्, ब्रांड्स की बरसात का एक नया परिदृश्य सामने आ रहा है। इस परिदृश्य में रिलायंस से लेकर पैन्टालून तक सभी दिग्गज शामिल हैं। चाहे रिलायंस के रिटेल स्टोर हो या पैन्टालून के बिग बाजार इन सभी पर इन दिग्गजों की ओर से प्रस्तुत किये अपने ब्रांड वाले उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला देखने को मिल जाती है।

सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त मेरे मत में निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकृत परिवेश में आज विरोध की नहीं, बल्कि स्वयं की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। भारत के अनेक उद्योग व सेवा कम्पनियाँ अब विदेशी भूमि पर कार्य करके प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रुपये की आय अर्जित करने लगी है, अब भारत के लिए विश्व के रास्ते खुल गये हैं, तो विदेशी निवेशक व कम्पनियों के लिए रास्ता खोलने में एतराज नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति कुछ चरणों में देनी चाहिए और भारतीय फुटकर व्यापारियों को औद्योगिक ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भारत के व्यापार को विभिन्न नियंत्रणों से मुक्त किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए तथा फुटकर व्यापार से तेज गति से आर्थिक सुधारों को भी लागू कराना चाहिए, इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। विश्व के अधिकांश देशों में फुटकर कारोबार की स्वतंत्रता वहाँ के त्वरित विकास का आधार बनी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था - मानचंद खंडेला ।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था - रुद्रदत्त, के.पी.एम.सुन्दरम ।
3. विकास का अर्थव्यवस्था एवं नियोजन - डॉ. रामरतन शर्मा ।
4. भारत में व्यापार एवं यातायात - डॉ. रामरतन शर्मा ।
5. विक्रयकला विपणन, विज्ञापन - डॉ.एस.सी.जैन ।
6. पत्रिकाएं - योजना, रचना ।
7. समाचार पत्र - नईदुनिया, नफा नुकसान ।

नीमच जिले में अपराध का गिरता ग्राफ - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. एल. एन. शर्मा *

प्रस्तावना - यह सत्य है कि समाज में अपराध एवं अपराधी दोनों ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आपराधिक विधि का अध्ययन एवं शोध मानव सभ्यता के आदि से ही विधि शास्त्र आकर्षण रहा है। प्रो. टेरेन्स मारिस के अनुसार अपराध वह है जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित कर अपराध कहें। विधि के बिना अपराध कदापि नहीं होता है। अपराध की अवधारणा सदैव लोकमत पर आधारित होती है। वास्तव में आपराधिक कृत्य मुख्यतः आपराधिक नीति की उपज है, जिसे समय समय पर समाज का शक्तिशाली या अपनी सुरक्षा तथा अपने हित की रक्षा करने में समर्थ वर्ग राज्य शक्ति द्वारा उन कार्यों को दबाकर स्वीकार करता है, जिन्हें वह अपनी स्थिति के लिए खतरनाक समझता है। अपराध पाप की तरह स्थिर नहीं है। अपराध व्यवहार की मुख्यतः साक्षेप परिभाषा जो लगातार परिवर्तित हो रही है। अपराध विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है, यह लोक हित के लिए हानिकारक है। प्रो. बेन्थम के अनुसार अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने अच्छे या बुरे कार्यों से निषिद्ध कर दिया है। प्रो. ब्लैकस्टन के अनुसार संपूर्ण समुदाय के सार्वजनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में किया गया कार्य अपराध है। प्रो. कैनी के मतानुसार अपराध ऐसे दोष है, जिनमें अनुशासित दंडात्मक होती है। जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य को समाज एवं विधि द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। वह अपराध है।

शोध का उद्देश्य - ऐसी मान्यता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि होती है। नीमच जिले में भी जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आपराधिक घटनाओं की वृद्धि पर पड़ रहा है या नहीं यह ज्ञात करना शोध का उद्देश्य है। कभी कभी आपराधिक प्रकरणों को सही रूप से दर्ज करने पर भी आपराधिक घटनाओं की वृद्धि दर्शाता है। जबकि घटना तो घटित हुई है, पूर्व में प्रकरण दर्ज नहीं होते थे वर्तमान में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इससे भी वृद्धि हुई है, परंतु नीमच जिले में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी अपराध कम हो रहे हैं। यह ज्ञात करना भी शोध का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में प्रकाशित द्वितीयक संमकों का प्रयोग किया गया है। शोध का क्षेत्र नीमच जिला (म.प्र.) है तथा वर्ष 2016, 2017, 2018 के दर्ज आपराधिक प्रकरणों का ही अध्ययन किया गया है।

अपराधों के विभिन्न कारण - अपराध के कई विभिन्न कारण हैं। अध्ययन की दृष्टि से जिन्हें वर्गीकृत किया है, जिसमें अपराध के आनुवांशिक, मानसिक, विकृति, प्रज्ञा, लिंग, जैविक, भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक,

धार्मिक, राजनीतिक, गतिशीलता, संस्कृतियों में अंतर्विरोध, पारिवारिक स्थिति आदि अनेक कारण हैं।

अपराधों के प्रकार -

1. सफेदपोश अपराध
2. यौन अपराध
3. मद्यपान, मादक पदार्थों का व्यसन
4. किशोर अपराध
5. दुराशय तथा संविधिक अपराध
6. राज्य के विरुद्ध अपराध
7. लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध
8. लोक सेवकों द्वारा अपराध
9. निर्वाचन संबंधी अपराध
10. धर्म से संबंधित अपराध
11. जीवन के लिए संकटकारी अपराध
12. सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
13. दस्तावेजों से संबंधित अपराध
14. करेन्सी संबंधित अपराध
15. मानहानि अपराध
16. विवाह संबंधित अपराध
17. मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध
18. प्रकृति के विरुद्ध अपराध आदि अनेक प्रकार के अपराध होते हैं।

तालिका क्रं. 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 01 के निष्कर्ष इस प्रकार है -

1. नीमच जिले में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में हत्या के आपराधिक मामलों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में 16.67 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि 2017 से 2018 की तुलना में हत्याओं में 20 प्रतिशत की कमी हुई है, जो शुभ संकेत है।
2. नीमच जिले में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में हत्या के प्रयास मामलों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में 37.50 की अभूतपूर्व कमी आई जबकि 2017 से 2018 की तुलना में हत्या के प्रयास मामलों में 10 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
3. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में डकैती की कोई घटना नहीं हुई है।
4. नीमच जिले में 2016 से 2017 के मध्य डकैती की तैयारी की आपराधिक मामलों में 66.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चिंताजनक है, परंतु 2017 से 2018 की तुलना में उक्त घटना में 80 प्रतिशत की कमी हुई है जो शुभ संकेत है।
5. नीमच जिले में 2016 से 2017 के मध्य लूट की घटनाओं में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चिंताजनक है, परंतु 2017 से 2018 की तुलना में लूट की घटनाओं में 25 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है। अतः घटनाओं पर नियंत्रण किया गया है।
6. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में नकबजनी के अपराध में निरंतर कमी आई है। 2016 से 2017 की तुलना में 16.67 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।

7. नीमच जिले में 2016 की तुलना में 2017 में अपहरण की घटनाओं में 10.71 प्रतिशत की वृद्धि चिंतानजक है, जबकि 2017 से 2018 की तुलना में अपहरण की घटनाओं में 29 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 8. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में चोरी के प्रकरणों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 9.47 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 54.65 प्रतिशत चोरी की घटनाओं में कमी शुभ संकेत है।
 9. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में वाहन चोरी की घटनाओं में निरंतर कमी आई है। 2016 से 2017 की तुलना में 13.15 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 19.38 प्रतिशत वाहन चोरी की घटनाओं में कमी शुभ संकेत है।
 10. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में पशुचोरी की घटनाओं में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 14.28 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 66.67 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 11. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में गृहभेदन की घटनाओं में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 22.5 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 3.22 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 12. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में बलात्कार के दर्ज प्रकरणों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 21.43 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 31.322 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 13. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में बलवा प्रकरणों में भी कमी हुई है। वर्ष 2017 से 2018 की तुलना में 56 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 14. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में छेड़छाड़ की घटनाओं में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 30 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 19 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 15. नीमच जिले में 2016, 2017 एवं 2018 में अन्य अपराधों की घटनाओं में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 9.43 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 20.56 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
 16. नीमच जिले में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में कुल दर्ज आपराधिक प्रकरणों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 9.48 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 21.99 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।
- नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. प्रकरणों का अध्ययन -
तालिका क्रं. 02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)
तालिका क्रं. 02 के निष्कर्ष इस प्रकार है -
1. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. दर्ज प्रकरणों की संख्या में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 40.38 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 12.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परंतु दोनों वृद्धि दरों की तुलना में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि 27.7 प्रतिशत की कमी आई है।
 2. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. के आरोपियों की संख्या में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 53.57 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 13.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा दोनों वृद्धि दरों की तुलना में 39.62 प्रतिशत की कमी आई है।
 3. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. में डोडाचूरा के प्रकरणों में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 3.08 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा दोनों वृद्धि दरों की तुलना में 1.79 प्रतिशत की कमी आई है।
 4. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. में गांजा प्रकरणों की संख्या में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 82.50 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 123.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा दोनों वृद्धि दरों की तुलना में 40.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 5. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. के अफीम के प्रकरणों में वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 1061 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 2017 से 2018 की तुलना में 70.34 प्रतिशत की कमी हुई है। इस प्रकार दोनों दरों की तुलना में 990.66 प्रतिशत की कमी आई है, जो शुभ संकेत है।
 6. नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. में स्मैक के प्रकरणों में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2016 से 2017 की तुलना में 80.25 प्रतिशत तथा 2017 से 2018 की तुलना में 87.01 प्रतिशत की कमी हुई है, जो शुभ संकेत है। इस प्रकार दोनों वृद्धि दरों की तुलना में 167.26 प्रतिशत की कमी आई है, जो शुभ संकेत है।
- नीमच जिले में आपराधिक प्रकरण कम होने के निम्न कारण है -
1. जिले में पर्याप्त पुलिस बल की स्थापना।
 2. पुलिस विभाग की सक्रियता।
 3. आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर शिकंजा कसना।
 4. जनता से सीधे जुड़ाव।
 5. उज्जैन रेंज के आई.जी. श्री राकेश गुप्ता जिले के एस.पी. श्री टी.के. विद्यार्थी, ए.एस.पी. श्री जितेन्द्र सिंह पंवार एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों की सक्रियता एवं जागरूकता एवं प्रभावी कानून व्यवस्था।
- अपराधों को रोकने के उपाय -**
1. अपराधी आवश्यक रूप से एक मानव है अतः उसके सुधार हेतु वैयक्तिकरण की पद्धति अपनाई जानी चाहिए।
 2. अपराधी को कारवासित करने का मुख्य उद्देश्य उसके पुनर्वास की प्रक्रिया द्वारा उनका पुनः समाजीकरण करना चाहिए।
 3. आपराधिक न्याय प्रशासन में विधि सम्मत शासन तथा सुधारात्मक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विधायनी की सक्रिय भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है।
 4. अपराधों को नियंत्रित रखने हेतु सामाजिक समस्याओं को परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यन्त आवश्यक है। अतः आपराधिकता को कम करने के लिए उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
 5. आपराधिक न्याय प्रशासन के समाजीकरण की दृष्टि से इसमें जनता और समाज के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का सक्रिय योगदान

आवश्यक है।

इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासकों और समाज में परस्पर तालमेल होना नितान्त आवश्यक है। आपराधिक न्याय प्रशासन में व समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए जूरी पद्धति, मानसेवी मजिस्ट्रेट, निधरक जनप्रतिनिधि, तकनीकी परामर्शदाता, प्रशासनिक बोर्ड आदि की नियुक्ति की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन, डॉ. ना.वि. परांजये।

2. भारतीय दण्ड संहिता, प्रो. सूर्य नारायण मिश्र।
3. भारतीय दण्ड संहिता, प्रो. त्रिदिवेश भट्टाचार्य।
4. अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र, डॉ. वाई.एस. शर्मा।
5. नवीन शोध संसार, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, ISSN 2320-8767
6. दिव्य शोध समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, ISSN 2394-3807
7. नीमच भास्कर संस्करण इंदौर।
8. कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला नीमच (म.प्र.)।

नीमच जिले में आपराधिक प्रकरणों का अध्ययन -

तालिका क्रं. 01

क्रं.	अपराध	दर्ज प्रकरण			परिवर्तन (प्रतिशत में)	
		2016	2017	2018	2016-17	2017-18
1	हत्या	12	10	08	16.67	20.00
2	हत्या का प्रयास	16	10	09	37.50	10.00
3	डकैती	00	00	00	-	-
4	डकैती की तैयारी	03	05	01	66.67	80.00
5	लूट	04	08	06	100.00	25.00
6	नकबजनी	06	05	04	16.67	20.00
7	अपहरण	28	31	22	10.71	29.00
8	चोरी	95	86	39	9.47	54.65
9	वाहन चोरी	114	129	104	13.15	19.38
10	पशु चोरी	07	06	02	14.28	66.67
11	गृहभेदन	80	62	60	22.50	3.22
12	बलात्कार	56	44	30	21.43	31.82
13	बलवा	25	25	11	-	56.00
14	छेड़छाड़	90	63	51	30.00	19.00
15	अन्य अपराध	2373	2149	1707	9.43	20.56
16	कुल	2909	2633	2054	9.48	21.99

स्रोत - दैनिक भास्कर, नीमच संस्करण दिनांक 29 दिसंबर 2018

नीमच जिले में एन.डी.पी.एस. प्रकरणों का अध्ययन -

तालिका क्रं. 02

क्रं.	विवरण	2016	2017	2018	परिवर्तन (प्रतिशत में)		वृद्धि दरों में कमी/वृद्धि
					2016 से 17	2017 से 2018	
1	प्रकरणों की संख्या	52	71	80	40.38	12.68	(-) 27.7
2	आरोपियों की संख्या	140	215	245	53.57	13.95	(-) 39.62
3	डोडाचूरा (कि.ग्रा.)	6634.7	6839.0	6927.4	3.08	1.29	(-) 1.79
4	गांजा (कि.ग्रा.)	04	07.3	16.3	82.50	123.29	(-) 40.79
5	अफीम (कि.ग्रा.)	18.5	214.8	63.7	1061.00	70.34	(-) 990.66
6	स्मैक (ग्राम)	1950	385	50	80.25	87.01	(-) 167.26

स्रोत - दैनिक भास्कर, नीमच संस्करण दिनांक 29 दिसंबर 2018

भारत में कृषि विपणन : समस्याएँ एवं समाधान (छ.ग. के विशेष संदर्भ में)

नीति देवांगन *

प्रस्तावना - भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन निर्वाह, पूंजी निर्माण, विदेशी व्यापार, उद्योगों आदि में कृषि की सशक्त भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। वही लगभग 66 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर ही अवलंबित है, देश में तीव्र औद्योगिकीकरण एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दृष्टि से कृषि के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वस्तुतः कृषि और उद्योग दोनों ही देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हैं और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्योगों को जहां कृषि क्षेत्र से आवश्यक कच्चा माल प्राप्त होता है, तो कृषि क्षेत्र को उद्योगों से यातायात के साधन, कृषि उपकरण, मशीनरी व तकनीकी प्राप्त होती है।

कृषि विपणन कुल विपणन का एक छोटा प्रतिरूप है, इसमें उन सारी क्रियाओं तथा रीतियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि किसानों तक पहुंचती हैं तथा किसानों द्वारा उत्पादों को बाजार तक ले जाती हैं, परन्तु विम्बना यह भी है कि जहाँ 1951 में कुछ कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत कृषि तथा कृषि से संबंध गतिविधियों में संलग्न था। विगत कुछ में यह घटकर 50-52 प्रतिशत रह गया है। जो कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था एवं इसके उचित व कुशल विपणन व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिन्तन व विचार का बिन्दु है।

छ.ग. राज्य में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि संबंध क्षेत्रों पर निर्भर है। यहाँ कुल भूमि के लगभग 51 प्रतिशत भाग में कृषि कार्य किया जाता है। प्रदेश में 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें 76 प्रतिशत लघु व सीमांत कृषक हैं। वर्ष 2017 - 18 में जी.एस.पी.डी. में फसल क्षेत्र का योगदान 11.4 प्रतिशत है। छ.ग. राज्य का पहला किसान शापिंग माल राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। अतः छ.ग. राज्य को पूर्णतः कृषि पर निर्भर प्रदेश कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्ययन का उद्देश्य- प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार है -

1. भारत में छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. छ.ग. राज्य में विपणन की दशा एवं दिशा का अध्ययन करना।
3. विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों में स्थानीयकरण के आधार पर कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि करना।
4. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बनाये रखना।
5. सामुदायिक एवं सहकारी विपणन समितियां बनाकर कृषकों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करना।
6. कृषि विपणन हेतु ई-मंच के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार

कृषकों की उपलब्ध कराना।

शोध परिकल्पना :

1. देश में एवं राज्य में कृषि विपणन व्यवस्था सुदृढ़ है।
2. राज्य में कृषकों को कृषि विपणन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।
3. राज्य में कृषि विपणन हेतु कृषि उत्पादों का समुचित भंडारण व्यवस्था है।
4. कृषि उत्पादों को निर्यात अभिमुखी बनाने हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
5. कृषि क्षेत्र को उपयोग का दर्जा देकर औद्योगिक क्षेत्र के साहसियों को भी नये निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

शोध प्रविधि एवं आंकड़ा संग्रहण - शोध प्रविधि का कार्यविधि और उपकरणों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। यह समस्या की प्रकृति उद्देश्यों एवं परिकल्पना का निर्माण का मार्गदर्शन भी करता है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

भू- अभिलेख छ.ग. विभाग द्वारा प्रकाशित द्वितीयक आंकड़े छ.ग. राज्य के द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फसलों के भंडारण परिवहन, विक्रय, मंडियों की सुविधा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गयी है। रासायनिक खाद वितरण किए गए हैं तथा भंडारण व्यवस्था भी किए गए हैं।

छ.ग. राज्य में कृषि एवं कृषक के विकास के लिए अनेक योजनायें तैयार की गईं जिसके कारण छ.ग. राज्य क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी है। छ.ग. राज्य में 2007-07 से धान की खरीदी की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया जाता है तथा 2017-18 में लगभग 8971 हजार मि.टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जिसे प्राप्त कर लिया गया।

प्रदेश में शुद्ध बोए क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर में से 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खाद्यान्न फसल ली जाती है, कुल खाद्यान्न का 83 प्रतिशत भाग में धान उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2015-16 में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1410 रु., ज्वार का 1570 रु. मक्का का 1325 रु., मुंगफली का 4030 रूपये, गेहू का 1450 रूपये रखा गया है।

छ.ग. में कृषि उत्पादों की खरीदी बिक्री के लिए कृषि उपज मंडी संचालित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में छ.ग. में 69 तथा 118 उपमंडी कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा कृषि बाजार के क्षेत्र में नवाचार हेतु किसान शापिंग माल स्थापित किया जा रहा है।

प्रस्तावित अध्ययन में आवश्यक द्वितीयक आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण वर्ष 2016, 2017, 2018 के आधार पर किया गया है। आंकड़ा संग्रहण जिला कृषि अनुसंधान केन्द्र, छ.ग. भू- अभिलेख आयुक्त, छ.ग.

कृषि एवं सहकारिता विभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) जिला सांख्यिकी कार्यालय एवं अधिकारी किसान पोर्टल तथा आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों से प्राप्त किया गया है।

राज्य में कृषि विपणन की संस्याएँ – धान का कटोरा के नाम से विख्यात छ.ग. राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवनयापन कृषि पर निर्भर है। राज्य में जहाँ परम्परागत रूप से धान की खेती की जाती है, इसके साथ-साथ राज्य में गेहूँ, मूँग, चना, अरहर, तिवरा इत्यादि की खेती भी की जाती है। परन्तु वर्तमान में राज्य में कृषि विपणन व्यवस्था में कई प्रकार के दोष देखने में आए हैं। इन दोषों के कारण किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, इससे वे उत्पादन की दिशा में भी हतोत्साहित होते हैं। विपणन व्यवस्था में एक समस्या संग्रहण का भी होता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल संग्रहण के लिए मिट्टी के बर्तन, कच्चे कोठे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे संग्रहण से उपज के सड़ने-गलने, कीटनाशकों, चूहों आदि से नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है। विपणन व्यवस्था में एक कमी परिवहन साधनों की कमी का भी है। विपणन के क्षेत्र में वितरण वाहिकाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना विपणन संभव ही नहीं है, लेकिन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुलभ न होने के कारण बड़ी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं और किसान अपनी फसल आढ़तियों के सहारे बेचने के लिए विवश हैं।

इन सभी परिस्थितियों ने राज्य के कृषकों को निराशा व हताशा के घोर अंधकार में डकेल दिया है और वे अपनी उपजों के समुचित विपणन के अभाव में ऋणग्रस्तता के जाल में फंस जाते हैं और इन सभी के कारण वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को भी मजबूर हो जाते हैं।

अतः आवश्यकता है कि राज्य में एक समुचित व सुदृढ़ कृषि विपणन व्यवस्था की जो न केवल कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रेरित करें बल्कि उनकी उपजों का उचित मूल्य भी दिलाए।

6. कृषि विपणन प्रणाली को उन्नत करने के उपाय / समाधान –

छ.ग. राज्य में कृषि विपणन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के उपायों को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं –

1. नियमित बाजार का संगठन राज्य के किसानों को विक्रेताओं और विचौलियों के शोषण से बचने के लिए स्थापित किया जाए। ऐसे बाजार का प्रबंधन एक मार्केट कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार स्थानीय निकायों, आर्हतियों, विचौलियों और किसानों के प्रत्याशी होते हैं।
2. **अन्तर्राष्ट्रीय मानक व्यवस्था** – कृषि उत्पादों को निर्यात अभिमुखी बनाने हेतु राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को प्रोत्साहित किया जावे।
3. **समुचित भंडारण व्यवस्था** – राज्य में कृषि उत्पादों का समुचित भंडारण अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि छ.ग. में शीघ्र नाशवान उपजों के उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत प्रसंस्करण व भंडारण विशेषकरण शीत भंडारण के अभाव में या तो नष्ट हो जाता है या कृषक अत्यन्त कम मूल्यों पर उनके बलात् – विक्रय हेतु विवश हो जाते हैं।
4. **बाजार सूचना का प्रसार** – राज्य में इस सूचना से किसानों को हाट

के बाजार मूल्यों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

5. **ब्रेडिंग और मानकीकरण** – कृषि विपणन प्रणाली में सुधार की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कृषि उत्पादों के ब्रेडिंग और मानकीकरण पर विशेष प्रयास ना किया जाए। अतः राज्य में इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
 6. **जैविक कृषि को प्रोत्साहन** – राज्य में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने व अति उत्पादन से बचने के लिए उत्पादन मात्रा को अनुकूलित करने हेतु रासायनिक उर्वरकों के अति उपयोग को हतोत्साहित करते हुए जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जावे।
 7. **वित्तीय सहायता** – राज्य के कृषकों में वित्तीय साहस का निर्माण करने के लिए उन्हें अत्यधिक न्यून ब्याज दरों पर कृषकों अवधि के कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाये तभी कृषक अपनी उपजों का सही मूल्य मिलने तक उपजों के विक्रय को रोकने का साहस कर सकेंगे।
 8. **कृषि उत्पाद की मांग में वृद्धि** – करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीयकरण के आधार पर नये कृषि आधारित उद्योगों (तेल, चीनी, मशरूम, लाख, रेशम, चावल, शहद आदि) की स्थापना व विकास को प्राथमिकता में रखा जावे।
 9. **कृषि विपणन के लिए ई-मंच** – राज्य ई-मंच के माध्यम से कृषक अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकते हैं। ई-मंच के माध्यम से कृषि जिसके लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार के विकास को बढ़ावा मिलता है।
 10. **पुराने ऋणों का निपटारा** – राज्य में सर्वप्रथम किसानों के पैतृक ऋणों को खत्म कर देना चाहिये तभी किसानों में उन्नत कृषि की आशा दिखाई दे सकती है।
 11. **कृषकों में शिक्षा का विकास** – चूंकि किसान प्रायः अशिक्षित होते हैं, इसलिए किसान महाजनों के चुंगुल में फंस जाते हैं। अतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- निष्कर्ष** – कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र राज्य की अधिकांश जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है यह राज्य के सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। छ.ग. राज्य में सरकार द्वारा भी कृषि विपणन हेतु कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, विपणन हेतु ई-मंच योजना, राष्ट्रीय साझा बाजार की परिकल्पना आदि। अध्ययन से यह स्पष्ट होती जा रही है, जो किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों के सुरक्षा भंडारण परिवहन एवं विपणन तक की प्रक्रिया को पूरी तरह से संरक्षण दे रहे हैं। जिससे न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, अपितु राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंडियों से रासायनिक खाद का वितरण कम से कम मूल्य पर किया जा रहा है। 'राज्य भंडार गृह निगम' की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कृषि उपकरण, बीज उर्वरक इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि छ.ग. राज्य की विपणन व्यवस्था सुदृढ़ है।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

जीएसटी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव

डॉ. रायकू जामरा *

प्रस्तावना - लगभग 13 वर्ष पूर्व 2003 में केलकर कमेटी द्वारा अप्रत्यक्ष कर पर अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाना चाहिए जो कि वैट कर के सिद्धांतों पर आधारित हो, वर्ष 2006-07 का बजट पेश करते समय पहली बार यह घोषणा की गई कि 01.04.2010 से जीएसटी लागू किया जाना प्रस्तावित है। मार्च 2011 में जीएसटी लाने के उद्देश्य से 115 वॉ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया इसके बाद 08.11.12 को एक नई कमेटी जीएसटी डिजाईन के लिए बनाई गई। इस कमेटी द्वारा जनवरी, 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह संविधान संशोधन विधेयक दिनांक 06.05.15 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। इसके बाद इसे राज्य सभा की कमेटी के पास भेजा गया था। इस कमेटी ने दिनांक 22.07.2015 को इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि पूरे देश में माल (Goods) की बिक्री व सेवा (Service) दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जीएसटी माल के निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता को माल की बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगता है।

जीएसटी में सामान्य तौर पर दो कम्पोनेंट बनाए गए हैं -

1. CGST - Central Goods and Service Tax
2. SGST - State Goods and Service Tax

CGST व SGST दोनों एक साथ लगेगे। संभवतः CGST से जो रेवेन्यु प्राप्त होगा उस पर केन्द्र सरकार का अधिकार होगा तथा SGST जो रेवेन्यु प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। वर्तमान में CST एक्ट के तहत लागू डिवलेयर गुड्स का कन्सैप्ट समाप्त हो जाएगा, मदिरा पर GST लागू नहीं किया जा रहा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (पेट्रोल, डीजल आदि) पर शुरूआत में GST लागू नहीं किया जाएगा लेकिन बाद में इसे भी GST के दायरे में लाने का विचार है। GST में छोटे डीलर्स के लिए कम्पोजिशन स्कीम बनाई गई है। GST लागू होने के बाद पहले 5 वर्षों में जिन राज्यों को रेवेन्यु की हानि होगी, उसकी पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

मोदी सरकार के गठन के सात महीने बाद नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक पेश किया जहाँ इस विधेयक को बहुमत से पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी भारत के कर ढाँचे में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है। जीएसटी लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता

कर, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा।

उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए जाने वाले मूल्य को जीएसटी दो अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। पहला तरीका कर की दरों में बदलाव की वजह से, तथा दूसरा उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में बदलाव द्वारा प्रभावित होता है। कर दर में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है किन्तु उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में परिवर्तन के प्रभाव लागू होने में समय लगेगा। जीएसटी के अन्तर्गत अनाज, दाल, फल, सब्जियाँ, दूध, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को कर के दायरे से बाहर रखा गया है अर्थात् उन पर 0% कर लगेगा ये सभी

वस्तुएँ एक आम परिवार की औसतन मासिक खर्च की 40-50% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी रोजमर्रा की चीजे जैसे- चीनी, कॉफी, खाने का तेल कोयला इन सब को 5% कर वाली सूची में रखा गया है, हालांकि अधिकतर सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया गया है। जो पहले की 14-15% दर से कहीं ज्यादा है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों का आंकलन है कि लगभग 50% वस्तुओं में लगने वाले कर पहले जैसे ही होंगे। लगभग 30% वस्तुओं में कमी हो सकती है। जबकि शेष 20% में कुल कर भार बढ़ने की संभावना है।

नए कर दरों के अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी की वजह से भी एक वस्तु/सेवा पर लगने वाले कुल कर में कमी आएगी। ग्राहक या उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाने वाले मूल्य में भी कमी आएगी। सरकार ने जीएसटी एक्ट में एक प्रावधान जोड़ा है। जिसके अनुसार निर्माता वितरक एवं व्यापारियों के लिए जीएसटी लागू होने के बाद हुई लागत में कमी के हिसाब से मूल्य में कमी करना अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ताओं को वस्तुएँ और सेवाएँ अच्छे दामों में प्राप्त हो सकेगी क्योंकि इसके आने से कालाबाजारी कर नियंत्रण में आसानी होगी और आसान और सहज तरीके से उत्पादों की आपूर्ति हो सकेगी।

यहाँ आम उपभोक्ताओं बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और इंश्योरेंस अथवा बैंकिंग, आदि पर 15% शुल्क या टैक्स लिया जा रहा है। जो अब सेवा क्षेत्रों जैसे- बैंकिंग, बीमा, बिजली, टेलीफोन, कोरियर आदि पर 18% हो गई हैं इन सेवाओं का उपयोग करने पर अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है, जीएसटी से कृषि उत्पादों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बाजार तैयार हो गया है। जिसके सकारात्मक पहलू दिखाई दे रहे हैं। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु खाद पर जहाँ 6% कर लगता था अब जीएसटी के अन्तर्गत उपभोक्ता को 12% कर देना होगा। यद्यपि एक समान कृषि बाजार के बनने के बाद किसानों को इसका लंबी अवधि तक फायदा मिलेगा। टेलिकॉम

सेवाओं पर 14% सेवा कर लगता था किन्तु जीएसटी लागू होने के बाद टेलिकॉम सेवाओं पर 18% कर लगता है। पोस्टपेड मोबाइल फोन प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 1000 रु. से ऊपर के बिल पर 30 रुपये अधिक देने होंगे। वही प्रीपेड उपभोक्ताओं को कम टॉकटाइम मिलेगा। जीएसटी के अंतर्गत ये 12% के अंतर्गत आते हैं। जीएसटी लागू होने के पश्चात् ऑटो मोबाइल कंपनी ने कई सारे करों को जोड़ कर एक कर दिया है। परिणामस्वरूप 1200 सीसी तक छोटी कारों पर 1% सेस+28% जीएसटी लगेगा और 1500 सीसी तक वाहनों पर 3% सेस+28% जीएसटी लगेगा। अर्थात् जो उपभोक्ता छोटी कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए जीएसटी बड़ी सौगात लेकर आया है। जो लोग हाई-पावर इंजन वाली कार खरीदना चाहते हैं। उन्हें अधिक सेस देना होगा।

निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि जीएसटी के लागू होने से आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का त्वरित लाभ नहीं मिलेगा। यद्यपि जीएसटी

का मुख्य मकसद पूरी पारदर्शिता और समान कर प्रणाली को लागू करते हुए उपभोक्ता को सही लाभ पहुँचाना है। उपभोक्ता को सही फायदा पहुँचाने में यह भले ही थोड़ा समय लें, लेकिन भविष्य के लिए यह बेहद उपयोगी है। जीएसटी लागू होने से अंसगठित क्षेत्र भी छोटे हो जाएँगे और उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे। तथा लंबे समय में समस्त भारत के उपभोक्ताओं को जीएसटी से लाभ होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरल टेक्स मासिक समाचार पत्रिका ।
2. गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स रेड्डी रेकोनर ।
3. krishiseva.com
4. gstinindia.in
5. cbgaindia.org.com
6. hindi.oneindia.com

जनजाति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का एक तुलनात्मक अध्ययन

नारायण प्रसाद चौधरी *

शोध सारांश - इस प्रस्तुत आलेख में, भारत देश की विकास की बढ़ती तेज रफ्तार ने, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में दिन-दिन उंचे शिखर को प्राप्त कर रहा है। इसी कामयाबी ने सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को ही नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी अमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह परिवर्तन विद्यालय की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री के बदलते स्वरूप से सामाजिक विज्ञान के रचनावादी, विवेचनात्मक, शिक्षाशास्त्र में और शिक्षण-अधिगम की अंतःक्रिया विधि में, विद्यार्थियों का रचनात्मक-सृजनात्मक चिंतन के लिए सामाजिक विज्ञान के ज्ञान-निर्माण इत्यादि के लिए पाठ्यपुस्तकों की अपनी आधारशिला है। इन पाठ्यपुस्तकों से अन्तर्विषयक उपागमों के साथ अन्य विषय के ज्ञान सीमाओं में समानता एवं वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल की प्रकृति में असमान युक्त-विधि को भी अपनाती है। इससे जनजातीय विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विद्यार्थियों में सांस्कृतिक ज्ञान की अर्थपूर्ण सामाजिक जानकारी को आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक प्रकार से ज्ञान के कौशल अभिवृत्ति में, उन संवैधानिक मूल्यों की नींव को मस्तिष्क में रखना प्रारंभ करती है। यही राष्ट्र के निर्माण में उन नवांकुर विद्यार्थियों के मस्तिष्क को पथ प्रदर्शक भी बनाता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान के ज्ञान और मूल्यों को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के चयन में उन तमाम समकालीन मुद्दों के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से उन समस्याओं को परिचित कराया जाए जैसे-तकनीकी-निरक्षरता, बालश्रम, गरीबी, जनजातीय शिक्षा और सामाजिक विकास की समस्या आदि आदि के मुद्दे हो सकते हैं। जिनकी वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिकता है। जिसे 21वीं सदी में तकनीकी विकास से जनजातीय समाज के सामाजिक स्थिति के बदलते स्वरूप से लिया जा सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान की दो पाठ्यपुस्तकों जो कि एन.सी.आर.टी और म.प्र.राज्य शिक्षा केन्द्र की पाठ्यपुस्तकों को जनजातीय सन्दर्भ में तुलनात्मक रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन में उन सभी सवालों का निष्कर्ष के रूप में इस आलेख प्रतिवेदन में विश्लेषणात्मक अध्ययन का सार प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी - जनजाति, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक, शिक्षाशास्त्र, ज्ञान, मूल्य, सामाजिक रचनावाद, तकनीकी ।

प्रस्तावना - सामाजिक विज्ञान में, विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया एक अंतःक्रिया की समझ पर आधारित है। इसी से उनके मस्तिष्क में ज्ञान के नींव की स्थापित करती है। जिनमें प्राकृतिक और भौतिक तत्वों के उन तमाम विशेषताओं को शामिल किया जाता है, जो उन वास्तविक ज्ञान की प्रकृति से परिचित कराती है। इसी से ज्ञान की रचना में विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षण-शिक्षाशास्त्र की प्रक्रिया को पृथक हिस्सों से जोड़ती है। इस कार्य की भूमिका में पाठ्यपुस्तक सामग्री की होती है। इस प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक से विद्यार्थियों की अंतःक्रिया की समझ का परिणाम ही उनके अनुभवों में नयी रचना करती है। जैसा कि जॉन डीवी (1916) ने लिखा है कि अनुभव ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रयोजनवाद के सिद्धांत के विवरण में है। इस सामाजिक संस्था के अनुभवों को सामाजिक परिवेश जो कि विद्यार्थियों में उन अनुभवों को लेकर अपने नये ज्ञान का सृजन करते हैं। यही रचनावाद उपागम का सिद्धांत भी है। इस प्रकार से ज्ञान व्यक्तिगत तौर पर जरूर निर्माण होता है और इस प्रकार स्वयं ज्ञान के निर्माण की मुख्यधारा में विद्यार्थी की प्रमुख भूमिका होती है। इसीलिए जनजातीय विद्यार्थियों को सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक में उनके स्थानों का होना आवश्यक है।

सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, पृथक विशेषता और ज्ञान - ज्ञान की प्रकृति को किसी भी संकाय में देखा जाए तो उसे वस्तुनिष्ठ रूप में देखा

जाता है। लेकिन ऐसा विज्ञान की संकाय में ही ऐसा देखा जाना संभव है। जहाँ पर कुछ पहले से तय किया जा सकता है और कुछ तय नहीं किया जा सकता। यह तथ्यों के स्वभाव पर ही घटित होते हैं। जिसके पीछे किसी कारण, के होने का पता होता है। इस तरह विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जबकि सामाजिक विज्ञान की संकाय में यह देखा जाता है कि सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का आधार अंतःक्रिया पर, संवाद पर होता है। जो कि किसी घटना के कालक्रमिक संचित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान सभी संकाओं के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें व्यक्ति के समूहों में उन क्रियाकलापों के रूप में व्यवस्थित होता है। यही कारण है कि विज्ञान के ज्ञान को प्रयोगों के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का आधार सामाजिक संवादिता के सिद्धांत पर निर्भर होता है। इसमें वे सभी मूल्यवान मूल्यों का प्रवाह होता है, जबकि विज्ञान के ज्ञान का सार्वभौमिक मान्यता होती है। ये सभी विशेषताएँ सामाजिक विज्ञान की ज्ञान के बारे में प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार से जनजातीय मूल्य भी जनजाति समाज में उनकी संस्कृति में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है जो कि सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का अभिन्न अंग है।

सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का भारतीय पाठ्यक्रम के ज्ञान में - NCF-2005के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को पूरे देश के लिए एक

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) भारत

रूप में ज्ञान के ढाँचे में खड़ा करना है तथा एक रूपता को देने से है। जिसमें सामाजिक विभिन्न विविधताओं को स्थान मिल सके। इसी के मद्देनजर रखकर सामाजिक विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ 'सामान्य केन्द्र' से जोड़ा गया है। इसमें स्थानीय पर्यावरण तथा सामाजिक के सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, उन सामाजिक के सभी मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के मुख्य धारा से जोड़ा गया है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण एन.सी.ई.आर.टी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में देखा जा सकता है। जिसमें उन सभी मूल्यों को एक साथ रखा गया है, जो राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तौर-तरीके को आत्मसात करने के लिए रखा है। इसमें यह बात की भी सुनिश्चित किया है कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम में धर्मनिर्पेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित किया जाये। भारत देश ने विभिन्न देशों के लिए सदैव शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किए हैं। इसी प्रयत्न से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में भी प्रयास किए हैं। अतः सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से संवैधानिक मूल्यों के साथ केन्द्रित किया है। इसी लक्ष्य से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में विद्यार्थियों में आलोचनात्मक-विश्लेषणात्मक मस्तिष्क के साथ नैतिक क्षमता के विकास पर जोर दिया है। ताकि विद्यार्थी सामाजिक शक्तियों से सावधान रह सके जो संवैधानिक मूल्यों को खतरा पहुँचाती है। जनजातिय मूल्य भी संविधान के मूल्यों में ही अन्तःनिहित है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका - शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की तो और ही अधिक क्योंकि इसके बिना सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को कैसे आदर्शात्मक रूप से विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाए इसका एक मानक ज्ञान के साधन के रूप में बहुत ही उपयोगी है। ग्रेव (2000) ने पाठ्यपुस्तकों के बारे में लिखा है कि शिक्षक अध्ययन-अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से तभी बढ़ा सकता है। जब पुस्तक की उपलब्धता बनी रहे क्योंकि शिक्षक कितनी भी सावधानी पूर्वक ज्ञान को क्यों न पढ़ाए, वह उससे कहीं न कहीं उन उद्देश्यों से विचलित होने से रोका जा सके। इससे पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्यों को विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया जा सके और उन लक्ष्यों को भी सीधे प्राप्त किया जा सके जिन्हें शिक्षा नीतियों द्वारा तय किया जाता है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए। मनोवैज्ञानिक क्रम में तर्कपूर्ण व्यवस्थित और सरल भाषा में पुस्तक लिखी होती है। जिससे विद्यार्थियों को सहज ही उन आदर्श उदाहरणों को पाठ्यपुस्तकों से पढ़ कर अपने ज्ञान का सृजन कर सकते हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. और म.प्र.राज्य की सा. विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का तुलनात्मक विश्लेषण - सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. और म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र की कक्षा 8वीं से दो पुस्तकों का चयन किया गया है। इन दोनों पुस्तकों के विश्लेषण हेतु सामाजिक और राजनीतिक जीवन-3 और राज्य की पुस्तक सामाजिक विज्ञान को तीन हिस्सों में विभाजित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं से तुलना की गई है। इसे नीचे दी गई तालिका क्र. - 1 में दिया गया है।

तालिका 1 - (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

इस पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषणात्मक तुलना में जिन्हें शामिल नहीं किया गया। वह अन्य पुस्तकों की श्रेणी में रखा जाता है, उन पुस्तकों का निर्माण

प्राइवेट कं. द्वारा किया जाता है। उन पुस्तकों का मूल्य में भी कई गुना वृद्धि से तय की गयी होती है और उनकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसका उदाहरण द टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 16.02.2017 के समाचार में भी विदित है। उन स्थिति से म.प्र.राज्य शिक्षा केन्द्र की पुस्तकें ठीक साबित हो सकती हैं। लेकिन एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की गुणवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। एन.सी.ई.आर.टी. कि पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधा को म.प्र.राज्य की पाठ्यपुस्तकों को अभी तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन से पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक विज्ञान का ज्ञान निर्माण - जैसा कि पहले, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, पृथक विशेषताएँ और ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक विज्ञान संकाय का ज्ञान प्रकृति विज्ञान के ज्ञान संकाय से अलग होता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का स्वरूप में गुणात्मक पायी जाती है। जबकि विज्ञान के ज्ञान को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, इसमें हेतु-कारक और परख करने की गुंजाइश होती है और सामाजिक विज्ञान में विवेचनात्मक और निर्णयात्मक मुद्दों से परे होता है। इसे देखने के लिए व्यक्ति के द्वारा सामाज में जो अन्तःक्रिया करता है। वहाँ पर संदर्भित ज्ञान के रूप को समझा जा सकता है। व्यक्ति का अनुभव ज्ञान के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। सामाजिक संस्थाओं में भी संवादीय ज्ञान का संचार होता है। इस प्रकार से ज्ञान का सत्यापन भी होता जाता है और ज्ञान में सुधार भी या बदलता रहता है। इसी तरह विद्यार्थियों में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बड़ी होती है। जैसा कि व्यागोत्सकी की सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत से पता चलता है कि शिक्षक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक फेसिलीटेटर की होती है। प्रो. बी. रमेश बाबू (2016) शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को जानना आवश्यक नहीं जितना कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को जानना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता न ही वह वस्तुनिष्ठ होता है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान निर्माण के कई परिप्रेक्ष्य होते हैं। किसे अपनाया जाए? वह इसलिए की सामाजिक विज्ञान का ज्ञान में विवरणात्मकता होती है। सामाजिक विज्ञान में पूर्णतः मूल्य होते हैं। और यदि इसे मूल्यों के आधार पर शिक्षण नहीं किया जाता तब यह सामान्य ज्ञान बन जाता है। इसीलिए शिक्षक को अपनी दृष्टिकोण को और अपनी भावनाओं को एक तरफ छोड़कर सामाजिक विज्ञान को मूल्यों के संदर्भ में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को संज्ञान में रखकर शिक्षण-अधिगम में संचालित करे।

बदलते हुए अधिगम संदर्भ में अधिगमकर्ता की धारणा - सामाजिक विज्ञान शिक्षण-अधिगम का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विषयों पर विवेचनात्मक चिंतन, रचनात्मक-सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। जिससे विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से भलीभाँति परिचित कराया जा सके। इससे विद्यार्थी प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परिक्षण संभव है या नहीं है। यह समझ विद्यार्थियों में सामाजिक रचनावाद के उपागम से सामाजिक विज्ञान की जाँच-पड़ताल कर सके। तथा स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक और विविधता के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ा सके। लेकिन कुछ दशकों से अधिगमकर्ताओं के मस्तिष्क में यह नींव को तैयार किया है कि तकनीकी युग में किताबों के कर्कों से ज्ञान को क्यों ढूँढना इस परिवर्तन की सांस्कृतिक परिवेश में शिक्षण अधिगम की परम्परागत उपागमों के द्वारा रटने-रटाने से मुक्त हो सके। 1992 में शिक्षा

बिना बोझ की होनी चाहिए। इसी दिशा के प्रयास से एन.सी.एफ.-2005 ने रचनावाद के उपागम की कालत किया है। इससे विद्यार्थियों में अपनी पूर्ण समझ के अनुसार ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर तकनीकी के नये आयामों के खोज ने शिक्षा की परिभाषा को ही बदल दिया है। अब डिजिटल-लिटरेसी, डिजिटल-पाठ्यपुस्तकों के प्रति विद्यार्थियों में नयी संवेदनाओं को विकास किया है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के अधिगम के प्रति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अवधारणा को दैन-दिन बदलता जा रहा है।

बदलते सामाजिक विज्ञान के ज्ञान और प्रकृति के संदर्भ में पुस्तक का चुनाव - एन.सी.ई.आर.टी. और म.प्र. राज्य की सामाजिक विज्ञान की दोनों पाठ्यपुस्तकों का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद यह पाया गया कि वर्तमान में सामाजिक बदलते स्वरूप में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की अधिगम में भी परिवर्तन करने की अवश्यकता है, जैसे कि परम्परागत उपागमों में रटने-रटाने की अधिगम सं मुक्त अर्थात् शिक्षा बिना बोझ की अवधारणा को तभी प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक रचनावाद और रचनावाद की सिद्धांत पर पाठ्यपुस्तकों को भी आधारित होनी चाहिए। इस प्रयास हेतु पाठ्यपुस्तकों के चयन हेतु सवोत्तम पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों का चयन करना एक राष्ट्र के शिक्षा में म.प्र. सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

निष्कर्ष - इस प्रस्तुत आलेख में, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, पृथक विशेषताएँ एवं ज्ञान के स्वरूप में प्राकृतिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान का ज्ञान अलग होता है। इसके ज्ञान के स्वरूप में गुणात्मकता होती है, न कि वस्तुनिष्ठता के रूप में परखा जा सके। इसके ज्ञान में विवेचनात्मक और निर्णयात्मक मूल्यों से परे होता है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को अपनी भौगोलिक क्षेत्रीय बंधने होती है। जिन्हें सामान्य रूप से सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें एक सामान्य मनुष्य की तरह सभी मनुष्यों के जीवन को देखा जाता है। इसी को देखते हुए, संवैधानिक मूल्यों में एक आदर्शात्मक रूपरेखा मिलती है। जिसे भारतीय ज्ञान के स्वरूप में पाठ्यचर्या में परिलक्षित होता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के ज्ञान संकाय को पूर्णतः पाठ्यपुस्तकों में बेहतर तरीके से सजाया जाता है। यह आवश्यक इसलिए भी है कि पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ज्ञान और मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सके। इससे विद्यार्थी राष्ट्र के सभी मूल्यों से अवगत होने के साथ-साथ उन्हें जीवन में आत्मसात कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि कभी-कभी शिक्षक कक्षा में भी अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण से बाहर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के उन मूल्यों में मूल-चूल परिवर्तित होकर विद्यार्थियों को उन मूल्यों से वंचित होना

पड़ता है जिसके लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के मूल्यों से पूर्णतः परिचित किया जा सके और आत्मसात कराया जा सके। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों के पृथक होते हुए भी विद्यार्थियों में सामान्य केन्द्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कराया जा सके। वर्तमान संदर्भ में भारत के अधिगम कर्ताओं की धारणा अधिगम के प्रति बदल रही है। इसका प्रभाव कारक तकनीकी भी हो सकता है। परिणामस्वरूप हमें उचित ज्ञान के संदर्भ में उचित शिक्षाशास्त्रों को बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर अपनाना होगा तभी विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों और ज्ञान की समझ में नवाचार संभव है। अन्यथा पाठ्य पुस्तकें ये सब क्रय करने मात्र से, धन कमाने के मात्र साधन के रूप में अपनाया जाएगा। लाभ कमाया जाएगा लेकिन मूल्यों से कोसों दूर हो सकता है। यह कोठारी कमीशन के सुझाव को नज़र अन्दाज करना साबित होगा जिसमें मूल्य संयुक्त शिक्षा प्रणाली के सुझाव को दिया है। अंतिम निष्कर्ष के रूप में सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण के किये जाने के बाद कहा जा सकता है कि जनजाति के संदर्भ में म.प्र.राज्य शिक्षा केन्द्र एवं एन.सी.आर.टी.के पाठ्यपुस्तकों में सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जबकि म.प्र. राज्य की पुस्तक में जनजातीय सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान की विरासत को स्थान दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एन.सी.ई.आर.टी.(2006), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005. एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन: नई दिल्ली
2. एन.सी.ई.आर.टी.(2006), सिलेबस फार क्लासेस एट द एलीमेन्टरी लेवल.वा.-1 एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन:नई दिल्ली
3. एन.सी.ई.आर.टी.(2012), सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-3. एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन: नई दिल्ली
4. एन.सी.ई.आर.टी.(2007), आधार पत्र-1.5, सामाजिक विज्ञान शिक्षण. एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन: नई दिल्ली
5. एन.सी.ई.आर.टी.(2014), बेसिक्स इन एजूकेशन. एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन:नई दिल्ली
6. म.प्र.राज्य शिक्षा केन्द्र (2014), सामाजिक विज्ञान कक्षा-8. मुद्रक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम: भोपाल
7. Sebu, Soyhunlo(2016). Training programme on social science pedagogy for secondary teachers teaching in SC/ST dominated areas in western region, India (report-PAC 16.21). RIE-NCERT: Bhopal
8. Batra, Poonam (2010). Social Science learning in schools Sage publication India PVT Ltd: New Delhi

तलिका क्र.- 1

क्र.	तुलना का आधार	एन.सी.ई.आर.टी.	म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र
1	पुस्तकों की भौतिक संरचना <ul style="list-style-type: none"> कागज की गुणवत्ता छपाई कलर पुस्तकों की बाइंडिंग 	इन पुस्तकों की भौतिक संरचना की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। कागज की गुणवत्ता, छपाई उसके कलर और बाइंडिंग में मजबूती है।	इन पुस्तकों की भौतिक संरचना में काफी अन्तर है- इनके कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं की पीछे की छपाई उस पृष्ठ में न उभर सके, फोन्ट साइज अच्छा है, लेकिन कलर की गुणवत्ता में कमी है और पुस्तकों में मात्र स्टेपलर लगा कर बाइंडिंग की गई है।
2	पाठ्यक्रम	एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यक्रम को अलग से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है।	इन पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यक्रम को संलग्न रूप में पृष्ठ जोड़े गए हैं।
3	पाठ्यवस्तु का माहवार विभाजन	इन पुस्तकों में माहवार कार्य का विभाजन नहीं किया गया।	इन पुस्तकों में विस्तृत रूप से शिक्षण कार्य का माहवार विभाजन किया गया है।
4	शिक्षकों के लिए आरंभिक टिप्पणी	इन पुस्तकों में शिक्षक के लिए आरंभिक टिप्पणियों का विधिवत लेख किया गया है।	इन पुस्तकों में विषयवस्तुवार शिक्षण संकेत को दिए गए हैं।
5	आमुख <ul style="list-style-type: none"> पाठ्यपुस्तक लेख के बारे में उपयोगी होने पुस्तक की विशेषताओं के बारे में 	इन पाठ्यपुस्तकों के लेखन और प्रस्तुतीकरण के बारे में, उपयोगी होने संबंधित विशेषताओं का उल्लेख सामान्य तौर पर किया गया है।	इन पुस्तकों में पुस्तक के बारे में लेखन और प्रस्तुतीकरण और पुस्तक के उपयोगी होने संबंधित बहुत ही अच्छे ढंग में दिया गया है।
6	विषय सूची <ul style="list-style-type: none"> प्रकरण क्रमबद्ध 	इन पुस्तकों के प्रकरणों को क्रमवार, व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। विद्यार्थियों के उम्र के विकास को ध्यान रखा गया है।	इन पुस्तकों में भी इन सभी चीजों की सावधानियाँ को बरती गयी है।
7	विषयवस्तु की भाषा	इन पुस्तकों की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है और इनकी विषयवस्तु की भाषा में मानक भाषाओं के स्तर को उपयोग किया गया है।	इन पुस्तकों के भाषा का मानक स्तर विद्यार्थियों के सहजता और सरलता को ध्यान में रखकर लिखा गया है।
8	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में: <ul style="list-style-type: none"> शिक्षा के उद्देश्य ज्ञानमिमांसा की प्रकृति भाषा सामाजिक सन्दर्भ का संबंध 	इन पुस्तकों के उद्देश्यों को स्पष्ट तौर से देखना है, तो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और आधार-पत्र में पढ़ा जा सकता है। ज्ञान मिमांसा और शिक्षाशास्त्र को भी समझने के लिए शिक्षक को अलग से तैयार मिलता है। भाषा में मानक भाषा का प्रयोग हुआ है। पुस्तकों का सामाजिक संदर्भ को विशेष ध्यान बरीकी से दिया गया है।	इन पुस्तकों के उद्देश्यों को वही बच्चे के समझने के सरल स्तर में दिया गया है कि आइए सीखें। जबकि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को अलग करना कठिन होता है। इन पुस्तकों के ज्ञान मिमांसा की प्रकृति में स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती। भाषा में बहुत कम ही अशुद्धियाँ हैं। सामाजिक संदर्भ से पुस्तकों को बच्चों के स्तर से बहुत अच्छा सजाया गया है।
9	विद्यार्थियों के मानसिक विकास में- <ul style="list-style-type: none"> अभिरूचि अभिक्षमता अभिवृत्ति सृजनात्मक चिंतन उच्च बुद्धि चिंतन सामाजिक रचनावाद सामाजिक मूल्यों 	इन पुस्तकों में बहुत ही अच्छे तरीके से निम्न बिन्दुओं को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों के अभिरूचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, सृजनात्मक चिंतन के लिए बहुत ही अवसर दिए गए हैं तथा उन सभी मूल्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें एक देश के नागरिक में होना चाहिए। और पुस्तकों के शिक्षण अधिगम को ध्यान में रखते हुए रचनावादी उपागम से पुस्तकों को तैयार किया गया है।	इन पुस्तकों के लेखन कार्य में इतनी गहराई से इन बिन्दुओं को शामिल नहीं किया गया जितना की एन.सी.आर.टी. की पुस्तकों में दिखाई पड़ता है। इससे विद्यार्थियों में उन क्रियाकलापों के साथ जुड़कर उन सभी अवसरों में शामिल होने के मौके को खो देते हैं। जिससे उनके अभिवृत्ति क्षमता के विकास में असर पड़ता है और पुस्तकों के शिक्षण-अधिगम में भी उन उपागमों के साथ ताल-मेल नहीं है, जिसे रचनावाद की अवधारणा मिली है।
10	सामाजिक विज्ञान के पुस्तकों के ज्ञान का स्वरूप	इन पुस्तकों के ज्ञान का स्वरूप में विवेचना-त्मकता है। और सामाजिक विज्ञान के बदलते स्वरूप को भी दिखाया गया है। और इसके ज्ञान में संवैधानिक मूल्यों का	इन पुस्तकों के क्षेत्रीय ज्ञान के संदर्भ में तो अन्तर है लेकिन संवैधानिक मूल्यों में समानता पायी गयी है। इन पुस्तकों में सिर्फ विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए उन अवसरों से दूर रखा गया है जैसे सामाजिक के उन संवेदनशील तस्वीरों को

		पुस्तकों में परिलक्षित होता है। तथा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के लिए विशेष अवसर मिलता है।	शामिल नहीं किया गया जितना कि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में शामिल किया गया है।
11	क्रियाकलापों का स्थान: ● समूह कार्य	इन पुस्तकों में विद्यार्थियों को समूह कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के अवसरों से जोड़ा गया है।	इन पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के क्रियालापों को स्थान नहीं दिया गया है।
12	अध्याय का आरंभ	इन पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय को विद्यार्थियों के द्वारा परिचय कराया गया है।	इन पुस्तकों में अध्याय का परिचय को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया।
13	चित्रकथा-पट	इस पुस्तक में समाज से जुड़ी वास्तविक कहानियों को चित्रकथा-पट के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ा गया है।	इस पुस्तक में चित्रकथा-पट का कोई भी स्थान नहीं दिया गया। सिर्फ इसमें साधारण चित्रों को दिखाया गया है।
14	अभ्यास प्रश्नावली ● संकेतिक चिन्हों का प्रयोग ● पूर्व अनुभवों का प्रयोग ● समझ संबंधित प्रश्न ● प्रयोगात्मक प्रश्न ● विश्लेषणात्मक प्रश्नों ● संश्लेषणात्मक प्रश्न ● लघु और उच्च बोध प्रश्न ● परियोजना कार्य	इन पुस्तकों में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के अभ्यास प्रश्न का निर्माण किया गया है। इनमें मूर्त चिंतन से सामाजिक मुद्दों को अमूर्त चिंतन के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसरों को स्थान दिया है। इसके अलावा उन्हें परियोजना कार्य के लिए भी अलग से स्थान दिया गया है। जिसमें पोर्टफोलियो बनाकर अपने प्रगति के बारे में जानने का भी अवसर देता है।	इन पुस्तकों में प्रश्नावली के विभिन्न उद्देश्यों को रखकर प्रश्नों का निर्माण किया है, जिसमें उन तमाम प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सके। लेकिन इसमें विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के मूल्यांकन का स्थान नहीं दिया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों को परियोजना कार्य जैसी गतिविधि को अलग से विवरण नहीं है। निश्चित ही संबंधित विषयवस्तु से है।

वर्तमान में महात्मा गाँधी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. वसुधा अग्रवाल *

प्रस्तावना - 'ॐ ईशा वास्यमिदम, सर्व यत्किंचित

ईशोपनिषद् का प्रथम मन्त्र महात्मा गाँधी जी के आर्थिक विचारों को बड़ी अच्छी तरह से व्यक्त किया है। अर्थात् यह समस्त जगत या जिसमें जो कुछ भी है, ईश्वर से परिपूर्ण है। इसका त्याग के साथ उपभोग करो। जो कुछ दूसरे का धन या भाग है; उसका लालच मत करो। आत्मशुद्धि के लिए धन का संग्रह करना उचित नहीं है। यह आवश्यक है कि जीवन को बनाए रखने के लिए हमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। परंतु ये भौतिक आवश्यकताएँ ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है प्रत्येक समाज उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। इस कारण समाज के अंदर और बाहर प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता प्रारंभ हो गई है। पूंजीपति और जमींदार गरीबों का शोषण करते हैं, समाज में वर्ग संघर्ष होता है, प्रत्येक राष्ट्र नये बाजारों की खोज में समाजवाद और युद्ध को जन्म दे रहा है। महात्मा गाँधी जी के अनुसार यही आधुनिक सभ्यता का भविष्य अंधकारमय है। सच्ची सभ्यता वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने में नहीं, वरन् अपनी इच्छाओं को सीमित करने में है। गाँधी जी ने प्राकृतिक जीवन मतलब प्रत्येक वस्तु का त्याग के साथ उपभोग करो तथा गाँव के जीवन पर अधिक बल देते थे।

भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाँधी जी प्रत्येक मनुष्य के लिए शारीरिक परिश्रम करना आवश्यक मानते थे। श्रम करके ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करता। महात्मा गाँधी जी शांति से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और वर्ग संघर्ष को हटा देना चाहते थे। मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास करते हुए कि 'प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकतानुसार मिले' समाज में आर्थिक समानता हो, महात्मा गाँधी क्रांति, श्रमिकों की तानाशाही और पूंजीपतियों की समाप्ति में विश्वास नहीं करते थे। वे सारा काम अहिंसा सत्याग्रह द्वारा, पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन कर, उनमें लोक सेवा की भावना जाग्रत कर नये समाज का निर्माण करना चाहते थे।

1. गृह उद्योग - भारतवर्ष ग्रामों का देश है, इसलिए वे ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल खादी, वरन् गृह उद्योगों पर जोर देते थे, जिससे भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन, रहने के लिए मकान, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हो सके। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे मशीन या सभी बड़े - बड़े उद्योगों के विरुद्ध थे। वे गाँव में बिजली चाहते थे, जिससे वहां गृह उद्योग विकसित हो सकें। कुंजी उद्योगों पर वे राज्य का स्वामित्व चाहते थे। जिससे इन उद्योगों पर राज्य के द्वारा श्रमिकों का ही स्वामित्व रहे। लेकिन 'मैं इन धनिकों को बल के द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित न करना चाहूंगा। मैं इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में इनका सहयोग चाहूंगा।'

2. औद्योगिकीकरण - गाँधी जी औद्योगिकता और बड़े पैमाने के उत्पादन के विरुद्ध थे, क्योंकि इस औद्योगिकीकरण से ही संसार में उपनिवेशवाद शोषण और बेकारी प्रारंभ हुई है। अधिकतर मनुष्यों को अपने श्रम पर निर्भर होना चाहिए और मशीनों का प्रयोग केवल आवश्यकता पूर्ति के लिये होना चाहिए लाभ के लिए नहीं। साथ ही उत्पादन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक स्थान में रहने वालों की आवश्यकताएँ अपने क्षेत्र के उत्पादन से पूर्ण हो सके।

3. आध्यात्मवाद - गाँधी जी के आर्थिक विचार नैतिकता और आध्यात्मवाद से परिपूर्ण थे। आध्यात्मिकता के लिए वे वस्तुओं का त्याग के साथ उपभोग करना आवश्यक समझते थे। इसी कारण वे वस्तुओं का समान वितरण चाहते थे और पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें लोक सेवक और समाज का द्रुष्टी बनाना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है जिसके कारण समाज में संघर्ष और शोषण समाप्त हो जाएगा। श्रम से व्यक्ति की गरिमा स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वर्तमान औद्योगिक युग में उत्पादन की प्रक्रिया विशाल कारखानों और बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा संचालित होती है। फलतः आज आर्थिक शक्ति थोड़े से हाथों में केन्द्रित हो गई है। पूंजीवादी उत्पादन की इस पद्धति (जिसका परिणाम आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है) में और लोकतंत्र में (जिसकी अपेक्षित शर्त राजनीतिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है) कोई साम्य नहीं है। गाँधी जी को आधुनिक उत्पादन की पद्धति से इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि उसमें श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया है। फलतः श्रमिकों में बेकारी की वृद्धि हुई है। उत्पादन प्रक्रिया में अत्याधिक विकेन्द्रीयकरण हो जाने से उत्पादित वस्तुओं के वितरण की समस्या जटिल हो गई है। इस कारण पूंजीपति मजदूरों को औद्योगिक राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को शोषण करने लगे। परिणामतः धन थोड़े से हाथों में केन्द्रित हो जाता है और अंततः एक छोटा सा पूंजीपति वर्ग राजनैतिक सत्ता पर हावी हो जाता है। इसीलिये गाँधी जी ने उसके स्थान पर आर्थिक विकेन्द्रीयकरण का सिद्धांत बनाया।

4. विकेन्द्रीकरण - आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण से गाँधी जी का आशय यह था कि बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का उन्मूलन किया जाए तथा उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धन्धों को स्थापित किया जाये। गाँधी जी उद्योग धन्धों को नये वैज्ञानिक आविष्कारों से वंचित नहीं रखना चाहते थे। उनका कहना था कि बिजली, भाप छोटी - छोटी मशीनों का प्रयोग तो होते रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसे साधन हैं जो व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं तथा उनमें समय और श्रम की बचत होती है। व्यक्ति को मशीनों का प्रयोग वहां तक करना चाहिए जहां तक वह मशीनों का दास न बना जाए और उसके फलस्वरूप उसकी अकर्मण्यता में वृद्धि न हो।

5. कुटीर एवं लघु उद्योग – गाँधी जी ने कुटीर उद्योगों के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। खादी कुटीर उद्योग का ही प्रतीक है। चरखे का पुनरुत्थान गाँधी जी की एक बहुत बड़ी देन है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। इस आंदोलन में निहित मूल भावना यह थी कि लोग अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करके अपने देश के श्रमिकों तथा शिल्पियों की सेवा करें। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग को महत्व देने का उद्देश्य है श्रमिकों की सेवा करना जबकि बड़े उद्योगों की पैदा वस्तुओं का प्रयोग करने का अर्थ है। शोषक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। ऐसे उद्योगों के लिए मशीनें विदेशों की महंगी होने के कारण मांगने से व्यय की बचत तो होगी ही साथ ही देश आत्मनिर्भर भी होगा। बड़े उद्योगों को कुटीर उद्योगों का सहायक बनना चाहिये।

6. निजी संपत्ति प्रणाली – गाँधी जी ने निजी संपत्ति की प्रणाली को उचित ठहराया। उनका कहना था कि समाज को उन लोगों की सेवा से वंचित रखना उचित नहीं है, जिनमें धन को संग्रह करने की क्षमता है। इसके बावजूद गाँधी जी निजी संपत्ति के अनियंत्रित अधिकार को कभी स्वीकार नहीं किया उनका कहना था कि अपने पास केवल उस मात्रा में निजी संपत्ति रखनी चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

7. कर व्यवस्था – कर व्यवस्था के संबंध में गाँधी जी का मत था कि यथा संभव कर मुद्रा के रूप में एकत्र न किया जाए बल्कि श्रम के रूप में किया जाए। ऐसा करने से लोगों में समाज एवं राष्ट्र की भावना का विकास होगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था में रूपये जैसे का लेखा जोखा रखने की जटिल प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलेगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय जनता को होगा वर्तमान कर व्यवस्था में कर दाताओं को अपने द्वारा दिए गए करों का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता है।

8. संरक्षता या प्रत्यास सिद्धांत – महात्मा गाँधी जी समाज में व्याप्त विषमता को मिटाना चाहते थे, व्यक्तिगत संपत्ति का अंत चाहते थे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गाँधी जी ने 'संरक्षता' का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में भारी संपत्ति मिली है अथवा किसी ने व्यापार उद्योग के लाभ से भारी मात्रा में धन एकत्रित किया है, तो वह संपूर्ण संपत्ति वास्तव में उस व्यक्ति की न होकर समाज की है, अतः यह उचित होगा कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति का संचय किया है वह स्वयं को संपत्ति का स्वामी न समझ कर ट्रस्टी समझे। संपत्ति उसके पास रहे वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उसमें से वाजिब खर्च करें और अवशिष्ट संपत्ति को समाज की धरोहर समझे जिसका उपयोग समाज के लिए ही होना चाहिए। सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक संपत्ति पर ही व्यक्ति अपना अधिकार समझे और धन का भाग संपूर्ण राष्ट्र को मानते हुए सभी के कल्याण पर खर्च करने को हृदय से तत्पर रहे।

9. अर्थशास्त्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण – गाँधी जी ने आर्थिक विचारों को नैतिक आधारशिला प्रदान की। उन्होंने कहा कि सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी उच्चतम नैतिक मापदंड के विरुद्ध नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र, जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर आघात करता है, अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। मनुष्य अपने लिये भौतिक लाभ की आशा से ही कर्म करने को प्रेरित हो इस प्रकार का विचार पतन की ओर ले जाने वाला है। गाँधी जी ने मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का आधार धर्म को नहीं, वरन् प्रेम को बनाया और कहा कि मालिक अपने नौकर से जितना काम प्रेमपूर्ण व्यवहार से ले सकता है उतना आर्थिक प्रलोभन या दबाव से नहीं।

10. आदर्श समाज कृषि प्रधान – गाँधी जी के अनुसार जो समाज

अपरिग्रह और शरीर – श्रम के आदर्शों पर स्थापित किया जाएगा, वह कृषि प्रधान होगा और ग्रामीण सभ्यता को अपनाएगा। आर्थिक जीवन में शोषण, पूंजीवाद और मालिक नौकर के बनावटी संबंधों का अंत हो जायेगा। अहिंसक सभ्यता का विकास स्वावलम्बी गांवों के आधार पर ही हो सकता है किन्तु गाँधी जी ऐसे सादे औजारों और मशीनों का स्वागत करते थे, जो बिना बेकारी बढाए लाखों ग्रामीण के बोझ को हल्का करते हैं और जिनको गांव के निवासी स्वयं बना सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं। कृषि उत्पादन द्वारा ग्रामीण उद्योग धंधों का विकास होगा घरेलू उद्योग धन्धों से कृषि के साथ – साथ नैतिक शारीरिक आर्थिक लाभ होगा।

11. आदर्श समाज में खेती सहकारी ढंग से होगी – गाँधी जी का मत था कि खेती स्वेच्छा पर आधारित पद्धति से होना चाहिए। गाँधी जी की सहकारिता की धारणा यह थी कि जमीन किसानों के सहकारी स्वामित्व में हो। इससे श्रम पूंजी और औजारों आदि की बचत होगी। भूमि के स्वामी सहकारिता से कार्य करेंगे और पूंजी, औजार पशु बीज इत्यादि के सहकारी स्वामी होंगे। उनकी धारणा थी कि सहकारी कृषि देश का रूप बदल देगी और किसानों के बीच से निर्धनता और आलस्य को दूर कर देगा।

12. आदर्श समाज में स्वदेशी का आदर्श अपनाया जायेगा – सत्याग्रही, स्वावलम्बी गांवों का यह जनतंत्रवादी संघ स्वदेशी के आदर्श को अपनायेगा और शायद ही उसे दूसरे देशों से व्यापार करना पड़ेगा। संघ के प्रत्येक गांव स्वदेशी का आदर्श अपनाएगा और दूसरे स्थानों से उनका व्यापार केवल ऐसी आवश्यक वस्तुओं के लिए होगा जिनको वे स्वयं पैदा नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रदेशों और जिलों में भी एक दूसरे से बहुत व्यापार न होगा।

13. भारतीय ग्राम्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण – गाँधी जी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में जिस रूप की सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, उससे भारतीय ग्राम्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। यह संभव है कि उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था अन्य देशों के संदर्भ में समुचित न प्रतीत हो, किन्तु भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में यह व्यापारिक एवं उपादेय है।

14. ग्राम समाज की स्थापना के समर्थक – ऐसे ग्राम्य समाजों की स्थापना का समर्थन करते थे, जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों तथा जिनमें प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक भावना से श्रम करे। उत्पादित माल का उपभोग सामूहिक हो। अतिरिक्त उत्पादन द्वारा राज्य के कर चुकाए जाए तथा ग्रामीण जनता की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके यथा चिकित्सा, शिक्षा आदि। यहां तक कि विवाहादि उत्सवों का व्यय भी सार्वजनिक रूप से किया जाए। ग्रामीणों के पुराने ऋणों का भुगतान ग्राम समाज करेगा और कोई भी व्यक्ति नये ऋण नहीं ले सकेगा।

निष्कर्ष – आधुनिक युग में जितने भी राजनेता और विचारक हुए उनमें गाँधी जी का स्थान निःसंदेह महत्वपूर्ण है। उन्होने आज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषमताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और बताया ये आर्थिक विषमताएँ इसलिये हैं क्योंकि समाज में सर्वत्र असत्य एवं हिंसा का बोलवाला है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिये उन्होने जिन सिद्धांतों की रचना की, उनमें सत्य और अहिंसा के ऊपर बहुत अधिक बल दिया। उनका आदर्श स्वप्नलोक भले ही लगे, परंतु यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि वह मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। उन्होंने मानव जाति के विकास के लिए नयी दिशा प्रदान की है। फलतः उनका प्रभाव आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु विश्वव्यापी है। उन्होने

व्यक्ति के महत्व तथा शक्तियों में हमारे विश्वास को पुनः जाग्रत किया है। उन्होंने शताब्दियों से सोई हुई भारतीय जनता को मुक्ति संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। उन्होंने देश में स्वस्थ राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए आवश्यक समझा कि देश को साम्प्रदायिकता के दानव से भी मुक्ति दिलायी। वर्तमान औद्योगिक युग में आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित न हो इसके लिए आर्थिक विकेन्द्रीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित कर कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देकर स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेरे सपनों का भारत - महात्मा गाँधी ।
2. यंग इण्डिया - महात्मा गाँधी ।
3. भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास - डॉ. रामगोपाल शर्मा ।
4. गाँधी धर्म और समाज - शम्भूरत्न त्रिपाठी ।
5. गाँधी और गाँधीवाद - पट्टाभिषीता रम्मैया, हिंदी रूपांतर: वेदराज वेदलंकार ।
6. गाँधीवाद की रूपरेखा - रामनाथ 'सुमन' ।
7. Mahatma Gandhi - Jones Stanley
8. Mahatma Gandhi - Romain Rolland

राष्ट्रीय आंदोलन में हिन्दी भाषा का योगदान

डॉ. जे. के. संत * डॉ. माया पारस **

प्रस्तावना – उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में भावनात्मक संदर्भ की क्रांति हुई उस समय देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीति स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी। देश में होने वाले आन्दोलनों से जन-जीवन प्रभावित हो रहा था, भारत की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक भाषा की आवश्यकता सामने आई। इस आवश्यकता के सन्दर्भ में डॉ० अम्बा शंकर नागर का मन्तव्य उद्धरणीय है- सन् 1857 का आन्दोलन दासता के विरुद्ध स्वतंत्रता का पहला आन्दोलन था। यह आन्दोलन यद्यपि संगठन और एकता के अभाव के कारण असफल रहा, पर इसने भारतवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न कर दी आगे चलकर जब भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्वतंत्रता के लिए संगठित प्रयत्न आरंभ हुए तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना एक सामान्य भाषा के देश में संगठन होना असंभव है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाजिक, धार्मिक ही नहीं राजनीतिक आंदोलनों में हिन्दी मुख्य भाषा सिद्ध हुई इस प्रकार हिन्दी को व्यापक जनाधार मिला भावना जगाने हेतु हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। आधुनिक हिन्दी के निर्माता भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र की भाषा के सम्बन्ध में लिखी गई ये पंक्तियां- आज के दिन हमारे लिए अभूतपूर्व प्रेरणा के संदेश दे रही हैं- 'निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिरत न तन को मूल। यद्यपि हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं फिर भी हिन्दी हमारे देश की ऐसी भाषा है, जो प्रायः सारे देश में समान रूप से व्यवहार में लाई जाती है। इस संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देशवासियों को उद्धोधन करते हुए एक बार यह ठीक ही कहा था जैसे अंग्रेज अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में बोलते हैं और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को भारतमाता की एक भाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। जिसके परिणामस्वरूप ही राष्ट्रीय आन्दोलन में सफलता हासिल हुई।

राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रमुख व्यक्तियों के योगदान -

1. **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक** - उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है, जो राष्ट्रभाषा की पदाधिकारी है उन्होने हिन्दी विषय में कहा- 'हिन्दी राष्ट्रभाषा बन सकती है, मेरी समझ में हिन्दी भारत की सामान्य भाषा होनी चाहिए यानी समस्त हिन्दुस्तान में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए।' भारत वर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा की स्थापना करना है क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। समान भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाना चाहते

हैं, तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। इस तरह राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा जिसके परिणामस्वरूप ही हमें आजादी मिली।

2. **लाला लाजपतराय** - लाला लाजपतराय विशेष उग्र और क्रांतिकारी नेता थे, उनके द्वारा हिन्दी में भाषण देने से जन सामान्य विशेष रूप से आन्दोलित होते थे, वे हिन्दी भाषा के माध्यम से भारत को एक सूत्र में बाँधना चाहते थे। निश्चय ही लाला लाजपतराय महान हिन्दी प्रेमी और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। जिसके माध्यम से ही जन-जन तक अपनी बात पहुँचाकर राष्ट्रीय आन्दोलन में सफलता अर्जित की गई।

3. **मदन मोहन मालवीय** - उन्होंने हिन्दी भाषा के विषय में रूप से कहा था कि - राष्ट्रीय शिक्षा अपनी उत्तमता के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकती जब तक जनता की मातृ भाषा अपने उचित स्थान पर शिक्षा के माध्यम तथा सर्वसाधारण के व्यवहार के रूप में स्थापित न की जाए। उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में हिन्दी के लिए प्रबल संघर्ष किया। राजा शिव प्रसाद सितारे- हिंद के साथ न्यायालय में हिन्दी और देवनागरी के लिए जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने कहा था कि जनता को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय की भाषा हिन्दी होनी चाहिए न्यायालयों में हिन्दी को स्थान दिलाने का श्रेय मालवीय जी को है। उसकी प्रेरणा से देश में हिन्दी के प्रति प्रबल अनुराग और राष्ट्रीयता का भाव जगा है। जो हिन्दी भाषा बोलने व समझने वालों के लिए वरदान साबित हुआ। जिसका राष्ट्रीय आन्दोलन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

4. **महात्मा गाँधी** - महात्मा गाँधी ने सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इन्दौर के अधिवेशन में हिन्दी- प्रेम प्रकट करते हुए आह्वान किया था कि आप हिन्दी को भारत का राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य-पालन करना चाहिए। गाँधी जी की दृष्टि में हिन्दी ही भारत की संपर्क भाषा के रूप में आदर्श भूमिका निभा सकती है, उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं को हिन्दी-प्रयोग की अनूठी प्रेरणा दी, वे हिन्दी को राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता की प्राप्ति और सांस्कृतिक उत्कर्ष मानते थे। उन्होने हिन्दी को साधन और साध्य दोनों रूपों में अपनाया था। महात्मा गाँधी में हिन्दी प्रेम और प्रचार-प्रसार के विषयों में डॉ. राम विलास शर्मा का कथन विशेष रूप में उल्लेखनीय है- दक्षिण भारत में गाँधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिन्दी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ही राष्ट्रीय आन्दोलन में सफलता हाँसिल हुई।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, राजनगर (म.प्र.) भारत

5. **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन** – मैं हिन्दी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ-साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के लोग ही न समझे बल्कि उसे देश के सभी प्रान्तों में सुगमता से पहुँचा सके। जो राष्ट्रीय आन्दोलन में सफलता के लिए वरदान साबित हुई। मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी शख्स अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरक्की कर सकता है, कोई भी जंग जीत सकता है।देश भर को बाँधने के लिए भारत के भिन्न-भिन्न हिस्से एक दूसरे से संबंधित रहे उसके लिए हिन्दी की जरूरत है।

6. **राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी भाषा के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के योगदान** – ब्रम्ह समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, साथ ही कालेलकर सेठ, गोविन्द दास आदि संस्थाओं की भूमिका से राष्ट्रीय आन्दोलन में आशा की किरण जगमगाई, इन संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय भाव जगाने के लिए हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया।

7. **राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी भाषा के माध्यम से साहित्यिक संस्थाओं के योगदान** – भारतेन्दु मण्डल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास,

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि ये संस्थाएं आज भी हिन्दी के प्रसार-प्रचार के साथ हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में लगी है एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक प्रेरक का कार्य किए।

निष्कर्ष – राष्ट्रीय आंदोलन में भाषाओं का योगदान तो रहा ही, बल्कि साथ ही साथ जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। एक भाषा ही हम में तहजीब का विकास करती है, इसी कारण सभी देशों की अपनी एक मूल भाषा होती है, जिसका सम्मान करना देशवासियों का कर्तव्य है। माना कि भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है लेकिन इस साधन में वो बल है, जो दुनिया को बदल सकता है, विभिन्नताओं के बीच एक भाषा ही है, जो एकता का आधार बनती है और हम सभी को इस एकता के साधन का सम्मान करना चाहिए। हम हिन्दुस्तानियों को हिन्दी भाषा का सम्मान देना हमारा कर्तव्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वेब साइट।
2. प्रतियोगिता दर्पण।
3. दैनिक भास्कर।
4. स्वविवेक।

कार्ल मार्क्स और उनके विचारों की प्रासंगिकता – एक अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी *

प्रस्तावना – कार्ल मार्क्स का नाम विश्व के उन महानतम चिंतकों में बड़े आदर से लिया जाता है, जिन्होंने न केवल विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया वरन् उसे परिवर्तित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त कीं। मार्क्स ने समाज की परिचालक शक्ति का सूक्ष्म विश्लेषण किया। उन्होंने इसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया कि एक समतामूलक समाज की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उन्होंने समन्वित रूप में अपने सिद्धान्तों को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। वैसे तो समाजवादी विचारधारा के सूत्र प्राचीन यूनानी विचारों में भी ढूँढ़े जा सकते हैं, किन्तु विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में इसे विकसित करके इसके सिद्धान्तों को वैज्ञानिक सिद्धान्तों का स्वरूप देने का सराहनीय कार्य व्यवस्थित रूप में मार्क्स ने किया।

मार्क्स के विचारों की पृष्ठभूमि – कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन् 1818 को जर्मनी में एक तटीय प्रदेश राइनलैण्ड के छोटे से नगर ट्रिज्ज में हुआ था। उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय तथा जेना विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण की तथा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन काल में ही मार्क्स क्रान्तिकारी विचारों की ओर आकर्षित हो गए थे। सन् 1845 ई. में वे फ्रांस में फ्रेडरिक एंगेल्स के सम्पर्क में आए। दोनों की मित्रता जीवनभर बनी रही तथा दोनों ने मिलकर वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्तों का विकास किया। मार्क्स के समय में औद्योगिक क्रान्ति का पर्याप्त विकास हो गया था। उत्पादन प्रक्रिया में आए परिवर्तनों से समाज में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहे थे। मार्क्स ने अनुभव किया कि समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक पूँजीपति वर्ग है, जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है तथा दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग है, जिसके पास श्रम करने की क्षमता है किन्तु जिसका शोषण पूँजीपति वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य भी पूँजीपतियों के पक्ष में उनका सहायक है तथा श्रमिक वर्ग के शोषण में अपनी भूमिका निभा रहा है। मार्क्स ने इन परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया तथा इसमें से अपने वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तों का विकास किया।

मार्क्स की प्रमुख रचनाएँ एवं उनका संदेश – मार्क्स की रचनाओं में द पावर्टी ऑफ फिलासफी, द क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी, वेल्यू पाइज एण्ड प्रोफिट आदि के नाम लिये जाते हैं। द कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो तथा दास कैपिटल मार्क्स और एंगेल्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। सन् 1948 में मार्क्स तथा एंगेल्स ने अपनी युगान्तकारी कृति द कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो की रचना की। इसे साम्यवाद की बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। सेबाइन ने इसे 'सभी युगों की क्रान्तिकारी कृतियों में से एक' माना है। इसी कृति में दुनिया के श्रमिकों से एक होकर विद्यमान सामाजिक स्थितियों को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने तथा साम्यवादी क्रान्ति की सम्भावना को साकार करने के

लिए आवाहन किया गया है। ये ही साम्यवादियों के दूरगामी लक्ष्य हैं। इन्हें पूरा करने के लिए ही विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में साम्यवादी क्रान्तियाँ हुईं। एक समय में इन क्रान्तियों ने मानव जाति के समक्ष बड़ी आशाएँ जगाई थी किन्तु कालान्तर में व्यावहारिक धरातल पर ऐसा प्रतीत होने लगा कि साम्यवादी समाज की स्थापना का स्वप्न उस रूप में पूरा नहीं हो सका है जैसी कि मार्क्स ने कल्पना की थी। साम्यवादी दल के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के कई दशकों बाद भी तथा साम्यवादी दल के नेतृत्व में शासन की तानाशाही के कठोर दमन चक्र के बाद भी क्रान्ति का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। यह स्थिति इस विश्लेषण की माँग करती है कि क्या एक समतामूलक समाज की स्थापना का मार्क्स का स्वप्न केवल एक स्वप्न बनकर ही रह जाएगा? अथवा क्या मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं?

मार्क्स के क्रान्ति विषयक विचार और साम्यवाद का लक्ष्य – साम्यवादी क्रान्ति मार्क्स का वह स्वप्न था, जिसके लिए उन्होंने जीवनभर अथक संघर्ष किया। मार्क्स की निश्चित मान्यता थी कि वर्ग संघर्ष और क्रान्ति इतिहास की नियामक शक्तियाँ हैं। क्रान्ति का आशय मात्र सत्ता का अधिग्रहण नहीं है वरन् समग्र वैचारिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन से है।

मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूँजीवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली क्रान्ति है। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। जब श्रमिक वर्ग इसे भलीभाँति समझ जाता है तो वह क्रान्ति के लिए संगठित हो जाता है। पूँजीपति वर्ग लाभ कमाने की आकांक्षा से प्रेरित होता है। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वह अधिकतम उत्पादन करवाना चाहता है। पूँजीवादी व्यवस्था में बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग की क्रय-शक्ति दिन-पर-दिन घटती जाती है। इस स्थिति में उत्पादित माल की खपत नहीं हो पाती है। उत्पादित माल गोदामों में जमा रह जाता है। स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में उत्पादन को कम करना पड़ता है। उत्पादन में कमी आने पर श्रमिकों की छंटनी होने लगती है। इससे भी सर्वहारा वर्ग क्रान्ति के लिए प्रेरित होता है। इसके अतिरिक्त पूँजीपतियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता भी सर्वहारा वर्ग को क्रान्ति के लिए प्रेरित करती है। इसके कारण छोटे पूँजीपति बाजार में टिक नहीं पाते हैं तथा असफल होकर सर्वहारा वर्ग में आने के लिए विवश हो जाते हैं। जब सर्वहारा वर्ग श्रमिक संघों के माध्यम से संगठित हो जाता है तब वह हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा पूँजीवादी राज्य के स्थान पर सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना करता है।

इस साम्यवाद में पूँजीवादी व्यवस्था के अवशेषों को समाप्त किया जाता है। सर्वहारा के शासन में उत्पादन और वितरण व्यवस्था पूरी तरह

समाजवादी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालित की जाती है। श्रमिक विरोधी वर्ग नष्ट हो जाता है। श्रमिक वर्ग ही शासक होता है तथा यही वर्ग शासित भी होता है। सर्वहारा का सर्वहारा के लिए सर्वहारा वर्ग के द्वारा शासन की इस अवस्था में क्योंकि एक ही वर्ग अस्तित्व में रहता है इसलिए वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में दमन और शोषण की समाप्ति हो जाती है, इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करता है। सबकी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं इसलिये यह अवस्था एक साम्यवादी अवस्था है।

कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता – मार्क्सवादी क्रान्ति की सफलता और उपलब्धियों का गौरवशाली इतिहास विश्व के सम्मुख है। 19वीं शताब्दी में समाजवादी चिन्तन ने पूरे विश्व में वैचारिक जगत को उद्देलित कर दिया था। 20वीं शताब्दी में रूसी क्रान्ति ने तथा पूर्वी यूरोप एवं चीन में हुई महान क्रान्तियों ने पूरे विश्व में क्रान्ति का वातावरण बना दिया था। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में अनेक राज्यों में मार्क्स को नए युग का ईश्वर माना जाने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्त सर्वहारा के हाथों में अपनी युगों-युगों की दासता की बेड़ियों को काटकर फेंक देने का अचूक उपाय सिद्ध होंगे। लेकिन साम्यवादी क्रान्ति विश्व के विभिन्न राज्यों में सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवस्था से आगे न बढ़ सकी। व्यावहारिक धरातल पर क्रान्ति के सूत्र भी सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली साम्यवादी दल के हाथों में आ गए। प्रत्येक को अपनी आवश्यकतानुसार तथा प्रत्येक से क्षमतानुसार का स्वप्न एक स्वप्न बनकर ही रह गया। वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की कल्पना भी साकार नहीं हो सकी। सर्वहारा के अधिनायकत्व में हुई व्यापक हिंसा ने भी साम्यवादी क्रान्ति के प्रति पूरे विश्व में अस्वीकृति के स्वरो को बल दिया।

यद्यपि ये सभी आक्षेप निराधार नहीं हैं किन्तु फिर भी यह प्रश्न सर्वथा त्याज्य नहीं है कि क्या एक समतामूलक समाज की स्थापना स्वप्न सदैव स्वप्न ही बना रहेगा ? क्या राज्य कमजोर वर्गों के संरक्षक होने की घोषणा करके भी सदैव पूंजीपति वर्गों का ही संरक्षक बनकर उन्हीं के इशारों पर चलता रहेगा ? क्या क्रान्ति सदैव हिंसा और कठोर दमनकारी उपायों से ही सम्भव हो सकेगी ? ये तथा ऐसे ही अन्य अनेक प्रश्न हैं जो निश्चित उत्तर की माँग करते हैं। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के विकास में ही आत्मविनाश के बीज निहित हैं जो साम्यवादी क्रान्ति को अनिवार्य बना देते हैं। सर्वहारा की तकलीफें ही उसे क्रान्ति के लिए संगठित और सक्रिय करती हैं। अंततः इसी के कारण सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना होती है।

इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के अपार और असहनीय कष्ट ही वह मूल

कारण हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। मार्क्स के विश्लेषण ने, उनके सिद्धांतों ने तथा उनके द्वारा किए गए क्रान्ति के आव्हान ने पूरे विश्व में इसके पक्ष में सघन वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त की कि सर्वहारा वर्ग सदैव दमित नहीं रहेगा। अतः उसके कष्टों के निदान खोजे ही जाने चाहिए। मार्क्सवाद की यह भावना आज भी प्रासंगिक है। आर्थिक दृष्टि से ऐसी व्यवस्था की कल्पना कि जिसमें कमजोर वर्ग के हितों का ही मुख्य रूप से संरक्षण हो जिसके लिए मार्क्स ने क्रान्ति का आव्हान किया था वह आज भी प्रासंगिक है। यद्यपि यह बात सत्य है कि मार्क्स ने सम्पूर्ण विद्यमान सामाजिक स्थितियों को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए पूरे विश्व के श्रमिकों को एकजुट हो जाने का आव्हान किया था किन्तु यह भी सत्य है कि मार्क्स ने ब्रिटेन आदि लोकतांत्रिक राज्यों में अहिंसक तरीके से क्रान्ति के घटित होने की संभावना को स्वीकार किया था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं मार्क्स की दृष्टि में भी क्रान्ति के लिए हिंसा अनिवार्य नहीं है। यह भावना तथा यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है।

निष्कर्ष – प्रायः यह मान लिया जाता है कि मार्क्सवाद हिंसात्मक क्रान्ति का ही आव्हान करता है तथा सर्वहारा की तानाशाही में ही क्रान्ति की सफलता की संभावनाएँ देखता है, किन्तु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। सर्वप्रथम साम्यवादी क्रान्ति रूस में हुई। रूसी क्रान्ति के महानायक लेनिन ने यह प्रतिपादित किया था कि साम्यवादी राज्य की स्थापना केवल हिंसात्मक क्रान्ति से ही हो सकती है। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा था। वैज्ञानिक सिद्धांत अनुकूल और अपेक्षित परिस्थितियों में स्वतः घटित होते हैं। इसी कारण मार्क्स ने पूंजीवाद के पूर्ण विकास की अवस्था में ब्रिटेन आदि लोकतांत्रिक राज्यों में अहिंसक तरीके से भी क्रान्ति की सफलता की संभावना को स्वीकार किया था। कालान्तर में विश्व में जो साम्यवादी क्रान्तियाँ हुईं उनकी चकाचौंध में मार्क्स की इस स्वीकारोक्ति को प्रायः भुला दिया गया, किन्तु आधुनिक युग में जब सर्वहारा के अधिनायकत्व की सफलता-असफलता की समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार सामग्री उपलब्ध है, मार्क्स के द्वारा अहिंसक तरीके से क्रान्ति की सफलता की संभावना की स्वीकारोक्ति पूर्णतः प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मार्क्स और एंजेलस – द कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो।
2. कार्ल मार्क्स – द कैपिटल।
3. एच जे लास्की – कम्यूनिज्म।
4. समाजवादी समाज का ऐतिहासिक ध्येय – वारिम जगलादिन।
5. राजनीतिक अर्थशास्त्र की रूप-रेखा – ल लेओन्त्येव।
6. समाजवादी समाज में व्यक्ति – ग. रिमनोव।
7. हिंसा की सभ्यता – राजकिशोर (संपादक)।

सुकरात के विचार एवं गीता दर्शन

डॉ. आभा तिवारी * डॉ. सीमा शर्मा **

प्रस्तावना – विश्व के अध्यात्म पटल पर अपने स्वतंत्र विचारों के लिए याद किए जाने वाले महापुरुषों में सुकरात का नाम अरस्तू, प्लेटो, काण्ट के समकक्ष लिया जाता है। सुकरात संबंध यूनान से माना जाता है।

सुकरात की विशेषता यह रही कि प्लेटो उनसे प्रभावित रहे। यह कहा जाता है कि प्लेटो द्वारा सुकरात के विचार अरस्तू तक पहुँचे व अरस्तू के माध्यम से सिकन्दर तक यह महानता पहुँची।

सुकरात का जन्म 469 बी.सी. में एथेंस में हुआ था। 71 वर्ष की आयु में सुकरात को उनके विचारों के कारण जहर देकर मृत्युदंड दिया गया।

सुकरात के विचार – महान दार्शनिक सुकरात के कहे हुए कथन ही उनकी विलक्षणता को दर्शाते हैं-

1. **ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है।** – ज्ञान की पीपासा सुकरात वर्तमान में गीता दर्शन से जोड़ती है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। सुकरात का यही विश्वास वर्तमान काल में प्रासंगिकता के रूप में देखा जा सकता है।

घृतराष्ट्र गीता के प्रथम श्लोक में संजय से प्रश्न करते हैं -

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः

मायकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया।¹

भावार्थ – घृतराष्ट्र बोले - हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ? ॥1॥

प्रश्न करने की यह परम्परा सुकरात को भी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है।

2. **सत्य की खोज** – 'सुकरात सोफिस्ट नामक कल्पनाविचारियों के उस समूह का प्रबल विरोध करता था, जो यह शिक्षा देता था कि सही तथा गलत एवं सत्य तथा झूठ पूर्णतया सापेक्ष हैं। क्योंकि इनकी स्थापना पूर्णतया व्यक्तिनिष्ठ मत था। सामाजिक रीति-रिवाज के द्वारा होती थी। किन्तु सुकरात आश्वस्त था कि एक परम सार्वत्रिक सत्य या अच्छाई है, जो मात्र अनुमानों व व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से परे है और जिसे स्पष्टता एवं निश्चयात्मक रूप से जाना जा सकता है।'²

यही सत्य की खोज गीता में श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के माध्यम से दर्शाया गया है।

सुकरात के जीवन का मूल उद्देश्य सत्य की खोज थी। गीता का दर्शन भारतीयों के लिए ही नहीं समूचे विश्व के लिए प्रेरणास्पद है। गीता का उद्देश्य भी मानव प्रजाति को 'सत्य' से परिचित करवाना है। 'सत्य' सर्वकालिक होता है व चिरंतन होता है।

प्रश्न प्रतिप्रश्न – सुकरात का तरीका भी प्रश्न प्रतिप्रश्न कर किसी भी चर्चा को सूक्ष्मतम गहराई तक जाकर सत्य को खोजना रहता था। गीता में भी अर्जुन प्रश्नकार है व कृष्ण समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं।

कृष्ण से प्रश्न करने के लिए अर्जुन की आवश्यकता है। ठीक इसी

प्रकार सुकरात समस्त मानव जाति के प्रश्न करते हैं।

गीता का मूल धरातल पर अपनों के बीच का युद्ध द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार सुकरात स्वयं के मन के द्वंद्वों को प्रश्न के माध्यम से हल करना चाहते हैं।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।³

अर्थात् असत् का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत् का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात् अनुभव किया है।

सत्य यही है कि ज्ञान परम सत्य है एवं ज्ञान को किसी भी बुराई से काटा नहीं जा सकता है। सत्य एवं ज्ञान की ही सत्ता को प्रमाणित करना गीता एवं सुकरात दोनों का ही लक्ष्य रहा।

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

तत्स्वयं योग संसिद्धः

कालेनात्मनि विन्दति।'⁴

सत्य और असत्य के युद्ध में अर्जुन एवं कर्ण की नीति भी जीवन में इसी आदर्श के युद्ध को परिभाषित करती है। कर्ण एवं अर्जुन के इसी द्वंद्व को इस तरह से वर्णन किया है -

"Karna was fighting himself to prove that he was better than everyone else choosing to follow his own mind and clouded intelligence. Arjuna was fighting adharma, he even fought his own mind."⁵

अतः सुकरात के दर्शन एवं गीता दर्शन में समानताएँ देखने को मिलती हैं, जो शाश्वत सत्य हैं। सुकरात का दर्शन जीवन में व्यक्ति को सत्य एवं ज्ञान की खोज की ओर ले जाता है।

सदियों पहले किए गए अनुसंधान हमें वर्तमान में भी प्रेरणा देते हैं। सुकरात के विचार एवं गीता दर्शन समस्त मनुष्य जाति के लिए अकाट्य आदर्श है। हमें इन्हीं सिद्धांतों की ओर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। मन की मजबूती से राष्ट्र की मजबूती बनेगी व आज का युवा राष्ट्र के लिए नवीन उन्नति के मार्ग निर्धारित कर सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भगवद्गीता गीता प्रेमस गोरखपुर
2. मोह तथा संशय से परे भक्ति वेदान्त कुब ट्रस्ट अध्याय एक सुकरात पृ. 1.
3. गीता प्रबोधिनी स्वामी रामसुखदास, गीताप्रेस गोरखपुर श्लोक क्र. 16, अध्याय 2, पृ. 24.
4. Ibid, श्लोक क्र. 38, अध्याय 4.
5. Voice your choice, Govinda Das Book Tulsibooks, 2015, Being Competant or Competitive, p.189-190.

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, कायथा, जिला - उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (अंग्रेजी) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

रीवा जिले की प्रमुख सरायें एवं धर्मशालाओं का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. मो. स्वालकीन खान *

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश के अंतर्गत रीवा बघेलखण्ड का एक प्रमुख जिला है। स्वतंत्रता के पश्चात जब विन्ध्य क्षेत्र का विलीनीकरण हुआ तब रीवा को जिले का दर्जा दिया गया। रीवा, शहडोल से इलाहाबाद मार्ग पर 165 कि.मी. छुहिया घाटी के नीचे और गोविंदगढ़ से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा ट्रेन मार्ग पर कटनी से सतना होते हुए सतना से 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थापत्य की दृष्टि से रीवा प्राचीन सरायें, एवम् धर्मशालाओं की धरोहर नगरी है।

प्रमुख सरायें - सरायें एक प्रकार का वह भवन है। जिसे विविध ग्रामों एवं नगरों में मार्ग के किनारे उन स्थानों पर बनाया जाता था, जहां पेयजल की व्यवस्था हो। बघेल वंश के राजाओं के द्वारा रीवा के आस-पास के ग्रामों एवं कस्बों में यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर सरायों का निर्माण मध्यकालमें करवाया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश ये पुरातत्व सामग्रियाँ विखंडित होकर ढह चुकी हैं। कहीं-कहीं इनके अवशेष भी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उन स्थानों पर या तो लोगों का कब्जा हो चुका है, या फिर कोई दूसरी नई इमारत बन चुकी है। रीवा जिले की यात्रा एवं सर्वेक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सरायों के निर्माण की बात जनश्रुति के आधार पर मिली। उनमें से कुछ प्रमुख स्थान, सरिया, रामपुर नैकिन, गोविन्दगढ़, ताला मुकुन्दपुर, बिछिया, गुढ़, सेमरिया, डहोरा, चाकघाट, सोहागी, मऊगंज, हनुमना, मनगंवा, गंगेय आदि वे प्रमुख स्थान हैं, जहां सरायों का निर्माण कार्य हुआ था। परंतु दुर्भाग्यवश कहीं भी सरायों का निर्माण अच्छी हालत में उपयोगी एवं सुरक्षित नजर नहीं आया।

बिछिया रीवा की सराय - बिछिया, रीवा मुख्यालय बस मार्ग पर बिछिया नदी में मुख्य मार्ग के बाईं ओर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मोहल्ला किला की ओर जाता है, किला रोड पर नदी के किनारे राजा गुलाब सिंह के समय में एक सराय का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान समय में खण्डित हो चुकी है। इसके अवशेष अभी बाकी हैं। इसे लगभग 40 फिट लंबाई में एवं 20 फिट चौड़े आकार में बनाया गया था। इस सराय के बगल में अखाड़घाट स्थित है, जहां लोगों के निस्तार के लिए पेयजल की व्यवस्था थी।

अलाबक्स की सराय - इस सराय का निर्माण अलाबक्स ने लगभग 100 वर्ष पहले करवाया था। सराय अमहिया में सिरमौर चौराहा के पास फैजुल्ला धर्मशाला के बगल में स्थित है। यहाँ गरीब मुसाफिरों के विश्राम की व्यवस्था थी एवं उन्हें मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। ईंट एवं लकड़ी से बनी हुई इस सराय में वर्तमान समय पर कहीं छत है तो कहीं टीने से ही छत को ढंका गया है। छत गिर चुकी है। लकड़ी के कड़ी के सहारे छत का निर्माण किया गया था। ये सरायें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में देखने को मिलीं, जनश्रुति के अनुसार इसी से लगा हुआ धर्मशाला उनके पुत्र हाजी फैजुल्ला द्वारा बनवाया गया था।

देखरेख के अभाव के कारण ये इमारत पूरी तरह असुरक्षित हैं। यद्यपि आज भी इस सराय में बेसहारा एवं भिखारी वगैरह रात्रि में विश्राम करते हैं।

गोविन्दगढ़ की सराय - गोविन्दगढ़, रीवा-शहडोल बस मार्ग पर छुहिया घाटी से लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गोविन्दगढ़ का किला गोविन्दगढ़-ताला मार्ग पर 1 कि.मी. की दूरी पर बाईं ओर स्थित है। यहां महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राहगीरों के विश्राम के लिए तालाब के निकट एक सराय का निर्माण करवाया था जिसका आकार लगभग 30 फिट लंबा एवम् 20 फिट चौड़ा था। इस सराय का निर्माण ईंट एवम् पत्थरों से करवाया गया था। जिसके अवशेष विद्यमान है किन्तु सराय अनुपयोगी है। इसकी छत ढह चुकी है। सर्वेक्षण के दौरान ही किले में स्थित सेवकों एवं कर्मचारियों से इस सराय के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।

मनगवाँ की सरायें - मनगवाँ, रीवा से 20 मील की दूरी पर रीवा-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित है। 'मनगवाँ एवं मऊ के शासक सेंगर वंश के थे। ये जालौन (उ.प्र.) से स्थानान्तरित होकर मऊगंज तहसील में आबाद हुए थे। मऊगंज तहसील रीवा जिले के अंतर्गत आता है। मनगवाँ में सेंगरों का शासनकाल उसी समय का है, जब रीवा में बघेलों का था। मनगवाँ में पेयजल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सेंगर राजा धंकदेव ने जो यहाँ की गढ़ी भरों से छीनी थी, उसी के समय एक सराय यात्रियों के विश्राम के लिए इस गांव में बनवाई थी, जो वर्तमान में ध्वस्त हो चुकी है एवं उसके अवशेष नजर नहीं आ रहे हैं। जनश्रुति के अनुसार मनगवाँ में तालाब के किनारे मार्ग की दांयीओर राहगीरों के लिए एक बड़ी सराय राजाओं द्वारा निर्मित कराई गई थी, जिसका आकार लगभग 800 वर्गफिट का था, जिसमें दो बड़े हाल और दो छोटे कमरे थे, एक रसोई भी थी, ये सराय ईंट पत्थर से बनाई गई थी, छत पूरी तरह से ढह चुकी है, दीवारें गिर चुकी हैं। ऐसे में ठीक-ठीक पता कर पाना कठिन कार्य है कि इसका आकार एवं निर्माण शैली क्या थी, प्रायः सराय सामान्य आकार की ही होती थी।'

त्यौंथर की सराय - त्यौंथर, रीवा-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित रीवा जिले की तहसील है, जो लगभग 60 मील उत्तर में स्थित है। त्यौंथर में मुख्य मार्ग पर तालाब के निकट परिहार राजाओं के द्वारा एक बड़ी सराय का निर्माण कराया गया था। बाद में 19 वीं शताब्दी में जब त्यौंथर के परिहार राजा ने जब बघेलों की अधीनता स्वीकार कर ली उस समय भी वहां सरायों का निर्माण कराया गया था, किन्तु इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि किस राजा के समय सरायें बनीं थीं। वर्तमान समय में ये सरायें खण्डहर हो चुकीं हैं। ईंटों एवं पत्थरों की बनी सरायें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकीं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इन भवनों की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया इस कारण सारी सरायें नष्ट हो चुकीं हैं।

क्योंटी की सराय - क्योंटी, त्योंथर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो वर्तमान में रीवा जिला की सिरमौर तहसील के अंतर्गत आता है, जहां प्रसिद्ध जल प्रपात भी है। क्योंटी प्रवेश करने पर लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर दाएं ओर एक सराय पत्थरों की बनी हुई देखने को मिली जो लगभग 200 वर्ष पुरानी थी, किन्तु वर्तमान समय में पूरी तरह से ढह चुकी है, और मात्र उसकी दीवारों के अवशेष ही बचे हुए हैं। देखने से लगता है कि ये सराय लगभग 30 फिट लंबी और 20 फिट चौड़ी अर्थात् 600 वर्गफिट की बनी होगी। यहाँ गरीब राहगीर, मुसाफिर ठहरते भी थे और कुछ समय आराम करके अपनी यात्रा पर निकल जाया करते थे। यह जानकारी साक्षात्कार में क्योंटी के कुछ लोगों से प्राप्त हुई।

सेमरिया की सराय - सेमरिया रीवा जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बस मार्ग पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेमरिया में एक प्राचीन सराय के अवशेष कस्बे में प्रवेश करने से पहले लगभग 1 कि.मी. मार्ग की दांयी ओर देखने को मिला जनश्रुति के अनुसार यह एक सराय थी जो लगभग 150 वर्ष पहले निर्मित की गई थी किन्तु वर्तमान समय में ये जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पूरी तरह खंडहर बन चुकी है। इसका आकार लगभग 30x20 वर्गफिट का था, देख-रेख के अभाव के कारण इसकी सुरक्षा नहीं हो सकी। इस सराय में एक हाल एवं 2 कमरे थे, पूरी सराय वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है।

बैजू धर्मशाला रीवा - बैजू धर्मशाला तक पहुंच मार्ग नेशनल हाईवे मार्ग 07 पर पुराना बस स्टैंड के बगल में व्यंकट मार्ग के पश्चिमी भाग पर बैजू धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य महाराजा गुलाब सिंह सा. के संरक्षण में हुआ। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य सेठ बैजनाथ रामसहाय अग्रवाल द्वारा 1941 ई. में पूरा कराया गया। 100x100 वर्गफिट के क्षेत्रफल में इस धर्मशाला का निर्माण गरीब जनता के आश्रय देने एवं उनके विश्राम करने के उद्देश्य से किया गया था। इस धर्मशाला का मुख पूर्व दिशा में है, प्रवेश द्वारसे लगा हुआ बाहर की ओर पाँच सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर बाराण्डा 10x100 वर्गफिट का बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार मेहराबदार अति सुंदर है जहाँ से 10 फिट का रास्ता धर्मशाला के अंदर की ओर जाता है। ये धर्मशाला दो मंजिल की बनी हुई है, इस धर्मशाला में 10x10 वर्गफिट के कुल 55 पचपन कमरे बने हुए हैं, कमरों के चारों ओर मंजिलों में मेहराबदार वर्गाकार बाराण्डा बना हुआ है, कुल 38 मेहराब अंदर की ओर बने हुए हैं। प्रवेश मार्ग धर्मशाला के आंगन में खुलता है।

भू-स्थल से 51 फिट की ऊंचाई में बने इस धर्मशाला की ऊंचाई लगभग 40 फिट है। धर्मशाला का मुख्य दरवाजा मोटे स्तंभों से सुसज्जित है, जिसके ऊपर की ओर बीच में 3 मेहराब बने हुए हैं, मुखाग्र में दो बड़े स्तंभ काफी मजबूत पत्थरों से युक्त गोल आकार में ऊपर की ओर 60 फिट की ऊंचाई तक गया है, जो मेहराबदार खिड़कियों से युक्त है, दोनों मंजिलों में प्रवेश मार्ग पर बनी इन दोनों मीनारों के बीच में नीचे से ऊपर तक 6 मेहराबनुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं। धर्मशाला के बाहरी भाग में दोनों ओर मेहराबनुमा बाराण्डा बना हुआ है; दोनों मीनारों के ऊपरी भाग पर एक खूबसूरत गुम्बद जिसके ऊपर तीन छोटी मीनारें इसकी सुन्दरता को चार चाँद लगा रही हैं। पत्थरों को काट कर अत्यंत सुंदर कलाकृतियों को उभारा गया है।

दोनों मंजिलों में कमरों के बाहर बाराण्डा मेहराबदार है। प्रत्येक मेहराब के बीच में पत्थरों का स्तंभ है। मध्य भाग की तरह धर्मशाला के चारों कोनों पर चार-चार मोटी पत्थर की बनी हुई गोलाकार मीनारें इसकी सुन्दरता को और भी बढ़ा देती हैं। चारों कोने पर चारों मीनारों के बीच एक-एक गुम्बद गोलाकार बना हुआ है। इस प्रकार इस धर्मशाला के पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के तरफ

10 मीनारें, 03 गुम्बद एवं पीछे भाग पर 8 मीनार एवं 02 गुम्बद बने हुए हैं। ये मीनारें सीढ़ीनुमा हैं। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों से जाया जा सकता है, उसकी कलाकृति में मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट निखार आता है।

धर्मशाला के बीचों-बीच मध्य भाग में आंगन है, जहाँ से धर्मशाला के अंदर के भाग को देखा जा सकता है। इस आंगन का आकार 50 फिट चौड़ा एवं 50 फिट लम्बा है। मेहराबदार बाराण्डा चारों तरफ बना हुआ है। बाराण्डे का आकार 10 फिट चौड़ा है। धर्मशाला के अंदर पहली मंजिल पर पश्चिमी भाग पर बीचों-बीच एक मंदिर है, जिसमें राधाजी एवं भगवान कृष्णजी की मूर्ति है, ठहरने वाले लोगों के पूजा-आराधना के लिए मंदिर का निर्माण धर्मशाला में करवाया गया था। ये धर्मशाला पूरी तरह भूरे एवं गुलाबी पत्थरों से युक्त है। धर्मशाला में कार्यरत मैनेजर से साक्षात्कार पर जानकारी मिली कि अधिकांश मिस्त्री मुस्लिम थे एवम् राजस्थान से बुलवाए गए थे। आर्किटेक्ट इंजीनियर भी मुस्लिम था जो राजस्थान से आया था। इसकी नक्काशी पत्थरों को काटकर उभारी गई है जो अत्यंत खूबसूरत है, जिसे पूरी तरह ताजमहल के बाहरी भाग की तरह निखारने का प्रयास किया गया है।

इसकी मोटी दीवारों जो पत्थरों की हैं, इसकी मजबूती के लिए काम कर रही हैं। गुम्बद, मीनार एवं मेहराब इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाती हुई नजर आती हैं। इस बावली का प्रांगण लगभग 40,000 वर्ग फिट का है। चारों ओर दीवार एवं एक लोहे का दरवाजा इसके प्रांगण में लगा हुआ है। प्रांगण में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में यहाँ कीचड़ हो जाता है। इस धर्मशाला के पीछे पश्चिम दिशा में प्रांगण के दोनों ओर खूबसूरत गुम्बदनुमा एक-एक स्तूप बना हुआ हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ये धर्मशाला आज भी दानवीर सेठ रामसहाय जी अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ नाममात्र के लिए 20 रु. से 50 रु. तक शुल्क ठहरने वालों से लिया जाता है, जो दीन-हीन लोग यहाँ आते हैं उन्हें निःशुल्क सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके बाहरी हिस्से में साफ-सफाई का अभाव है। जानवर बिना रोक-टोक के यहाँ घूमते रहते हैं, यह विशाल धर्मशाला बघेल खण्ड का ताज महल है। इसकी साफ-सफाई का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अगर प्रांगण के मैदानी भाग पर यदि पक्का प्लास्टर कर दिया जाए तो यहाँ का कूड़ा कचरा हट सकता है।

इस अनमोल धरोहर को बचाए रखना एवं इसकी साफ-सफाई की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेठ बैजनाथ, रामसहाय अग्रवाल जी की दानशीलता की यह धर्मशाला बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करती है।

हाजी फैजुल्ला धर्मशाला - रीवा जिले का दूसरा पुराना एवम् महत्वपूर्ण धर्मशाला हाजी फैजुल्ला धर्मशाला है। जो रीवा अमहिया में सिरमौर चौराहा के दायी ओर स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण दीन-हीन गरीब जनता के विश्राम करने एवं ठहरने के उद्देश्य से हाजी फैजुल्ला द्वारा 1919 में करवाया गया था। इस धर्मशाला के ऊपरी हिस्से में फैजुल्ला व अलाबवश धर्मशाला अंकित है। इस प्राचीन धर्मशाला का आकार काफी विस्तृत था। लगभग 100 फिट लम्बी एवं 40 फीट चौड़ी अर्थात् 4 हजार वर्गफीट में ये धर्मशाला बनी थी, जिसमें बाहरी गली की ओर 10 कमरे 10x10 वर्गफीट के बने हुए हैं। अंदर की ओर भी कुछ बड़े हाल एवं कमरों का निर्माण हुआ था, इस धर्मशाला में ईट एवं पत्थर से दीवारों का निर्माण कराया गया था, ऊपर लकड़ी की सिल्ली के ऊपर छत का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य द्वार मध्य भाग में निर्मित है, जो मेहराबनुमा बना हुआ है। अंदर चारों ओर कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन है। इस धर्मशाला में मीनार एवं गुम्बदों का अभाव

हैं। सादगीपूर्ण यह धर्मशाला गरीबों, भिखारियों एवं दीन-हीन लोगों का सहारा देने के उद्देश्य से हाजी फैजुल्ला खान द्वारा बनवाया गया था। कहीं-कहीं मिट्टी के गारे से भी ईंट-पत्थरों की जुड़ाई का काम हुआ है, जो स्पष्ट नजर आता है।

धर्मशाला के बाहरी भाग में बराण्डा एवं छोटे-छोटे आठ-दस कमरों का भी निर्माण कार्य बाद में हुआ, जिनकी छत ढह जाने के बाद उनमें टीने एवं खपरे की छत बनाई गई है। यह धर्मशाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में स्थित है तथा बुरी तरह खण्डित एवं अपनी जर्जर अवस्था में सिसकियाँ लेती हुई नजर आती है। फिर भी इस जर्जर स्थिति के होते हुए भी अभी इस धर्मशाला में थके-माँदे, दीन-हीन, गरीब, भिखारी प्रवृत्ति के लोग आकर आराम करते हैं एवं रात्रि विश्राम करते हैं। धर्मशाला के कुछ हिस्सों पर लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया है और अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस पुराने जीर्ण-शीर्ण धर्मशाला में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, न ही इसमें कोई पुनर्निर्माण का कार्य हुआ। यह पुरानी धरोहर धीरे-धीरे खण्डित होकर खण्डहर का रूप ले रही है, जो खेद का विषय है।

पूसू धर्मशाला रीवा - पूसू धर्मशाला रीवा जिले की तीसरी पुरानी धर्मशाला है। पूसू धर्मशाला फोर्ट मार्ग रीवा में ए. के. स्कूल के पास अशोक बाबा के मजार के निकट अशोक के वृक्ष के सामने रोड के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य 1940 से 1950 के बीच हुआ। इस धर्मशाला का निर्माण दानवीर श्री पूसू वर्मा ने करवाया था। गरीब, दीन-हीन, भिखारी एवं जनता के हितार्थ इस धर्मशाला का निर्माण किया गया था। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले गरीबों को श्री पूसू वर्मा द्वारा मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की जाती थी, वे जब तक जीवित थे गरीबों का पूरा ध्यान रखते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात निःशुल्क भोजन देने की व्यवस्था भी बंद हो गई।

इस धर्मशाला का निर्माण पत्थरों से किया गया था। यह धर्मशाला लगभग 100ग100 वर्गफीट में निर्मित है, सामना 40 फीट चौड़ा एवं गहराई लगभग 100 फीट की है। प्रवेश मार्ग में एक कमरा 20ग15 वर्ग फीट का बना हुआ है, जिसमें आस्ताना हजरत लम्बशाह रह अलैह का बना हुआ है। अंदर 40ग20 अर्थात् 500 वर्ग फीट का बड़ा हाल है एवं 15ग20 अर्थात् 300 वर्गफीट के 4 कमरे बने हुए हैं, यह दो भागों में बना हुआ है। इसके एक भाग पर वर्तमान में आर.एस.एस. का मुख्यालय (कार्यालय) बना हुआ है। ये धर्मशाला अभी सुरक्षित अवस्था में है किन्तु अब यहाँ यदा-कदा ही कोई गरीब भिखारी आकर विश्राम करता है, वैसे ज्यादातर ये बंद ही पड़ा रहता है। इसमें एक आंगन भी है। ऐसा माना जाता है कि भोजन व्यवस्था बंद हो जाने के कारण यहाँ ठहरने वालों का आना बंद हो गया है।

गोविंदगढ़ का त्रिंडडी धर्मशाला एवम् मठ - गोविंदगढ़, रीवा-शहडोल बस मार्ग पर रीवा से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गोविंदगढ़ पहुंचने पर गोविंदगढ़ से ताला मुकुन्दपुर रोड पर तिराहे से लगभग 1 कि.मी. पश्चिमी दिशा में मार्ग के बाईं ओर गोविंदगढ़ तालाब के पश्चिमी तट पर गोविंदगढ़ का एक विशाल किला बना हुआ है। किले के प्रांगण में एक त्रिंडडी धर्मशाला भी है साथ ही एक व्यंकटेश भगवान का मंदिर भी है।

महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण 1887 ई. में करवाया गया था। जब महाराजा रघुराज सिंह दक्षिण भारत की यात्रा के लिए तिरुपति बालाजी का आर्शीवाद लेकर वापस लौटे और उन्हें एक पुत्र व्यंकटरमन सिंह की प्राप्ति हुई, तब पुत्ररत्न की प्राप्ति के पश्चात् स्वामी त्रिंडडी सम्पत कुमारजी के मार्गदर्शन में इस धर्मशाला एवं मठ का निर्माण करवाया और अपने इलाकेदारों को कई एकड़ भूमि दान में दिया।

इस धर्मशाला में उत्तर एवं दक्षिण भारत के साधु-संत आकर रुकते थे, यह एक धार्मिक धर्मशाला है, जहाँ रामानुज सम्प्रदाय से जुड़े साधु-संतों के रुकने की विशेष व्यवस्था है। वैसे हिन्दू सम्प्रदाय के साधु-महात्मा जो मंदिर एवं मठ में दर्शन के लिए जाते हैं, उन संतों को रुकने की स्वीकृति है। जगतगुरु रामानुजाचार्य की चरण पादुका इस स्थान पर होने के कारण प्रतिवर्ष उत्तर एवं दक्षिण भारत के साधु-महात्मा आते हैं, और यहाँ रुककर अपने आपको धन्य महसूस करते हैं।

इस धर्मशाला में मंदिर के बगल में पांच कमरे बने हुए हैं, जो 10ग15 वर्गफीट के हैं। इनका निर्माण पत्थरों से करवाया गया है जो आज भी सुरक्षित हैं, रुकने की सारी सुविधाओं से युक्त इस धर्मशाला में आज भी साफ-सफाई देखने को मिलती है। समय-समय पर इस मंदिर में विविधधार्मिक आयोजन होते रहते हैं, इन आयोजनों के समय धर्मशाला में अत्यधिक लोग विश्राम करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था रामानुजाचार्य जी स्वामी शेषमणि दास जी द्वारा संचालित होती है। इस बात की जानकारी साक्षात्कार के समय स्वामी शेषमणि दास द्वारा दी गई, जो यहां स्थित मठ के मठाधीश हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साक्षात्कार - श्री मकबूल खान, मैनेजर (उम्र 55 वर्ष) बैजू धर्मशाला घोघर रीवा।
2. साक्षात्कार - आबाद खान, लेक्चरर, (उम्र - 52 वर्ष) हा.से. स्कूल क्रं. 2, बिछिया।
3. साक्षात्कार - अब्दुल वाहिद (उम्र -80 वर्ष) फोर्ट रोड अशोक वृक्ष के पास रीवा,
4. साक्षात्कार - स्वामी शेष मणिदास (उम्र - 55 वर्ष) मठाधीश व्यंकट धर्मशाला गोविंदगढ़।

कुषाण युगीन सांस्कृतिक समृद्धि

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना - पहली शताब्दी से प्रारंभ होने वाला कुषाण युग सांस्कृतिक विकास एवं कलात्मक समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके शासकों ने विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुषाण पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश में रहने वाली यू-ची जाति की एक शाखा थी। लगभग 715 ईसा पूर्व में हूंग-नू हूण जाति के आक्रमण के कारण निर्वासित होकर यू-ची जाति के लोग मध्य एशिया पहुँचे, जहाँ से ये पाँच शाखाओं में विभक्त हो गए। ये पाँच शाखाएँ थी- हियू-मी, चाओ आंन-मी, कुई-चुआंग, ही-थुन एवं काओ-फू। इन्हीं में से कुई-चुआंग शाखा का प्रमुख 'कुषण' था जिसके नाम से यह जाति कुषाण कहलायी। भारत में कुजुल-कदफिस, वेम-कदफिस के बाद कनिष्क 78 ई. में शासक बना जो प्रतापी शासक था। उसके विशाल साम्राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, पार्थिया, बैक्ट्रिया, थारकन्द, खोतान, उत्तरप्रदेश का भाग सम्मिलित थे। उसके साम्राज्य की सीमाएँ उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में सिंध तक, पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में हेलमण्ड नदी तक विस्तृत थी। तत्कालीन अभिलेखों, ह्वेनसांग के विवरण तथा कल्हण की राजतरंगिणी के विवरणों से पुष्टि होती है कि चीनी तुर्किस्तान अर्थात् मध्य एशिया तक फैले उसके साम्राज्य की सीमाएँ पार्थियन साम्राज्य की सीमाओं को छूती थीं।

कुषाण साम्राज्य अपनी विशालता के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अधिक जाना जाता है। इस युग में धर्म, कला, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दू शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ बौद्ध शिक्षा का भी बहुत विकास दिखाई देता है। बौद्ध विहारों में सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यार्थियों में भारतीय के साथ-साथ विदेशी विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत होती थी। उच्च कोटि के साहित्यकारों ने उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों की रचना कर इस युग को गौरवान्वित किया। कनिष्क इतिहास एवं कला का आश्रयदाता एवं संरक्षक था।¹ उसका युग साहित्यिक ग्रंथों की रचना ही नहीं हुई वरन दर्शनशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान पर भी ग्रंथ लिखे गए।² उसके राजदरबार में अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र को संरक्षण देकर उनकी साहित्य साधना में वह सहयोगी बना। वह अश्वघोष नामक सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को पाटलिपुत्र से लाया था जिसको उसकी राजसभा में रहते हुए बुद्ध चरित, सौन्दरानन्द, सारिपुत्र प्रकरण जैसे ग्रंथों की रचना की वह कवि के साथ-साथ नाटककार, दार्शनिक, संगीतज्ञ और उपदेशक भी था। शून्यवाद एवं सापेक्ष्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्रशास्त्र तथा माध्यमिक कासिक हैं। आयुर्वेद के जन्मदाता एवं कनिष्क के राजवैद्य का ग्रंथ चरक संहिता भी इसी युग की देन है। वसुमित्र भी इस युग का महान बौद्ध विद्वान

था जिसने महाविभाष शास्त्र तथा त्रिपिटक की रचना की। पार्श्व, संघरक्ष भी महान विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के विद्वानों द्वारा पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनाने के कारण संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ। इस युग में साहित्य के अभिनव स्वरूप प्रकाश में आते हैं। नाटक तथा महाकाव्य अपना रूप दिखाते हैं तथा साहित्यिक संस्कृति का विकास होता है।³

कुषाण युग धर्म एवं विशेषतः बौद्ध धर्म के विकास के लिए भी जाना जाता है किन्तु साथ ही अन्य धर्मों एवं धर्मावलम्बियों की स्थिति भी सम्मानजनक बनी रही। कुषाण शासकों ने व्यक्तिगत धर्म आमजन पर लादने का कोई प्रयास नहीं किया। कनिष्क के स्वयं बौद्ध होते हुए भी उसकी मुद्राओं पर यूनानी, ईरानी तथा हिन्दू देवताओं जैसे हेरक्लीज, सेरापीज, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, शिव के चित्र अंकित होना इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। कार्तिकेय, मिहिर, वासुदेव कृष्ण आदि सम्प्रदायों का विकास भी इसी युग में हुआ था। इसी वंश का शासक कदफिस द्वितीय शैव मत का अनुयायी था। कनिष्क की ख्याति उसकी शक्ति एवं रण कौशल में उसकी योग्यता के कारण उतनी नहीं है जितनी बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के कारण है।⁴ बौद्ध धर्म के इतिहास में इस युग का महत्व तीन कारणों से सर्वाधिक माना जाता है।

1. बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं प्रचार में सहयोग
2. चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन
3. महायान शाखा का जन्म एवं विकास।

कनिष्क ने अनेक विहारों, मठों, स्तूपों का निर्माण करवाया, देश-विदेश में अनेक धर्म प्रचारकों को भेजकर धर्म को प्रचारित किया। बौद्ध भिक्षु कश्यप एवं मतंग ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वह बौद्ध धर्म का आश्रय दाता था।⁵ उसने मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान में धर्म प्रचारक भेजे। कनिष्क ने धर्म में प्रचलित अनेकानेक मतों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से कुण्डलवन (कश्मीर) में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा उपसभापति अश्वघोष थे। इसमें श्रीलंका को छोड़कर देश के विविध भागों से लगभग 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। छः माह तक चली इस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म में 18 वर्गों में प्रचलित वाद-विवादों को समाप्त किया। बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटकों पर विस्तृत टीकाएँ लिखी गयीं, अधिकांश टीकाओं को संकलित कर ग्रंथ का रूप प्रदान किया जो महाविभाष कहलाया। इसे बौद्ध ग्रंथ का विश्वकोष कहा जाता है। व्हेनसांग लिखता है कि कनिष्क ने सभी कार्यवाहियों, टीकाओं को तांबे पर खुदवाकर पत्थर की पिटारी में बन्द करके रख दिया तथा उस पर स्तूप बनवा दिया किन्तु इस स्तूप की पहचान नहीं हो सकी है। इस संगीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम

* प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

महायान शाखा का उदय था जिसे राजधर्म का स्थान दिया गया। समय की आवश्यकता के अनुरूप बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को व्यवहारिक एवं सरल रूप प्रदान किया गया। पारम्परिक धर्म हीनहान कहलाया। महायान शाखा में बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में होने लगी। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। इसमें ग्रंथों की भाषा पाली के स्थान पर संस्कृत हो गयी।⁶ अब बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया। धर्म के सिद्धान्तों का सरलीकरण होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार दूर-दूर तक होने लगा।

कुषाण युग की भारतीय इतिहास को एक अन्य महत्वपूर्ण देन मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में गांधार कला का अभ्युदय माना जाता है। बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार क्षेत्र में अधिक होने के कारण इसका नामकरण 'गांधार कला' के रूप में किया गया। इस कला की विषय वस्तु भारतीय एवं मुख्यतः बौद्ध थी तथा इसकी तकनीक यूनानी थी। गांधार के प्रमुख केन्द्र पेशावर पर लगभग 300 वर्षों तक यूनानियों ने शासन किया था, अतः यहाँ यूनानी लोगों की अधिकता थी इसी कारण संभवतः अधिकांश मूर्तियों को निर्माण यूनानी तथा रोमन कलाकारों द्वारा किया गया था। डॉ. बी.एन. पुरी के विचारानुसार यह अधिक संभव है कि बौद्ध प्रतिमा विज्ञान ने गांधार में प्रभावी होते हुए भी यूनान या रोम या दोनों प्रतिमा विज्ञान के आदर्शों को अपना लिया हो।⁷ डॉ. वी.ए. स्मिथ ने इसे 'इन्डो ग्रीक कला' का नाम दिया है। इसे 'ग्रीकों बुद्धिस्ट कला' कहने के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसका अभूतपूर्व विकास प्रथम तथा दूसरी शती में मूर्तिकला की उन्नति का कारक बनता है। इसी के समकालीन मथुरा कला के विकास को भी कला जगत की महती उपलब्धि माना जाता है। कुषाण काल में मथुरा के कलाकारों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया। गांधार तथा मथुरा दोनों ही कुषाण साम्राज्य के अंग थे। यही कारण है कि मूर्तिकला की दोनों ही शैलियों को पनपने के लिए उत्तम वातावरण प्राप्त हो सका। मथुरा कला की विषयवस्तु ब्राम्हण, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों तक विस्तृत थी तथा कुषाण काल में प्रचुर संख्या में मथुरा में मूर्ति शिल्प का विकास हुआ। भारत की वास्तुकला के विकास में बौद्धों ने महत्वपूर्ण कार्य किया।⁸ इस कार्य के लिए अशोक के बाद कुषाण काल को ही सर्वाधिक याद किया जाएगा। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल तो यहां तक

लिखते हैं कि यह कहना अत्युक्ति न हो होगी कि भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण अन्य किसी युग में नहीं देखा गया।⁹ मथुरा कला यद्यपि गांधार कला से पूर्व स्थापित हो गयी थी।¹⁰ तथापि इस पर गांधार कला का प्रभाव कुषाण युग में दर्शनीय है।

वास्तुकला के विकास के सन्दर्भ में पेशावर में कनिष्क द्वारा बनवाए गए स्तंभ का उल्लेख प्रासंगिक होगा। यह वास्तव में संसार के आश्चर्यों में गिने जाने योग्य था। चित्रित लकड़ी से बने इस स्तंभ की तेरह मंजिलें थीं तथा ऊँचाई 400 फुट से भी अधिक थी। उसके ऊपर लोहे का बहुत बड़ा कलश था। इसके एक विहार का निर्माण भी कनिष्क ने करवाया था। चीनी यात्री फाह्यान, ह्वेनसांग, अरबी इतिहासकार अल्बेरूनी ने भी इसका उल्लेख किया है। कनिष्क को पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों को कलात्मक नमूनों से सुसज्जित करवाया। सिर कटी हुई यौद्धा की मूर्ति (जिसे कनिष्क की मूर्ति माना गया है) भी कारीगरी का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है। कुषाण शासक हुविष्क ने भी मथुरा में विहार का निर्माण करवाया। इस प्रकार सांस्कृतिक धरोहरों की विशाल निधि संजोकर रखने वाला कुषाण युग भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरकार, डी.सी. - द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ 147
2. राय चौधरी - पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ एनशियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 478
3. रॉलिन्सन, एच.जी. - इण्डिया- ए शोर्ट कल्चरल हिस्ट्री, पृष्ठ 96
4. गोखले, बी.जी. - प्राचीन भारत, पृष्ठ 51
5. त्रिपाठी, आर.एस. - हिस्ट्री ऑफ एनशियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 223
6. महाजन, वी.डी. - प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ 282
7. पुरी, बी.एन. - इण्डिया-अण्डर दि कुषान्स, पृष्ठ 195
8. विद्यालंकार, सत्यकेतु - प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास, पृष्ठ 134
9. अग्रवाल, वासुदेव शरण- भारतीय कला, पृष्ठ 35
10. के, नीहार रंजन - द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ 254

मुगल कालीन भारत का राजनीतिक परिवेश

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – 'राष्ट्र के मस्तिष्क और चरित्र के निर्माण में किसी भी अध्ययन का इतना प्रभाव नहीं होता जितना अतीत के इतिहास के आलोचनात्मक और सूक्ष्म अध्ययन का हुआ करता है। इस प्रकार के अध्ययन से अतीत के प्रति अन्धविश्वास और अविवेकपूर्ण श्रद्धा दूर होकर उचित और सबल आदर समर्पित होता है।

पन्द्रहवीं शताब्दी का आरंभ तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेष से नवोदित अनेक राजशक्तियों के विकास से होता है, तथा इन राजशक्तियों की दीर्घकालीन स्थिति है परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत में न तो एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया और न राजनैतिक परिस्थितियों में स्थानियों में स्थायित्व की प्रतिष्ठा हो सकी। छोटे मोटे अनेक राज्यों को छोड़कर समस्त देश में दिल्ली के अतिरिक्त तेरह प्रमुख राज्य थे, जिनमें से बंगाल, जौनपुर, मुल्तान, सिन्ध, गुजरात, खानदेश, मालवा तथा दक्षिण में बहमनी राज्य मुसलमान शासकों द्वारा शासित थे। शेष भारत के पूर्व में उड़ीसा तथा राजपूताना में मेवाड़ तथा मारवाड़े के राजपूत राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण में पांड्य तथा विजयनगर के हिन्दू-राज्य भी थे। इन राज्यों की स्थिति से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत अत्यंत क्षीण होते हुए भी देश का अधिकांश भाग मुस्लिम आधिपत्य के ही नीचे था। इसके अतिरिक्त राजपूतानों की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसका इतिहास यह बतलाता है कि उसने न केवल दिल्ली के सुल्तानों से ही संघर्ष किया अपितु मालवा तथा गुजरात के शक्तिशाली सुल्तानों से निरन्तर संघर्ष करते हुए देश के पर्याप्त भाग पर दीर्घकाल तक अपना प्रभाव स्थापित रखा।¹ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में राजपूतों की शक्ति एक समय इतनी बढ़ चुकी थी कि उत्तर भारत में उन्हीं की धाक मानी जाती थी। मुसलमान राज्यों के बीच यदि राजपूतों की स्थिति पर विचार किया जाये तो वे दिल्ली, गुजरात तथा मालवा की तीन विशाल समकालीन मुस्लिम-शक्तियों से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में किंचित भी निर्बल होते ही उनके अस्तित्व को समाप्ति का भी सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। 'गुजरात तथा मालवा के दो शक्तिशाली मुस्लिम राजशक्तियों के बीच मेवाड़ के राणाओं के नेतृत्व में स्थित राजस्थान इतिहास एक ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का निर्माण करता है, जिसमें वे दोनों शक्तियाँ संगठित न हो सकी।'²

मुस्लिम राजसत्ता के आधार – भारत अथवा भारत के बाहर भी जहाँ कहीं भी मुस्लिम राज्य जिस राजनीतिक सिद्धान्त पर अधिष्ठित हैं उसके अनुसार ईश्वर उसका सर्वोच्च अधिष्ठता है तथा समस्त नियम उसी की वाणी हैं।³ शासक का कार्य उसकी इच्छा को पूर्ण करना है। डॉ. मजूमदार के अनुसार

'.....शासन का उद्देश्य है, इस्लाम का प्रचार जो कि प्रत्येक मुसलमान का मुख्य कर्तव्य है और इसका दूसरा नाम है जिहाद ऐसी'⁴ राजव्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक नेताओं अथवा उनके आदेशों को मान्यता मिलती होगी। ऐसे लोगों को इस्लाम के मत के अनुसार 'उलमा' कहा जाता था। उन्होंने कुरान तथा हदीस के आधार पर विभिन्न देशों में उपस्थित समस्याओं का समाचार करने के लिए व्यवस्थाएँ दी है, जो इस्लामी कानून में मान्यता पा गई है। इस्लाम की दृष्टि में सबसे बड़ा कफ़ मूर्तिपूजा अर्थात् एक से अधिक ईश्वर या देवता को मानना अथवा ईश्वर के बराबर और कोई भी शक्ति मानना है, और इसलिए मुस्लिम राज्य के अंतर्गत मूर्ति पूजकों के लिए दो ही मार्ग हैं, इस्लाम का ग्रहण अथवा मृत्यु।⁵ देश तथा काल की परिस्थिति के अनुसार मुस्लिम दण्ड विधान में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए जिसके अनुसार इस्लाम धर्म न ग्रहण करने वाले काफ़िरों के लिए यह मार्ग भी निश्चित किया गया कि वे कुछ मृत्यु जजिया देकर अपने जीवित रहने का अधिकार प्राप्त कर सकते थे।⁶

इस काल के मुस्लिम शासक प्रवृत्ति के विचार से पूर्णतया निरंकुश तथा स्वैच्छाचारी दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने राजनीति तथा धर्म दोनों से संबंधित अधिकारों को हस्तगत कर लिया था।⁷ सुल्तान ही प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश तथा प्रधान सत्ताधारी था। धर्म का राजनीति पर इतना आधिपत्य दिखाई पड़ता है कि दोनों को एक दूसरे से अलग कठिन ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. आर.सी.मजूमदार –दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ़ दि इण्डियन पीपुल वालूम, संस्करण-1960, अध्याय-14, पृष्ठ 329-47
2. श्री वे.एम. पाणिक्कर-ए सर्वे ऑफ़ इण्डियन हिस्ट्री, संस्करण 1950, अध्याय-13, पृष्ठ -123
3. डॉ. ईश्वरी प्रसाद- ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ़ मुस्लिम रूलर्स इन इण्डिया, संस्करण 4, अध्याय-10, पृ. -224
4. प्रो. परमात्मा शरण-मध्य कालीन भारत, दूसरा खण्ड, संस्करण 1935, अध्याय-3
5. प्रो. परमात्मा शरण-मध्य कालीन भारत, दूसरा खण्ड, संस्करण 1935, अध्याय-3, पृ0 145-46
6. प्रो. परमात्मा शरण-मध्य कालीन भारत, दूसरा खण्ड, संस्करण 1935, अध्याय-3
7. डॉ0 आर.सी.मजूमदार एण्ड राय चौधरी-एम एडवान्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भाग-2, अध्याय-4 पृष्ठ 391

नगरीकरण : उभरती हुई समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

डॉ. संजय जोशी *

प्रस्तावना - 'शहर' अथवा 'नगर' क्या है ? इस शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र और जनांकिकी में अलग-अलग अर्थों में होता है। जनांकिकी में जनसंख्या, जनसंख्या के घनत्व, वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में घनिष्ठता, अव्यक्तिकता, अन्योन्याश्रितता और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित रहता है।

समाजशास्त्री 'नगर' की परिभाषा में जनसंख्या के आकार को अधिक महत्व नहीं देते हैं क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या के मापदण्ड काफी बदलते रहते हैं। थिओडॉर्सन ने शहरी समुदाय की परिभाषा इस प्रकार दी है "यह वह समुदाय है जिसका जनसंख्या का घनत्व बहुत है, जहाँ गैर-कृषक व्यवसायों की सर्वाधिकता है, यह एक ऊँचे स्तर की विशेषता है जिसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन जटिल होता है और स्थानीय शासन की औपचारिक ढंग से व्यवस्था होती है। उसकी विशेषताओं में अवैयक्तिक द्वितीयक संबंध प्रचलित होते हैं और औपचारिक सामाजिक नियन्त्रणों पर निर्भरता रहती है।" राबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, शहरी समाज की विशेषताएँ निम्नानुसार होती हैं-

- बड़ी विषमरूप जनसंख्या,
- एक जटिल श्रम विभाजन,
- व्यापार एवं संचार के द्वारा अन्य समाजों से निकट का संबंध,
- सांसारिक मामलों को पवित्र मामलों की अपेक्षाकृत अधिक महत्व,
- पारस्परिक मापदण्डों एवं मूल्यों के अनुसरण के प्रति बेपरवाह,
- व्यवहार का चमत्कृत एवं अस्वाभाविक ढंग

रूथ ग्लास जैसे विद्वानों ने नगर को जिन कारकों द्वारा परिभाषित किया है वे हैं, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना और कुछ सामाजिक विशेषताएँ। सन् 1961 की सेंसस को प्रमुख आधार मानते हुए सन् 1971, 1981, 1991 की जनगणनाओं के अनुसार शहरों एवं महानगरों को भी जनसंख्या का आधार बनाकर विभिन्न श्रेणियों एवं स्वरूपों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न सारणी से स्पष्ट होता है-

शहर एवं महानगर के स्वरूपसरल

क्र.	जनसंख्या अनुसार नगरों का वर्गीकरण	
	जनसंख्या	नगर का स्वरूप
1.	5000 से कम	गाँव की श्रेणी में
2.	5001 से 20000	छोटा कस्बा
3.	20001 से 50000	बड़ा कस्बा
4.	50001 से 1 लाख	शहर
5.	1 लाख से 10 लाख	बड़ा शहर

6.	10 लाख से 50 लाख	विशाल नगर
7.	50 लाख से अधिक	महानगर

यू तो शहर हमेशा से ही आकर्षण का केन्द्र माने जाते रहे हैं। विभिन्न समस्याओं के बावजूद शहर, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। रोमन काल का मिश्र अलेक्जेंड्रा शहर बहुत प्रसिद्ध था। 1798 में जब नेपोलियन ने उस पर आधिपत्य जमाया तो उसकी आबादी कुछ हजार थी।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी शहरों की आबादी ज्यादा नहीं थी। एक अनुमान के अनुसार उस समय केवल 5 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी। पूर्व में कंबोडिया का अंगकोरवात और थाईलैण्ड का अयुत्थया प्रसिद्ध शहर थे। मगर आजकल वे पर्यटक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के पुराने शहर फतेहपुर सीकरी और सिंकदराबाद किसी जमाने में राजनैतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र थे, मगर अब पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं।

शहरों की आबादी में वृद्धि का दौर 1950-60 के बाद देखने में आया। आंकड़ों के अनुसार सन् 1960 में न्यूयार्क विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर था। उस समय उसकी जनसंख्या एक करोड़ 40 लाख थी। उसके बाद 90 लाख से 30 लाख तक की आबादी वाले शहरों का स्थान था, जिनमें लंदन, टोक्यो, पेरिस, मास्को, शंघाई, ऐसन, शिकागो, कलकत्ता, ओसाका, बर्लिन, लॉस एंजिल्स आदि आते थे। सन् 1990 के आते-आते न्यूयार्क की जगह टोक्यो सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो गया। उसकी आबादी दो करोड़ 50 लाख थी। इसके बाद मेक्सिको, शंघाई, मुंबई, लॉस एंजिल्स का नंबर था, जिनकी आबादी एक करोड़ बीस लाख से ऊपर थी। इसके पश्चात् एक करोड़ की आबादी वाले कलकत्ता, ब्यूनर्स आयर्स, सील, ओसाका का स्थान था।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2020 तक टोक्यो की आबादी सर्वाधिक 3 करोड़ 25 लाख और मुंबई की 3 करोड़ 5 लाख हो जाएगी। इस अनुमान के अनुसार मुंबई आबादी की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा। उसके बाद लागौस और शंघाई का स्थान होगा।

भारत में भी इसी प्रकार पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी शहरों एवं बड़े-बड़े महानगरों की ओर हो रहा है। मुगलकालीन भारत में अकबर के समय आगरा भारत का सबसे बड़ा शहर था और उस समय उसकी जनसंख्या 10 हजार थी। दूसरे अन्य बड़े शहरों में फतेहपुर सीकरी, सिंकदराबाद, दिल्ली, लाहौर एवं अजमेर थे। उसके पश्चात् ब्रिटीश काल में बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कालीकट अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। इस बढ़ती हुई शहरीकरण एवं महानगरीकरण की प्रक्रिया ने अपने साथ

कई समस्याओं एवं चुनौतियों को जन्म दिया है, जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य – इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य समाजशास्त्रियों और अन्य विद्वानों के द्वारा अपने पूर्व के अध्ययनों में जिन नगरीय समस्याओं का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त और कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें सामान्य समस्या या घटनाएँ मानते हुए नजरअंदाज किया गया है। शोधकर्ता ने अपने इस आनुभाषिक अध्ययन में उन्हीं समस्याओं को प्रकाशित करने एवं पता लगाने के उद्देश्य से इस विषय का चयन किया है जो सामान्य एवं छोटी होने के बावजूद समाज के लिए गंभीर तनाव का कारण बन रही हैं।

शोध का एक अन्य उद्देश्य इन समस्याओं से शहरी लोग कहाँ तक प्रभावित हो रहे हैं ? तथा उनका इन समस्याओं के बारे में क्या मत है ? यह जानना भी है, और अंत में शोधकर्ता के रूप में व्यावहारिक समाजशास्त्रीय दृष्टि से इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना भी इस अध्ययन का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए इस अध्ययन हेतु निदानात्मक शोध प्रारूप का उपयोग किया गया है। इसी के साथ साथ वर्णनात्मक शोध प्रारूप का भी उपयोग करते हुए विषय से संबंधित प्रमुख तथ्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन निदानात्मक-वर्णनात्मक अभिकल्प पर आधारित है।

अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार म.प्र. के नीमच नगर के सूचनादाताओं से साक्षात्कार, अनौपचारिक वार्तालाप के द्वारा अनुभवाश्रित तथ्यों का संकलन किया गया है। इस हेतु विस्तृत निदर्शन पद्धति के द्वारा नीमच नगर के 30 सूचनादाताओं को इस अध्ययन हेतु चयनित करके सूचनाएँ एवं महत्वपूर्ण तथ्य संकलित किए गए हैं।

तथ्यों के संग्रह का स्रोत प्राथमिक स्रोत के साथ-साथ द्वितीयक भी है। द्वितीयक तथ्यों को समाचार पत्रों, इंटरनेट, जर्नल्स एवं विषय से संबंधित पुस्तकों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। तथ्यों के व्यवस्थित संकलन हेतु अवलोकन प्रविधि का सबसे अधिक उपयोग किया गया क्योंकि यह प्राचीनकाल से ही सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण तथा परीक्षण द्वारा तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण प्रविधि रही है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष – भारत तेजी से बदल रहा है। हर क्षेत्र में बदलाव की इबारत लिखी जा रही है। इसी क्रम में एक समय का ग्राम प्रधान भारत अब अपनी इस मुख्य पहचान को शनै-शनै खो रहा है। भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी शहरों एवं बड़े-बड़े महानगरों की ओर हो रहा है, परिणाम स्वरूप शहरों में बढ़ती आबादी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। चिन्ताजनक विकास एवं बढ़ते हुए शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों में अनेक भयंकर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अपराध, बाल अपराध, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की समस्याएँ, भीड़-भाड़, गन्दी बस्तियाँ, आवास की कमी, बिजली एवं जलपूर्ति की कमी, प्रदूषण, मदिरापान एवं अन्य मादक वस्तुओं का सेवन, यातायात संबंधी समस्याएँ इत्यादि।

शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव परिवार, जाति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं ग्रामीण जीवन पर परिलक्षित हो रहे हैं। शहरीकरण

केवल परिवार के ढाँचें को ही प्रभावित नहीं करता अपितु वह परिवार के आन्तरिक और अन्तर परिवार के संबंधों और उन कार्यों को भी जो परिवार करता है, प्रभावित करता है। इन संस्थाओं पर नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप अब पति-प्रधान परिवार का स्थान समतावादी परिवार ले रहा है, जिससे पत्नियों निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं, माता पिता द्वारा बच्चों पर अधिकार थोपे नहीं जाते और नहीं बच्चे आँखें मूंद कर अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं।

शहरों में गिने चुने संयुक्त परिवार ही यदा कदा देखने को मिलते हैं। एकल परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इन एकल परिवारों में भी अनेक समस्याएँ व्याप्त हैं। एकल परिवारों से माता पिता भी परिवार से बेदखल हो रहे हैं। जिन्दगी व्यस्त होती जा रही है। नई पीढ़ी के पास घर की ओर देखने का भी समय नहीं है। उधर आधुनिक भारत में एक नये समाज का उदय हो रहा है जो अपनी भौतिक, व्यावसायिक, आर्थिक और यौन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए परम्परागत बन्धनों को तोड़ रहा है। निजता, व्यक्तिगत पसंद को ज्यादा तरहीज दी जाने लगी है। निजी पसंद और निजता आज का खास मंत्र बन गई है। परिवार एक औपचारिक संगठन बन कर रह गया है। पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ है।

प्रायोगिकी के विस्तार और बढ़ते हुए नगरीकरण के फलस्वरूप एक नई प्रकार की जीवन शैली व नये समाज का सृजन हो रहा है। इस नवीन समाज में भौतिक सुख, निजी स्वार्थ, पद और पैसा सब कुछ है। पश्चिमी जीवन शैली नगरीय समाज से उपजी आधुनिकता ने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों, आदर्शों तथा हमारी समृद्धशाली परंपरा को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस परिवार नाम की संस्था के नैतिक और बुनियादी मूल्यों की जाने-अनजाने की जाने वाली अवहेलना का नतीजा है कि संयुक्त परिवारों के बिखराव के बाद अब एकल परिवार भी टूटने की कगार पर खड़े हुए हैं। अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए मशहूर इस देश में वृद्धावस्था अभिशाप बनती जा रही है। संयुक्त परिवार जो व्यक्तित्व विकास की एक प्रमुख पाठशाला थी, भावनात्मक अवलम्ब एवं अपनेपन का मधुर भाव व सहयोग और सहारा देने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था भी विलुप्त होने से आज का युवा अवसाद, निराशा, तनाव व संघर्ष से घिरा होकर भावना व संवेदनाविहीन हो गया है।

बच्चों का रूख डर की बजाय आदर से प्रेरित हो रहा है। जहाँ तक शहरी महिलाओं का प्रश्न है तो वह ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक शिक्षित एवं उदार है। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में कार्यरत है। वह अपने राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का उपयोग अपने को शोषित एवं अपमानित होने से बचाने के लिए करती है। फिर भी श्रम बाजार में इनकी स्थिति प्रतिकूल ही है।

नगरों की प्रमुख समस्याएँ – शोधकर्ता ने अपने मौलिक अन्वेषण एवं आनुभाषिक अध्ययन के आधार पर पूरे भारत में व्याप्त सामान्य नगरीय समस्याओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, जिन्हें नगरीय समाज की प्रमुख समस्याओं में सम्भवतः नहीं गिना जाता है :-

1. विवाह एवं शादियों के समय तीव्र आवाज में बैण्ड बाजे बजाना, ट्राफिक जाम करना।
2. नगरों में यातायात नियमों का पालन न करते हुए बाइकर्स द्वारा अत्यंत तीव्र गति से वाहनों का दौड़ाना, स्टंट करना व कान फोड़ू होर्न लगातार बजाते रहना।

3. सामाजिक सारोकार एवं अपनेपन की भावना की समाप्ति। विशेष रूप से बड़े नगरों में मृत्यु और शवयात्रा के समय शोकसंतप्त परिवारों की असहाय अवस्था।
4. कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं द्वारा अपनी बाईक को जानबूझकर कार से टकराना या कार को स्पर्श कराकर चार पहिया वाहनों के स्वामियों से फर्जी पैसा वसूलने की घटनाओं में बढ़ोतरी।
5. जानबूझकर अपने अहंकारी स्वभाव व जंगली असभ्य व्यवहार करते हुए दो पहिया वाहन वालों द्वारा बहुत समय तक साईड नही देना।
6. नगरों में हाउसमेट, दाईर्यों या रेस्त्रां का बना हुआ भोजन खाने के लिए बच्चों को विवश होना पड़ रहा है। जो न तो माँ के हाथों जैसा स्वादिष्ट ओर न सही ढंग से बना होता है इससे अनेक समस्याएँ पैदा होती है।
7. नगरों में कुछ कॉलोनियों में सड़कें अत्यन्त कम चौड़ी होने व सड़क के दोनों तरफ रहने वाले कॉलोनीवासियों द्वारा अपने चार पहिया वाहनों को सड़क पर ही पार्किंग करने के कारण मार्ग अवरूध हो जाना व निकास की समस्या उभर रही है।
8. नगरों में पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर, संस्कारों के समय पर सड़क पर शामियाना लगाकर दो-तीन दिनों तक यातायात अवरूध कर दिया जाता है व भजन कीर्तन करने समय तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना।
9. बाजारों में व्यापारियों व कॉलोनियों में रहवासियों द्वारा अतिक्रमण करने से भी अनेक प्रकार की समस्याएँ विशेष रूप से परिवहन संचालन, अत्याधिक भीड़, ट्राफिक जाम व आवाजाही की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है।
10. कामकाजी महिलाओं के कारण शहरों में होटल, रेस्त्रां व बाहर भोजन खाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
11. सघन शहर आवास का एक दुष्प्रभाव भावशून्यता और उदासीनता होता है। शहरों में रहने वाले दूसरों के मामलों में उलझना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक की व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने, आपराधिक तत्वों के द्वारा परेशान किए जाने, आक्रमण किए जाने, अपहरण कर लिए जाने और उनकी हत्या कर दिए जाने के ऐसे कठिन एवं मुश्किल समय में भी पड़ौसी एवं अन्य व्यक्ति केवल खड़े हुए तमाशा देखते रहते हैं।
12. संयुक्त परिवारों का पतन, एकल परिवार, पति-पत्नी का सर्विस करने जाना, घर लावारिस एवं बेहाल होना।

13. वृद्धों एवं बच्चों की दुर्दशा।
14. सामाजिक संबंधों का निर्वाह केवल व्हाट्सएप, टिक्टू एवं इंस्टाग्राम, ईमेल तक सीमित।

समाधान -

1. प्रत्येक कॉलोनी में सार्वजनिक उद्यान के साथ ही सार्वजनिक पार्किंग स्थल बनाना चाहिए।
2. कॉलोनियों एवं नगरों की सड़कों पर तेज गति व कान फोडू होर्न बजाने वाले बिगडैल युवकों को यातायात नियमों का प्रशिक्षण व उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो।
3. नगरपालिका द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करते समय सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त रखी जाए।
4. नगरवासियों को मकान निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जाए कि वे अपने दो पहिया व चार पहिया वाहनों को अपने घर में ही खड़े करने हेतु पर्याप्त स्थान छोड़कर ही मकान निर्माण करें।
5. नगरों के योजनाबद्ध विकास की नीति बनाई जाए।
6. गाँवों में कृषि की हालत सुधारना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ ही अन्य वैकल्पिक रोजगार के साधनों एवं संयंत्रों की स्थापना करना।
8. गाँवों में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना।
9. व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों का निर्माण करना।
10. ग्रामीण बच्चों एवं युवाओं हेतु उनके ही क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा सुविधाओं का प्रबंध करना।

References :-

1. Bergal, E.E. 1955, Urban Sociology, New York : Mc Graw Hill
2. Nels, Anderson. 1959, The Urban Community, London : Routledge & Kegan Paul
3. Birth, Louis. 1962, Urbanism as a way of Life, American Journal of Sociology, New York, Vol. I, P.P. 36-38
4. Disouza, Vicer. 1974, Urban Social Structure, Delhi : Sage Publication
5. Gadgil, D.R. 1982, A study of Urban Social Life, London : Oxford University Press
6. Gore, M.S. 1982, Urbanization and Family Change, Columbia : South Asia books Publications
7. Rao, M.S.A. 1974, Urban Sociology in India, New Delh : Orient Longman

बस्तर जनजाति लोकनृत्य ककसाइ (पेन-करसीता)

डॉ. के. आर. ध्रुव* डॉ. बसंत नाग**

प्रस्तावना - धर्म एक ऐसी शक्ति है जो हजारों वर्षों से मनुष्य और उसके समाज को प्रभावित करती चली आ रही है। भारत वर्ष एक ऐसा धर्म मंदिर है जहां पर विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों, जनजातियों की अध्यात्मिक भावना जुड़ी हुई है, जहां पर सभी धर्मों को पुष्पित और पल्लवित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। भारतीय धर्म निरंतर बहने वाली नदी के समान है, जो समय के साथ अनेक प्रकार के ज्ञान और अनुभव को अपने साथ समेटती चलती है, और देश के आंचल में परोस देती है।

बस्तर क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति प्रकृति से जुड़े हुए है अतः जनजाति धर्म बस्तर में निवासरत जनजातियों की विशिष्ट धार्मिक भावना है और उसी के अनुकूल उनके देवी और देवता है, जिसका मूल स्रोत प्रकृति के भिन्न-भिन्न स्वरूप है। जनजाति समुदाय प्राकृतिक सौंदर्य और उनकी शक्ति को हजारों वर्षों से नमस्कार करता चला आ रहा है, और यही भय मिश्रित इच्छा उनकी धार्मिक भावना का प्राण तत्व है। उनका धर्म सीधा-सादा सरल धर्म है। जहाँ-जहाँ जिस शक्ति से अपनी कल्याण की उन्होंने बाते दिखाई दी वहाँ-वहाँ उसने प्रणाम किया। यही नहीं उन्होंने अपनी इन भावनाओं को प्रतिकों के रूप में स्थापित भी किया।

जनजातियों का विश्वास है, दैवीय शक्तियां ही उनका और सृष्टि का संरक्षण करती है। उनके प्रसन्न होने से जीवन प्रसन्न होता है, और रूषट हो जाने पर विपत्ति और संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। यही कारण है कि अपने सुख-दुख में शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिये देवियों शक्तियों की उपासना, धार्मिक अनुष्ठान करता है। यह अनुष्ठान व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। इसी सामूहिक धार्मिक और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ पर्व है। 'ककसाइ' यू तो विश्व की हर जाति पर्व मनाया जानती है, परन्तु जनजाति पग-पग पर ईष्ट देव की प्रकृति की और कभी अपने पूर्वजों की भी पूजा अर्चना करती है। श्रद्धा के विशाल सागर शायद ही अन्य जाति में मिले। आशा और आस्था के प्रति विश्वास रखने वाली और उसी के काल जीवित रहने वाली जनजातियों द्रिद्वता के बीच भी जीवन की विभिषकाओं का सामना करते हुए भी खुश रहना और सच्चे अर्थों में जीना जानती है। अपना हर्षोल्लास व पूजा तक ही सीमित नहीं रखती अपितु पूजा के साथ-साथ गीत नृत्य की अभिनव छटा, गीत और नृत्य इनके मनोरंजन के साधन ही नहीं अपितु अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम भी है।

प्रकृति के रहस्यात्मक कारणों और अदृश्य शक्तियों की छबि को चित्रित करने के लिए बस्तर के जनजातियां मिथकीय और धार्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करती हुई उनके मानव के मूल्यरूपी अस्तित्व को संरक्षित करती है। जनजाति अपनी काल्पनिक रूपों में संबंधों की खोज करता है, नातेदारी स्थापित कर

लेता है। 'ककसाइ' पर्व में इसी प्रकार के रिश्ते-नाते खोजे जाते हैं। वर्तमान समय में इन नृत्य, गीतों पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ है, परन्तु परिवर्तित रूप में धार्मिक आस्था प्रतिक है। 'ककसाइ नृत्य'।

बस्तर के माड़िया जनजातियों का प्रमुख नृत्य पर्व है 'ककसाइ'। यह नृत्य पर्व सामान्यतः मई महीने के मध्य से ज्येष्ठ के अंत तक मनाया जाता है अर्थात् जब ग्रीष्म ऋतु का समापन होने लगता है और वर्षा की पहली फुहारे पड़ने लगती है तब अबूझ पहाड़ियों के वनांचल में अबुझमाड़िया आदिम जाति के युवा हृदय 'ककसाइ' की अगवानी में धड़कने लगते हैं। वे ककसाइ नृत्य पर्व के लिए आतुर हो उठते हैं। इस नृत्य का स्वरूप धार्मिक है। शाब्दिक दृष्टिकोण से 'ककसाइ' शब्द द्रविड भाषा 'कर्स' शब्द से संबंधित है, जिसका संबंध नृत्य से होता है। अतः स्पष्ट है देवताओं से संबंधित नृत्य ककसाइ है और यह एक प्रकार से तीर्थ यात्रा, नृत्य (धार्मिक नृत्य) है, जिसमें आदिवासी समुह अपने आराध्य देवी-देवताओं की पूजा अर्चना कर उनकी प्रतिमा (प्रतिरूप) का जुलूस निकालकर नृत्य प्रस्तुत कर अपनी आस्था, संवेदनाओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिये यह नृत्य स्वाभाविक रूप से संगीतमय लयात्मक तथा भावनात्मक होता है।

हीरालाल शुक्ल ने इस संबंध में लिखते हैं कि - 'यात्रा नृत्य की उत्पत्ति वैदिक काल से माना जाता है यह तथ्य 'ई.पी. हार विजय के कथन से स्पष्ट होता है यहां तक कि वैदिक युग भी यात्रा से परिचित था। यात्रा आर्यों की अति पैतृक सम्पत्ति है। ऋग्वेद के देवताओं की स्तुति संगीतम' जुलूस में हुआ करती थी। सामदेव के कई मंत्र आदिम यात्रा नृत्यों के सुसंस्कृत विनोद की समीप तक पहुंच जाते थे।

Even the Vedic age knew jatras Memorable Heirloom of Aryan antiquity. The God of the Rigveda were hymned in choral Processings some of the Samaveda hymns reached the rude mirth of the Primitive Jatra dances () E.P. Hartwitz : The India Teatre P. 178)

इससे कहा जा सकता है कि The redemirth of Primitive Jatra Dances यात्रा के समय जो नृत्य होने थे वह वैदिक कालीन आर्यों के नृत्य नहीं थे बल्कि यहां के मूल निवासियों के दैवीय एवं धार्मिक नृत्य थे। संभव है, यहां के मूल निवासी आदिम जातियों की नाट्य शैली को वैदिक काल के आर्यों ने अपना ली हो और उनके गानों के स्थान पर वेदमंत्रों को संयुक्त कर इसे संस्कृत नाम 'यात्रा' दे दिया हो।

डॉ. कीथ ने इस तथ्य की ओर अधिक पुष्टि की है - The dramas of ritual therefore are in a sense some what out of main line

* सहायक प्रध्यापक (समाज शास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

** सहायक प्रध्यापक (समाज शास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

of development of the drama and the populer side has survived through ages in a rough way in the jatras well known in Bengal while the refined and sacerdo-falised vedic drama passed away without a direct descendan (A.B. Keith The sanskrit Drama 0-16) इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल के यज्ञ संवादाँ से भारतीय नाटक का विकास नहीं हुआ अपितु जात्रा नामक जननाटको नृत्यों के प्रभावो से आयों ने संस्कृत नाटको की एक नई शैली विकसित की वैदिक की वैदिक काल में जननाट्य शैली स्वाभाविक रूप से अबाध गति से चलती रही ।

‘यात्रा नाट्य’ जनजातियों के धार्मिक नाटक हो जिसमें समय-समय पर अनेक देवी देवताओं के महान क्रियाकलाप को उद्घाटित किया जाता रहा है । इन्हीं की शैली पर संस्कृत नाटक गीत गोविन्द की रचना हुई । इसका प्रभाव जनजातियों पर पड़ा इसी कारण नारायणपुर कोडागांव क्षेत्र के नृत्य गीतों को ‘गीत-गोविंद’ के नाम से जाना जाता है । ककसाइ नृत्य पर्व के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं :-

1. गोत्र देवता की पूजा अर्चना ।
2. गांव या क्षेत्र रहने वाले जनमानस की सुख समृद्धि के लिये पूजा अर्चना करना ।

अबुझमाड़िया क्षेत्र में ककसाइ मनाने वाले स्थान को माड़िया बोली में देव मुड़ियान पेन (ग्राम के प्रमुख देवालय स्थान) कहा कहा जाता है।

सम्पूर्ण जनजातीय समाज अनेक गोत्रों में बटा हुआ है, ककसाइ पर्व में गोत्र देवताओं की वंशभूमि की जात्रा निकाली जाती है । वंश भूम का संबंध इस अवसर पर गोत्र देवता से भरपुर फसल के लिए प्रार्थना की जाती है और उन्हें (गोत्र-देवता) को हर प्रकार से संतुष्ट किया जाता है । ‘ककसाइ’ पर्व की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है अलग-अलग गांवों में अलग-अलग दिन मनाया जाता है, अर्थात् एक गांव का पर्व समाप्त होने पर दूसरे गांव आमंत्रित होते हैं ककसाइ एक ऐसा पर्व है, जिससे साथ गांवों में विवाहों का ताँता लग जाता है ।

ककसाइ में एक रात पहले संबंधित गांव के गोत्र देवता के गुड़ी में दूसरे गांव के लोग अपने-अपने गोत्र देवता के साथ उपस्थित होते हैं । वहां उनका श्रद्धापूर्वक स्वागत किया जाता है, एक तरफ गोत्र-देवता गुड़ी में देव स्थल स्वीकार करते हैं । वहां पर गांव के दो चार बुरुजों के बीच अन्न बीजों एवं पूजा सामाग्री का आदान -प्रदान भी होता है । देवों से अच्छी फसल के लिए फिर से प्रार्थना की जाती है । इस बीच नगाड़े बज उठते हैं और सामुहिक भोज प्रारंभ हो जाता है । दूसरे दिन अतिथि देवों को स्नान कराने के लिये नदी ले जाया जाता है, नदी के समीप पहुंचते ही जोर-जोर से नगाड़े बजाए जाते हैं । देवों को नहला धुलाकर श्रद्धापूर्वक मयुरपंखो से सुशोभित कर गांव के मध्य लाया जाता है । वहां पर देवस्तंभ गड़ा होता है, जिसके नीचे अनाज का ढेर लगा दिया जाता है । थोड़ी देर में वहां उपस्थित लेस्को (सहायक सिरहा) के शरीर में देव प्रवेश करते हैं । उन्हें देव सदृश मानकर पूजा की जाती है । मुर्गे या बकरे की बलि दी जाती है, इनके रक्त और शराब के छोटे अनाज के ढेर में छिड़के जाते हैं, इसी ढेर में से अभिमंत्रित अनाज कुछ दाने लोग अपने-अपने घर जे जाते हैं और बुआई के बीज में मिलाकर अपने खेतों में फसलों की अच्छी पैदावर की कामना से बोते हैं । जनजातियों में यह विश्वास होता है कि अभिमंत्रित बीज में देवता का आशीर्वाद बना रहता है ।

तीसरे पहर लोग उसी खंबे के निकट पुनः एकत्रित होते हैं और लेस्को के शरीर में देव प्रवेश करते हैं और देवों का नृत्य आरंभ हो जाता है। घंटो

नगाड़ों और घुघरुओं का शोर, वातावरण को आस्था मूलक बनाए रखता है। नृत्यरत देव दर्शकों के मस्तिष्क पर कुमकुम, गुलाल के आशीर्वादात्मक टीके लगाते चलते हैं । नर्तकदल सात बार देव स्थल की परिक्रमा करते हैं , उनके साथ अन्य सिरहा भी रहते हैं, जिनके साथ में साजा वृक्ष के पत्ते के गुच्छे होते हैं । जुड़े वाले बालों में भी गुच्छे खोसे रहते हैं । ककसाइ देवी-देवताओं का नृत्य है जिसमें लड़किया सम्मिलित नहीं होती । देवों को आराम के लिए राउड देवों को आराम के लिये पहुंचा दिए जाते हैं । अतः कहा जा सकता है कि सुख समृद्धि की कामना के लिए ककसाइ नृत्य का आयोजन होता है। बस्तर जिले के माड़िया क्षेत्र के आदिवासियों के लिए ककसाइ नृत्य का एक श्रृंगारिक महत्व भी है। इसमें युवा लड़के लड़कियों के नए जोड़े बनते हैं, जो भविष्य में विवाह संबंध (प्रणय-सूत्र) में बंध जाते हैं। अतः माड़िया जीवन में ककसाइ जीवन साथी चयन करने का सुअवसर होता है । शाम 6.00 बजे ककसाइ नृत्य की तैयारियां शुरू हो जाती है । नृत्य की सम्पूर्ण वेशभूषा में सजने संवरने के लिए ककसाइ नर्तक को अधिक से अधिक समय लगता है । ऐसे समय में वह उतावले पन से काम नहीं लेता अत्यधिक आर्कषक दिखने के लिए प्रत्येक वस्तुओं का बराबर ध्यान रखता है क्योंकि उसे अपनी प्रिय युवती के हृदय में स्थान बनाना होता है । ककसाइ के लिये सम्मिलित युवक कमर से लेकर पांव तक घाघरा तथा उसी के अनुरूप कमीज पहनते हैं । घाघरा व अंगरखा के दोनों किनारी चटख रंग का होता है। माथे पर सफेद चौड़ी पट्टी की पगड़ी बांधते हैं । उसे कौड़ी, पोत और मुंगे की लड़ियों से खुब सजाता है । विशेष रूप से सामने की ओर छोटा गोल दर्पण जड़ता है । वर्तमान समय में इनमें परिवर्तन आ गया । मोर पंखों व मुर्गे के पंखों से बनी कलगी खोसता है। सिर पर जंगली सुअर के दांत लगाता है, जिसे शौर्य का प्रतीक माना जाता है। युवक नर्तक भृगराज पक्षी के कोमल पंख भी खोसते हैं । हाथ में कड़ा गले में मुंगा की मालाए पहने रहते हैं, इस अवसर पर कमर में पहने जाने वाला पट्टा उल्लेखनीय है, जिसमें लगभग पांच किलो सामान्यतः असंख्य छोटे बड़े घुंघरू एवं घंटी बंधे रहते हैं। कमसाइ युवती की युवती की साज-सज्जा साधारण होती है। पक्के श्याम वर्ण की किशोरियां पीला उत्तरीय, लाल रंग की चोली और केशों को मोतियों तथा कौड़ियों से सजाती है। स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी एक मोटी साड़ी घुटनों तक पहनती है। गले में हमेल, सुतिया मालाए, मांथे में सफेद पोत की अनेक पट्टियां बनाकर बांधती हैं। युवतियों का जूड़ा ककसाइ के दिन कला का प्रतीक होता है, वह बाल की लटों को मोड़ती है। बालों में आर्कषक ढंग से कंधी और धातु से बने हुए आभूषण सजाती है। युवक को रिझाने के लिये ककसाइ युवती का जुड़ा एक प्रमुख अस्त्र होता है।

ककसाइ नृत्य पर्व की रात युवक-युवतियों के लिए नाच, गाना और रासरंग की रात होती है। पारंपरिक तुरही वादन के साथ नृत्य प्रारंभ होता है। नृत्य करने हेतु अलग-अलग समूह में बंट जाते हैं। पहले नर्तक दल अर्द्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नाचता है, इस बीच नर्तकियों का समूह नर्तकों से कुछ हट कर नाचती है परन्तु नाचते-नाचते सम्मोहित होकर नर्तकों के दल में खिचती चली आती है। ककसाइ नृत्य में मांदरी, मंजीरा, टिमकी, तुड़बुड़ी, मधुमनी (मोहरी) का प्रयोग होता है। नृत्य रचनात्मक तथा लयबद्ध होता है। कमर में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि उनके हर पद चालन को नया लय, ताल व गति प्रदान करता है। युवक ओर युवतियों का गीत पूरी रात चलता है। पारम्परिक मांदरी की धमक, टिमकी की टिमक-टिमक ओर बांसुरी की तान पर युवतियों के सुरीले कंठ से निकला गीतों की स्वर लहरी मिलकर ऐसा प्रतीत है, मानों अबुझमाइ में इन्द्र का संगीत दरबार ही अवतरित हो गया हो।

इस नृत्य गीत में स्थानीय देव देवता का आवाहन किया जाता है। बाद में अपने-अपने क्षेत्र के सुपरिचित पशु पक्षियों फल-फूल वृक्षादि के गुणों और प्रवृत्तियों एवं आसपास के दृश्य का वृत्तांत बताकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। गीतों में प्रकृति के विषय वस्तु का वर्णन कर आग्रह अनुनय, विनय भी करते हैं।

ककसाइ नृत्य के कुछ नियम होते हैं। इसमें नृत्य में सम्मिलित प्रत्येक नर्तक मुख्य पंक्ति में नृत्य करते हुए दांयी ओर अपना दाया पैर धीरे से रखता है, फिर अंगूठों के बल तीन बार खड़ा होता है। इसके बाद बांये पैर को दाये पैर के पास लाकर उसी तरह की क्रिया को दोहराता है और एक बाद फिर उसी स्थिति में दांयी ओर मुड़ता है। इस क्रिया को करते समय पीछे बंधी हुई घंटियों (बड़े घुंघरूओं) की मनमोहक अंदाज में हिलाता है, संभवतः नर्तकदल घुंघरूओं की आवाज से नर्तकियों को आकर्षित करते हैं। मध्य स्थिति में रहने वाले गायक आगे की ओर बढ़ते हैं। उनके प्रत्येक डग पर थोड़ा रुकते हुए घेरे के बीच गायकों की संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह पूरा नृत्य एक जुलूस में बदल जाता है और नृत्य का घेरा टूट जाता है, इस अवसर पर तुरही बजती रहती है, जिसे 'अकुम' कहा जाता है।

ककसाइ नृत्य के दौरान चेलिक और मोटियारी कभी-कभी नाचते हुए मनपसंद हमसफर मिल जाने पर नृत्य करते घेरे से निकलकर सुहानी घाटियों की मादक छांव में जाकर छिप जाते हैं और सुन्दर भविष्य के सपने संजोते हैं। दोनों में से कोई भी गांव वापस नहीं लौटते ?

निश्चित समय उपरांत जब युवती घर नहीं लौटती तब उनके अभिभावक खोजबीन करते हैं। घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं, सब कुछ मालूम होने पर माता-पिता की अनुमति से दोनों का विवाह करा दिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि युवती पूर्व से विवाहित होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पूर्व पति को हर्जाने के तौर पर खर्चा (मुआवजा) ककसाइ पर्व में मिले नये पति को देना पड़ता है, इससे जनजाति संस्कृति की रीतियों का पता चलता है कि वैवाहिक नियम शिथिल है। 'प्रेम' को जीवन का आधार माना जाता है, अगर स्त्री-पुरुष को एक दूसरे का साथ पसंद ना हो तो वह दुबारा विवाह कर अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। ककसाइ पर्व वास्तव में इतना रंगीन आकर्षक और मनमोहक होता है। जितना की प्रकृति के बीच बिखरी इन्द्रधनुष छटा जो बस्तर के जनजातियों में व्याप्त है। माड़िया जनजातियों के नैसर्गिक सौन्दर्य, उन्मुक्त नृत्य शैली, धर्म के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण ककसाइ नृत्य पर्व में रच बस जाता है। ककसाइ पर्व के प्रत्येक दौर में नर्तक नर्तकियों का दल एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते हैं। इस समय गांव के युवा वर्ग सामान्यतः गांव में नहीं मिलते वह तो अपनी जीवन साथी की तलाश में ककसाइ पर्व में सम्मिलित हो जाते हैं। नर्तक नर्तकियों का झुण्ड एक गांव से दूसरे गांवों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसी

कारण इसे जात्रा पर्व कहा जाता है। इस नृत्य यात्रा में एक गांव से दूसरे गांव के लड़के-लड़कियों को मिलने का पर्याप्त सुअवसर मिलता है जो स्वतंत्र वर-वधू चयन का आधार बनता है। विवाहोत्सव में इन नर्तक नर्तकियों का मेल होता है।

ककसाइ पर्व गोत्र देवताओं का भव्य उत्सव है। उनके सम्मान में गीत गाये जाते हैं। शोभायात्रा निकाली जाती है। यह उत्सव पर्याप्त मनोरंजन का अवसर प्रदान करता है। मुरिया धर्म सांस्कारिक रीतियों, विधियों से सम्पादित होता है। इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए सामुहिक प्रयास किया जाता है। जनजाति धर्म धार्मिकता से मिलाने में विश्वास नहीं करता वह तो जानते हैं केवल देवता को संतुष्ट करना, इसलिये वह पूजा-अर्चना कर भोग चढ़ाकर देवता से याचना करता है वह इसलिए करता है कि बदले में देवता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसे उत्सवों सैकड़ों युवक और युवतियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर देवताओं की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस पर्व में युवक-युवतियों को मिलने की अधिक संभावना होती है।

'पेन करसीता' या ककसाइ नृत्य बहुत ही लयात्मक गति का नृत्य होता है। यहां यह पाश्च पदचालन का नृत्य है, जो बहुत ही अमोदकारक होता है। इसी नृत्य में अपने-अपने देवी-देवताओं के साथ पड़ोसी गांवों के सिरहा सम्मिलित होते हैं। उनके हाथ में साजा वृक्ष के पत्तियों के गुच्छे होते हैं। बालों में भी ये गुच्छे लगाये रहते हैं। गोत्र देवता की अगवानी में सिरहा इतने अधिक उन्मुक्त होते हैं कि देवताओं की यात्रा में नृत्यमग्न हो जाते हैं। आदिम प्राणाली के अनुसार नृत्य एक सामुहिक आयोजन है और सामुहिक परिश्रम का प्रतिफल भोजन तथा पान है। सामुहिक अस्तित्व की भावना और चेतना को धर्म के पर्व के रूप में प्रकट करते हैं। यह भी मानते हैं कि दैवीय शक्ति संगीत और नृत्य से प्रसन्न होता है, इसलिए उत्सव का आयोजन होता है। ककसाइ दैवीय नृत्य के साथ-साथ जीवन साथी के चयन का आधार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेहार डॉ. रामकुमार - आदिवासी बस्तर इतिहास एवं परम्परायें म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1992
2. लाला जगदलपुरी - बस्तर इतिहास एवं संस्कृति म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1994
3. मोहम्मद शरीफ - भारत के लोकनृत्य म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2003
4. शुवल हीरालाल - आदिवासी संगीत म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1986
5. तिवारी डॉ. शिवकुमार - म.प्र. जनजातिय संस्कृति (म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1999)

समाज में मीडिया की भूमिका

डॉ. कल्पना कोठारी *

प्रस्तावना - 'लेखनी से तू सदा इतिहास का निर्माण करती है विश्व रुपी चित्रपट पर तुलिका से रंग भरती है' मीडिया मतलब जिन साधनों का प्रयोग एक बड़ी जनसंख्या तक विचार, भावनाओं व सूचनाओं को सम्प्रेषित किया जाता है, उसे हम जन संचार का माध्यम (मीडिया) कहते हैं। इन्हीं जन संचार के माध्यमों को पत्रकारिता, प्रेस अथवा मीडिया कहा जाता है। रेडियो, मोबाईल, टेलिविजन, इंटरनेट, समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पेम्पलेट, जनरल पुस्तकें, जैसे अन्य अनेक स्रोत मीडिया के माध्यम बन गए हैं।

मीडिया आज हर व्यक्ति की पहुंच बन चुका है। मीडिया को समाज दर्पण कहा जाता है। यह समाज में होने वाली तमाम घटनाओं को प्रतिदिन बड़ी तेजी से पहुंचाता है। मीडिया का महत्व समाज के प्रति उत्तरदायित्व आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की भूमिका की बात की जाए तो समाज में मीडिया की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं तो श्विष्य के लिए मीडिया की पीठ थपथपा सकते हैं और जब भी मीडिया और समाज की बात की जाती है तो मीडिया के समाज में जागरुकता पैदा करने वाले एक साधन के रूप में देखा जाता है। जो कि लोगों को सही व गलत दिशा में एक प्रेरक कार्य करता नजर आता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूख, भ्रष्टाचार व महंगाई से ग्रस्त जनता हजारों के आंदोलनों को देशभर में व्यापक समर्थन मिला। मीडिया के कारण भी हमसब एक हो सकते हैं।

मीडिया संचार का ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम समाज में घटित हो रही किसी घटना, किसी भी प्रकार की जानकारी, शिक्षा एवं किसी भी प्रकार विज्ञापन के प्रचार प्रसार को बहुत ही जल्दी और सहजता से समाज के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं।

समाज में मीडिया की भूमिका शुरु से अहम रही है। तकनीकी विकास से पहले मीडिया शब्द का प्रयोग केवल किताबों, समाचार-पत्रों जिसे हम प्रिंट मीडिया के रूप में जानते हैं के लिए ही होता था। परन्तु अब टेलिविजन, फिल्मों, रेडियो तथा इंटरनेट आदि मीडिया के प्रमुख अंग बन गए हैं। पहले जब मीडिया के ये सभी आधुनिक साधन नहीं थे तो केवल प्रिंट मीडिया का ही प्रयोग होता था। लोग साहित्य और लेखन के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट किया करते थे जैसे कि शरत की आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों को सफल बनाने के लिए इससे लोगों को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का सम्पादन किया जाता था।

इस तरह भारत की स्वतंत्र मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज का मीडिया हमारे समाज को नया आकार प्रदान करने तथा इसको मजबूत बनाने में अपनी एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हम मीडिया के द्वारा देश के किसी कोने में बैठकर दुनिया के किसी

कोने में घटित हुई घटना को देख सकते, सुन सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया भी हमें हर तरह की खबरों से अवगत कराता है।

पहले लोग अपने से दूर रह रहे मित्रों एवं रिश्तेदारों से बात करने के लिए टेलीग्राम, पत्र, लेखन आदि का सहारा लेते थे जिससे काफी समय लगता था, परन्तु आज फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग बड़ी आसानी से एक दूसरे से बातचीत करने में करते हैं। हम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने रिश्तेदारों मित्रों जो विदेशों में हैं, उन्हें देखकर बात कर सकते हैं।

कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ ही साथ मीडिया को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना गया है। आज हमारी सरकार हमारी जनता को जागरुक करने एवं उसके लिए लागू की गई किसी नई योजनाओं की जानकारी मीडिया के द्वारा आम जन मानस तक पहुंचाती है। मीडिया के द्वारा आज समाज का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार एवं देश में हो रहे घोटालों को अपराधियों को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज व्यक्ति किसी गलत घटना को अपने मोबाईल या कैमरे में रिकार्ड कर सोशल मीडिया के किसी भी रूप का प्रयोग करके उस घटना को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाकर दोषियों को सजा दिलाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश व समाज के हित में कार्य करता है।

आधुनीकरण के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी मीडिया ने एक क्रांति ला दी है। आज मीडिया विज्ञापन का एक ऐसा सरल माध्यम बन गया है जिसके द्वारा कोई भी व्यापारी या कम्पनी अपने द्वारा उत्पादित किए गए किसी नए उत्पादन को टेलिविजन तथा सोशल मीडिया का प्रयोग करके, आज जन मानस को बड़ी ही सहजता से बात कर सकती हैं तथा उसके प्रयोग के लिए लोगों को उत्सुक कर सकती है और अधिक से अधिक कमा सकती है।

मीडिया के द्वारा किसी संक्रामक बीमारी, उसके लक्षण उस बीमारी के कारण जैसे कि वह किस कारण से इसका संक्रमण होता है आदि के बारे में बता कर लोगों को उस बीमारी के प्रति सचेत किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलियो नामक बीमारी है, जिसके उन्मुलन के लिए शरत सरकार ने अपने द्वारा चलाए गए पल्स पोलियो अभियान के प्रति लोगों को मीडिया एवं अन्य माध्यम से लोगों को जागरुक कर शरत को पोलियो ग्रसित देश की सूची से बाहर कर लिया। इसके साथ ही साथ एड्स जैसी बीमारियों के प्रति लोगों में विद्यमान भ्रांतियों को भी मीडिया की मदद से दूर किया जा सका है।

आज के मीडिया से देश के किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है

व्योंकि टेलीविजन पर अनेकों ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे किसानों को खेती करने की नई एवं वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराया जाता है। जिससे सीधा असर किसानों के फसल उत्पादन की क्षमता पर पड़ता है। इस तरह मीडिया का हमारे आज के समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया के वजह से ही आज समाज के संकुचित मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों की सोच भी बदल रही है। लोग आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं।

इंग्लैण्ड में एडमंड बर्क ने मीडिया का चतुर्थ इस्टेट कहा, जिसका आधार मीडिया का सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ गहरा जुड़ाव से रहा है। 1947 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आयोग के गठन के साथ मीडिया को सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय एक महत्वपूर्ण बहस बिन्दु बन गया जनहित के कुछ महत्वपूर्ण आयाम जिनको मीडिया को अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

भारत में आजादी से पूर्व युग में, मीडिया को सामाजिक परिवर्तन के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। राजा राममोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, बैंकिमचन्द्र चटर्जी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, निखिल चक्रवर्ती, मुंशी प्रेमचंद्र और शरदचंद्र चटपोध्याय जैसे महान कलम ने पत्र-पत्रिकाओं को जन जागरण का अहम हथियार बनाया जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त विसंगतियों, कुरीतियों आदि को दूर करना था। राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रणाली आदि के खिलाफ लिखा था (अपने अखबार मिरातूल और सम्वाद कौमुदी में) निखिल चक्रवर्ती ने बंगाल के अकाल भयावहता के बारे में लिखा, मुंशी प्रेमचन्द्र और शरदचंद्र चटपोध्याय ने सांमती प्रथाओं और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लिखा। अपने शुरुवाती के दिनों में मीडिया पत्रकारिता के माध्यम से हमारे देश में एक मिशन के रूप में जन्मी थी। जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करने का था।

आजादी के बाद आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन जैसे सार्वजनिक सेवा प्रसारकों ने जन संचार में देश को जानकारी और मनोरंजन व शैक्षिक कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली थी तभी से मीडिया के आकार एवं प्रकार में बढ़ोतरी होने लगी।

मीडिया सरकारी प्रस्तावों, योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के बारे में लोगों के बीच सूचना देने और जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है जैसे-जनता के प्रति शासन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, वही दूसरी तरफ जनता से संबंधित मुद्दों, समस्याओं और जनमानस की चिंताओं को सरकारी प्रतिनिधियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में मीडिया की भूमिका समाज में अहम रही है।

समाज में मीडिया की भूमिका सूचना प्रद एवं शिक्षा प्रद दोनों पहलुओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि जनसहभागिता को बढ़ाने हेतु लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था को प्रभावी व कुशलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। पूर्वाग्रहों से मुक्त समाज की समस्याओं पर राय विश्लेषण करके एवं संतुलित चेतना का विकास करते हुए मीडिया का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी से भरा है। मीडिया का और भी वह कार्य है जिसमें निर्धन, शोषित व दबे कुचले लोगों की सशक्त आवाज उठाना एवं उनके हितार्थ, व्यवस्था को सोचने के लिए विवश करना, आदि महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार नीति निर्धारण में जन सहभागिता के लिए जनता एवं नीति निर्धारकों के बीच मीडिया एक सेतु का कार्य करता है।

समाज को सही दिशा देना मीडिया का उत्तरदायित्व है। इससे मीडिया

को समाज के सकारात्मक पहलुओं को प्रमुखता से सामने लाना चाहिए लेकिन आज के दौर में मीडिया में अधिकतर नकारात्मक खबरों को अहम स्थान मिलता है।

मीडिया को सामाजिक सरोकार के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता में आगे आना चाहिए ताकि मायने में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मीडिया की समाज में अमिट छाप होती है। अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के माहौल में मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उसे समाज में शांति, सद्भावना व एकता कायम करने में सकारात्मक पहल पेश करना चाहिए।

निर्वाचन के क्षेत्र में मीडिया का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मीडिया निष्पक्ष राष्ट्र घटनाओं पर रिपोर्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर हम लोकतंत्र की बात कहे तो स्टेट मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में रहे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में मीडिया की भूमिका सम्पूर्ण स्वरूप में तेजी से विकसित हुई है। सूचना क्रांति एवं तकनीकी प्रगतिशीलता के कारण मीडिया की पहुंच व्यापक हुई है। अन्य क्षेत्रों की तरह मीडिया भी उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित दिखाई देता है।

‘निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया के अभाव में स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह यह माध्यम आधुनिक समाज में प्रहरी का रूप ले चुका है।’

मीडिया के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। जिसमें मुख्यतः प्रत्याशी, नामांकन, नामांकन-पत्र वापस लेना, चुनाव चिन्ह, चुनाव क्षेत्र, चुनाव अभियान, चुनाव का स्थगित होना, चुनाव घोषणा पत्र, तथा विज्ञापन चुनाव आचार संहिता एवं मतदान जिनमें पॉलिंग एजेंट, पॉलिंग बुथ, मतदान केन्द्र, वोट मशीन ऐसी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।

मीडिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में दिखाई देता है। यह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। जिसके कारण यह समस्त प्रक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से चुनाव कार्यों को संचालित करने में सक्षम होता है।

मीडिया की चौकस निगाह हर प्रत्याशी, राजनैतिक दलों और अवांछनीय गतिविधियों पर सतत् बनी रहती है। मीडिया के कारण प्रत्याशी कोई गैर कानूनी कार्य करने से डरता है और चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता का पालन करता है। मीडिया उस हर घटना को आम जनता व निर्वाचन आयोग तक पहुंचाता है, जो सामान्यतः लोगों की निगाहों से बची रहती है। मीडिया वास्तव में जनता के सामने सबकी एक छवि प्रस्तुत करता है जिससे मतदाता को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। मीडिया के बिना निर्वाचन संबंधी किसी कार्य की कल्पना नहीं कर सकते। जनता की आवाज को आयोग तक पहुंचाने में मीडिया से बेहतर कोई भी भूमिका नहीं निभा सकता। निर्वाचन आयोग मीडिया को अपना मित्र मानता है। मीडिया की भूमिका निर्वाचन के समय निष्पक्ष रूप से देखी जा सकती है।

भारतीय मीडिया के एक मैजिक चित्र से पता चलता है, पर चुनावी विचार विमर्श से कई मुद्दों का समाचार चैनल पर दिखाया जाता है एवं चुनावी परिणामों को अन्य समय में तुलनात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है जिसे देखकर सभी दलों की स्थिति स्पष्ट पता चल जाती है।

निर्वाचन कार्य के सफलतम प्रदर्शन दिखाने में तथा जिसके माध्यम से वोट के विवेक पूर्ण उपयोग, सम्पादकीय, संवादाताओं और अखबार

पेशेवर समीक्षक पर एक महान जिम्मेदारी हमें प्रमाणित समाचार और निष्पक्ष परिणामों को अपने माध्यमों से दिखाता है।

समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए सामाजिक सरोकार के मार्ग पर चलता है, तो वह समाज प्रगतिशील होता है। अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के माहौल में मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जिससे वह समाज में व्यवस्था, शांति, सद्भावना व एकता कायम करने में सकारात्मक वातावरण निर्मित कर समाज में अपने उत्तरदायित्व को निभाता है।

कालान्तर में लिपि का आविष्कार होने से शिक्षण संस्थाएँ सामाजिकरण के अभिकरण(साधन) बन गए। इसमें प्राथमिक समूह की भूमिका अहम रही है। समाज का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे-वैसे संचार के माध्यमों ने भी तरक्की की। समाज में संचार माध्यमों की बहुलता के कारण लोगों के पास एक ही संदेश कई माध्यमों से आने लगे जिससे संदेशों के पुष्टिकरण की

समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो गया है। भारतीय समाज शास्त्री श्यामाचरण दुबे के अनुसार मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार के माध्यम से सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार जन्य प्रतिमानों को आत्मसात कर लेता है। अर्थात् सामाजिकरण का मूल आधार संचार ही है। इसी कारण समाज में मीडिया के महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

‘सोशल साइट है, सूचना का सशक्त साधन सोशल साइट का प्रयोग है आसान।’

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेट के माध्यम से ।
2. मौलिक ।
3. समाज शास्त्रीय निबंध-डॉ. माधवीलता दुबे, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।

सुखी जीवन के चार अनुबंध (समझौते)

डॉ. ऋचा एस. मेहता *

शोध सारांश - एक ही समाज में अलग-अलग व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। कई व्यक्ति स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं एवं दूसरे व्यक्तियों के जीवन को अच्छा बनाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को जीते जी नर्क समान बनाते हैं एवं दूसरों के जीवन में समस्या पैदा करते रहते हैं। वास्तव में मनुष्यों के ऐसे व्यवहार का कारण व्यक्ति के बचपन में उनमें स्थापित की गई मान्यताएँ (Belief System) हैं। मनुष्य की गलत मान्यताएँ उसके जीवन में अनेक विवादों का कारण बनती हैं, जिससे निजात पाना नितांत आवश्यक है। इस परिस्थिति से निकलने का उपाय बहुत सीधा सा है। मनुष्य अपनी मान्यताओं की सत्यता की जाँच करते जाएं एवं गलत मान्यताओं से निजात पाते जाएं। अपनी गहरी एवं मजबूत मान्यताओं को तोड़ना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। यह प्रारंभ में कठिन है परन्तु बाद में यह आसान होते जाता है। इन गलत मान्यताओं को आप जीवन में अपने आपसे चार अनुबंध (समझौते) करके तोड़ सकते हैं। अपने से किए गए इन चार अनुबंधों से आपके जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन आएगा एवं आपको धरती पर ही स्वर्ग सा आनंद मिलेगा।

अपने आपसे किए जाने वाले यह चार अनुबंध निम्नानुसार हैं -

1. सदैव सकारात्मक शब्दों का प्रयोग
2. घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें
3. अनुमान के आधार पर व्यवहार नहीं
4. हमेशा अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करें

उपरोक्त चारों अनुबंध को अपने व्यवहार में उतारना एक कठिन चुनौती अवश्य है परन्तु निरन्तर प्रयास करते रहने से दुनिया का कोई भी काम करना असंभव नहीं। इन चारों बातों को अनुसरण व्यक्ति के जीवन में सफलता एवं सुख आना निश्चित है।

प्रस्तावना - एक ही समाज में अलग-अलग व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। कई व्यक्ति स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं एवं दूसरे व्यक्तियों के जीवन को अच्छा बनाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को जीते जी नर्क समान बनाते हैं एवं दूसरों के जीवन में समस्या पैदा करते रहते हैं। वास्तव में मनुष्यों के ऐसे व्यवहार का कारण व्यक्ति के बचपन में उनमें स्थापित की गई मान्यताएँ (Belief System) हैं। वास्तव में एक बच्चा अपनी मान्यताएँ स्वयं नहीं बनाता। बच्चों की मान्यताएँ उसके माता-पिता, रिश्तेदार, मित्र, शिक्षक इत्यादि की सूचनाओं एवं जानकारियों के माध्यम से बनती हैं। इन सूचनाओं एवं जानकारियों से वह सहमत हो या न हो वह इसे अपने दिमाग में बैठाता जाता है। वह इनकी सत्यता की जाँच भी नहीं कर सकता। धीरे-धीरे यह मान्यताएँ इतनी गहरी हो जाती हैं कि वह उसके जीवन का प्रत्येक निर्णय इन मान्यताओं के आधार पर करने लगता है एवं उसके जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी क्रियाएँ उन मान्यताओं के आधार पर होने लगती हैं जिनकी सत्यता को कभी उसने स्वयं कसौटी पर नहीं कसा है।

यह मान्यताएँ नियमों की एक ऐसी पुस्तक बन जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करती हैं। इस पुस्तक के नियमों के अनुसार आपके व्यक्तित्व का निर्माण होते जाते हैं एवं आपको इसका पता भी नहीं चलता। मैं यह कर सकता हूँ या मैं यह नहीं कर सकता हूँ यह पुस्तक के नियमों के तहत निर्णित होना प्रारंभ हो जाता है। इस पुस्तक में लिखे प्रत्येक तथ्य को हम अंतिम सत्य मान लेते हैं एवं पहले अपने आपको एवं फिर दूसरे के जीवन का आकलन करना प्रारंभ करते हैं। हम यह समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का

जीवन हमारी मान्यताओं के नियम की पुस्तक के अनुरूप रहना चाहिए। यहाँ हम यह ध्यान नहीं रख पाते हैं कि सबकी मान्यताओं की पुस्तक के नियम भिन्न होते हैं। बस यही से मनुष्यों के बीच टकराव प्रारंभ हो जाता है एवं जीवन में समस्याएँ प्रारंभ हो जाती हैं। व्यक्ति अपने अभिभावक, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार एवं समाज से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करता है, जो उसकी मान्यताओं के अनुसार सही है। परिणाम जीवन में व्यक्ति स्वयं बहुत सी समस्याएँ पैदा कर लेता है एवं उसका जीवन दुःखमय बन जाता है।

इस परिस्थिति से निकलने का उपाय बहुत सीधा सा है। मनुष्य अपनी मान्यताओं की सत्यता की जाँच करते जाएं एवं गलत मान्यताओं से निजात पाते जाएं। अपनी गहरी एवं मजबूत मान्यताओं को तोड़ना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। यह प्रारंभ में कठिन है परन्तु बाद में यह आसान होते जाता है। इन गलत मान्यताओं को आप जीवन में अपने आपसे चार अनुबंध (समझौते) करके तोड़ सकते हैं। अपने से किए गए इन चार अनुबंधों से आपके जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन आएगा एवं आपको धरती पर ही स्वर्ग सा आनंद मिलेगा। अपने आपसे किए जाने वाले यह चार अनुबंध निम्नानुसार हैं -

1. **सदैव सकारात्मक शब्दों का प्रयोग** : जब हम अपने आपसे बात करें या दूसरों से बात करें हमेशा सकारात्मक शब्द बोले। शब्द सबसे शक्तिशाली साधन हैं जो केवल मनुष्य को ईश्वर ने दिया है पर यह दो धारी तलवार है। आपके शब्द एक सुंदर स्वप्न को यथार्थ में बदल सकते हैं, तो दूसरी ओर संसार को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसको सबसे बड़ा उदाहरण एडोल्फ हिटलर है जिसने संसार के सबसे अधिक बुद्धिशाली लोगों

के दिमाग में अपने शब्दों से ऐसे बीज बोए कि उन्होंने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। यदि आप अपने मित्र के यह कहो कि मुझे तेरे मुख का रंग ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें कैंसर हो गया है। अब यदि आपका मित्र यह सुन लेता है और इस बात से सहमत हो जाता है तो यह मानकर चलिए कि बहुत कम समय में वह कैंसर का शिकार हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को मूर्ख या बदसूरत कहो और वह उससे सहमत हो जाए तो वह जीवनभर उस भावना से नहीं उबर पाएंगे। वास्तव में मनुष्य का मस्तिष्क एक फलद्रूप भूमि है, जिसमें यदि अच्छे विचार डालेंगे तो उसका मस्तिष्क संसार को स्वर्ग बनाने में समक्ष हो जाएगा परन्तु यदि बुरे विचारों का जहर बोओगे तो वह जहर बढ़कर पूरे संसार को समाप्त कर देगा। अतः जब भी बोले ऐसे शब्दों का चयन करें जो सामने वाले व्यक्ति में आशा एवं साहस का संसार करें।

2. घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें : अपने आपसे किए गए पहले अनुबंध से व्यक्ति अपने बोले जाने वाले शब्दों पर तो नियंत्रण कर लेगा परन्तु यदि कोई दूसरा व्यक्ति आप पर जहर भरे शब्दों का प्रयोग करें तो आप कैसे बचेंगे ? इसके लिए आप अपने आपसे दूसरा अनुबंध करें कि आप किसी की भी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके मस्तिष्क में कोई नकारात्मक शब्द या विचार डालने के प्रयास करें परन्तु आप इन विचारों को व्यक्तिगत रूप से न लें एवं इन विचारों से सहमत न हो तो आप इन भावनात्मक कचरे से बच सकते हैं। यदि आप बातों को अन्यथा नहीं लेंगे तो आपकी मान्यता एवं सामने वाले की मान्यताओं में टकराव नहीं होगा एवं विवाद की स्थिति नहीं बनेगी।

3. अनुमान के आधार पर व्यवहार नहीं : मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि कई बातों को स्पष्ट नहीं करता है, अनुमान अधिक लगाता है। हम अनुमान लगाते रहते हैं कि अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया होगा या वह हमारे विषय में ऐसा सोचता होगा। सामान्य तौर पर हमारे जीवन में अधिकांश दुख एवं संताप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने एवं अनुमान लगाने के कारण होता है। लोग गोसिप करके एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाकर जहर फैलाते हैं क्योंकि वे बात को स्पष्ट करने से डरते हैं। इस कारण लोग अनुमान लगाकर

अपने आपकी रक्षा करते हैं एवं दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। हम केवल वही सुनते एवं देखते हैं, जो हम देखना एवं सुनना चाहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन साथी, बच्चों एवं माता-पिता तक के संबंध में अनुमान लगाते हैं कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं ? एवं उनके साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए ? अब सामने वाले व्यक्ति को तो ज्ञात नहीं है कि आप क्या अनुमान लगाते हो ? अब जब उनका व्यवहार या कार्य आपके अनुमान के अनुरूप नहीं होता है तो विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। अतः दूसरों से आप जो चाहते हो, उसका अनुमान मत लगाइए परन्तु स्पष्ट रूप से बात करें।

4. हमेशा अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करें : अपने आप से चौथा अनुबंध यह करें कि आप हमेशा प्रत्येक कार्य को करते समय अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करें। समय, स्थान, व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं मूड के आधार पर उसका सर्वश्रेष्ठ कम या ज्यादा हो सकता है। हमेशा श्रेष्ठ देने की आदत बना लेने के कारण आप कभी भी हीनभावना से ग्रस्त नहीं होंगे एवं कभी भी आप अपने आपको दोषी नहीं मानेंगे। हमेशा श्रेष्ठ देने की आदत के कारण परिणाम की ओर आपका ध्यान नहीं रहेगा एवं काम करने में आपको आनंद आएगा जो जीवन को सुखी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सुख के प्राप्त सफलता व्यर्थ होती है।

उपरोक्त चारों अनुबंध को अपने व्यवहार में उतारना एक कठिन चुनौती अवश्य है परन्तु निरन्तर प्रयास करते रहने से दुनिया का कोई भी काम करना असंभव नहीं। इन चारों अनुबंधों को पालन प्रारंभ में कठिन है परन्तु जैसे-जैसे हम निरन्तर रूप से इनको अपने व्यवहार का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलना ही है। इन चारों बातों को अनुसरण व्यक्ति के जीवन में सफलता एवं सुख आना निश्चित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Four agreements - Don Miguel Ruiz
2. समाचार-पत्र
3. स्वयं के विचार

मानव जीवन का समग्र विकास और विज्ञान (एक मनोसामाजिक विश्लेषण)

डॉ. रश्मि दुबे *

प्रस्तावना - 'विज्ञान किसी एक देश का नहीं होता क्योंकि ज्ञान का संबंध मानवता से है और यही वह मशाल है, जिससे पूरी दुनिया रोशन है। 'लुई पाश्चर आग की खोज हो, पहिया हो या नाभिकीय विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा हो, वैज्ञानिक विचार तथा रूचि मानवजाति के विकास एवं प्रगति की रीढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक स्वभाव तथा जिज्ञासु मस्तिष्क लोगों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वैज्ञानिक मस्तिष्क ही स्थितियों को पड़ताल कर सकता है तथा समाधान तलाश करता है। अगर न्यूटन ने सेब के ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने पर सवाल नहीं उठाया होता तो वह गुरुत्व बल की खोज नहीं कर पाए होते। किंतु विज्ञान का अर्थ अमूर्त विचार भर नहीं है बल्कि जनसामान्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में उनका उपयोग भी विज्ञान के दायरे में ही आता है। विज्ञान में प्रत्येक खोज चिरंतन लाभ होता है। जैसा आइंस्टीन ने कहा था 'आज का विज्ञान कल की प्रौद्योगिकी है।' विकास सदैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा होता है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं।¹

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास से लोगों के रहने, एक-दूसरे से जुड़ने आपस में संपर्क करने के तरीके में बुनियादी बदलाव आ जाता है। बिजली, परिवहन के तेज साधनों तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणालियों जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों ने आम आदमी के लिए जीवन आसान तथा बेहतर बना दिया है क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए रोशनी है, कामकाज के लिए तेज सफर करने का साधन है और आपदाओं के बारे में पहले से चेतावनी पा जाने की सुविधा है। विभिन्न क्षेत्रों में नई पहलों से युवा उद्यमियों को अपने कौशल का विकास करने एवं स्टार्टअप आरंभ करने में मदद मिल रही है, किसी समय खाद्य का आयात करने वाला भारत हरित क्रांति के कारण अब आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि खाद्य पदार्थों का निर्यात भी करता है। वैज्ञानिक खोजों ने किसानों को तेज गति के साथ बेहतर फसलें उगाने में मदद की है, जिससे भोजन की कमी की समस्या हल हुई है।

वैज्ञानिक आविष्कारों ने चिकित्सा से जुड़े लोगों को जानकारी जुटाने, समझ-बूझकर फैसले करने तथा गंभीर रोगों का इलाज करने के साधन देकर स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है। मोतियाबिंद के मामूली ऑपरेशन से लेकर हृदय प्रत्यारोपण तक चिकित्सा प्रौद्योगिकी में विकास ने मानव जीवन की गुणवत्त सुधारने तथा जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में योगदान किया है।

विकास और विज्ञान मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक-दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। किसी भी विषय के अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिले विचार, विज्ञान हैं। तथ्यपरक और क्रमबद्ध होना इसकी अनिवार्यता है। इस आधार पर विज्ञान ज्ञान का भंडार न होकर वैज्ञानिक विधि से प्रतिपादित

विचार हैं। विकास की, विकास का अर्थ है सैद्धांतिक रूप से कोई वस्तु या विचार अस्तित्व में आकर अपनी आरम्भिक अवस्था से अपनी आरम्भिक अवस्था से अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ती हुई पूर्ण अवस्था तक पहुंचती है, उस क्रमिक वृद्धि को विकास कहते हैं। विकास वृद्धि के साथ-साथ परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत है। यह गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

यह परिवर्तन मानव जीवन के प्रत्येक आयाम में सतत विकास की रूप में हो, तभी सतत विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। इन सारी परिभाषाओं के बीच एक प्रश्न उठता है कि क्या मानव जीवन के सतत विकास में वैज्ञानिक क्रांति और अनुसंधान ही सहचर हैं? निःसंदेह वर्तमान युग 'विज्ञान युग' है। जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान, तकनीकी और यंत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी ने सुरक्षा, अर्थ, भौतिक, चिकित्सा, मनोरंजन, कृषि, शिक्षा, कला, संगीत आदि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पहुंच कर हमारे जीवन को प्रभावकारी और द्रुतगामी बना दिया है।²

वर्तमान में मानव मस्तिष्क को भी किसी घटना, वस्तु, स्थिति के संबंध में स्पष्ट निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।³ हम अब मस्तिष्क और मानवीय समस्याओं को अधिक प्रभावी रूप से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में जा रहे प्रयोग बेहद सफल भी हो रहे हैं। व्यक्ति की अधिकतम कार्य क्षमता टीम वर्क नेतृत्व गुण और भावनाओं की तकनीक की समझ, उसे साधने के सफल प्रयास हो रहे हैं स्लीपिंग सेल, जहां कॉर्पोरेट कल्चर को ध्यान में रखकर व्यक्ति की नींद को नियंत्रित कर निर्धारित समय सीमा में प्रभावी नींद लाने के प्रयोग हो रही हैं वही पोषाहार कैप्सूल जैसी भोजन नियंत्रित करने की भी तकनीकें आज अपनाई जा रही हैं। जिससे मानव की अधिकतम कार्य क्षमता का उपयोग किया जा सके। परंतु इन वैज्ञानिक तकनीकों से प्रकृति या मानव के दोहन की सीमा कहा तक होनी चाहिए? जहां हम विज्ञान की नजर में लगातार सफलता की नयी उंचाईया छू रहे हैं वही इन तकनीकों के अत्याधिक प्रयोग से हमें गंभीर दुष्परिणाम भी झेलने पड़ रहे हैं।⁴

विज्ञान की प्रगति ने भौतिकवादी मानव विकास चिंतन को दिशा दी है। हम भौतिक पदार्थों के स्वरूप और उपयोग को समझने वाले विज्ञान पर केन्द्रित हो रहे हैं। परन्तु मानव विकास के लिए भौतिक के साथ-साथ तार्किक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। 'हिंद स्वराज' में महात्मा गांधी ने पश्चिमी सभ्यता को जिसकी लाठी उसकी भैंस के नीतिवाद से सम्बद्ध बताया है, जिसमें हाशिये के लोगों की कोई जगह नहीं है।⁵ इसमें समाज में ऊपर के लोगों को सारे संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार होता है, समाज में हाशिये पर खड़े

कमजोर लोगों को वो उपनिवेश बनाते हैं। भौतिकतावाद से अलग जो वस्तु है, जिसे हम आंतरिक मूल्य ज्ञान कह सकते हैं ने विज्ञान की तकनीको का मुकाबला उस स्तर पर नहीं किया, और उसकी एक अलग स्वप्न सी दुनिया बनती चली गयी।

डॉ. राधाकृष्ण ने कहा है- भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति न रहकर केवल मस्तिष्क रह गया है।⁶ यदि शिक्षण का अर्थ देह और आत्मा की अवहेलना है तो उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने भी 12 दिसंबर, 2002 को एक निर्णय में कहा कि सदाचार, सत्य, अहिंसा ये शाश्वत मूल्य हैं। जो मूल्य आधारित शिक्षा की नींव हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 की व्याख्या करते हुए निर्णय में कहा गया कि विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा के तहत बताया जाए कि सभी का मूल एक है। सत्य, प्रेम, शांति सदाचरण जैसे शाश्वत मूल्य शिक्षा के आधार होने चाहिए, क्योंकि इन नैतिक मूल्यों के बिना कोई भी संविधान या लोकतंत्र कारगर नहीं हो सकता।

यही मूल्य मानवीय जीवन के अंतर्संबंधों को परिभाषित करने में सहायता करते हैं। आज का समय पुनः मानव के आंतरिक विकास पर ध्यान देकर भौतिक एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर विकास को संतुलित करने का है। परन्तु यह अब पुरानी परंपरागत रूढ़ियों का नहीं बल्कि शोधपरक मानवीय मूल्यों की प्रगति का सिद्धांत है। जो मात्र भावनात्मक आदर्शवाद नहं वरन तर्क, तथ्य प्रमाण और भौतिक विज्ञान की तर्कनीत के समावेश से प्राप्त सिद्धांत है। न्यूरो साईंस के चिकित्सकीय शोध के दौरान ऐसे बहुत से

ब्रह्मांडिय ऊर्जा के रहस्यों से खबरु हुए है। जिन्हें मानव चेतना और आध्यात्म के नजरियों से ही समझा जा सकता है। आज ब्रेन एनालिसिस सपनों के अर्थ, जीवन में नैतिकता के महत्व विभिन्न वैदिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अनेको शोध हो रहे है और उनके आश्चर्यजनक परिणाम भी सामने आ रहे है। जो जीवन शक्ति को प्रखर करते हुए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और मानव जीवन के आनंद वृद्धि में उपयोगी सिद्ध हो रहे है।

विकास के लिए विज्ञान का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सुविधा साधन सम्पन्नता के माध्यम से अंततः सुख की अनुभूति कराना है परन्तु हम भौतिक विकास के एकाकी रास्ते पर चलते हुए यह भूल रहे है कि सुख आनंद एक अनुभूति है जो बाह्य नहीं अपितु आंतरिक है विज्ञान की प्रायः 25 प्रमुख शाखाओं को आधार मान अब मानव के आंतरिक मूल्यों की आवश्यकता पर वैज्ञानिक विधियों से शोध हो रहे है। मानव शरीर, मस्तिष्क चेतना सबका अन्तः संबंध मूल्यांकन और सम्पूर्ण विकास के लक्ष्य निर्धारण की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। हम भी इस भौतिकवाद से आगे अपने आंतरिक मूल्यों के विकास का लक्ष्य निर्धारित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना - पत्रिका दिसंबर 2016
2. योजना - पत्रिका दिसंबर 2016
3. <https://www.silvamethod.com.research>.
4. www.project2016.org/tools/sfaalo/chap3.htm.
5. हिंद स्वराज महात्मा गांधी
6. योजना पत्रिका दिसंबर 23016

जाँजगीर-चॉम्पा जिले में भूमि उपयोग में परिवर्तन

डॉ. कपूरचंद गुप्ता*

प्रस्तावना - प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि है। मनुष्य का भूमि से संबंध उसके अस्तित्व से ही प्रारंभ होता है। आदिकाल में मनुष्य की भूमि उपयोगिता केवल वन्य जीवों के शिकार तक सीमित रही होगी। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न देश और काल में भूमि के उपयोग बदलते रहे हैं। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी विकास एवं मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण भूमि के उपयोग में अनेक समस्याएं आ गई हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इससे बचने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि भूमि उपयोग एक गत्यात्मक-सांस्कृतिक संकल्पना है, जो भूमि के अभाव का प्रतिफल है। भूमि की कमी के कारण दो सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रथम नयी भूमि की खोज तथा द्वितीय-भूमि उपयोग की गहनता।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - नवगठित जाँजगीर चाम्पा जिला के पूर्व में रायगढ़ पश्चिम में बिलासपुर, उत्तर में कोरबा तथा दक्षिण में रायपुर जिला स्थित है। जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3681.45 वर्ग किमी. है। यह जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जिसमें 5 तहसीले (जाँजगीर पामगढ़, चाम्पा, सक्ती, डभरा) तथा 9 बिकासखण्ड (अकलरता, पामगढ़, बम्हनीडीह, बलीदा, डभरा, मालखरौदा, जैजैपुर, नवागढ़ तथा सक्ती है।)

यह कृषि प्रधान जिला है। 2001 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1316140 था जिसमें पुरुष जनसंख्या 658377 तथा महिला जनसंख्या 657763 था। जो 2011 की जनगणनानुसार 1619707 है जिसमें 659388 पुरुष तथा 658043 महिला जनसंख्या है। लिंगानुपात 986 है तथा घनत्व 420 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हैं।

अध्ययन इकाई - कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु विकासखण्डों को आधार माना गया है। इस हेतु रेण्डम विधि द्वारा गांवों का चयन किया गया।

आँकड़ों का संकलन - प्राथमिक आँकड़ों का संकलन विकासखण्डों को आधार मानकर किया गया है। गाँवों का प्रतिचयन रेण्डम विधि से इस प्रकार से किया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड से 1 गाँव सर्वेक्षण में आ जाए। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त किया गया है। चयनित गाँवों के भूमि उपयोग के आँकड़े पटवारी से प्राप्त किए गए हैं।

परिकल्पना -

1. जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप खाद्यानों की बढ़ती मांग के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है।
2. इसके साथ अन्य आवश्यकताओं हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है।

अध्ययन का उद्देश्य -

1. भूमि उपयोग और इसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
2. भूमि उपयोगी की वर्तमान आवश्यकता हेतु सुझाव देना।

तालिका 1 - जिला जाँजगीर-चॉम्पा:भूमि उपयोग में परिवर्तन (1977-80 से 1997-2000)

क्र.	भूमि उपयोग	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का %		
		1977-80	1997-2000	%वृद्धि/कमी
1.	ग्रामीण वन	12.69	4.08	-67.87
2.	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	6.27	6.99	+11.48
3.	अकृषि भूमि	13.00	10.70	-17.69
4.	कृषि योग्य बेकार भूमि	2.54	2.04	-19.68
5.	पड़ती भूमि	4.37	3.00	-31.35
6.	निरा बोया गया क्षेत्र	61.13	74.28	+21.51

स्रोत - शोधकर्ता की गणना पर आधारित।

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि इस जिले में विगत 20 वर्षों में भूमि उपयोग में काफी परिवर्तन हुआ है-

1. जिले में ग्रामीण वन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 4.08% (1997-2000) भाग है जिसमें पिछले 20 वर्षों में 67.87% का ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है अर्थात् 12.69% वनक्षेत्र घटकर मात्र 4.08% रह गया है इसका प्रमुख कारण निरंतर जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्रामीण वनों को साफ कर कृषि कार्य के अंतर्गत लिया जाना तथा नये अधिवास के रूप में उपयोग किया जाना है।
2. जिले में भूमि उपयोग के दूसरे प्रतिरूप कृषि के लिए अनुपलब्ध है जिसमें अधिवास सड़क, नहर इत्यादि शामिल रहते हैं की मात्रा में 11.8% की वृद्धि देखी गई है अर्थात् इस दौरान काफी भूमि इन उपयोगों के अंतर्गत आयी है।
3. जिले में अन्य अकृषि भूमि जिसके अंतर्गत चरागाह झाड़ी-झुंड और कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि सम्मिलित है, जो 1977-80 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 13.00% थी, जो 1997-2000 में घटकर 10.70% रह गई अर्थात् 17.69% की कमी आयी है। इस घटाव का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप कृषि क्षेत्रफल का विस्तार होना है।
4. जिले में कृषि योग्य बेकार भूमि जो सिंचाई के अभाव, उर्वरता की कमी, उचित देखरेख के अभाव में रिक्त पड़ा रहता है। का अनुपात कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.04% में है, जो बीस साल पहले 2.54% था

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, डभरा जिला - जाँजगीर चॉम्पा (छ.ग.) भारत

अर्थात् इसमें 19.68% की कमी आयी है। इस तरह रासायनिक उर्वरकों इत्यादि के प्रयोग से काफी भूमि निरा बोर गए क्षेत्र के अंतर्गत आ गई है।

- जिले में पड़ती भूमि के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.00% भाग है जो 1977-80 की तुलना (4.37%) में 31.35% कम है। यह सामान्यतः इस बात का परिचायक है कि कृषकों में जागरूकता आयी है तथा आवश्यक सुविधानुसार कृषक कम पड़ती भूमि छोड़ने लगे हैं।
- भूमि उपयोग के अन्य सभी वर्गों में से निरा फसल क्षेत्रफल उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 74.28% है विगत 20 वर्षों में इसमें 21.51% की वृद्धि हुई है। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं पड़ती हुई जनसंख्या के कारण ग्रामीण वन भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, अकृषि भूमि एवं पड़ती भूमि इत्यादि को कृषि कार्य (निरा बोया क्षेत्र) के अंतर्गत लाया गया है। परिणामस्वरूप इसमें पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यहाँ के किसी भी विकासखंड में इसका अनुपात 66% से कम नहीं है।

तालिका 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

विकासखंडवार भूमि उपयोग में परिवर्तन - इस जिले के अंतर्गत विकासखंडों में 1977-80 तथा 1997-2000 की अवधि में निरा बोर गए क्षेत्र, कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि, अकृषि भूमि, पड़ती भूमि, ग्रामीण वन तथा कृषि योग्य बेकार भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन को प्रतिशत अनुपात के रूप में ज्ञात किया गया है। तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि यहाँ के विकासखंडों में भूमि उपयोग के विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत निरा बोर गए क्षेत्र तथा कृषि के अनुपलब्ध भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है अर्थात् इनके अन्तर्गत क्षेत्रों में इस जिले के विकासखंडों में हास हुआ है। इस अवधि में भूमि उपयोग संवर्गों के परिवर्तनों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विकासखंड के भूमि उपयोग प्रतिरूप में विभिन्नता मिलती है यद्यपि जिले का संपूर्ण क्षेत्र लगभग मैदानी है और कुछ अपवाद के साथ भूमि उपयोग के संदर्भ में समान संभावना रखता है इसलिये धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन में अनुपात का ही अंतर है। यदि संपूर्ण क्षेत्र को एक इकाई मानकर परिवर्तन ज्ञात किया जाए तो एक तरह के ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार भूमि उपयोग के प्रत्येक संवर्गों के क्षेत्रीय प्रतिरूप में बहुत अधिक भिन्नता को नहीं मिलती जिसका प्रमुख कारण यहाँ के हसदो-मॉड के समतल मैदानी भाग में प्राकृतिक वातावरण में कम भिन्नता पाया जाना है।

इस जिले में भूमि उपयोग प्रतिरूप में सबसे अधिक परिवर्तन डभरा विकासखंड (36.21%) में इस अवधि में देखा गया उसके बाद दूसरा स्थान जॉजगीर का का 33.62% है, जबकि तुलनात्मक रूप से सबसे कम परिवर्तन जैजैपुर विकासखंड में 25.37% है। बाकी विकासखंडों में 25.5 से 27.5% तक परिवर्तन देखा गया है।

- निरा बोया गया क्षेत्र** - यह फसलों का वास्तविक क्षेत्रफल होता है, जिसमें फसलें उगाई जाती हैं दो फसली क्षेत्र को एक बार ही गिना जाता है व्यावहारिक कारणों से खेत के मेड़ भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं यहाँ के सभी विकासखंडों में इस अवधि में गिरा बोये गये क्षेत्र में धनात्मक परिवर्तन हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि अनुपात अकलतरा में 29.10% , जॉजगीर में 26.6% , मालखरौदा में 23.3 और अपेक्षाकृत कम वृद्धि अनुपात जैजैपुर में 19.6% तथा पामगढ़ विकासखंड में 20.12% देखा गया है, जो मुख्यतः

जनसंख्या के बढ़ते दबाव तथा सिंचाई के साधनों में विस्तार के कारण है, जिससे अधिकोशतया कृषि योग्य बेकार भूमि चरागाह भूमि को निरा बोर गए क्षेत्र में परिणित कर लिया गया है। उपरोक्त आँकड़ों की प्रवृत्ति से यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में निरा बोर गए क्षेत्र में विचलनशीलता बहुत कम है।

यहाँ यह देखा जाता है कि कभी-कभी जब लगातार दो-साल तक वर्षा की कमी इत्यादि से सूखा पड़ता है तब 2 से 5% तक इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। अधिक जनसंख्या दबाव वाले इस मैदानी भाग में बहुत सारी शासकीय सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन दिए जाने के कारण भी निरा बोर गए क्षेत्र में कुछ न कुछ वृद्धि लगातार देखी जा रही है इसके अलावा कृषि उत्पादनों की बढ़ती कीमतों, उन्नत बीजों के उपयोग, उर्वरकों की पूर्ति, सिंचाई सुविधाओं की पूर्ति, नई कृषि तकनीकों का विकास तथा परिवहन एवं यातायात के साधनों में वृद्धि होने से कृषकों को अधिक से अधिक भूमि फसलों के अंतर्गत लाने में प्रोत्साहन मिला है।

- ग्रामीण वन भूमि** - इस जिले में वनक्षेत्रों का सामान्य परिवर्तन ऋणात्मक है यहाँ भूमि उपयोग में सबसे अधिक (67.87%; अनुपातिक कमी आयी है। कृषि विस्तार के कारण ग्रामीण वनक्षेत्र भगभग समाप्त होता चला जा रहा है विगत बीस वर्षों में ग्रामीण वन क्षेत्र 12.69: से 4.08: अर्थात् एक तिहाई से भी कम हो गया है इसका कुछ भाग कृषि के लिये तथा कुछ भाग बस्ती बनाने तथा अन्य उपयोग में लाया गया है। बड़ी बस्तियों के आसपास के वनों को गृह निर्माण के लिये या चोरी से ईंधन प्राप्ति के लिये अनियंत्रित कटाई से ये वन झाड़ियों के रूप में ही रह गये हैं वन विकास निगम द्वारा यद्यपि जिले के कुछ भागों में सागौन का वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है लेकिन ये छोटे-छोटे खंडों में है। यहाँ सबसे अधिक कमी बलौदा विकासखंड (76.21%) में आयी है क्योंकि इसका क्षेत्र अनुपात यहाँ सबसे अधिक था। सबसे कम हास मालखरौदा (60.0%) तथा डभरा (60.11%) विकासखंड हमें देखने को मिलता है क्योंकि इनका वनक्षेत्र अनुपात भी कम रहा है। वनभूमि के बहुत क्षेत्र इस अवधि में सड़क, तालाब, नहर और अधिवासों तथा कृषि में परिवर्तित हुये हैं।

- कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि** - सड़क, तालाब, मकान या अधिवास तथा ऊपर और बंजर भूमि के इस संवर्ग में विगत 20 वर्षों में धनात्मक परिवर्तन हुआ है। सबसे अधिक धनात्मक परिवर्तन अनुपात जॉजगीर विकासखंड में (16.82%) देखने को मिलता है क्योंकि इस अवधि में संचित क्षेत्र में वृद्धि 100% से अधिक हुई है और सबसे कम वृद्धि बलौदा विकासखंड में 3.14% ही हुआ है क्योंकि यहाँ बस्तियों की सघनता/घनत्व, यातायात मार्गों के साधन और जलक्षेत्र अपेक्षाकृत कम हैं। इस मैदानी भाग के कुछ विकासखंडों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10 से 12% भाग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कृषि बंजर भूमि इस क्षेत्र के मैदानी भागों में कृषि क्षेत्रों के बीच छोटे बड़े भूखण्डों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में मध्य एवं बड़े आकार के गाँवों के आसपास संरक्षित वन विस्तार के लिए काट डाले गए हैं परंतु कुछ भाग कृषि योग्य होने के बावजूद ये वन विभाग के अंतर्गत हैं और इन पर कृषि करने की अनुमति नहीं है।

- अकृषि भूमि** - स्थायी एवं अन्य चरागाहों तथा विविध पेड़ों के झुंड एवं उद्यानों की भूमि के संवर्ग में भी ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है सबसे अधिक हास 24.12% डभरा तथा 24.00% जॉजगीर विकासखंड में देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में चरागाही भूमि को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है तथा कुछ भागों में मकान तथा सड़क के

अंतर्गत भी भूमि बढ़ी है। पुराने जमाने में प्रत्येक गाँव की 5-10% भूमि चरागाहों के लिए आरक्षित रखी जाती थी, जिसे गोचर भूमि कहा जाता था लेकिन अब इन पर व्यापक रूप से अतिक्रमण हुआ है। जिसके कारण इनका क्षेत्र कारण इनका क्षेत्र तेजी से सिमटता जा रहा है और कुछ गाँवों में यह लगभग समाप्त भी हो गया है।

5. कृषि योग्य बेकार भूमि - यहाँ कृष्य क्षेत्रों के बीच-बीच में छोटे-छोटे टुकड़ों अथवा नदी-नालों के किनारे में पाई जाने वाली भूमियाँ कुछ सुधार के बाद कृषि क्षेत्र में सम्मिलित हो सकती हैं यद्यपि जिले के विकासखंडों में इस तरह की भूमि मात्र 2.04% ही है। विगत 20 वर्षों में इसमें भी 19.68% की कमी आयी है, सबसे अधिक आनुपातिक ह्रास जाँजगीर 26.16% और सक्ती विकासखंड 26.12% में देखने को मिलता है कृषकों के जोतों के बीच कहीं-कहीं नाले के किनारे की कंकरीली-पथरीली भूमि भी इसमें सम्मिलित है। मृदा अपरदन नाले के किनारे के कटाव, भूमि में अधिक गड्ढों का पाया जाना, झाड़ियों से युक्त भूखण्ड, कृषकों की गरीबी, भूस्वामियों की अनुपस्थिति जैसे कारणों से कुछ भूमि कृषि से बाहर हो गई है। इन्हें कृषि के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास जरूरी है, इनमें से कुछ भाग में तो कृषकों को बीज, खाद, हल तथा बैल की सहायता से कृषि के अंतर्गत लायी जा सकती है।

6. पड़ती भूमि - इस जिले में ग्रामीण वन क्षेत्र के बाद सबसे अधिक आनुपातिक ह्रास इस अवधि में पड़ती भूमि में (31.35%) ही देखा जाता है। वैसे जाँजगीर जिला जैसे बढ़ती जनसंख्या वाले क्षेत्र में किसान भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि भूमि के अनुपजाऊपन से ऐसा करने को बाध्य न हो जाए कृषि बंजर भूमि की अपेक्षा यदि पड़ती भूमि का ठीक से विकास किया जाय तो फसल के निरा बोए गए क्षेत्रफल में 3% तक वृद्धि की जा सकती है। पड़ती भूमि को नियमित कृषि के अंतर्गत लाने में भूमि सुधार के अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग की आवश्यकता है। पड़ती भूमि में सर्वाधिक ह्रास डभरा (39.41%), जाँजगीर (37.1%) तथा अकलतरा विकासखंड में 35.6% देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पड़ती भूमि की मात्रा में क्रमशः ह्रास होता जा रहा है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के संदर्भ में वर्तमान भूमि उपयोग में सम्भावित परिवर्तन की आवश्यकता है। यद्यपि भूमि उपयोग के पिछले वर्षों के आंकड़े भूमि उपयोग के विभिन्न संवर्गों में परिवर्तन दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे यहाँ के निवासी अधिकतम लाभ उठा सकें हैं। जबकि समस्त भूमि का उपयोग इस प्रकार किया जाना

चाहिए कि यहाँ के अधिकतम निवासियों की आवश्यकतों एवं उनकी उचित आकांक्षाओं की आपूर्ति की जा सके। अतः यह आवश्यक है कि भूमि उपयोग में लाने से पहले विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की उपयुक्तता निश्चित की जाए। समाज में राष्ट्र के हित की दृष्टि से कहीं कोई भी भूमि व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अतः जरूरत इस बात की है कि कृष्य बंजर भूमि को कृषि क्षेत्र में बदला जाए, नदियों के किनारे बंजर भूमि में वृक्षारोपण किया जाए, सिंचाई के साधनों का विकास करके दुफसली क्षेत्र को बढ़ाया जाय, अच्छी उत्पादन को प्रथमिकता दी जाय, जहाँ तक सम्भव हो परती भूमि न छोड़ी जाए जिससे वहाँ के निवासियों को भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं प्रत्येक क्षेत्र की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. पटेल, वही-के. (1986) - अपर महानदी बेसिन में भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, मोनोग्राम, भूमि उपयोग मानचित्रण, नैटमो, कलकत्ता, पृ. 88-91.
2. सिंह, ए.एन. (1976) - मध्य प्रदेशीय बुंदेलखंड क्षेत्र का परिवर्तनशील भूमि उपयोग, उ.भा.भू.प., अंक 14, भाग 2, पृ. 23-30.
3. जोशी, वाय. जी (1972) - नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 83-86.
4. Singh, V.R. (1983) - Dynamics of Landuse Systems in Cuddapah District (A.P.) India, Modern Geographical Trends, Today and Tomorrow and Tomorrow Pub. New Delhi, PP. 547-62
5. कमलेश, एस.आर. (1996) - कृषि भूगोल - बिलासपुर संभाग में कृषि विकास स्तर एक भौगोलिक अध्ययन, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृ. 104-107.
6. राम, लालता (1986) - भूमि उपयोग के बदलते प्रतिरूप एवं भूमि सुधार, मोनोग्राम, भूमि उपयोग मानचित्रण नैटमो, कलकत्ता, पृ. 80-82.
7. शुक्ल, रमाकांत (1986) - ग्राम भटकुली में भूमि उपयोग के बदलते आयाम, मोनोग्राम, भूमि मनचित्रण, नैटमो, कलकत्ता, पृ. 219-21.
8. शुक्ल, रमाकांत (1986) - फरेन्दा तहसील में कृषि बंजर भूमि का परिवर्तनशील प्रतिरूप, उ.भा.भू.प. अंक- 15, संख्या 1-2, पृ. 35-43.

तालिका 2

जिला जाँजगीर-चाँपा : विकासखंडवार भूमि उपयोग में परिवर्तन (1977-80 से 1997-2000)

क्र.	भूमि उपयोग वर्ग	जाँजगीर	पामगढ़	अक.	बलौदा.	बम्ह.	सक्ती	जैजै.	माल.	डभरा
1.	वन	-71.14	-68.0	-66.5	-76.21	63.0	72.3	-70.1	-68.0	60.11
2.	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	+18.82	8.16	8.02	3.14	9.68	8.19	6.12	11.32	13.06
3.	अकृषि भूमि	-24.16	16.16	11.22	18.5	19.2	10.63	11.37	19.0	24.12
4.	कृषि योग्य बेकार भूमि	-26.16	18.32	15.26	13.19	20.54	26.12	16.10	20.23	19.67
5.	पड़ती भूमि	-37.1	32.4	35.6	21.7	23.0	33.1	28.96	32.1	39.41
6.	निरा बोया गया क्षेत्र	26.6	20.12	29.1	20.6	20.2	19.6	19.6	23.3	21.52

स्रोत:शोधकर्ता की गणना पर आधारित।



छत्तीसगढ़ में जनजातियों का स्वास्थ्य व पोषण संबंधी समस्याओं एवं विकास की संभावनाएँ

डॉ. प्रमोद कुमार साहू *

प्रस्तावना - देश में प्रतिवर्ष पाँच साल से कम आयु के दस लाख बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। गर्भधारण करने वाली हर दो माताओं में से एक कुपोषण के कारण रक्ताल्पता अर्थात् एनिमिया से ग्रसित होती है। दुनियाँ में 15 से 49 साल की उम्र सीमा में रक्ताल्पता से ग्रसित सबसे ज्यादा महिलाएँ भारत में ही हैं। सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थिति और भी चिंताजनक है। दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य व परिवहन सुविधा के अभाव के कारण समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है। किसी भी राज्य की आर्थिक तरक्की की बुनियाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूलतः उसके नागरिकों के पोषण स्तर पर टिकी होती है। कुपोषण और आर्थिक बढहाली में परस्पर कार्य-कारण संबंध है। गरीबी और अभाव जनजातिय क्षेत्रों में भूख और कुपोषण को जन्म देते हैं जबकि क्षमता को कमजोर कर देते हैं और कई बार रोगग्रस्त भी जिसका सीधा असर कार्य-क्षमता और आमदनी पर पड़ता है, जो अततः गरीबी को जन्म देती है।

अध्ययन के उद्देश्य - प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार है -

1. अध्ययन क्षेत्र की पोषण उपलब्धता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
2. स्वास्थ्य परिचायक तत्वों का विश्लेषण करना।
3. खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग की समीक्षा करना।
4. पोषण संबंधी समस्याओं का पता लगा कर पोषक तत्वों का विश्लेषण करना।
5. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 'हृदय प्रदेश' में 170-460 उत्तरी अक्षांश से 240-80 उत्तरी अक्षांश तथा 800-150 पूर्वी देशांतर से 840-240 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 135192 वर्ग कि.मी. है। राज्य गठन के समय राज्य में कुल 3 संभाग व 16 जिले तथा 146 विकासखण्ड थे जो वर्तमान में कुल 5 संभाग व 27 जिले तथा 146 विकासखण्ड हो गया है। यह भारत के कुल क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत है। 2011 जनगणनानुसार राज्य में कुल जनसंख्या 25545198 है जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व यहाँ 2001 में 154 तथा 2011 में 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 2001 में 989 का जो 2011 में बढ़कर 991 हो गया है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 जनगणनानुसार 66,16,596 था जो बढ़कर 2011 में 78,22,902 जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत है। यह देश के और 8 प्रतिशत से 4 गुना के लगभग है। छत्तीसगढ़ में जन-जातियों का नितरण असमान रूप से सभी जिलों में पाया जाता है। अति उच्च केंद्रीकरण बीजापुर जिले के अंतर्गत है

वहीं जिस केन्द्रीकरण के क्षेत्र जाँजगीर-चांपा में पाया जाता है।

अध्ययन की इकाई एवं आँकड़ा संग्रहण - राज्य में 16 जिले व 146 विकासखण्ड हैं, जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के अध्ययन के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर 16 जिलों (प्रत्येक जिले से 1-1 गाँव) के जनजातीय परिवारों का चयन जोत आकार या आय वर्ग (भूमिहीन, सीमांत, लघु, माध्यम, उच्च) के आधार पर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (प्रश्नावली अनुसूची) के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही मुखिया से साक्षात्कार को पूरा परिवार का प्रतिनिधित्व माना गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए (दूरी) गाँवों का चयन किया जाएगा। सर्वेक्षण हेतु प्रयुक्त अनुसूची में क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का रख गया है।

प्रस्तावित अध्ययन में आवश्यक द्वितीयक आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण त्रिवर्षीय (2006-07, 2007-08, 2008-09) औसत के आधार पर किया गया है। आँकड़ा संग्रहण जिला अधीक्षक भू-अभिलेख, कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र, कार्यालय जिला चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड कित्सा अधिकारी, जिला साँख्यिकी अधिकारी, अधीक्षण, यंत्री लोक स्वा.यंत्रिकी विभाग, जिला साँख्यिकी कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों से प्राप्त किया गया है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ एवं विकास की संभावनाएँ

परिकल्पना - आहार सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि, जनजातीय परिवारों में औसतन प्रति वयस्क प्रति दिन खाद्य पदार्थ उपभोग की मात्रा 598 ग्राम है। जनजातीय में अनाज मुख्य आहार है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दाल, शाक, फसल, गुड़, तेल इत्यादि की मात्रा अत्यंत कम है। खाद्यानों में कमी तथा असंतुलन के कारण इनके आहार में पोषक तत्वों जैसे कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लौहा, विटामिन इत्यादि की कमी है। पोषण की कमी, खराब स्वास्थ्य, कम उत्पादकता तथा गरीबी का एक दूषित चक्र बन गया है।

यहाँ के जनजातीय पेय जल के लिए कुआँ, तालाब, नदी-नालों, झरना एवं हैण्ड पंपों पर निर्भर है। यहाँ के लगभग संपूर्ण कुएँ खुले हुए हैं। 54.3 प्रतिशत कुएँ कच्चे हैं, कुँओं की सफाई नहीं होती, उसमें दवाई नहीं डाला जाता परिणामस्वरूप कुओं का जल दूषित हो जाता है। तालाबों एवं नदी-नालों का जल सिल्ट, मृत्तिका, पेड़ों की पत्तियाँ, घास के सड़-गल जाने, पशुओं के नहलाने इत्यादि कारणों से दूषित हो गया है। झरनों के जल में विभिन्न प्रकार के खनिजों के घुलने के कारण यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। हैण्डपंप का जल बैटिरिया रहित हैं परन्तु यहाँ के हैण्ड पंपों के जल में लोहे की मात्रा अधिक है। जिस कारण ये लोग इनके जल का उपयोग कम करते हैं तथा गाँवों के प्रकीर्ण प्रतिरूप के कारण ये लोग पेय जल हेतु अपने निवास

के पास स्थित कुओं, तालाबों, नदी-नालों एवं झरनों के जल का उपयोग करने को बाध्य है। दूषित जल के उपयोग से जनजातियों में जल जन्य बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी समस्याएँ – यहाँ के लगभग 35 प्रतिशत गांव स्वास्थ्य केन्द्रों से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अधिकतम दूरी 52 किलोमीटर तक है। स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ के व्यक्तियों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाता।

जनजातीय लोग प्राचीन परम्पराओं, रीतिरिवाजों एवं अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में ये झाड़ू – फूँक एवं जडत्री बूटी का प्रयोग करते हैं। परिणामस्वरूप जनजातियों में मृत्यु दर अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सालय, डॉक्टर, शैट्या, नर्सिंग, कम्पाउण्डर, मलेरिया, निरीक्षक, इत्यादि की कमी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ नहीं रहती, ऑपरेशन की सुविधाएँ नगरीय क्षेत्रों में सीमित हैं। संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। डॉक्टर नगरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण यहाँ के निवासियों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। इस कारण संक्रामक बीमारियों का प्रसार यहाँ अधिक है।

अन्य समस्याएँ – उत्तरी क्षेत्र की जनजातियों के निवास खपरैल के हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश निवास घास-फूस की झोपड़ियाँ हैं। इनमें पर्याप्त स्थान की कमी है, रोशनदान, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तथा निवास स्थान में ही सुअर, मुर्गियाँ, गाय-बैल इत्यादि भी रखे जाते हैं। इनके समीप ही कूड़ा-करकट, गोबर इत्यादि को डाल देते हैं जिस कारण मच्छर आदि कीटाणु अधिक रहते हैं। परिणामस्वरूप मलेरिया का प्रकोप यहाँ अधिक होता है। जनजातीय जनसंख्या में व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव है। ये नियमित स्नान नहीं करते, शौच के बाद हाथ ठीक से नहीं धोते इससे भी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों की कमी है। अस्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य केन्द्रों तक ले जाना भी एक प्रमुख समस्या है।

यहाँ के जनजातीय लोगों का सामान्य स्वास्थ्य बुरा नहीं है, परन्तु कभी-कभी संक्रमण के चलते प्रभाव दूरगामी हो जाता है। इसके अलावा इस संदर्भ में मौलिक प्रश्न यह उठता है कि यहाँ के जनजातियों में जन स्वास्थ्य के आधुनिक साधन का प्रायः अभाव ही रहा है। हम जनजातियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर पहले ध्यान दें। जनजातियों में प्रायः दूरगामी बीमारियाँ होती हैं, जिससे मृत्यु दर काफी बढ़ती है। वहाँ प्रायः पेयजल का अभाव प्रधान है। जो पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है, वह गन्दा एवं प्रदूषित है। जिसके चलते आन्त्र शोध, चर्मरोग, डायरिया, डिसेन्ट्री कालरा, कृमि रोग का उनमें आधिक्य है। पौष्टिक खाद्य या पोषक तत्वों की कमी के चलते भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ जनजातियों में कुपोषण के चलते क्षय रोग सामान्य बीमारी है।

संक्रामक रोगों से बचने के लिए विभिन्न साधनों का उनमें विकास नहीं हुआ। जब कभी वे किसी नई बीमारी के संपर्क में आते हैं तो उसके वे शिकार हो जाते हैं। डेबर कमीशन प्रतिवेदन के अनुसार याव एक ऐसी घातक बीमारी है जिससे वे काफी डरते हैं और जो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों बस्तर जिले में काफी प्रचलित है। हैसैन डिजिज, जिसे कोढ़ भी कहते हैं, का प्रकोप भी व्याप्त है। खसरा खुजली, कृमिरोग चेचक और रक्तहीनता की बीमारी भी आम है। डेबर आयोग के अनुसार राज्य सरकार इनके प्रति कभी उदासीन नहीं है बल्कि इस दिशा में स्वास्थ्य संबंधी काफी अनुसंधान हो रहे हैं और इन्हें दूर करने

के दृढ़ उपाय भी किए जा रहे हैं इनके हास के चार प्रधान कारण हैं –

- (क) उचित संपर्क की कमी
- (ख) कर्मचारियों की समस्याएँ
- (ग) दवाओं की आपूर्ति से संबंधित नयिम

प्रायः यह देखा गया है कि पिछड़े इलाके में लोग चिकित्सा के लिए कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनके निदान और चिकित्सा की अपनी पद्धति है। पिछड़े इलाके तथा निर्जन क्षेत्रों में ऐसा विश्वास है कि बिमारियाँ, और दुर्भाग्य दुष्टात्माओं, मृत व्यक्तियों के प्रेतों का प्रकोप है। निर्धारित नियमों को भंग करने पर उत्पन्न बीमारियों, ओझाओं, तांत्रिक पुजारियों के द्वारा ही ठीक की जा सकती है। आखिरी समय में ये चिकित्सकों के पास आते हैं। यह उस समय दुखद हो जाता है जब चिकित्सक, ओझा पुजारियों को अपना प्रतिद्वन्दी मानने लगते हैं। डेबर आयोग ने एक रोचक तर्क दिया कि पवित्र अपंग चिकित्सक और ओझा दोनों को बुलावा है, एक गोली देता है, दूसरा उनके लिए पूजा प्रार्थना करेगा, उसका विश्वास है कि ओझा पुजारियों की प्रार्थना पर ही भगवान गोलियों को प्रभावी बना देते हैं।

दूसरी समस्या जनजातियों के चिकित्सा हेतु डॉक्टर और नर्सों का अभाव है। चिकित्सा विभाग में संबंधित बहुत कम चिकित्सक जनजातिय क्षेत्रों में जाकर चिकित्सा प्रदान करने हेतु तैयार हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण उनके लिए उपयुक्त मकानों की कमी, उनके बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल का अभाव और प्रगतिवादी सांसारिक सुविधाओं की अनुपलब्धि है। डेबर आयोग ने इस समस्या के निदान हेतु एक विशिष्ट कैडर तैयार करने का सुझाव दिया है, जिससे 20 वर्षों तक के लिए इस कैडर को कायम रखने की योजना है। उन लोगों को उचित सहानुभूति और उत्तम प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसके साथ ही इन 20 वर्षों में वहाँ के स्थानीय लोगों को चिकित्सा हेतु कुशलता प्रदान करने की जरूरत है ताकि अपने अस्पतालों की देखरेख में वे सहभागी हो सकें। जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक जथा जडत्री बूटी वाली दवाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्योंकि जनजाति स्वयं भी इनके आदी हैं। इस तरह के चिकित्सा संबंधी उपायों को अपनाने में उन्हें सुविधा होगी।

भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारणों को देखते हुए चलित अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना अधिक फलकारी होगा। इस तरह की व्यवस्था छोटी-छोटी चिकित्सा गाड़ियों तथा जीप को काम में लाना चाहिए ताकि आसानी से दुर्गम क्षेत्रों तक प्रवेश पाया जा सके। जरूरत पड़ने पर बैलगाड़ी का भी इस काम के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में उचित दवाओं का वितरण जो बहुतायत में उपलब्ध कराया जा सके, किया जाना चाहिए।

जनजातियों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार निहायत जरूरी है चूंकि अधिकतर जनजातियाँ अनपढ़ हैं, अतः स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा हेतु दृश्य-श्रव्य उपकरणों की सहायता ली जानी चाहिए, ताकि अच्छे ढंग से उन्हें जानकारी दी जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विशिष्ट रूप से सम्मिलित उपाय किये जाने चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

पोषण संबंधी समस्याएँ एवं सुझाव – कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि से भी अधिक जनसंख्या में वृद्धि पोषण के लिए समस्या है। 1981 में प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन कैलोरी उपलब्धता 1839 कैलोरी था जो 1993-96 में घटकर 1583

कैलोरी पहुँच गया। जिले में 459.95 ग्राम खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है, जबकि अनुशासित मात्रा 854.3 ग्राम, मैदानी भागों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि पहाड़ी-पठारी भागों में उपलब्धता कम है। कुछ मैदानी जिलों में जैसे - पामगढ़ (741.76 ग्राम), जांजगीर (699.09), मुंगेली (672.99), लोरमी (648.06) पथरिया (614.18), अकलतरा (555.43) एवं बम्हनीडीह (531.68) विकासखण्ड में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन अनुशासित मात्रा से कम है। आहार संतुलन प्रपत्र एवं न्यादर्श गांवों के न्यादर्श परिवारों के पोषण आहार संबंधी सर्वेक्षण के परिणाम में मात्रात्मक भिन्नता अधिक है। दोनों विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिले में प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की उपलब्धता व उपभोग में कमी है अर्थात् खाद्यान्न की कमी है। फलस्वरूप कैलोरी उपलब्धता व उपभोग में कमी है। कैलोरी उपलब्धता 1583 है, जबकि उपभोग 2170 कैलोरी प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन है। 'आहार संतुल प्रपत्र' के अनुसार जिले में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण एवं सभी विटामिनों की कमी है अतः जिला अल्प पोषण एवं सभी विटामिनों की कमी है अतः जिला अल्प पोषण एवं कुपोषण से गुजर रहा है। न्यादर्श सर्वेक्षण विश्लेषण से जिले में औसत कैलोरी, वसा, विटामिन 'ए', 'बी₁', 'बी₂', नियासीन एवं पोटेशियम की कमी है, जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा एवं विटामिन 'सी' आदि की अधिकता है। अतः दोनों स्पष्ट है कि जिला अल्प पोषण व कुपोषण से ग्रसित है।

न्यादर्श गांवों के परिवारों में पोषण संबंधी सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि इन परिवारों में प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन खाद्य पदार्थों का उपभोग 785.33 ग्राम है। जो अनुशासित मात्रा 854.3 ग्राम का 92 प्रतिशत है। इनके आहार में अनाजों की प्रमुखता है, जिसमें चावल (419.74 ग्राम) मुख्य है। दाल, हरीपत्ती वाली सब्जियाँ, आलू, प्याज, तेल, गुड़ व शक्कर फलें, मसाले आदि की मात्रा कम है। मांस-मछली एवं दूध का उपयोग भी कम है। जिले के इन गांवों में प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन उपभोग किए गए खाद्य पदार्थ प्यास ही नहीं बल्कि असंतुलित हैं। फलस्वरूप अल्प पोषण व कुपोषण का दौर चल रहा है। जिले में उत्तम पोषण की आपार संभावनाएँ हैं -

1. जिले में कल सिंचित क्षेत्रफल 25.41 प्रतिशत है, अधिकांश सिंचाई नहरों से होती है। कुओं, तालाबों एवं नलकूपों से सिंचाई कम क्षेत्रों में होती है। अतः जिले के मैदानी क्षेत्रों में नहरों का विकास करके तथा अधिक से अधिक नलकूपों का निर्माण करके एवं पहाड़ी-पठारी क्षेत्रों में छोटे-छोटे नदी नालों पर स्टॉप पर बांध बनाकर सिंचाई किया जा सकता है। जिससे सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। फलस्वरूप उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि होगा। जिससे खाद्यान्न की समस्या को हल करने में सहयोग मिलेगा।
2. जिले में दुफसली क्षेत्रफल 27.95 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है। सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास हो जाने से दुफसली क्षेत्रफल में वृद्धि होगी साथ प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग में भी वृद्धि होगा फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगेगा जिससे व्यक्तियों के आहार में परिवर्तन होगा। फलस्वरूप वह स्वस्थ रहेगा जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आय बढ़ने लगेगा और जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।
3. निम्न आय वर्गों में खाद्य पदार्थों का उपयोग मात्रा अपेक्षाकृत सबसे कम है। क्योंकि यह वर्ग भूमिहीन गरीब मजदूर है। जिन्हें उच्च व उच्चतम आय वर्गों की दया पर जीना पड़ता है। ऐसे परिवारों को शासन के द्वारा कृषि भूमि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे कृषि भूमि में

- वृद्धि होगा, उत्पादन बढ़ेगा तथा कृषि भूमि पर भार अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। फलस्वरूप प्रति इकाई खाद्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होगा।
4. जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कम हो गयी है। 1981 में दशब्दिक वृद्धि पर 20.99 प्रतिशत था जो 1991 में 28.45 प्रतिशत तक पहुँच गया। जनसंख्या वृद्धि को कम करने का सरलतम उपाय शासन के पास है। जैसे - दो बच्चों से अधिक बच्चे वालों को शासकीय सेवा एवं प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होने का अवसर न दिया जाए। इसे अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम को कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। जिससे जिले में जनसंख्या कम होगा और सभी को पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध होगा।
 5. निम्न आय वर्गों में तथा पहाड़ी-पठारी क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक है। निम्न आय वर्गों एवं पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। जिससे इस वर्ग को तथा इस क्षेत्र को कुपोषण की स्थिति से बचाया जा सकता है।
 6. हालाँकि शासन के द्वारा मजदूरी पर निर्धारित किया गया है लेकिन जिले के अधिकांश भागों में विशेषकर ग्रामीण एवं पहाड़ी-पठारी क्षेत्रों के वनरांचल गांवों में श्रमिकों को अनर्धारित दर से मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। अतः श्रमिक बहुत ही कम मजदूरी पर दिन भर काम करता रहता है। जिससे उनका जीवन स्तर निम्न से निम्न होता जाता है। इस पर सुधार आवश्यक है।
 7. उच्च व उच्चतर आय वर्गों में कृषि भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जिससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अधिक हो जाती है। यह वह बाजार से पोषणयुक्त पदार्थों को क्रय करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस सम्पन्नता के कारण वह अधिकाधिक खाद्य पदार्थों का उपभोग करता है। आहार-पोषण के संदर्भ व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण अधिक उपभोग के दुष्परिणाम को भुगतता है। अतः जिले में संतुलित आहार के गुणों के संदर्भ में विशेषकर गृहणियों को अवगत कराया जाना चाहिए। क्योंकि भोजन बनाने का कार्य गृहणी ही करती है।

इन उपरोक्त बिन्दुओं के परिपालन में जिले को अपोषण व कुपोषण से बचाया जा सकता है। अतः यह जिले के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। इस दिशा में शासन एवं समाज को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तथी व्यक्ति हुस्ट-पुस्ट एवं तन्दुरुस्त रहेगा। उनमें कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगा, उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार आएगा, प्रति व्यक्ति आय एवं जिले की आय तथा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा फलस्वरूप व्यक्ति व समाज के साथ-साथ जिला व राष्ट्र भी सम्पन्न हो जाएगा तथा व्यक्तियों में जीवन प्रत्याशा उच्च होगा एवं उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा।

समाधान के उपाय - छत्तीसगढ़ में पिछले एक दशक में आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विकास किया है, लेकिन माताओं और शिशुओं में कुपोषण अब भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान समय के लिए भी यह एक नीतिगत प्राथमिकता है। जनजातियों क्षेत्रों में पोषण स्तर में सुधार लाने व पोषण अल्पता जन्य रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग किए जा सकते हैं -

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत है। साथ ही

- कर्मचारियों का (ए.डब्लू.डब्लू.) का निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे लक्षित समूहों को अनु-पूरक पोषण लेने के लिए प्रोत्साहित धारी है।
2. स्कूलों में भोजन का प्रावधान करना है, जो मध्याना भोजन की योजना फलीभूत किया जाता है।
 3. पोषण कार्यक्रम को सुलभ बनाना। इसमें एक मिशन निवेदक होना चाहिए। जिसे पर्याप्त अधिकार के साथ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
 4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रावधानों के प्रभावी उपयोग के जरिए अल्पपोषण को दूर करना।
 5. संवर्द्धित उत्पादों व दाल, दूध व मुर्मी उत्पादों के उपभोग के जरिये प्रोटीन की कमी को दूर करना।
- निष्कर्ष** – निश्चित तौर पर कुपोषण के स्थीय समाधान के लिए हमें खास

केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के साथ ही परिवार केन्द्रित व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देना होगा, जिसमें परिवार को बच्चों के कुपोषण की हानियों और उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें विश्वास में लेना होगा, ताकि वे इस समस्या के निपटान में स्वतः पहल के लिए प्रोत्साहित करें इसलिए इस समस्या में स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय के अलावा राज्य सरकारों तथा सभी राज्य क्षेत्रों के बीच उचित समन्वय की सखत जरूरत है। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया तथा बचपन बचाओ जैसे अभियानों से जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

राष्ट्रीय चेतना के कवि - मैथिली शरण गुप्ता

डॉ. रशीदा खान *

प्रस्तावना - राष्ट्रीय चेतना के कवि मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके काव्य में सर्वोपरी राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होते हुए दिखाई देते हैं।

गुप्ता जी ने राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक नवचेतना, महाभारत, रामकथा, बुद्ध और पौराणिक कथा विषयक कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। गुप्ता जी को अपने पिता से वैष्णव भक्ति, पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी से साहित्यिक अभिरुचि और गाँधी जी से देशभक्ति प्राप्त हुई। आपकी 'भारत-भारती' ने देशभक्तों के लिए गीता का काम किया। इसी कारण आप राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत की गिरी दशा पर खेद प्रकट करते हुए आपने कहा था- भारत कहो तो आज तुम क्या हो, वही भारत अहो।

हे पुण्यभूमि। कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो।।

गुप्त जी ने द्विवेदी युग से लिखना प्रारंभ किया था। वह हिन्दी साहित्य का बाल्यकाल था। उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी को काव्य भाषा बना कर युग प्रवर्तन की भूमिका का निर्वाह किया। आपने राष्ट्रीय भावनाओं को काव्य में स्थान देकर युवकों का मार्गदर्शन किया। काव्य में मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा आपका महान गुण है, जो आपको अन्य कवियों से उंचा उठाता है। गुप्त जी इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते थे-

संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया।

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।।

गुप्त जी की काव्यधारा बहुभावपक्षी रही है। उनकी चिन्ता 'हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी ?' में समाहित होकर राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बनी है। 'हिन्दू मुसलमान दोनों छोड़े वह विग्रह की नीति' कह कर और 'मनुष्यत्व सबसे ऊपर है, मान्य यही मण्डल के बीच' कहकर मानवता का संदेश भी उन्होंने दिया है।

गुप्त जी का समूचा काव्य ही राष्ट्रीय जागरण की आद्यन्त प्रतिच्छाया है। 'रंग में भंग' से लेकर 'विष्णु प्रिया' तक उनकी कविता में सर्वत्र पुनरुत्थानवादी विचारधारा का प्रभाव है। जो कभी खड़ी बोली आन्दोलन के रूप में, कहीं नारी उत्थान के रूप में और कहीं मानवतावादी विचारधारा के रूप में दृष्टव्य है।

मानस भवन में आर्यजन, जिसकी उतारें आरती।

भगवान भारत वर्ष में, गूँजे हमारी आरती।।

यह कवि (गुप्त जी) आधुनिक कवियों में अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। द्विवेदी युगीन अमर विभूतियों में इस कवि की गणना की जाती है।

गुप्त जी ने प्रचीन परंपराओं की रूढ़ियों को त्याग कर युग के अनुरूप नवीन विचार एवं भाव ग्रहण किए। साकेत के द्वारा उन्होंने मानव समाज में

निष्काम कर्म, सात्विक जीवन, आत्मगौरव, निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यपरायणता, सामाजिक समानता, मानवता, समष्टि के लिए व्यष्टि, बलिदान, समन्वय की भावना आदि राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत भावों का संदेश दिया है। साकेत सृजनकाल में भारत परतंत्र था इसलिए सीता के रूप में भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए बतलाया है-

भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में,

सिन्धु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में।।

गुप्त जी ने अपने युग के समाज का सूक्ष्म निरीक्षण करके मर्यादा को उसका मेरुदण्ड बताया। उनके राम मर्यादा के लिए अवतरित हुए।

अपने युग के सामाजिक रूप को देखकर कवि गुप्त दुखी होते हैं। वे समाज को पाखण्ड रहित करके उसे एक आदर्शवादी रूप देना चाहते थे। तभी तो वे भावविह्व होकर कह उठते हैं-

जहाँ कुछ भी समाज का हित हो,

वहीं यह मेरा तन अर्पित है।

वास्तव में आपसी तालमेल और प्रेमभाव यदि बना रहे तो देश में सुखसमृद्धि आ सकती है। गुप्त जी के अनुसार अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए यदि क्रांति भी हो तो कुछ बुरा नहीं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य का सृजन करने वाला यह कवि अपनी राष्ट्रीयता की सुगन्ध से जग को सदा महकाता रहा।

ऊँच- नीच व जात-पांत पर दुःखी होते हुए उन्होंने कहा था-

इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी।

इनमें भी मन और भाव है, किन्तु नहीं वैसी वाणी।।

राष्ट्रीय चेतना का गहनतम रूप गुप्त जी के काव्य में मिलता है। उनके काव्य रोम-रोम राष्ट्रीय विचारधारा से संचित है। उन्हें मातृभूमि की मिट्टी से लगाव, निजी संस्कृति से मोह, देशीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था थी। तभी तो उन्होंने 'भारत-भारती' के माध्यम से भारतीयों में स्वाभिमान जागृत किया और अतीत की गौरवमयी संस्कृति से प्रेरणा लेकर वर्तमान के प्रति निष्ठावान होने को कहा। कुछ इस तरह -

यू लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ ?

फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ।

संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?

उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन ? भारत वर्ष है।

'किसान में भारतीय कृषकों की दुर्दशा पर, 'अनघन' में गांधीवादी आदर्शों पर, 'स्वदेश संगीत' में बिखरे हुए भारतवासियों को संगठित होकर स्वदेश के हित के लिए मिटने पर संदेश दिया। 'अर्जन और विसर्जन' में समस्त राष्ट्र का निर्देशन, यह कह कर किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

भारतीय गौरव के प्रतीक के रूप में हिमालय, गंगा, यमुना, सरयु आदि को लेकर कवि ने उनकी गौरव गरिमा की कामना की है।

गुप्त जी ने अपने कृति 'गुरुकुल' में राष्ट्रीय भावनाओं को बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना के उद्बोधन, उत्साह एवं कर्तव्यपरायणता का निर्भीक घोष किया गया है-

जिसके तीन और अर्णव हैं, चौथी और हिमालय पीता।

ऐसा देश दुर्ग पाकर भी, रह न सके हम हा स्वाधीन।।

कवि ने जातिगत वैमनस्य को मानव का शत्रु बताया है। आपके काव्य में दृष्टिगत व्यापकता है। गुप्त जी जहां शिवा जी और छत्रसाल के शौर्य की चर्चा करते हैं, वहीं सिक्ख गुरु गोविन्द सिंह और हसन - हुसैन की विशेष ताएं भी साहित्यिक माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं।

'जय भारत' में वे भारतीय अतीत के गौरव का गान करते हुए मानवीय आदर्शों की बात करते हैं। यही कारण है कि गुप्त जी अपने साहित्यिक माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अग्रगण्य हैं।

गुप्त जी पर गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी की तरह गुप्त जी भी ग्रामों को देश की सबसे बड़ी इकाई मानते थे। उन्हें ग्राम्य जीवन से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपनी कविता का विषय किसी एक जाति विशेष को नहीं बनाया, अपितु पुरे देश को अपना घर समझा। हिन्दु, मुस्लिम दंगों पर उन्होंने कहा था-

जाओ तुम जाकर अपनी अजान दो

और गा बजा कर उतारें हम आरती।

हम भारतीय हैं, इसकी पहचान आपसी प्रेम भाव और आत्मीयता से हो सकती है। उनकी मंगल कामना कुछ इस ढंग से मुखरित हो उठती है-

सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो।

हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो।।

गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल से उन विस्तृत विषयों की

और ध्यान आकर्षित कराया जो अन्य कवियों की दृष्टि से ओझल हो गए थे। उपेक्षिता उर्मिला के आँसुओं को मोल चुकाकर आपने अपनी अनुपम सहृदयता का परिचय दिया है।

कवि के अनुसार समाज के उत्थान व पतन में धर्म का बड़ा योगदान है। वे मानते थे कि वास्तविक धर्म वही है, जिसमें हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव हों। वे कृष्ण के गुणों का गान करते हुए कहते हैं-

अरे पलट दी काया ही

इस केशव ने काल की

बलिहारी बलिहारी जय जय

गिरधर गोपाल की।

सच तो यह है कि राष्ट्रीयता चेतना के इस कवि ने विश्व व्यापी समस्याओं को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में वर्तमान भारत के लिए जो भी अपेक्षित है, उपलब्ध है। उन्होंने युग का समय अंकन करके नव जीवन प्रदान किया तथा उसमें नव चेतना फूँकी है। निश्चित रूप से गुप्त जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं।

अन्त में बस इतना ही - 'किसी माला में प्रथम मणि, उपवन में प्रथम पुष्प, गगन में प्रथम नक्षत्र का जो महत्व हो सकता है, वही वर्तमान हिन्दी में मैथिलीशरण गुप्त का है।' राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद करने वाला यह कवि साहित्य जगत में सदा अजर-अमर रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक निबंध - पृ.सं. 122/124
2. आधुनिक हिन्दी काव्य संकलन - पृ. सं. 8/9
3. भारत की सांस्कृतिक विरासत - पृ.सं.03/4
4. हिन्दी के प्राचीन और आधुनिक कवि - पृ.सं. 104/111
5. हिन्दी निबंध - पृ.सं. 241

समाचार पत्रों में भाषा का बदलता स्वरूप

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश - साहित्य समालोचनाएँ द्विवेदी युग की पत्रकारिता की देन हैं। भाषा, लिपि, वर्तनी और अभिव्यंजना शैली के एक-एक पहलू को लेकर इस युग के पत्रकारों ने लम्बी बहस की जिससे खड़ी बोली का रूप उत्तरोत्तर निखरता गया। भाषा निर्माण और शब्द विकास की इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी वास्तव में पत्र पत्रिकाओं की है। आज हिन्दी पत्रकारिता भाषा की दृष्टि से जन-सामान्य के अधिक निकट है। राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान का जन-जन तक संचार करने के लिए अभिव्यक्ति शैली का विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज पत्रकारिता का रूप भी बदल गया है, इसकी निगाहें अंतरिक्ष में मँडराते आधुनिकतम संचार उपग्रहों पर, उँगलियाँ कम्प्यूटर प्रोसेसर्स के की-बोर्ड पर हैं और इसकी जुबान पर एक ऐसी नई शब्दावली है, जिसका कुछ वर्षों पहले बज्र ही नहीं था। आज की पत्रकारिता अपनी सार्वभौमिकता के उस दौर में है, जहाँ उसे कोई खतरा नजर नहीं आता।

शब्द कुंजी - पत्रकारिता, भाषा, अभिव्यक्ति शैली, वर्तनी, मानक, भाषायी परिदृश्य, अशुद्धियाँ

प्रस्तावना - सन् 1826-1867 के बीच हिन्दी पत्रकारिता की भाषा अधिकतर सूचना परक और समकालीन परिवेश के अनुसार व्यावहारिक स्तर में रही। सन् 1887-1889 तक पत्रकारिता की भाषा-शैली के स्वरूप निर्धारण में 'पत्रिका' का विशेष योगदान रहा। भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य को व्यवस्थित और परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। सन् 1900-1920 तक हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषा-शैली को सर्वथा नूतन और स्तरीय आयाम प्रदान हुए। जिसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है उनकी भाषा-नीति ने समकालीन हिन्दी पत्र जगत में एक अनूठी सक्रियता का संचार किया। सन् 1820-1847 के मध्य हिन्दी पत्रों की भाषा मंज गयी। तत्सम बहुलता का स्थान तद्भव और बोलचाल की सहज शब्दावली ने ले लिया। वाक्य विन्यास सुगठित हुआ। व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, समास और धारा-प्रवाह आदि अनेक शैलियाँ इस युग की पत्रकारिता में विकसित हुईं। विराम चिह्नों, परसर्गों की समरूपता का मानकीकरण हुआ। वर्तनी का समावेश हुआ। अभिव्यंजना पद्धति में भी वैविध्य का समावेश हुआ। अधुनातन आलोचना शैलियाँ, गद्य साहित्य की अनेक विधाएँ संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज आदि विधाओं के उद्भयन में इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का विशेष योगदान है। वर्तमान युग की हिन्दी पत्रकारिता ने आज की परिवर्तनशील परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली अनेक संकल्पनाओं के लिए उपयुक्त हिन्दी पर्याय जुटाने का दायित्व भी बड़ी कुशलता से निभाया है। भाषा निर्माण और शब्द विकास की इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी वास्तव में पत्र पत्रिकाओं की है। आज हिन्दी पत्रकारिता भाषा की दृष्टि से जन-सामान्य के अधिक निकट है। राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान का जन-जन तक संचार करने के लिए अभिव्यक्ति शैली का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

हिन्दी क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों के प्रचार-प्रसार और लोकप्रियता में विस्फोटक वृद्धि गत सदी के अन्तिम दशक में हुई, उस समय हिन्दी भाषा क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और साक्षरता का तेजी से विकास और आर्थिक सुधार व तकनीक की उपलब्धता आसान हो गई। अयोध्या, गुजरात में भूकम्प तथा केन्द्र और राज्यों में राजनैतिक उठापटक और बदलाव की घटनाओं से हिन्दी भाषी जनसाधारण लोगों की उत्सुकता बढ़ी जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी दैनिकों की पहुंच व प्रभाव का दायरा विस्तृत हो गया और वह प्रथम स्थान पर आ गयी इस क्रांतिकारी बदलाव से हिन्दी दैनिक

बहुसंस्करणीय हो गए।¹ हिन्दी भाषी क्षेत्रों के गत एक दो दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है, इसमें संचार क्रांति, मीडिया विस्फोट और पंचायत संस्थाओं के कायाकल्प का विशेष योगदान है। जन साधारण अपनी छोटी मोटी मांगों और अन्याय, अत्याचार के प्रतिरोध की अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय हिन्दी समाचार पत्रों के मंच का उपयोग करने हैं। क्षेत्रीय हिन्दी दैनिकों का नजरिया भी बदला है, अब उनके लिए पाठक सर्वोपरि हो गया है।² दैनिक भास्कर के संपादक सुधीर अग्रवाल का यह कहना है कि हमारा लक्ष्य पाठक आम आदमी है, हम पाठकों की रुचि की सामग्री परोसने की कोशिश करते हैं हम सिर्फ क्लास या मास की बात नहीं करते, बहुसंख्य पाठकों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके बगैर अखबार का शक्ति स्रोत नहीं बहता। पाठकों की संख्या की बढ़ोत्तरी की वजह से अपने पाठकों की जरूरतों के अनुसार ढाल लेने से हिन्दी दैनिकों की भाषा के स्वरूप और चरित्र में भारी उलटफेर हुआ है। इनकी पहुंच अब तक केवल मध्य और अभिजात तबके तक सीमित थी, लेकिन अब ये आम लोगों के अखबार हैं, इसलिए इनकी भाषा का भी उनकी जरूरत के अनुसार कायाकल्प हो रहा है। गांव कस्बों में पहुंचने वाले इनके संस्करणों का एक बहुत सारा हिस्सा वहां के लोगों की दी गई विज्ञापितियों, ज्ञापनों और संवाददाताओं द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर निर्भर करता है, इसलिए इनकी भाषा भी गांव कस्बों की सरल और बोलचाल की हिन्दी है। गांव कस्बों के दूर, दराज के लोगों की नित्य समस्याओं से जुड़े शब्द इस नई हिन्दी में अत्यधिक प्रयुक्त हो रहे हैं। वहां के बोलचाल की मुहावरेदार ने भी इस भाषा में अपने लिए जगह बना ली है। प्रदर्शन, धरने, ज्ञापन, बैठक, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा, आदि धार्मिक कार्यक्रम, संत महात्माओं के प्रवचन, ग्रामीण रीति रिवाज, चोरी, मारपीट आदि की शब्दावली और मुहावरे धीरे-धीरे इस नई भाषा के हिस्सा हो गए हैं। देखा जाए तो क्षेत्रीय हिन्दी दैनिकों की भाषा अतिरंजनापूर्ण हो गई है।⁴ इसमें यथार्थ से भाषा की दूरी निरंतर बढ़ रही है, अतः यथार्थ से भाषा को जोड़ना पत्रकारिता के लिए परम आवश्यक है। अब क्षेत्रीय हिन्दी दैनिकों में बहुतायत से प्रकाशित होने वाले दुर्घटना अपराधिक समाचारों का एक खास तरह का रूढ़ भाषिक रूप विकसित हो गया है। वाहन दुर्घटनाएं आम तौर पर टकराने या पलटने से संबंधित होती हैं, इसलिए इनके शीर्षकों में भिड़न्त या टक्कर शब्द का

प्रयोग अत्यधिक हो रहा है, आगे समाचार घायल, मृतक, क्षतिग्रस्त, परखच्चे, उपचार रैफर आदि शब्दों से गढ़ा जाता है और यदि कोई मृत्यु हुई हो तो इसका समापन शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया पंक्ति से होता है। इनमें पुलिस पत्रावली वाक्यांश चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए का प्रयोग भी आम है। हिन्दी समाचार पत्रों में बहुतायत से प्रकाशित होने वाले झगड़े, मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, आत्म हत्या आदि के समाचारों में भी कई भाषिक रूढ़ियों का प्रयोग हो रहा है। झगड़ों और मारपीटों के समाचारों में रास्ते जाते को रोककर, धक्का -मुक्की या गाली गलौज की, लज्जा भंग की, चोट पहुंचाई आदि वाक्यांशों के सहारे रिपोर्टिंग की जा रही है। चोरी, डकैती, हत्या, आत्म हत्या आदि के समाचारों में मौका - ए - वारदात पर ले जाकर, मौके पर मिले सुराग के आधार पर, चोरी या लूट की नीयत से ठिकाने लगा दिया, कोई सूत्र हाथ नहीं लगा आदि वाक्यों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिकांश रूप से हो रहा है। हत्या, आत्म हत्या के समाचारों में संदिग्ध परिस्थितियों में या रहस्यमय परिस्थितियों में चोट आदि भी लिखने का चलन बखूबी हो रहा है। इस तरह के समाचार बहुधा छानबीन या पूछताछ जारी है, जैसे वाक्यांशों से समाप्त होते हैं। हत्या व मृत्यु के समाचारों में थाना कचहरी का रूढ़ उर्दू शब्द भी अब हिन्दी दैनिकों में खासा लोकप्रिय हो गया है। दुर्घटना और आपराधिक समाचारों का यह भाषिक पैटर्न इतना रूढ़ है कि इसमें नवाचार की कोई जगह नहीं दिखाई देती। देखा जाए तो हिन्दी समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करण उनके जिला स्तर पर निकलने वाले पुलआउट्स का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से भरा रहता है, इस कारण सरकारी दस्तावेजों की भाषा भी इनमें अपने लिए जगह बना रही है। सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में आम तौर पर प्रयुक्त अशुद्ध भाषिक रूप धीरे-धीरे इनकी भाषा की आदत बन रहे हैं। निर्देशित किया, आदेशित किया, प्रस्तावित किया, सुनिश्चता की जानी चाहिए आदि अशुद्ध सरकारी प्रयोग इनमें खूब चलन में आ गए हैं। सरकारी दस्तावेजों की कुछ अशुद्ध अभिव्यक्तियां जैसे, आपूर्ति दी जाएगी, कार्यवाई अमल में लाई जाएगी आदि के प्रयोग हो रहे हैं। क्षेत्रीय समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार का असर यह हो रहा है कि उसका सीधा असर गद्य व भाषा पर पड़ रहा है। वर्तनी को लेकर हिन्दी दैनिक के जो मानक थे वे अब नहीं रहे, शुद्ध वर्तनी के ज्ञान के अभाव के कारण अनेक शब्दों की अशुद्धियां निरंतर हो रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख शब्द हैं- अनधिकृत, महीना, बीवी, इकाइयां, हिन्दू, गोशाला, जाग्रत, पड़ोसी, पुनर्वास, वैध, इनाम, जब्त, त्योहार, आबंटन, बायीं, निबटारे, विपरीत, रंजिश, कनिष्ठ, अध्यात्म, आदि अनेक शब्दों में अशुद्धियां हो रही हैं। वहीं ह्रस्व, दीर्घ अनुस्वार अनुनासिक संबन्धी अशुद्धियों का होना आम हो गया है वहीं बहुवचन, विराम चिन्ह, अर्ध विराम आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस पर अब प्रत्येक पत्रकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में सारे कार्य कम्प्यूटर में हो जाने के कारण अब प्रूफ रीडिंग में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण वर्तनी की अशुद्धियां बढ़ गई हैं। हिन्दी समाचार पत्रों में कुछ शब्दों के प्रयोग बार-बार किये जाते हैं जैसे-हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी के अनेक कठिन व जटिल शब्दों के निरंतर प्रयोग ने अब हिन्दी समाचार पत्रों में अपनी खास जगह बना ली है। कई देशज शब्दों को भी धीरे-धीरे इस भाषा ने अपना बना लिया है। पारम्परिक रूप से उर्दू शब्दावली अब पुलआउट्स के समाचारों में रूढ़ हो गए हैं। इस तरह के उर्दू शब्दों में खास तौर पर बरामद, दबिश, दर्ज, हादसा, नाबालिग, जमानत, वारदात, रिहा, मुचलका, निशानदेही, मौका, मुआयना, फरार, शक, बेनकाब, पाबंद, रफादफा, आदि आपराधिक

समाचारों में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। आपराधिक समाचारों के अलावा अन्य समाचारों में नतीजा, गर्मजोशी, पसोपेश, बेतरतीब, हिमायती, अगवानी, हवाला, माहौल, अंजाम, सबब, इजाफा, आगाज, बेमानी, बेनकाब, तबादला, फिलहाल आदि अनेक शब्दों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है। हिन्दी के कुछ परिनिष्ठ शब्द पुलआउट के समाचारों में लोकप्रिय हुए हैं। जैसे आपराधिक समाचारों में मृतक, वांछित, अवैध, वांछित, प्रथम दृष्टया, संदेहस्पद, अविश्वसनीय, आदि भी रूढ़ हो गए हैं। ज्ञापन शिकायत संबन्धी समाचारों में जलापूर्ति, पेयजल, ध्वस्त, अनियमितता, भ्रष्टाचार, पत्रावलियां आदि शब्दों का चलन अब समाचार पत्रों में आम हो चुका है। इसी प्रकार कुछ कार्यक्रम संबन्धी शब्द भी अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं जो सामान्य रूप से हिन्दी में प्रयोग किए जा रहे हैं। वे शब्द हैं- दीप प्रज्ज्वलन, माल्यार्पण, ग्रीष्मावकाश, वार्षिकोत्सव, शिलान्यास, शोभा यात्रा, आदि अनेक ऐसे बहु प्रचलित शब्द हैं जो समाचार पत्रों में इन शब्दों के बिना काम ही नहीं चल पा रहा है। दुर्घटना संबन्धी समाचारों में भिड़न्त, टक्कर, आदि शब्दों की लोकप्रियता बढ़ी है, इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द पेंशन, फायर बिग्रेड, आदि शब्दों का हिन्दी प्रयोग में लिए जा रहे हैं।⁵ क्षेत्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसमें भाषा के स्वरूप और चरित्र में व्यापक उलटफेर हुआ है। साक्षरता बढ़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तीव्र होने के कारण इन पत्रों के पाठकों में गांव कस्बों के लोगों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पर भाषा के शुद्ध लेखन पर एवं शब्दों के सही चयन पर पत्रकारों को ध्यान देने की आवश्यकता। पत्रकारों को सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति विशेष जागृत रहना चाहिए, पत्रकार की कलम आग भी उलग सकती है और अमृत भी बरसा सकती है। पत्रकारों को अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम, निष्ठा और विशेष लगाव होना चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि हिन्दी पत्रकारिता और समाचार पत्रों के भाषायी परिवर्तन में आज परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज पत्रकारिता का रूप भी बदल गया है, इसकी निगाहें अंतरिक्ष में मँडराते आधुनिकतम संचार उपग्रहों पर, उँगलियां कम्प्यूटर प्रोसेसरों के की-बोर्ड पर हैं और इसकी जुबान पर एक ऐसी नई शब्दावली है, जिसका कुछ वर्षों पहले बजूद ही नहीं था। आज की पत्रकारिता अपनी सार्वभौमिकता के उस दौर में है, जहाँ उसे कोई खतरा नजर नहीं आता। यह वह दौर है जिसमें भाषायी पत्रकारिता कम्प्यूटरों, मल्टीप्लेक्स डिजिटल कम्प्रेसन तथा वर्चुअल कम्प्यूनिक्शन तकनीकों की बढौलत नयी परिभाषाएं गढ़ने और समकालीन समाचार माध्यमों से दोस्ती करने को व्यग्र है।⁶

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह धीरेन्द्र-हिन्दी पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, बनारस, सन् 2001 पृष्ठ, 6,8,10
2. पाल, वी0 सी0-दी फ्रीडम मूवमेन्ट इन बंगाल, सन् 1926, पृष्ठ, 27
3. यादव, आर0आर0 - भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्, 1999, पृष्ठ, 56
4. कुमार संतोष-पत्रकारिता, कल आज और कल' ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, सन् 2008 पृष्ठ, 25
5. जोशी हरिमोहन -खोजी पत्रकारिता' तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, सन् 1995, पृष्ठ, 32,
6. स्वयं का सर्वेक्षण व निष्कर्ष।

माखनलाल चतुर्वेदी एक साहित्यक संख्या

संगीता शुक्ला *

शोध सारांश – सत्य निष्ठा और सादगी और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का समग्र साहित्य अतुल्यनीय एवं श्रेष्ठतम है। शब्दों के धनी चतुर्वेदी जी की चिंतन वाणी और कर्म का उनके कृतित्व में अद्भुत सामांजस्य रहा है। आपका लेखन उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जब साहित्य लेखन एक लेखक के लिए तपोभूमि थी और इस तपस्वी ने उसे अपना संपूर्ण त्याग मयी गयी, बलिदान मयी एवं फल की इच्छा न रखने वाला श्रेष्ठतम जीवन अर्पण कर दिया जिसका चतुर्वेदी जी साहित्य का हिन्दी साहित्य जगत में सर्वोपरि है तथा हिन्दी के साहित्य के इतिहास में उनका साहित्य एक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है।

शब्द कुंजी – अक्षर शिल्पी, युगवाणी मतभिन्न जनमानस, तपोभूमि, चिरकालीन, कालजयी।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शीर्षक- माखनलाल चतुर्वेदी – एक साहित्यक संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने एवं पहचानने वाले इस शीर्षक से हम सभी मतभिन्न नहीं होंगे। क्यों कि यदि हम उनके समग्र साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि माखनलाल जी का लेखन अभूतपूर्व है, जो महत्व पाकर कालजयी बन गया है।

चतुर्वेदी जी की साहित्य – सृजन यात्रा उनके जन्म से लेकर मृत्यु के आगमन तक रही। माखनलाल चतुर्वेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे निराले एवं महान कवि, अद्भुत गद्यकार, स्वाधीनता संग्राम के योद्धा, कुशल कलम शस्त्रधारी पत्रकार, संपादक और सफल लेखक थे। आप जितने साहित्य में शब्दों के धनी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे, वही दूसरी ओर आपका संपूर्ण व्यक्तित्व सादगी से भरा था उनका व्यक्तित्व भौतिक सुख सुविधाओं से दूर स्वाभिमान से समझौता ना करने वाला एवं अपने त्याग और बलिदान को अपनी जीविकोपार्जन के लिए मुद्दा अर्जन का माध्यम नहीं बनाने वाले थे। एक ऐसे अद्भुत साहित्यकार के रूप में वे साहित्यिक संस्था बन गए थे। जिनके जीवन एवं साहित्य के समक्ष संपूर्ण साहित्य जगत नतमस्तक हो गया था।

शोधसामग्री – हिन्दी साहित्य जगत के अप्रतिम प्रेरणार्थक, अक्षर-शिल्पी, सृजनात्मक अभिव्यक्ति युगवाणी, शब्दों की आदि शक्ति के धनी एक समर्पित भारतीय आत्मा पं माखनलाल चतुर्वेदी जी रच्य एक साहित्यक संख्या हैं जिनकी लेखनी ने साहित्य के सभी पक्षों एवं सभी रसों का आस्वादन किया है। बाहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कालजयी कृतित्व को आमिट छाप छोड़ी है। 'दादा' सुधी चिन्तन, प्रखर पत्रकार, रचनात्मक गद्यकार, सटीक संपादक, सुकवि अद्भुत वक्ता इत्यादि अनेक गुणों से सम्पन्न व्यक्तित्व के धनी थे।

पं माखन लाल चतुर्वेदी जी को साहित्यक संस्था कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे उनका संपूर्ण जीवन उनका संघर्ष विषम से विषम परिस्थितियों का कुशलता से मुकाबला करना, निडरता एवं निर्भिकता से अपनी बात को तर्क सम्मत से व्यक्त करना, तथा राष्ट्र कि लिए तन-मन-धन न्यौछावर कर देना तथा परोपकार की भावना रखना

माखनलाल जी के व्यक्तित्व का उल्लेखनीय पक्ष रहा है, एक साहित्यक संख्या के निर्माण के लिए, जो बातें आवश्यक होती हैं, वो है, परोपकार + समर्पण + योगदान+सामाजिक लाभ जो माखनलाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों में समाहित है इसलिए कर समीकरण बनता है।

साहित्यिक संस्था माखन लाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व कृतित्व माखनलाल चतुर्वेदी जी को समझने के लिए हमें उनके तात्कालीन परिवेश, परिस्थितियाँ और उन परिदृश्यों एवं घटनाचक्र के बीच साहित्य सृजन का अध्ययन करना होगा। चतुर्वेदी जी का साहित्य उस समय प्रकट हुआ जब भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन एवं उनकी नीतियों के प्रति गहरा असंतोष एवं रोष उत्पन्न हो रहा था तथा की भावना बलवती हो गई थी तथा यकर्मवीर' मोहनदास करमचंद गाँधी का भारत स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में आगमन हो चुका था उनका जयघोष करो या मरो ने भारत की जनता में चेतना का शंखनाद कर दिया था इसी परिवेश में हिन्दी साहित्य के क्षितिज पर एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी रुपी नक्षत्र का उदय हुआ माखनलाल जी का संपूर्ण संहित्य भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक और क्रांतिकारी चेतना की मुखर अभिव्यक्ति है। दादा ने साहित्य की प्रत्येक विद्या पर अपनी लेखनी का अद्भुत कौशल दिखाया है। चतुर्वेदी जी के साहित्य में सभी रसों सभी अलंकारों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनका साहित्य किसी एक शैली में सिमट कर नहीं रहा है। आपने गद्य, पद्य, निबंध नाटक, संस्मरण भाषण, संपादन, लेख कहानी, बलिदान, प्रेम, रहस्य जुदाई, बिदाई आदि सभी पक्षों पर अपने अद्भुत लेखन का परिचय दिया।

माखनलाल जी की कालजयी कृति साहित्य देवता हिन्दी साहित्य जगत का स्वर्णिम इतिहास है। 'आलोचक डॉ रमेश कुंतल 'मेघ' के अनुसार- माखनलाल जी इतिहास और साहित्य देवता रहे हैं। निराला और माखनलाल ये दो कवि भविष्य के हैं।'¹

ख्यातनाम साहित्यकार एवं आलोचक डॉ रामविलास शर्मा ने उनके सृजनकर्म की विवेचना करते हुए लिखा है माखनलाल जी का युगंतकारी महत्व यह है कि

1. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली- भाग -7 उन्होंने उग्र राष्ट्रीय चेतना

के साथ अपने काव्य में सूक्ष्म 'सौंदर्य बोध गेयता और मोहक चिन्मयता को स्थान दिया है, वे काव्य की खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले साहित्यकारों में है।'²

जगदीश चन्द्र माथुर के अनुसार 'माखनलाल जी को अभिव्यंजना अपने समय से बहुत आगे थी। जैसी सांकेतिकता, लक्षणा और व्यंजना के चमत्कार उनके काव्य में मिलते हैं। वैसे निराला को छोड़कर अन्य किसी समकालीन कवियों की रचनाओं में नहीं है।'³

पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना लेखनकार्य उस युग में किया जब लेखन व्यवसाय न होकर साधना थी, तपस्या थी। लेखक अपना लेखन समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने शिक्षा के प्रति जागृत करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव जगाना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना इत्यादि को शब्द लेखनी के द्वारा योगदान कर

1. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग 7)
2. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग 7)
3. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग 7)

आत्मा संतोष की प्राप्ति करते थे। 'एक भारतीय आत्मा', के साहित्य में इन सभी विषयों संगम देखने को मिलता है। 'माखनलाल जी का साहित्य लोकमंगल की नीरंध्र कामना से आप्लावित एवं अनुप्रमाणित था। जिसके संबंध में प्रशस्ति-भाव और साहित्य की नवांगतुक पीढ़ी में प्रबल श्रद्धा और अनुकरण का भाव था।'¹ 'दादा' ने अपने साहित्य सृजन का आरंभ ऐसे युग परिवेश में किया जहाँ चारों ओर संघर्ष- ही संघर्ष था। जीवन में तथा जीवन के बाहर सामाजिक परिवेश में जहाँ, त्याग, तपस्या, आत्मबलिदान नहीं सर्वोपरि था, जिसे वह अपनी जीवी को पार्जन नहीं बना पाया था। आपने बहुमूल्य एवं कालजयी कृतियों की रचना कर साहित्य जगत में अतुल्यनीय योगदान कर अपना स्थान अजर-अमर में बना लिया। आपकी प्रत्येक कविता निबंध, कहानी, पत्रकारिता, संपादन समीक्षा, संस्मरण, भाषण इत्यादि के उद्देश्य केवल मानव कल्याण एवं जनचेतना के स्वर मुखर होता था। जो वर्तमान में भी प्रासंगिकता लिए हुए है चतुर्वेदी जी के जीवन में अनेक बार उपाधियों से अलंकृत होने के अवसर भी आए परन्तु इस कलम के पुजारी ने सारी भौतिक सुखसुविधाओं से दूर तपस्या और बलिदान से

ओतप्रोत दीर्घ आयु तक केवल साहित्य अर्चना किया अपने सम्मान के अवसर पर उन्होंने कहा था मैं तो साहित्य की इमारत का वह पत्थर हूँ। जिसे साहित्य मंदिर के शिल्पियों ने मंदिर में इमारत के लिए अयोग्य बताकर रखने से इन्कार कर दिया था और वर्षों तक अलग रख दिया किन्तु अच्छे पत्थर के दुष्काल में जिसे उसी इमारत के सुन्दर कोने पर लगाए जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया।'²

माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व वह चिरकालीन सेतु है, जिस पर चलकर नवांगुतक निरर्थक जीवन को उपयोगी उद्देश्य जीवन बना कर समाज को एक दिशा प्रदान कर सकता है। चतुर्वेदी जी का कृतित्व वह है, जिसका समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं को शब्दों और वाणी के माध्यम से भावनाओं को रंगा और संघर्ष एवं बलिदान के करधे पर कात कर साहित्य के सतरंगी आकाश पर बुनकर श्रेष्ठतम सिद्ध किया 'दादा' का साहित्य ऐसे तपस्वी का रचना संसार है, जिसने कभी भौतिकता को सर्वोपरि नहीं माना केवल साहित्य और

1. पत्रकारिता के युग निर्माता- माखनलाल चतुर्वेदी ने शिवकुमार अवस्थी पी 96)
2. समर्पण और बलिदान के कवि मा. च. - आनंद नारायण शर्मा / संपादक - प्रेमनारायण टण्डन - मा.च. व्यक्तित्व कृतित्व साहित्यकार च. 146

साहित्य आत्मा को निष्कलुष मन से माँ सरस्वती के इस वरदपुत्र ने साहित्य को ताउम्र जीवंत बनाए रखा इसलिए हम कह सकते हैं कि मा.च.जी हिन्दी साहित्य जगत के मात्र साहित्यकार ही नहीं एक साहित्यक संस्था भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग 7
2. पत्रकारिता के युग निर्माता- माखनलाल चतुर्वेदी ले शिवकुमार अवास्थी।
3. समर्पण और बलिदान के कवि माखनलाल चतुर्वेदी- आनंद नारायण शर्मा।

हिंदी साहित्य के शताब्दी पुरुष डॉ. राम विलास शर्मा

डॉ. सरोज जैन *

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य के शताब्दी पुरुष डॉ. रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक के साथ भारतीय संस्कृति परंपरा और मनीषा के रूप में विख्यात थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उंच गांव जिला उन्नाव में हुआ था, आरंभिक जीवन प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की लोक स्मृतियों और तत्कालीन क्रांतिकारियों के संपर्क में बीता। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. और फिर पी-एचडी. की उपाधि प्राप्त की। 1938 से 1943 तक वे लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और फिर आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में 1971 तक अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। लेखन की शुरुआत उन्होंने कविताओं से की। तार सप्तक के कवि भी रहे। वर्षों के बाद आलोचना और चिंतन को अपने लेखन का विषय बनाया। निराला उनके प्रिय कवि थे। निराला की साहित्य साधना पर उनकी गवेषणा तीन खंडों में प्रकाशित हुई। यह आलोचना यात्रा में मील का पत्थर साबित हुई। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, अपनी धरती अपने लोग हैं। दिल्ली आने से पहले वे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निर्देशक थे 1934 से 1971 तक बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष भी रहे।

रामविलास शर्मा की साधना अनेक सम्मानों से सम्मानित हुई। उन्हें साहित्य अकादमी, श्लाका सम्मान, भारत भारतीय सम्मान, व्यास सम्मान और शताब्दी सम्मान प्रदान किए गए। इन सम्मानों पर प्राप्त राशि को उन्होंने कभी साक्षरता तो कभी हिंदी सेवा तो कभी पुस्तकालयों, संग्रहालय के प्रसार के लिए दान कर दी। जीवन के उपादानों के प्रति यह निष्क्रियता उनकी संस्कृति का प्रमाण और परिणाम रही। वे आजीवन मार्क्सवादी रहे। अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को आम जनता के लिए घातक मानते रहे। मार्क्सवादी आलोचक डॉ. नामवर सिंह के अनुसार – 'डॉक्टर शर्मा महापंडित राहुल सांकृत्यायन की तरह ज्ञान के विश्वकोश थे। वे हिंदी के स्वाभिमान के चिंतन थे। उन्होंने इतिहास भाषा और संस्कृति और विश्व राजनीति के गंभीर प्रश्नों पर विचार किया। भाषा विज्ञान जैसे अछूते क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। भारतीय भाषा परिवार की जटिल समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया।'

डॉ. रामविलास शर्मा जी ने अपने समय की प्रतिष्ठित और युग प्रवर्तक पत्रिका चांद में आलोचनात्मक लेखन के साथ उनका लेखकीय जीवन प्रारंभ हुआ। तब से वे लगातार लिखते रहे। 66 साल के लेखकीय जीवन में उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखीं। विष्णु प्रभाकर के शब्दों में – 'उनके जैसा साधक हिंदी साहित्य में ही नहीं अन्य भाषाओं में मिलना भी मुश्किल है। मार्क्सवादी होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी को भी गहराई से समझा।

उन्होंने इतना लिखा कि उनका सम्यक् मूल्यांकन करना कठिन है।'

रामविलास जी की आलोचना ने एक समय हिंदी में कई विवाद खड़े किए लेकिन उन्हें आखिरकार सर्वाधिक लेखक और विचारक के रूप में मान्यता मिली। प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस नयी मान्यताओं के लिए संघर्ष करने का धैर्य और संकल्प, अपनी उपेक्षा का अमृत निरंतर पीते रहने का आत्मबल और सत्य के प्रति अधिक निष्ठा अपने इन गुणों के कारण वे हिंदी के शिखर पुरुष बने। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक भारतेंदु युग पर लिखी और उसके बाद भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश पर लिखी। ऋग्वेद की श्रम संस्कृति से लेकर अमेरिकी समाज में हिंसा की संस्कृति तक विश्व इतिहास और भारतीय समाज की ऐसी व्यवस्था और सुसंगत व्याख्या करने का सामर्थ्य शायद ही किसी दूसरे विचारक में हो। अजय तिवारी के अनुसार – 'उनके लेखन में एक सादगी है। सीधे सरल शब्द, छोटे-छोटे शब्द, छोटे वाक्य, मामूली पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आ जाने वाला गुण। यह सादगी उनके जीवन और आचरण में भी थी। उनसे मिलने पर किसी को अपनी हीनता का बोध नहीं होता था। सादगी में जो गरिमा और औदात्य होता है वह उनके साथ अक्षर से लागू होता था।

रामविलास शर्मा के लेखन में एक अंतस्सूत्रता है जो सादगी के बावजूद ज्ञान की जटिलता अंतः संबद्धता और विकास मानता का परिचय देती है। अपने अनवरत संघर्ष और लेखन से वे हिंदी में मार्क्सवादी चिंतन और प्रगतिशील जीवन दर्शन के सबसे बड़े प्रतिनिधि बन गए। सजीवता, जिंदादिली, मस्त मौलापन, गहन अध्ययन और शोध, भारत भर में घूमकर लेखकों से, प्रकृति से, जनजीवन से प्रत्यक्ष परिचय पाना कम्युनिस्ट पार्टी के मुंबई कार्यालय में रहकर लोक युद्ध का राजनीतिक लेखन, अपने बाबा से सुनी गदर की कहानियां, स्वाधीनता आंदोलन की खुद देखी हलचलें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अमृतलाल नागर, शमशेर बहादुर सिंह आदि अनेक मित्रों से प्रेरणास्पद संबंध रामविलास जी एक जीते जागते इतिहास रहे हैं। अपने समाज के सबसे निर्धन आदमी को राजनीति की कसौटी यदि गांधी जी ने बनाया तो सांस्कृतिक कसौटी रामविलास जी ने बनाया था। उनके अनुसार – 'प्रतिभा का ठेका ले कर धनी वर्ग के लोग पैदा नहीं होते। जो लेखक बन सकता है और बंद नहीं पाता उन से पूछिए कि लेखक की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, लोगों को भी समझ में आ जाने वाला गुण जो शादी के बावजूद भी ज्ञान की जटिलता अंतर्संबंध का और विकास मानता का परिचय देती है अपने अनवरत संघर्ष और लेखन से हिंदी में मार्क्सवादी चिंतन और प्रगतिशील जीवन दर्शन के सबसे बड़े प्रतिनिधि बन गए सरिता जिंदादिली मस्त मौला पर गहन अध्ययन और शोध भारत भर में घूमकर लेखकों से प्रकृति से जनजीवन से फुर्सत से परिचय पाना कम्युनिस्ट पार्टी

* प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना (म.प्र.) भारत

के कार्यालय मुंबई में रह कर लो की युद्ध का राजनीतिक लेखन अपने बाबा से सुनी गदर की कहानियां स्वाधीनता आंदोलन की खुद देखी हलचलें , यदि गांधीजी ने बनाया तो सांस्कृतिक कसौटी रामविलास जी ने बनाया था उनके अनुसार प्रतिभा का ठेका ले कर धनी वर्ग के लोग पैदा नहीं होते जो लेखक बन सकता है और नहीं बन पाता उससे पूछिए कि लेख की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है आज के युग की परिवार की सबसे बड़ी समस्या है बुजुर्गों की देखभाल शर्मा जी के अनुसार जैसे हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और उसे सभ्यता का चिन्ह मानते हैं वैसे ही हम समाजवादी व्यवस्था में बूढ़ों की देखभाल करेंगे देखना करना और सभ्यता माना जाएगा हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उसमें पैसा मनुष्य से बड़ा है जब लोगों के मन में यह ख्याल आएगा कि पैसा छोटा है मनुष्य बड़ा है, तो बूढ़ों की समस्या भी हल हो जाएगी प्रगतिवादी विचारधारा के अनन्य प्रवक्ता तथा साहित्य समाज संस्कृति आदि विषयों के जागरूक लेखक के रूप में डॉक्टर शर्मा के ग्रंथ प्रेमचंद भारतेंदु युग साहित्य और डॉक्टर शर्मा ने जहां कबीर तुलसी भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद और निराला के माध्यम से संस्कृति प्रगति और परंपरा भाषा साहित्य और संस्कृति प्रगति और परंपरा भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1955 लोक जीवन और साहित्य 195 डॉक्टर शर्मा ने जहां कबीर तुलसी भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद और निराला के माध्यम से हिंदी के जातीय साहित्य का मूल्यांकन किया वहीं अन्य परंपरा और रोगियों के बंधन को नकार कर एक स्वस्थ उदार और तटस्थ दृष्टि से इसे पढ़ने की दृष्टि प्रदान की आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1 भाषा और समाज 1961 नई कविता और अस्तित्ववाद 1975 महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो खंडों में 1982 निराला की साहित्य साधना तीन खंडों में 1967 आदि रचनाएं हैं डॉक्टर शर्मा ने जहां कबीर तुलसी भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद और निराला के माध्यम से हिंदी के जातीय साहित्य का मूल्यांकन किया वहीं अन्य परंपरा और रूढ़ियों के बंधन को नकार कर एक स्वस्थ उदार और तटस्थ दृष्टि से इसे पढ़ने की दृष्टि प्रदान की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद उन्हें हिंदी के शीर्षस्थ समालोचक का सम्मान प्राप्त हुआ प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 19 पंचानवे से लेकर महावीर चसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण 1977 जैसी महत्वपूर्ण कृतियों में उनकी प्रेड आलोचना दृष्टि निरंतर प्रखर और प्रभावित होती गई। हिंदी भाषा की चिंताओं से जुड़कर एवं भाषा गत चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने जो कार्य किया वह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य के अलावा भारतीय कला विशेषकर संगीत स्थापत्य संस्कृति दर्शन चिंतन विज्ञान भाषा विज्ञान को प्रभावित करने

वाले विशिष्ट इतिहास पुरुषों पर डॉक्टर शर्मा ने विचार किया है इसी तरह शंकराचार्य, कबीर, राजा राममोहन राय, विलियम जॉन्स, रविंद्र नाथ ठाकुर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर जैसे भारतीय मनीषियों पर भी डॉक्टर शर्मा का काम नई सूचनाओं से युक्त और प्रमाणिक है। अपने एक अन्य ग्रंथ है, भारतीय साहित्य की भूमिका 1966 में डॉक्टर शर्मा ने ऋग्वेद आंदोलन से लेकर स्वदेशी आंदोलन और जातीय संस्कृति के विवेचन के अंतर्गत हिंदू जाति के पुनर्गठन की विस्तार से चर्चा की है इसी तरह उनकी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग तीन खंडों में 1966 हमारे समय के एक महान अध्येता के जीवन व्यवहार और समर्पित लेखन कर्म के साथ उनके गहरे सरोकार से भी परिचित कराती है प्रगति शीलता के साथ भारतीय परंपरा के मूल्यांकन के प्रति डॉ. रामविलास शर्मा स्वयं एक जीवन गाथा पुरुष बन गए हैं। उन्होंने हिंदी की महा जातीय परंपरा और जातीय भाषा हिंदी का सुसंगत और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जो अपने आप में एक नई साहित्य दृष्टि और उपलब्धि है डॉक्टर शर्मा के अनुसार संसार का कोई भी देश बहुराष्ट्रीय जाति की हैसियत से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता या राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। वह मुख्य संस्कृति और इतिहास की देन है इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का :सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें, तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एक था टूट जाएगी किसी भी बहू जाती है। राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही, जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जिसने इस देश के लिए है। भाषा की उन्नति के संबंध में उनके विचार थे भाषा की उन्नति उसके बोलने वालों की उन्नति पर निर्भर है, यदि किसी भाषा के बोलने वाले आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हो तो उस भाषा कल साहित्य पूरी शक्ति से प्रगति नहीं कर सकता। निश्चय ही उनका व्यक्तित्व मार्क्सवादी आलोचक हिंदी भाषा विद्वद् भारतीय संस्कृति परंपरा के मनीषी के रूप में अविस्मरणीय रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनसत्ता नई दिल्ली, 13 जनवरी
2. जनसत्ता नई दिल्ली, 1 जून 2000
3. जनसत्ता नई दिल्ली, 29 मई 2000
4. आजकल मासिक पत्रिका, मई 2002

प्रथम जैन साध्वी आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ. गणेश लाल जैन *

प्रस्तावना - वर्तमान में जम्बूद्वीप की पावन प्रेरिका, चरित्रचन्द्रिका, विधानवाचस्पति, तीर्थोद्धारिका, वात्सल्यमूर्ति, युगप्रवर्तिका आदि उपाधियों से विभूषित गणिनी आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी जैन साध्वी परम्परा की प्रथम उदघोषिका है। उनका जीवन अनवरत साधना एवं त्यागमय जीवन का एक अनूठा उदाहरण है। सन् 1934 की शरदपूर्णिमा को उ.प्र. के बाराबंकी जनपद के ग्राम टिकेतनगर में बाबू छोटेलाल जी जैन के घर एक कन्या का जन्म हुआ। 1952 में शरदपूर्णिमा को बाराबंकी में आपने आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज से सप्तम प्रतिमा (ब्रह्मचर्य) के व्रत अंगीकार किए। 1953 में चैत्र कृष्णा एकम् को श्री महावीर जी में आपने आचार्य श्री देशभूषण जी से क्षुल्लिका दीक्षा ग्रहण कर 'वीरमती' नाम प्राप्त किया। 19 वर्ष की यौवनावस्था में क्षुल्लिका के व्रतों का कठोरता से पालन करने के साथ ही आप निरन्तर वैराग्य के भावों को विकसित करती रही एवं अनन्तर इस युग के महान आचार्य चरित्रचक्रवर्ती श्री शांतिसागर जी महाराज की आज्ञा से उनके ही पट्टशिष्य आचार्यश्री वीरसागर जी से वैशाख कृष्णा द्वितीया को (1956 ईसवी) माधोराजपुरा की पवित्र भूमि में आर्यिका के व्रतों को अंगीकार कर 'ज्ञानमती' की सार्थक संज्ञा प्राप्त की। आपकी उत्कृष्ट साधना एवं कठोर तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक श्रावक/श्राविका आपके सम्मुख स्वयमेव नतमस्तक हो जाता है। आपकी माँ मोहिनी ने भी आर्यिका श्री रत्नमती माताजी के रूप में आपके पास अनवरत साधनारत रहकर मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य 'समाधि' (1985 में) प्राप्त की। आपकी दो बहनें आर्यिका श्री अभयमती माताजी एवं प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चन्द्रनामती माताजी (संघस्थ) आपके ही पथ का अनुगमन कर रही हैं। आपके भाई कर्मयोगी ब्र.रवीन्द्र कुमार जी (संघस्थ) भी आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत एवं सात प्रतिमा के व्रतों के पश्चात् 1. प्रतिमा धारण करके वर्तमान में जम्बूद्वीप के पीठाधीश पद को स्वीकार कर अनवरत रूप से धर्म एवं समाज की सेवा में संलग्न हैं। वे सम्प्रति दि. जैन त्रिलोक शोध संस्थान-हस्तिनापुर, अयोध्या दि. जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, भगवान ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग, अखिल भारतवर्षीय दि. जैन तीर्थकर जन्मभूमि विकास समिति-हस्तिनापुर, भगवान महावीर जन्मभूमि कुण्डलपुर दि. जैन समिति कुण्डलपुर, भगवान ऋषभदेव 1.8 फुट उत्तुंग मूर्ति निर्माण कमेटी-मांगीतुंगी आदि अनेक संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शेष 9 भाई-बहन श्रावक धर्मों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रत हैं।

व्यक्तित्व - पूज्य माताजी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। जहाँ उन्होंने सम्पूर्ण भारत की पदयात्रा कर शताधिक आत्माओं में वैराग्य की ज्योति जगाई है, वहीं हस्तिनापुर में दि. जैन त्रिलोक शोध संस्थान के प्रबंधकों को प्रेरणा

देकर जम्बूद्वीप की प्रतिकृति के रूप में न केवल जैन समाज अपितु सम्पूर्ण विश्व को एक अद्वितीय उपहार दिया है। खुले आकाश के नीचे वलयाकार लवण समुद्र से वेष्टित 1.1 फीट उत्तुंग सुमेरु के चारों ओर बनी जम्बूद्वीप की भव्य रचना को देखकर तिलोयपण्णत्ति, जम्बूद्वीवपण्णत्ति संघर्षों में निहित भूगोल विषयक सामग्री को सहज ही हृदयंगम किया जा सकता है। वर्तमान में 'जम्बूद्वीपय' के नाम से विख्यात इस परिसर में स्थित कमलमंदिर, ध्यान मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, सहस्रकूट जिनालय, ॐ मंदिर, भगवान वासुपूज्य मंदिर, तेरहद्वीप जिनालय, जम्बूद्वीप पुस्तकालय, विस्तृत उद्यान समग्र रूप से इसकी शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। आपकी प्रेरणा से त्याग मार्ग पर प्रवृत्त अनेक आत्माएँ आज मुनि व आर्यिका पद को सुशोभित कर रही हैं। आपकी शिष्या कु. माधुरी आर्यिका श्री चन्द्रनामती माताजी के रूप में एवं आपके शिष्य श्री मोतीचंद जी क्षुल्लक मोतीसागर जी के रूप में संघ में ही अध्ययन एवं साधनापथ थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी अनेक ब्रह्मचारिणी बहनें व्रत नियमों को अंगीकार कर संघ में साधनारत हैं। पूज्य माताजी को 1 मई 1985 को चतुर्विध संघ के द्वारा गणिनी पद से विभूषित किया गया। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी के करकमलों से उद्घाटित जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति ने 4 जून 1982 से 28 अप्रैल 1985 के मध्य देश में अहिंसा, शाकाहार एवं नैतिक मूल्यों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1981, 1982, 1985 एवं 1992 में मेरठ विश्वविद्यालय एवं 1993 में अवध विश्वविद्यालय के सहयोग से पूज्य माताजी के सानिध्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों एवं 1998 में भगवान ऋषभदेव राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है।

भगवान ऋषभदेव अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव का आयोजन, मांगीतुंगी, महावीर जन्मभूमि कुण्डलपुर (नालंदा) तथा भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या एवं ऋषभदेव तपस्थली-प्रयाग का विकास आपकी ही प्रेरणा से सम्पन्न हुआ है।

कृतित्व - साहित्य के क्षेत्र में पूज्य गणिनीप्रमुख श्री माताजी की प्रतिभा विलक्षण है। आपके द्वारा प्रणीत 250 से भी अधिक ग्रंथों का आज तक प्रकाशन हो चुका है। महिला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अनुपम सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के भाव से ही डॉ. राममनोहर लोहिया अवधा विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने आपको 1995 में डी.लिट्. की मानद उपाधि से सम्मानित किया। जहाँ आपने अष्टसहस्री सहस्र न्याय के विलुप्त ग्रंथ की टीका लिखी, वहीं नियमसार की स्याद्वाद चन्द्रिका टीका लिखकर एक इतिहास रचा है। मूलाचार की टीका, कातंत्ररूपमाला, त्रिलोक भास्कर,

जैन ज्योतिर्लोक, न्यायसार, नियमसार प्राभृत आदि आपकी बहुर्चित प्रौढ़ कृतियाँ हैं। आपने जैन भारती, दिगम्बर मुनि, आर्यिका, प्रवचन निर्देशिका सहस्र कृतियाँ स्वाध्याय में रत या उन्मुख पाठकों को दी। किसी भी आर्यिका द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा 'मेरी स्मृतियाँ' समकालीन घटनाओं का जीवन्त दस्तावेज है। पूज्य माताजी बच्चों को संस्कारित करने के प्रति सदैव जागरूक रही हैं आपने अनेक वर्ष पूर्व बाल विकास (भाग 1-4), जैन बाल भारती (भाग 1-3), धरती के देवता, जीवन दान सहस्र लोकप्रिय कृतियाँ दी हैं। समाज की नारी शक्ति को संस्कारित कर उसकी शक्ति को संस्कार निर्माण में लगाने के भाव से आपने नारी आलोक (भाग 1-3), पतिव्रता, परीक्षा, सती अंजना जैसी सरल एवं सुरुचिपूर्ण कृतियाँ दी हैं। पूज्य माताजी द्वारा रचित सिद्धचक्र विधान, चौबीसी या पंच परमेष्ठी विधान सर्वतोभद्र, कल्पद्रुम, इन्द्रध्वज, तीन लोक, त्रैलोक्य मण्डल, जम्बूद्वीप मण्डल, जिन सहस्रनाम आदि विधानों की पंक्तियाँ गुंजायमान होती रहती हैं एवं भक्तगण इस विलक्षण प्रतिभा की धनी माँ के चरणों में नतमस्तक हो भक्तिगंगा में डुबकियाँ लगाते रहते हैं। पूज्य माताजी के करणानुयोग विषयक साहित्यिक कृतित्व वर्तमान में उपलब्ध प्राचीन धर्म ग्रंथों के उल्लेखों एवं सभ्यता के प्रारंभिक युग के अवशेषों से प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इस प्राचीन धर्म के विशाल वांगमय, द्वादशांग वाणी के दृष्टिवाद अंग के अन्तर्गत परिकर्म एवं 'पूर्व साहित्य' में लोक के स्वरूप एवं विस्तार की व्यापक रूप से चर्चा है। 'करणानुयोग' संस्थान विचय नामक धर्मध्यान का प्रमुख अंग होने के कारण जैनाचार्यों ने इसे अपने अध्ययन में प्रमुख स्थान दिया। वस्तुतः कर्मों की क्रमिक निर्जरा के उपरान्त आत्मा की स्थिति, सिद्ध परमेष्ठियों के वर्तमान निवास स्थान, बीस तीर्थकरों के समवसरणों की स्थिति एवं तीर्थकरों की जन्मकालीन घटनाओं को समीचीन रूप से हृदयंगम करने हेतु लोक संरचना का ज्ञान अपरिहार्य रूप से आवश्यक है।

जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत एतद् विषयक ग्रंथों की भाषा एवं शैली में तो

परिवर्तन हुआ है, तथापि ग्रंथों की विषयवस्तु एवं विचारों की एकरूपता इतर समाजों द्वारा अपने विचारों से अनेक शुरु परिवर्तनों के बावजूद अक्षुण्ण रही है। लोक के स्वरूप एवं विस्तार के अध्ययन की दृष्टि से तत्त्वार्थसूत्र एवं उसकी आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंकदेव एवं आचार्य विद्यानंद कृत टीकाएँ, लोक विभाग, तिलोयपण्णपत्ति, जम्बूद्वीवपण्णत्तिसंगहो, त्रिलोकसार आदि दिगम्बर परम्परा के ग्रंथ पठनीय हैं किन्तु इन ग्रंथों की विशालता, विवेचनों की जटिलता, जैन पारिभाषिक शब्दावली के बाहुल्य के कारण यह ग्रंथ न केवल जनसामान्य बल्कि प्रबुद्ध श्रावकों की पहुँच से भी दूर रहे। लम्बे समय तक जैन समाज के पंडित वर्ग ने भी तत्त्वार्थसूत्र की चर्चाओं में तीसरे एवं चौथे अध्याय की एक या अधिक कारणों से निरन्तर उपेक्षा की। कुछ ने तो उसे क्षेपक मान लिया क्योंकि उनकी दृष्टि से यह सारे विवेचन कपोल कल्पित हैं। वर्तमान विज्ञान के बहुप्रचलित निष्कर्षों से इन विवेचनों का साम्य न होने से विद्वानों ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली है। किन्तु जैनाचार्यों के वचनों एवं आचार्य प्रणीत ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास रखने वाली पूज्य माताजी ने करणानुयोग के ग्रंथों में उपलब्ध विवेचनों, तिलोयपण्णत्ति, जम्बूद्वीवपण्णत्तिसंगहो आदि में उपलब्ध विवेचनों के आधार पर त्रिलोक भास्कर, जैन ज्योतिर्लोक, जम्बूद्वीप एवं जैन भूगोल जैसी प्रौढ़, आगमनिष्ठ एवं प्रामाणिक कृतियाँ, सरल सुबोध भाषा में दी। माताजी की कृति 'त्रिलोक भास्कर' जैन भूगोल है जिसमें तीनों लोक का वर्णन है। उन्होंने ऐसी ही अन्य विलक्षण कृतियों की भी रचनाकर समाज एवं विद्वत्वर्ग को कृतज्ञ किया है। उनकी यह साहित्य साधना आज भी अनवरत रूप से गतिमान है। लेखिका पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिलोक भास्कर - आर्यिका ज्ञानमती
2. जम्बूद्वीप ओ आर जी डाट इन

Tribes Of Chhattisgarh - Cultural Practices, Ethos And Ethnicity

Hemkumari Patel*

Abstract - Chhattisgarh, popularly known as the 'rice bowl' occupies a unique place in the country because of its exotic natural beauty, cultural splendor and extraordinarily rich biodiversity with ethno medicinal plants and several rare and endangered species of wild animals. It is a tribal dominated state with significantly high proportion of tribal population of about 32.5%. The state is the shelter of more than 35 tribes. The chief tribes of the state are Gond, Abujhmadia, Bison horn Maria, Muria, Halba Bhatara, Parja, Dhurwa, Pahadi korwa, Baiga, Kavar, Bhaiyana and Kamar. Tribes of Chhattisgarh differ from each other on account of their customs, traditions, eating habits and costumes. They have their own distinct living style and cultural practices. These tribes live in the close vicinity of nature and they play a significant role in conserving the rich flora and fauna of the region. Far from the reach of mainstream of society they are much lagging behind in terms of education, health facilities, living standard, and socio economic condition. No doubt efforts are being taken to improve their plight, but much is to be done for their socio economical upliftment. The present paper is an attempt to explore the cultural and social ethos, to bring forth their rich heritage, their problems and to come out with the best possible solution.

Key Words - Tribal culture, ethos, biodiversity, folk culture, matriarchal, dialect.

Introduction - Chhattisgarh, apart from being a land of industries and a repository of minerals, is notable for its unparalleled natural beauty and diverse cultural legacy. Tribal culture constitutes an indispensable part as almost one third of the population falls under this category. The tribes of Chhattisgarh inhabit mainly in the dense forest of Bastar region. In fact more than 70% population of Bastar is composed of tribal community which constitutes about 26.7% population of the state's entire tribe. With lots of economic and political disturbances the tribes are living an undisturbed life among the dense forests. The life style of these tribes is unique with their own means of recreation, their customs, traditional rituals and superstitions. They love to enjoy each and every occasion with dance, music, food, drink and merriment.. The chief tribal communities of the state are as follows.

Gonds - The word tribal in India is used to refer to any indigenous inhabitants or the ancient inhabitant. (Aadivasi in Hindi.) With about 41 subclasses the most populous and oldest tribe of the states is the Gonds. The three main subclass of the Gonds are namely Maria, Muria and Dorla. They generally marry within the family and practice traditional Hindu custom. Gonds society is somewhat matriarchal one in the sense that women enjoy equal social status in the society.

Abujhmaria - They are one of the most primitive tribes of the country. Residing in the dense forest region of the remote Narayanpur Tehsil, Dantewada they are totally cut

of even from the other tribes. They are barbarous, savage and hostile to the strangers and sometimes shoot them with their bows. Their primitiveness can be imagined from the fact that they rarely wash or clean themselves. Even when they drink water they do not use any vessel, rather they drink directly from the pond resembling to animals. They dwell in the isolated region and are entirely unaware of the material pleasure.

Bison horn Madia - They are the chief sub cast of the Gond. They are called so because they wear a unique head dress made up of horns of a wild bison during their dance, marriage and other ceremonies. They worship non human object and spirits. They worship clan god and believe that it guards their village from any external disaster like back magic. They have a peculiar hair style with long pony tail.

Muria - Of all the tribes of Chhattisgarh Muria are the advanced and open minded. They reside in open and vast rolling plains and valleys of Bastar region. Their economy is predominantly based on agriculture; some of them are also dependent on forest products for their living. They are highly superstitious and worship local gods and goddesses and they practice black magic also.

Halba - They reside mainly in the Bastar and in comparison to other tribes they are more prosperous as they are land owners. Their dialect Halbi has a peculiar combination of Chhattisgarhi, Odia and Marathi.

Most of the Halbas have now become followers of Kabir and they have abandoned nonveg and wine which

differentiate them among the tribes.

Dhurrva - The most aboriginal tribes that abode the Bastar region are Dhurrva. Their society is broadminded and progressive. Polygamy is common among them but women are held in high esteem in this society. They are responsible for all the domestic matters. The men are generally indolent and they don't have to do much in domestic affairs rather they are busy with hunting and routine cultivation besides, they are expert craftsmen. They make exquisite handicrafts from cane and other forest products.

Tribal Dances - Dances are the chief means of recreation for all the tribes. Apart from traditional attire and folk music they also exhibit their moral and cultural values. Chief tribal dances are as follows.

Karma - Karma dance is performed by Uraon tribes of Chhattisgarh. The dance is performed in the honour of their cult god Karam. It reveals the importance conferred to Karma or action in Indian life as revealed in Bhagwad Gita. It manifests the importance of action among the hardship of agrarian life which they face amidst the dense forest. The message given in this beautiful dance is to give foremost importance to action in life. The dance is performed throughout the year except in rainy season. Both male and female participate in it with their beautifully adorned head dress with plumed feathers. Karma is in fact artistic expression of tribal life cycle.

Kaksar Dance - Kaksar is the folk dance of Muria tribes. It is mainly a dance for worshipping god, performed once in a year to please their cult god Lingadew. Male and female both participate in the dance with female wearing garland of flowers and beads.

Gaur Dance or Madia Dance - Madia tribes celebrate their annual festival called Jatra. In this festival they dance praying for good crop, happiness and prosperity. In Gaur dance Madia gents wear big curved horns of an animal called Gaur. Horns are decorated with antic designs, and beads. Madia women wear crown made up of brass and they make beautiful postures while dancing. Youth specially participate in it with great zeal and enthusiasm. Famous anthropologist Verrier Elwin has praised this dance as "the most beautiful dance of the world."

Gaindi Dance - Gaindi dance is performed by Muria youth in their youth dormitory ghotul. Gaindi is a long wooden stick with small slipper like wooden pieces tied about one feet of height from the ground. In these Gaindi they dance with exquisite movements and the balance they exhibit climbing on it is noteworthy. Muria tribes are expert in displaying fast rhythmic movements with perfect balance.

Parab Dance - Parab dance is performed by Dhurrva tribes of Bastar. Both male and female participate in this dance. Men wear white dress with traditional turban with plumed feathers and women wear white sari and a white band on their forehead and sounding anklets called ghunghroos. Dancing in a row they make beautiful postures in between, like making pyramid and women crossing them below the pyramid.

Mandari Dance - It is another dance performed by Muria tribes in ghotuls. The young boy and girls of Muria who are the members of ghotul dance till late nights. It is a dance without song. Women contain an instrument called chitkul while dancing. Each of the dancers lead the group one by one atleast for one beat. The dance continues in ghotuls till midnight.

Tribal Cultural Practices Muria Tribes and Ghotul - The most talked about renowned and most disputed practice of Muria tribes is their youth dormitory called Ghotul. The controversial custom of teenage mating in Muria tribes gained recognition after the publication of anthropologist Verrier Elwin's book "Muria and Their Ghotul". Every unmarried boy and girl is the member of ghotul in Muria community. The boys are called Cheliks and girls are called Motiaris. The head boy in ghotul is called Siredar and the head girl is called Bilosa. Each member is given a particular task like cooking, cleaning and sweeping etc. The people of Muria community consider ghotul as their shrine and they believe it to be protected by their cult god Lingo Pen. The boys and girls are trained in ghotul for community life and they learn the tenets of social, religious and artistic life. Ghotuls are based on the principles of co-habilitation and marriage. When the girls and boys attain puberty they are allowed to initiate their sexual life by the senior members of the group.

Social Anthropologist Verrier Elwin in his renowned book "The Muria and their Ghotul" writes: The Ghotul is for the Muria the centre of social and religious life which traces its origin in Lingo Pen a famous cult hero-all unmarried boys and girls must be its members.

Ghotul dormitories are often criticized as shelter house of wanton love making with partners periodically changed. Such criticism by educated tribals had sent the ghotuls in to decline for a while but now some Gandhian organizations like Ekta Parishad are trying to revive this teenage mating ritual. It is difficult to resolve whether to follow the dictates of a more evolved society or to cling to the age old tradition that is valued highly by many of them. No doubt they instill the spirit of independence, community life, social responsibility and harmony among them.

Cock-fight in Bastar - Apart from singing dancing and hunting, one sport which is very much popular in Bastar is the Cock fight which is organized in local weekly market. A huge crowd is assembled to see the cock fight and people bet on these cocks. One sharp sickle shaped knife is tied on the leg of each cock and then two cocks are left to fight which each other, because of the sharp knife they get cuts and start bleeding whichever falls on the ground first is declared defeated. It is very much pathetic to see the cocks fighting and bleeding and dying on the spot but tribes takes lots of interest in it and these are their own ways of enjoyment.

Conclusion - As Chhattisgarh is dominated by tribal population of varied groups, we witness varying culture, customs, rituals and traditional beliefs entirely different from

the main stream of society. These tribes have their own ways of entertainment, their own cult gods and superstitions. One of the most striking features of tribal community is that they are matriarchal society and women play an important role in their economy, they work along with the male members in the field. They enjoy more freedom than the women of other community in the sense that widows have the right to re- marry. In Gond tribes groom has to pay a certain amount of dowry to show his respect towards his future wife and in –laws. In spite of the hardship of life they are very much fun loving. No doubt they are much lagging behind in respect of their socio- economic condition, education and health facilities but even then they have much

to give to the society. Their artistic painting and expertise in making craft of bell metal has earned them worldwide name and fame.

References :-

1. Das, Shiva Tosh (1989) Life Style Indian Tribes : Locational Practice. 3. Delhi: Gian Publishing House. ISBN 978-81-212-0058-5
2. "Premarital Sex". Sex and Society. 3. New York: Marshal Cavandish. 2010.
3. Awais Mohammad and Toshib Alam and Mohd Asif, 2009 Socioeconomic Empowerment of Tribal Women: An Indian Perspective, International Journal of Rural Studies, Vol. 6 No. 1. October.

Incapability To Realize The Hidden Dark Impulses In The Characters Of K. A. Porter's Ship Of Fool's

Dr. Anita Tripathi *

Introduction - The name of the ship, the Vera, means "truth". The voyage (trip) had personal significance to Porter, who regarded the search for identity as the search for truth, because to know oneself was to know humanity. A classic humanistic view, Porter's philosophy is based on the premise that persons must first recognize their animal natures before they can understand their difference from animals. All the passengers have within themselves the universal truths to be discovered. And yet most ignore the truth available to them and pursue illusions. The truth includes primitive instinct, the potential for evil as also for love and death.

Like Laura's in Flowering Judas, Jenny's dream illuminates a truth about herself. She is haunted by the memory of two Mexican Indians, a man and a woman locked in a swaying embrace, both covered with blood and killing each other with cutting weapons. "They were silent, and their faces had taken on a saint like patience in suffering, abstract, purified of rage and hatred in their one holy dedicated purpose to kill each other" (SF, 144). In her dream she is horrified to see that they are herself and David. She at once understands the destructiveness of their love. She also understands the thin line between love and hate and the purifying effect of loosed hate. She understands that this capacity for hatred, this lust for blood, is universal. The vacillations and misunderstandings of Jenny Brown and David Scott are reminiscent of the husband-wife relationship in Rope.

Mary Treadwell has a similar opportunity for understanding her own dark impulses, but she fails to translate her experience into edifying knowledge. Scorn for men is seen in its purest form through the eyes of Mrs. Treadwell, the closest counterpart of Mirenda. Mrs. Treadwell has known all along: love is dangerous, and the best protection is an aloofness that prevents the other from coming too close. Unchecked by love, evil rules the world. She has been a superficial woman, she has repressed her own sexual feelings preferring arms-length

dancing with her young German officer to kissing him. She enjoys the pleasant male nearness, no weight and no burden, but only a presence.

Denny in his final determination to conquer Pastora confesses the door, and drunkenly mistakes for the face of Pastora the face of "unsurpassed savagery and sensuality" (SF, 462), which Mrs. Treadwell in drunken idleness painted on herself. She shoves Denny to the deck and, using her metal capped high-heel sandal, beats in the face of the fallen and stuporous man with "furious pleasure", and is afterwards delighted at the sight of her "hideous wicked face" in her mirror. The mask symbolizes the violence of her repressed primitive sexuality, and her assumed face seems to reveal "something sinister in the depths of her character". Turning back into her cabin, she smiles in "joy and excitement. [Snatches] off her blood-stained sandal and ... [kisses] it" (SF, 466). Instead of absorbing the truth about herself, she restores the old identity of innocence and propriety by washing of the mask. Mrs. Treadwell is not changed in any significant manner. When Jenny tells her the passengers' version of Denny's encounter with "mysterious forces", She makes n- amendments to her victim and laughs with great pleasure.

References :-

1. In 1942, when Porter was preparing an "apology" for the novel that became Ship of Fools, she wrote, "There are a good many references, events, and scenes, which now appear almost suspiciously 'timely' and the theme has a more sinister meaning than it seemed to have when the book was begun". Incomplete draft, Harry Ransom Center.
2. Theodore Solotaroff : " Ship of Fools and The Critics", Commentary 34, October 1962, 277.
3. Dayton Kohler : News Leader, quoted by Theodore Solotaroff in "Ship of Fools and The Critics", Commentary 34, 1962, 278.

करोड़ों का भारतीय चित्रकार - तैयब मेहता

डॉ. यतीन्द्र महोबे *

प्रस्तावना - हल्के हरे, सफेद, पीले, नीले, लाल और घूसर सपाट रंगों से अपने कैनवास पर बड़ी-बड़ी मानवाकृतियाँ अंकित करने वाले तथा आधुनिक भारतीय चित्रकला के सशक्त स्तम्भ के रूप में खड़े विश्व प्रसिद्ध कलाकार 'तैयब मेहता' (जन्म 26 जुलाई 1925, गुजरात) से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कला क्षेत्र से जुड़कर अपरिचित हो। आज सपाट रंगों से युक्त इनकी रचनात्मक मानवाकृतियाँ देश-विदेश में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी हैं, और बड़े से बड़े दामों पर बिकने के लिए प्रदर्शनियों में तैयार है।

बचपन में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह चित्रकार बनेंगे और चित्रकला के क्षेत्र में शिखर पर होंगे। तैयब मेहता अपने कला जीवन में अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित हो चुके हैं। बाल्यकाल से उनका लगाव फिल्मों से जुड़ना रहा, क्योंकि उनके पिता फिल्मों के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके अनेक सिनेमाघर थे। फिल्म डायरेक्टर बनने का शौक इन्हें बंबई लाया और 1944 में फिल्म एडीटिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की। उसी बीच इनकी मुलाकात एक फिल्म डायरेक्टर मजीद साहब से हुई, जिन्होंने न्यू बाम्बे पेंटर्स ग्रुप की स्थापना भी की। मजीद साहब ने इनके हुनर को पहचाना और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला भी करवा दिया। वहाँ उनकी मुलाकात सैयद हैदर रजा से हुई। रजा उनसे कला विषय पर चर्चा किया करते और उन्हें चित्र बनाने को कहते। उस समय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हो चुकी थी। तैयब मेहता प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से सीधे नहीं जुड़े लेकिन ग्रुप के उद्देश्यों एवं विचारों से सहमत थे।

'उस समय भारतीय समकालीन कला एकदम दिशाहीन थी, या तो चित्रकार विक्टोरियाई अंग्रेजी स्टाइल को अपनाये (जे.जे. की शिक्षा भी उसी लीक पर होती थी) था या फिर बंगाल स्कूल का अनुसरण कर रहा था। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन कला शैली आजाद नहीं हुई थी। तैयब मेहता ने तो तय कर लिया था कि वे ब्रिटिश स्टाइल में तो कभी काम करेंगे ही नहीं और रियलिस्टिक और नेरेटिव शैली में भी काम नहीं करेंगे। उनके सिर पर जुनून सवार हो चुका था, कुछ नया और दूसरों से अलग तरह का काम करने का।'

तैयब मेहता के लिए 'कुछ नया करने का जुनून' उन्हें लंदन और पेरिस की यात्रा के लिए प्रेरित किया। वहाँ तमाम यूरोपीय कलाकारों की कलाकृतियों से रू-ब-रू हुए। धीरे-धीरे महसूस किया कि चित्र में भाव एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करना ही रचनात्मकता है। इसी क्रम में उन्होंने प्राचीन भारतीय चित्रकारों की प्रदर्शनी भी दिल्ली में देखी जिससे काफी प्रभावित हुए।

यूरोप प्रवास के दौरान लंदन में किसी ने उनसे प्रश्न किया कि वे वहाँ किस लिए आए हैं? तो उनका जबाब था कि चित्र होता किसके बारे में है, यह जानने के लिए। तैयब मेहता ने विभाजन के दौरान हुए दंगों को बड़ी गंभीरता

से अपनी कलाकृति का विषय बनाया। चित्र शृंखला 'गिरती हुई आकृतियाँ' इसी खौफनाक घटना की गाथा कहती है। 'विभाजन के दिनों में अपने मकान की खिड़की से उन्होंने देखा था, किस तरह लोगों ने एक आदमी को पत्थरों से मार-मारकर खत्म कर दिया था। उस आदमी की निरूपराय बेबसी उनकी आँखों में तैर गई। यह खौफनाक दृश्य देखने के बाद तैयब को बुखार आ गया था। तब से यह बिंब उनके मन की भीतरी पर्त पर अंकित हो गया।' और 1955 से अब तक उनके चित्रों की मानव आकृतियों में दिखाई देता है (देखिए चित्र फलक - 51 एवं 52)। 1962 ई. में बनाया उनका एक अन्य चित्र 'रिवशावाहक' जो मनुष्य के अर्थ को ही बदल देता है और वह सवारी या भार ढोने वाला बैल बन जाता है। इस पीड़ा को भी तैयब मेहता ने अपनी कलाकृति में बखूबी चित्रित किया है।

तैयब मेहता ने अपनी मानवाकृतियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी मानव आकृतियाँ आधुनिक भारत के मोहभंग, पीड़ा, संत्रास आदि को प्रदर्शित करती हैं। देश विभाजन की पीड़ा ने उनके चित्रों की मानव आकृतियों को भी विभाजित कर दिया। प्रारंभिक चित्रों में रंग लगाने का तरीका बिल्कुल अलग था, वह नाईफ से रंग भरा करते थे। लेकिन उनके चित्रों में सपाट रंग पद्धति का संयोजन दिखाई देता है। अब चित्रों की मानव आकृतियों के बीच आड़ी-तिरछी गहरी रेखाएँ प्रभावमान हैं।

'अपने चित्रों में वे काली को हमेशा पेंट करना चाहते थे, किन्तु वे अपने को उसके लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। मुँह से जीभ बाहर निकाले, नरमुंड पहने एक काले रंग की महिला बना देना ही काली जैसे महाशक्तिवान देवी के चित्रांकन के लिए काफी नहीं है। काली के चित्र में भावना आनी चाहिए। कहते हैं, तैयब मेहता जब वे बंगाल में रहे, तब उन्हें काली माँ के ओजस्वी आभा की अनुभूति हुई, और उन्होंने काली माँ का चित्र बनाया। इनमें गहरे नीले रंग और लपलपाती तरल जीभ के अलावा काली के अन्य किसी पारंपरिक प्रतिभा विधान को नहीं रखा गया है। शांति निकेतन प्रवास के दौरान तीन पैनल का एक अद्भुत चित्र बनाया, जिस पर अध्यात्म और दर्शन के विचारक तथा महात्मा गांधी के नाती डॉ. रामचन्द्र गांधी ने एक पुस्तक लिख डाली। पुस्तक में चित्र की आकृतियों एवं भाव मुद्राओं तक की व्याख्या की गई। एक अध्याय में पिकासों के प्रसिद्ध चित्र 'गुएर्निका' से इसकी तुलना की गई है। 1985 में बने इस चित्र के बारे में तैयब ने बताया कि जब वह शांतिनिकेतन में थे उन्होंने सथाली द्वारा नये साल पर चरक पूजा का उत्सव देखा। नाचते गाते आदिवासी, रस्सियों से तना पंडाल, बीच में एक बांस का स्तम्भ जहाँ पूजा हो रही है। एकाएक एक औरत सफेद कपड़ों में आई, पूजा की और देखते ही देखते न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर काले बकरे की बलि, खून का तिलक आदि तमाम बिंब जो उनके मन पर अंकित

हो गये और बना यह त्रिफलक चित्र।'

वास्तव में तैयब मेहता एक ऐसे आधुनिक कलाकार हैं, जिसने जीवित प्राणियों की पीड़ा को महसूस किया और मानव आकृतियों को प्रतिकात्मक रूप में चित्रित कर अपने भीतर की असहनीय अभिव्यक्ति को मूर्त रूप प्रदान किया। इनकी आकृतियाँ समकालीन कलाकारों से बिल्कुल भिन्न हैं। इन्होंने कलाकृति में मानव आकृति के बाहरी रूप सौंदर्य को न दिखाकर उनमें आंतरिक सौंदर्य की सफल अनुभूति प्रकट की है। तैयब मेहता आज पिकासो, भातिस, गोया, बेकन जैसे जाने-माने कलाकारों के समकक्ष खड़े हैं। इस महान कलाकार का निधन 02 जुलाई 2009 को हृदय गति रुक जाने के कारण मुम्बई के एक अस्पताल में हुआ। अपनी अंतिम साँस लेने के पूर्व कला क्षेत्र में तैयब मेहता ने ऐसे कारनामों कर दिये कि पूरी दुनिया हमेशा

इन्हें याद करेगी। इनके जीवन के अंतिम दशक में इनकी बनाई पेंटिंग्स रिकार्ड कीमतों पर बिकी जिसमे उनके मृत्यु के बाद बिकी एक पेंटिंग भी शामिल है जो दिसम्बर 2014 में 17 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत पर बेची गयी।

तैयब मेहता का अपनी कला के प्रति समर्पण का भाव युवा कलाकारों के लिए प्रेरणास्पद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनमोहन सरल - कला क्षेत्र, मेधा बुक्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032, वर्ष 2004
2. <https://www.itshindi.com/tyeb-mehta.html>.



चित्रफलक क्र - 52
तैयब मेहता - मानव आकृतियाँ
279



चित्रफलक क्र - 51
तैयब मेहता - गिरती आकृतियाँ
278

चित्रण में कलागत तत्व की महत्वता

अर्चना *

प्रस्तावना - किसी भी चित्र के निर्माण में एक चित्रकार को भिन्न-भिन्न उपकरणों या सामग्री की आवश्यकता होती है। जिसका प्रयोग कर चित्रकार एक चित्र की रचना करता है। प्रत्येक कलाकार का कार्य करने का अपना अलग-अलग तरीका होता है। जिसे हम तकनीक नाम से जानते हैं। यह कार्य करने की तकनीक प्रत्येक कलाकार की पृथक-पृथक ही होती है। जिसके कारण कलाकारों को अपनी अलग पहचान मिलती है। किसी चित्र के निर्माण से पूर्व एक चित्रकार को कलात्मक तत्वों व कलात्मक सिद्धान्तों का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि कलात्मक तत्वों के अभाव में चित्र में नीरसता उत्पन्न होती चली जाती है। इसलिए कलाकार को कलात्मक तत्व व सिद्धान्तों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि चित्र में कला तत्वों के विषय में चर्चा की जाए तो चित्रकला के छः तत्व माने गए हैं- अन्तराल, रेखा रूप, वर्ण, तान, पोत। इन छः तत्वों के अभाव में चित्र निर्माण सम्भव ही नहीं हो सकता ये तत्व चित्र के मूल जडे मानी गयी है।

अन्तराल - यदि चित्रकला में अन्तराल विषय पर चर्चा करे तो कलाकार का वह कार्यक्षेत्र जहां एक कलाकार कार्य करना प्रारम्भ करता है, वह अन्तराल के अन्तर्गत माना जाता है। यह तत्व एक चित्र निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक चित्र के निर्माण के लिए स्थान की आवश्यकता होती है चाहे वह कागज हो, कपडा हो, भित्तियाँ हो, लकड़ी हो यह स्थान ही चित्रकार का अन्तराल कहलाता है। इसका प्रयोग चित्रकार पर पूर्णतया ही निर्भर होता है कि वह इसको कैसे प्रयोग में लाए क्योंकि प्रत्येक कलाकार अन्तराल विभाजन अपने अनुरूप करता है।

रेखा - एक चित्र निर्माण के लिए दूसरा मुख्य तत्व रेखा है। रेखा दो बिन्दुओं के बीच की दूरी होती है। जिसकी कोई लम्बाई व चौड़ाई निश्चित नहीं होती। यह कितनी भी लम्बी और कितनी भी मोटी हो सकती है। प्रत्येक रेखा का अपना महत्व है चित्रानुसार चित्रकार रेखाओं को प्रयोग में लाता है। रेखाएँ भाव प्रधान होती हैं और चित्रानुसार उसमें कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाये। यह सब कला ज्ञानी ही कर सकता है।

रूप - अन्तराल में रूप अपने तत्वों से प्रभावित होते हैं, तत्वों के प्रभाव से किसी रूप का चाक्षुक्य भार कम अथवा अधिक हो सकता है। आँखों को अधिक आकर्षित करने वाला रूप सक्रिय अथवा धनात्मक हो जाता है और उसकी तुलना में अन्य रूप सहयोगी पूरक अथवा ऋणात्मक हो जाते हैं। सक्रिय रूप आँख को अधिक आकर्षित करते हैं तथा सहयोगी रूप प्रमुख रूप के लिए सहायक वातावरण बनाते हैं। प्रमुख रूप को अनेक आयामों में बल प्रदान करते हैं। इन दोनों के बीच आँख का विचरण ऐसे सम्बन्धों का सृजन करता है जो नन्दतिक सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं जो एक चित्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्ण - रंग व्यक्ति मन को प्रारम्भ से ही मोहित करने की क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति को तीव्रता से प्रभावित करते हैं। रंग व्यक्ति की भौतिक तथा मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक रंग के अपने भाव होते हैं। जिनका कलाकार प्रयोग कर अपनी कृति को अधिक श्रेष्ठ बनाता है।

तान - रंग तत्व के साथ-साथ चित्रकार को तान तत्व को भी ध्यान में रखना होता है। तान और मान शब्द पर्यायवाची तो नहीं हैं, किन्तु दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं और किसी रंगत की तान अथवा उसके मान में परिवर्तन लाने की क्रिया समान है। रंगत को प्रकाशित करने के लिए जब सफेद पदार्थ मिलया जाता है तब उसकी तान हल्की हो जाती है तथा रंगत का मान बढ़ जाता है, वह उच्च मान की हो जाती है। इसके विपरीत जब रंगत में कला पदार्थ मिलया जाता है तब उसकी तान गहरी हो जाती है तथा वह निम्न मान की हो जाती है। इस प्रकार तान के परिवर्तन में हल्के तथा गहरे विशेषण प्रयुक्त होते हैं तथा मान के लिए उच्च तथा निम्न मान का प्रयोग होता है। इस प्रकार एक कलाकार चित्र में रंगों की तान का सन्तुलन बनाकर एक चित्र का निर्माण करता है।


पोत - चित्रकला के सामने वस्तुओं की सतहों की बनावट का जो विस्तृत संसार है, वह उसे प्रभावित करता है तथा सृजन की प्रेरणा देता है। इस प्रक्रिया के लिए पोत को तीन भागों में रखा जा सकता है।

स्वतः प्राप्त - प्रकृति में प्राप्त तथा मानव निर्मित वस्तुओं के सभी धरातल चित्रकार को स्वतः प्राप्त होते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर आदि।

अनुकृत - किसी पदार्थ का चित्रण करते समय चित्रकार यदि उस वस्तु के मूल रूप का प्रभाव देना चाहता है, तब तब उसके तल का अध्ययन करके उसकी अनुकृति करना बहुत सहायक होता है। इस अनुकरण में वास्तविक रूप की आकृति के साथ पोत का प्रभाव भी चित्र में दिखाई देता है। चित्रकार इस प्रभाव को दो विधियों से अंकित कर सकता है। पहली विधि में अंकित की जाने वाली वस्तु में पोत का भ्रम तो चित्र में दिखाई दे, अर्थात् रंग तथा छाया प्रकाश से सतह का प्रभाव तो दिखाई दे किन्तु चित्र का तल अप्रभावित बना रहे। दूसरी विधि में चित्र के तल को भी वस्तु के तल के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है।

सृजित - जब से चित्र में रचनाकार ने सांसारिक आकृतियों से हटकर नए रूपों के सृजन की परंपरा का प्रारम्भ किया है, उसका क्षेत्र स्वतंत्र एवं असीम हो गया है। चित्रकार अपनी चित्रण सामग्री, अनुभव तथा प्रयोगों से विभिन्न प्रकार के पोत का सृजन करता है जो उसकी मौलिकता होती है। विरोधी गुणों के माध्यमों के एक साथ प्रयोग से ऐसे अनेक प्रभाव लिए जा सकते हैं यथा तेल रंगों के साथ अकैलिक अथवा जलरंग, जलरंगों के साथ आयल पेस्टल आदि। रंगों को खुरचकर, चिपकाकर सतह को उभारकर, दबाकर,

धिसकर, जलाकर असंख्य प्रभावों की सृष्टि की जा सकती है। समकालीन कलाकार जिस कलातत्व को सर्वाधिक प्रयोग में ला रहे हैं, वह तत्व टैक्सचर है। यह कलातत्व समकालीन कलाकारों का प्रिय माध्यम बना हुआ है। जिसके प्रयोग से कलाकार सम्पूर्ण चित्र को सृजित कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण –



मेरे द्वारा निर्मित इस कृति में देखने को मिल सकता है। इस चित्र को मैंने 'लाइट ऑफ एजुकेशन' नाम से दिया है। यह सम्पूर्ण चित्र ब्लैक इंक

पैन से निर्मित है, जिसमें शिक्षा का प्रकाश जहां तक है वहां ग्रोथ है और जहां शिक्षा का प्रकाश नहीं है, वह सूखे पेड़ से प्रदर्शित है। इस सम्पूर्ण चित्र में पैन को घुमा-घुमाकर प्रयोग कर टैक्सचर का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा भी समकालीन कलाकार अपने चित्रों में असंख्य पोट का निर्माण कर रहे हैं। इस सभी छः तत्वों का एक चित्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जिनके अभाव में चित्र निर्माण सम्भव ही नहीं है। इन कलागत तत्वों के अभाव में चित्रण कार्य सम्भव ही नहीं हो सकता इस कारण इन सभी तत्वों का ज्ञान कलाकार के लिए अति आवश्यक हो जाता है। जिससे एक कृति को उच्च स्थान व दृशक को आनन्द प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोत्रिय डा0 शुक्देव, चित्रकला के मूलाधार, प्रतियोगी प्रकाशन, अलीगढ़, 2010.
2. प्रदीप किरण, कलागत तत्व आकृति 1, कृष्णा प्रकाशन मीडिया (प्रा0) लि0, मेरठ 2003.
3. अग्रवाल डॉ0 आर0ए0, रूपप्रद कला के मूलाधार, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ, 2018.
4. वीरेश्वर डॉ0 प्रकाश, शर्मा डॉ0 नूपुर, कला दर्शन, कृष्णा प्रकाशन मीडिया (प्रा0) लि0 मेरठ, 2005.

कराटे खेलने का हरियाणा के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता पर प्रभाव

डॉ. गजेन्द्र सिंह सारोहा * प्रवीण कुमार **

शोध सारांश - कराटे एक ऐसा खेल है, जिसमें खिलाड़ी पूरी एकाग्रता के साथ चौकन्ना होकर खेलता है। वह अपना पूरा ध्यान विरोधी के दांव पेच पर रखता है। ऐसे में वह इधर उधर की बातों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देता है। कराटे खिलाड़ी को अभ्यास में भी काफी समय बिताना पड़ता है। उसके पास व्यर्थ सोचने का ज्यादा समय नहीं बचता। इन सभी का प्रभाव क्या कराटे खिलाड़ी की दुश्चिन्ता पर पड़ता है यह ज्ञात करने के लिए एक शोध किया गया जिसके अन्तर्गत हरियाणा के 80 महिला कराटे खिलाड़ियों व 80 पुरुष कराटे खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता का मापन हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली के आधार पर किया गया। इसी प्रकार 80 महिला खिलाड़ी जो कि कराटे नहीं खेलती हैं व 80 पुरुष खिलाड़ी जो कि कराटे नहीं खेलते ऐसे गैर कराटे खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता का भी मापन हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली के आधार पर किया गया। कराटे खिलाड़ी वर्ग एवं गैर कराटे खिलाड़ी वर्ग के बीच दुश्चिन्ता के इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कराटे खिलाड़ियों में दुश्चिन्ता का स्तर गैर कराटे खिलाड़ियों की अपेक्षा काफी कम था।

शब्द कुंजी - दुश्चिन्ता, कराटे खिलाड़ी, गैर कराटे खिलाड़ी, हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली।

प्रस्तावना - दुश्चिन्ता अनावश्यक रूप से व्याप्त चिंता है, यह एक नकारात्मक भावना है जिसके कारण व्यक्ति असहज हो जाता है। इस शोध में दुश्चिन्ता मापने के लिए हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से 14 प्रश्न पूछे गए तथा प्रत्येक प्रश्न हेतु 5 विकल्प दिए गए जिससे प्रतिभागियों में दुश्चिन्ता का स्तर नापा गया। विकल्प शून्य, न्यून, साधारण, तीव्र तथा अति तीव्र थे, जिन्हें क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 अंक दिए गए। जितने अधिक अंक उतनी ही अधिक दुश्चिन्ता। कराटे का खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने हेतु दुश्चिन्ता, एकाग्रता, मनोबल और आत्म-सम्मान का अध्ययन किया जाता है। कराटे खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक क्षमता के बेहद महत्वपूर्ण पहलू दुश्चिन्ता पर विशेष शोध का अभाव देखते हुए यह शोध कार्य किया गया। हरियाणा के राज्य स्तरीय कराटे खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता का मापन कर उसकी तुलना अन्य खिलाड़ियों (गैर कराटे खिलाड़ियों) से की गई।

डी.एस. फायरर (2015) मार्शल आर्ट प्रदर्शन अध्ययन में पाया गया कि प्रभावकारिता और मनोरंजन में धनात्मक सहसंबंध होता है। मनोरंजन बढ़ने के साथ-साथ प्रभावकारिता भी बढ़ती है और घटने इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब तक खिलाड़ी खेल में आनंद का अनुभव करता है वह अच्छे प्रदर्शन के लिए स्वप्रेरित रहता है और उसका प्रदर्शन स्वतः बढ़ता चला जाता है।¹

के.पी. विजया कुमार और सी बालकृष्ण मूर्ति (2015) इस अध्ययन में कराटे ब्लैक बेल्ट एथलीटों में आत्मविश्वास और मानसिक सतर्कता की जांच की गई है। अध्ययन में इनकी तुलना 18 से 45 आयु वर्ग के गैर-एथलेटिक व्यक्तियों से की गई। अध्ययन हेतु 30 कराटे काले बेल्ट एथलीटों (24 पुरुष व 6 महिला) का चयन मार्शल आर्ट्स के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र से एवं 30 अन्य लोगों का चयन केरल के विभिन्न जिलों से किया गया था।

बसवाना और स्कॉट कंपनी मानसिक अलर्टनेस टेस्ट द्वारा बनाए गए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। कराटे ब्लैक बेल्ट एथलीटों में आत्मविश्वास और मानसिक अलर्ट गैर-एथलेटिक गैर-कराटे लोगों की तुलना में अधिक था और इसका अंतर भी महत्वपूर्ण पाया गया।²

फेयरौज अजीज़, नासर चालगाफ, एबेबेलहाकिम चेरीफ, करीम अचौर, चोहदी सौसी (2013) खेल प्रतियोगिताओं का क्षेत्र हर दिन विकसित हो रहा है। एथलीटों के पास लगभग समान शारीरिक क्षमताएं होती हैं और भिन्न-भिन्न मानसिक कौशल होते हैं, इसलिए, अधिकांश प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए मानसिक कौशल की भूमिका को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। फेयरौज आदि ने ट्यूनीशिया के उच्च स्तरीय जुडो, मुक्केबाजी, पहलवानी और कराटे के एथलीटों का अध्ययन कर बताया कि एथलीटों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक कौशल से अधिकांश मनोवैज्ञानिक कौशल की आवश्यकता है।³

शोध न्यादर्श - हरियाणा राज्य के चार जिलों पानीपत, भिवानी, रोहतक और गुड़गाँव के 20-20 पुरुष व महिला कराटे खिलाड़ियों तथा 20-20 पुरुष व महिला गैर कराटे खिलाड़ियों का चयन कर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। शोध हेतु 17 से 25 आयु वर्ग के के खिलाड़ियों का ही चयन किया गया।

शोध परिकल्पना -

1. कराटे पुरुष खिलाड़ियों एवं गैर कराटे पुरुष खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता में कोई विशेष अंतर नहीं होता है।
2. कराटे महिला खिलाड़ियों एवं गैर कराटे महिला खिलाड़ियों की दुश्चिन्ता में कोई विशेष अंतर नहीं होता है।

पुरुषों में कराटे खेलने का उनकी दुश्चिन्ता पर प्रभाव - तालिका 1 में दोनों ही वर्गों के पुरुषों में व्याप्त दुश्चिन्ता के माप दर्शाए गए हैं। पुरुष

* एसोसिएट प्रोफेसर (शारीरिक शिक्षा) पेसिफिक कॉलेज ऑफ शारीरिक शिक्षा, पाहेर यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) पेसिफिक कॉलेज ऑफ शारीरिक शिक्षा, पाहेर यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

कराटे खिलाड़ियों में व्यास दुश्चिन्ता का औसत स्तर 23.69 रहा वहीं गैर कराटे खिलाड़ी पुरुषों में व्यास दुश्चिन्ता का औसत स्तर 31.80 रहा। गैर कराटे खिलाड़ी पुरुषों में पुरुष कराटे खिलाड़ियों की अपेक्षा दुश्चिन्ता 34.23 प्रतिशत अधिक थी।

राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ियों एवं गैर कराटे खिलाड़ी पुरुषों की दुश्चिन्ता में अंतर स्पष्ट है किन्तु क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया जो कि निम्नानुसार है -

न्यादर्श का प्रकार	माध्य	मानक विचलन	Z का मान
राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ी	23.69	5.59	7.71
गैर कराटे खिलाड़ी पुरुष	31.80	7.57	

जेड का आंकलित मान 7.71 था, जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक था जो यह बताता है कि राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ियों एवं गैर कराटे खिलाड़ी पुरुषों के बीच दुश्चिन्ता में सार्थक अंतर है। अतः प्रथम परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका 1

पुरुषों में कराटे खेलने का उनकी दुश्चिन्ता पर प्रभाव मापन
(हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली के आधार पर)

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी पुरुष (दुश्चिन्ता माप)
1	15	20
2	15	20
3	15	20
4	15	21
5	15	21
6	16	21
7	16	21
8	16	22
9	16	22
10	16	22
11	16	23
12	17	23
13	17	23
14	17	24
15	18	24
16	18	25
17	18	25
18	18	25
19	19	25
20	20	26
21	20	26
22	20	26
23	20	26
24	20	27
25	20	27
26	20	27
27	20	28

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी पुरुष (दुश्चिन्ता माप)
28	20	28
29	21	28
30	21	28
31	21	28
32	21	29
33	22	29
34	22	29
35	22	29
36	22	30
37	22	30
38	23	30
39	23	30
40	23	31
41	23	31
42	24	31
43	24	32
44	24	32
45	24	32
46	25	33
47	25	33
48	25	33
49	25	33
50	26	34
51	26	35
52	27	35
53	27	35
54	27	35
55	27	35
56	28	35
57	28	35
58	28	36
59	28	37
60	29	37
61	29	38
62	29	38
63	29	40
64	29	40
65	29	40
66	29	40
67	30	40
68	30	41
69	30	42
70	30	42
71	31	42
72	31	43

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय पुरुष कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी पुरुष (दुश्चिन्ता माप)
73	32	44
74	32	44
75	32	44
76	33	45
77	33	45
78	33	46
79	34	46
80	34	46
औसत	23.69	31.8

महिलाओं में कराटे खेलने का उनकी सहन क्षमता पर प्रभाव - तालिका 2 में दोनों ही वर्गों की महिलाओं में व्यास दुश्चिन्ता के माप दर्शाए गए हैं। महिला कराटे खिलाड़ियों में व्यास दुश्चिन्ता का औसत स्तर 26.95 रहा वहीं गैर कराटे खिलाड़ी महिलाओं में व्यास दुश्चिन्ता का औसत स्तर 33.51 रहा। गैर कराटे खिलाड़ी महिलाओं में महिला कराटे खिलाड़ियों की अपेक्षा दुश्चिन्ता 24.62 प्रतिशत अधिक थी।

राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ियों एवं गैर कराटे खिलाड़ी महिलाओं की दुश्चिन्ता में अंतर स्पष्ट है किन्तु क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया जो कि निम्नानुसार है -

न्यादर्श का प्रकार	माध्य	मानक विचलन	Z का मान
राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ी	26.95	6.68	5.1
गैर कराटे खिलाड़ी महिला	33.51	9.36	

जेड का आंकलित मान 5.1 था जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक था जो यह बताता है कि राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ियों एवं गैर कराटे खिलाड़ी महिलाओं की दुश्चिन्ता में सार्थक अंतर है। अतः द्वितीय परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका 2

महिलाओं में कराटे खेलने का उनकी दुश्चिन्ता पर प्रभाव मापन (हेमिल्टन दुश्चिन्ता मापन प्रश्नावली के आधार पर)

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी महिला (दुश्चिन्ता माप)
1	16	19
2	16	19
3	16	19
4	16	20
5	16	20
6	17	20
7	17	20
8	17	20
9	17	21
10	19	21
11	19	21
12	19	22
13	19	22
14	19	22

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी महिला (दुश्चिन्ता माप)
15	19	24
16	20	24
17	20	24
18	20	25
19	20	26
20	20	26
21	21	26
22	22	26
23	22	26
24	22	26
25	22	26
26	22	26
27	24	26
28	24	26
29	24	29
30	24	29
31	25	29
32	25	29
33	25	30
34	25	30
35	25	30
36	26	31
37	27	32
38	28	32
39	28	33
40	28	33
41	28	35
42	28	35
43	28	35
44	28	35
45	28	36
46	30	37
47	30	37
48	30	37
49	30	38
50	30	39
51	30	39
52	30	39
53	30	39
54	30	39
55	31	40
56	31	40
57	31	40
58	31	40
59	31	41

क्रम संख्या	राज्य स्तरीय महिला कराटे खिलाड़ी (दुश्चिन्ता माप)	गैर कराटे खिलाड़ी महिला (दुश्चिन्ता माप)
60	32	41
61	32	41
62	32	42
63	32	42
64	33	42
65	35	44
66	35	44
67	35	44
68	35	44
69	35	45
70	36	46
71	36	46
72	36	46
73	36	47
74	36	47
75	36	47
76	36	48
77	38	48
78	38	48
79	38	48

80	38	50
औसत	26.95	33.51 निष्कर्ष

कराटे खेलने से महिला व पुरुष खिलाड़ियों में दुश्चिन्ता का स्तर कम रहता है, उनकी मनोदशा सकारात्मक रहती है। अतः महाविद्यालयों में कराटे प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए साथ ही कराटे का प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। युवाओं को एकाग्रता, मनोबल व आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए कराटे का अभ्यास करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्षमता में सुधार का यह कारगर तरीका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Farrer D.S. (2015) Efficacy and entertainment in martial arts studies anthropological perspectives martial arts studies, pp- 35-45.
2. K.P.Vijaya Kumar and C.Balakrishna Murthy (2015) Self – Confidence and mental alertness among karate black belt athletes and non-karatekas. Self-Confidence; Mental Alertness; Karate black belt athletes Volume : 5 | Issue : 10 pp – 468 – 470.
3. Fairouz Azaiez, Nasr Chalghaf, Ebdelhakim Cherif, Karim Achour and Chohdi Souissi (2013) Evaluation of the Mental Skills of the High Level Athletes: Example of the Athletes of Martial Arts IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 10, Issue 4, PP 58-65.

A Study of B.Ed. Pupil Teacher’s Environmental Awareness In the Context of Their Gender and Graduation Subjects

Dr. M.P. Gupta* Neerupa Agrawal**

Introduction - Environment is the precious gift of nature to mankind. Man has been using and utilizing nature as universal and immense source since his existence on the earth. We derive much from the nature, but very miser in rendering our services to nature. So the equation between man and nature has been imbalanced and disturbed badly due to man’s greedy nature. Now it has reached the highest peak, where the existence of Homo sapine species are at endangered.

Inculcation of environmental awareness in coming generation may be effective tool to preserve nature. Perhaps man has forgotten that his ancestors have handed over beautiful and pure environment as a magnificent heritage to be transferred to the coming generation. Unfortunately we have ruined it as “The golden eggs of the hen” exploiting to the utmost limit. We are digging our roots inviting our own extinction. Need of the hour is to have environmentally conscious citizens, who are concerned for saving the environment from disaster. This task of national and global importance can be executed only and only by education. Keeping this fact in mind researcher has selected to work on following topic:-

“A Study of B.Ed. pupil Teacher’s environmental awareness in the context of their gender and graduation subjects”.

Objectives :

1. To compare the environmental awareness between male trainees and female trainees.
2. To compare the EA Between Art based pupil teacher and science based pupil teachers.
3. To provide suggestions for improving the level of EA in teacher trainees.


Hypothesis - Null hypothesis is used in present research as follows :

1. There is no significant difference between EA of male and female trainees.
2. There is no significant difference between Arts and Science based trainees.

Tool for measuring EA

researcher used self Prepared tool containing 50 items and standardised it following the process of try-out and opinion of experts.

Sample - Researcher selected B.Ed. Pupil Teachers (Future Teachers) as They are proper messengers to educate future generation. Total 500 B.Ed. Pupil teachers were taken as sample as per criterion below :-



Delimitations - Study restricted upto following limits :

1. Only B.Ed. Pupil teacher’s undergoing training in the B.Ed. Colleges situated in Kota City have been undertaken in the study.
2. Only Science and Arts Streams have been considered for study.

Objective wise analysis and interpretation is presented below –

OBJECTIVE I - Comparison of environmental awareness between male and female Trainees.

Table-I - Environmental awareness of male and female B.Ed Trainees

Variables	N	Mean	Sd	sed	T-value	level of significance
Male	250	81.7	7.9	0.7	7.210	.05
Female	250	86.3	6.6			

This can be observed from above table That the f ratio 7.20 with df 498 is found to be significant at .05 level of confidence. Hence the null hypothesis of no significant difference is rejected at .01 level of significance.

The mean score of males and females are 81.7 and 86.3 respectively, Mean score of environmental awareness

of females are higher than their male Counterparts.

Discussion - Mean score of female trainees are higher than male trainees. It indicate That Females are more conscious and sensitive towards EA. As Ladies are more tended to religious attitude. In every religion nature is honored and worshiped. Ladies worship trees like Amla, Vat, Peepul, Kel, Tulsi etc. on different occasions. Every religion support protection of nature and natural elements. The Sun, The Moon, Rivers, Trees, Cows are honored and worshiped in our society. Hence ladies live in religious atmosphere in family since birth.

It is also noticed that girls are more sensitive to any type of response. They are also more receptive to change of environment. Their role in family set up compel them to be more conscious of health and hygiene, which is very much related to environment.

OBJECTIVE 2 - Comparision of environmental awareness of Arts background and Science background trainees.

Table-2 - Environmental Awareness of arts Based and science based B.Ed. trainees.

Variables	N	Mean	Sd	sed	T-value	level of significance
Arts Based	250	82.3	7.7	0.7	4.97	.05
Science based	250	85.7	7.2			

This can be observed from above table that the F ratio 4.97 with df 498 is found to be significant at .05 level of confidence. Hence The Null hypothesis of no significant difference is rejected at .01 level of significance.

The Mean Scores of Sc. Based Trainees and Arts Based Trainees are 82.3 and 85.7 respectively. Mean Score of Science based is higher than it's counterpart art based trainees.

Discussion - Trainees with science background are higher achievers in EA than arts background trainees. The reason is very clear. Scientific attitude always support EA. As Science background pupil know the scientific clarifications behind environmental activities and environmental elements.

Trees consume carbon di oxide and liberate oxygen. Oxygen is essential for existence of living beings. So plants and forest area should be protected.

Water is natural resource. It's stock is limited and diminishing day by day. so we should use water economically. We should conserve water for future. Science background pupil live systematic and disciplined life. They do not intend to misuse natural resources. Hence they are more aware in environmental context.

Conclusion - Present study indicates that there is a gap between the environmental awareness of male and female trainees. there is also gap between Art based & Science based trainees. There is a felt need to convey the message effectively in male trainees and art based trainees.

OBJECTIVE 3 - To provide suggestions for improving the level of EA in Teacher- trainees - Importance of any

research work should be valued by it's educational usefulness. To develop more and more E.A. following implications are suggested:-

Special Training should be imparted to teacher-educators employed in B.Ed. Colleges. Short term trainings on strategies of environment education should be designed and imparted to them, so that They may be able to teach EE in a better way using approach cent red method. Curricular and Co-curricular activities like poster, essay and quiz competitions may be organised on the theme of environment.

Celebration of the days of environmental importance (World Environment Day Earth Day, World forestry day, wild life week etc.) is a good tool for developing E.A. in Trainees. Importance of particular day should be explained to trainees. Trees should be planted in college campus and responsibility of their protection and care should be imparted to trainees. In these activities more and more involvement of trainees should be inspired.

Dedicated NG Os Working in the field of environment may be invited in T.T Colleges and lectures of experts may be organised.

Consciousness with reference to nature should be developed particularly in male candidates. Females may play the role of motivators as they have more attachment with nature.

Nature clubs / Science and Environment societies should be established in each and every T.T. College. Concerned Universities and department of forest and environment should provide financial assistance for performing different activities like nature tours and exhibitions etc.

Well planned nature visits should be organised for B. Ed. trainees. It will bring trainees nearer to nature. Here trainees Observe plants and animals in their natural habitats. Nature visits may include zoos, centuries, forests and other places of environmental importance.

Tendency of creative Thinking may be developed by writing and painting competitions related to nature. for This purpose environmental corner / gallery may be established at suitable place in the college. It may be used as wall magazine. Old articles should be removed and new creations should be exposed periodically.

Development of college garden is also a good extra curricular activity. It provides natural a live surrounding in College Campus. It also provide freshness in the times of mental tiredness. It will also develop aesthetic sense and affection for living beings in trainees.

Cultural programmes based on environmental themes like drama, Poem, Song etc. are the powerful and best effective means to clear the concept of environment. Expected results in minimum time may be obtained by these means.

Abbreviations used :-

- EA = Environmental Awareness
- TT College = Teacher's Training College

EE = Environmental Education
B.Ed. = Bachelor of College Education
Sc. = Science

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दाधीच, एल.के. एवं खींची, के. आर. 'हरित भविष्य की ओर' - पर्यावरण परिषद् कोटा।
2. गुप्ता, एम.पी. 'पर्यावरण शिक्षा' - (2009) राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद् कोटा।
3. गुप्ता, एम.पी. एवं दल (2006) 'विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान', राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद् कोटा।
4. पाल, एस.के. एवं सुधा मलहोत्रा (1993) 'इन्वायरमेन्टल ट्रेण्ड्स एवं थाट्स इन एज्युकेशन', इनोवेटिव रिसर्च एसोसिएशन, ईलाहाबाद (उ.प्र.)।
5. राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका - जुलाई-सितम्बर (1998) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर (पृ.सं. 19-23)।
6. शर्मा, एच.के. एवं रामेश्वरी प्रसाद 'अध्यापक शिक्षा में प्रायोगिक कार्य' रिचा प्रकाशन, उदयपुर (1998)।
7. 'शोध पीयूष' - जिला अनुसंधाता वाकपीठ (डर्फ), कोटा (2001-2002)।

Judicial Control Of Administrative Actions Relating To Environment From Different Viewpoints

Dr. Pushpa Bhandari * Bharat Sarupria **

Abstract - A lot has been discussed and talked about judicial control over administrative actions. In this proposed research study we have decided to study the judicial control over administrative action relating to environment. The study has been done from the view points of IAS officers, RAS officers & Judicial services officers. Judiciary considered that control should be there and it is quite moderate; whereas administrative officers like RAS, IAS considered that it is far higher than moderate. Infact it is quite high & control should be less in order to expedite the implementation. To execute the government policies in right direction, hassle free path is required. Such smooth path can be provided through reduction of judicial control.

Key Words - IAS officers, RAS officers, Judicial Services officers, judicial control, environment

Introduction - Safety of environment is the duty of all. We all need to protect it for the generations to come. At the same time we also need to listen to the problems being faced in implementation of administrative actions which are stopped or delayed due to the fear of environmental loss (which most of the time is sheer scepticism). On many occasions administrators oppose excessive judicial control in the name of pollution, deforestation, preservation of nature, deep mining, etc. Though judiciary do not feel so, they are quite proactive on environmental issues.

Patra S. and Krishna V. (2014) National Green Tribunal (NGT) came into existence in 2010. It was started with an intent to provide speedy judgement in environmental issues. It has equal number of judiciary experts and environmental experts so that issues can be evaluated scientifically and legally. NGT is a quasi judicial entity which has resolved issues relating to illegal sand mining, wildlife protection, preservation of biodiversity, etc. It has set a positive mood in the industry as well as environmentalists.¹

Markowitz, K. & Gerardu, J. (2012) In order to safeguard health of masses several laws have been formulated. Efforts are also being made by the NGOs to prevent biodiversity and stop blatant use of natural resources. Due to lack of strong political desires bans can't be imposed on climate degradation activities. Many times judiciary has to take cognizance and issue strong orders and decisions. Though judges need to be trained in environmental issues to give more balanced decisions.²

Saheb, S., Seshaiyah, S. and Viswanath B. (2012) The existence of human being depends on environment so it need to be taken care of. Environment and health has high correlation and grows together. Environmental awareness need to be raised among public, administrators and traders and industrialists of India. Due to the lack of clarity in laws lot of chaos is raised. Ambiguity exists which poses problem even to the administrators.³

Objectives - To know the viewpoint of different officers regarding judicial control over environment related administrative actions.

To know the level of judicial control over environment related administrative actions.

Hypothesis -

H1. There is no significant difference among viewpoint of different officers regarding judicial control over environment related administrative actions.

H2. There is no significant judicial control over environment related administrative actions.

Research analysis - As the table 1 shows 50 Indian Administrative Service officers were interviewed. Their opinion was collected relating to environment related actions & the control which they feel of judiciary in such a actions. As per the table (on 7 point scale) out of maximum possible 350 score point; 235 scores were given by the IAS officers. It reflects approx 67 % judicial control is felt by IAS officers. They consider that there is great amount of judicial control over environment related action.

Table 1 (See in the next page)

Table 2 shows the opinion of Rajasthan Administrative Services officers view point relating to same environmental related administrative actions and the judicial control over such actions. 100 RAS officers were interviewed. The max possible score on 7 point scale could be 700 and out of 700, 484 score i.e. 69% judicial control is felt by RAS officers. So, it is again quite high from the RAS officers viewpoint. They also feel substantial judicial control exists relating to issues of environment.

Table 2 (See in the next page)

Table 3 reflects the opinion collected from 50 judicial services officers & how they feel relating to the control which they have over environment related administrative actions. They rated it on 7 point scale. The maximum possible score could be 350 and the obtained scores was 193. So approx

55 % level of control was felt by the judicial service officers over environment related administrative actions. It is far lesser than the control felt by the RAS officer and IAS officers.

Table 3 (See below)

Chart 1: Level of Judicial Control in Environment Related Administrative Actions




Chart 1 also reflects this wide difference among the opinion of IAS, RAS & Judicial services officers based on level of judicial control over administrative actions connected to environment. Approximately 12-14% more control was felt by IAS & RAS officers respectively in all. In order to ascertain whether this difference is significant or not ANOVA test was also done.

Source of variation	Sum of squares	d.f.	Mean square	F
Between officers	158.82	2	79.41	3.52
Within officers	4444	197	22.56	

Since the calculated value of F (3.52) is greater than table value of F (2.99) so we reject first hypothesis. Hence we conclude that there is significance difference between viewpoint of IAS, RAS and judiciary officers relating to

judicial control over administrative actions relating to environment.

Giving equal weight to the viewpoint of IAS, RAS and judiciary officers overall average judicial control over administrative actions relating to environment was 63.81%. Which indicates high judicial control is there over environment related administrative actions so we reject second hypothesis.

Conclusion - There is a misconception that no judicial control is there over environment related administrative actions. Infact research proved, high level of judicial control exist over such actions. For the proactive mechanism and to safeguard environment along with growth i.e. sustainable growth this control need to be decreased. Growth in infrastructure retards due to delay in such actions so it should be minimized. Both IAS and RAS officers feel judicial control is high so judiciary should refrain from intervention.

References :-

1. Patra S. and Krishna V. (2014). National Green Tribunal and Environmental Justice in India, Indian Journal of Geo-Marine Science, Vol. 44(4), pp – 1 -9.
2. Markowitz ,K. & Gerardu, J. (2012).The Importance of the Judiciary in Environmental Compliance and enforcement, Pace Environmental Law Review, Environmental Courts and Tribunals: Improving Access to Justice and Protection of the Environment Around the World Volume 29 Issue 2, pp – 538- 554.
3. Saheb,S., Sessaiah, S. and Viswanath B. (2012). Environment and Their Legal Issues in India, International Research Journal of Environment Sciences Vol. 1(3), pp- 44-51.

Table 1 : Level of Judicial Control in Environment Related Administrative Actions from IAS Officers Viewpoint

Level »	Absolute	Very High	High	Moderate	low	Very low	Zero
Environment Related Admin. Actions	2	7	22	14	3	2	0
Weight	7	6	5	4	3	2	1
Score	14	42	110	56	9	4	0

Table 2 : Level of Judicial Control in Environment Related Administrative Actions from RAS Officers Viewpoint

Level »	Absolute	Very High	High	Moderate	low	Very low	Zero
Environment Related Admin. Actions	6	16	46	24	4	4	0
Weight	7	6	5	4	3	2	1
Score	21	48	115	48	6	4	0

Table 3 : Level of Judicial Control in Environment Related Administrative Actions from Judicial Services Officers Viewpoint

Level »	Absolute	Very High	High	Moderate	low	Very low	Zero
Environment Related Admin. Actions	0	3	9	21	12	5	0
Weight	7	6	5	4	3	2	1
Score	0	18	45	84	36	10	0

Anti Competitive Agreements With Reference To Competition Act, 2002

Varun Kumar Yadav*

Introduction - In India with the emergence of Economic Policy of 1991, India has become a fast growing economy in the world. With the huge economic activities and a liberalized policy in India the competition increased day by day. For regulating a fair economic activities in the market the MRTP Act i.e. Monopoly and Restrictive Trade Practices Act, 1969 came into existence .In 2002 for removing the difficulties of MRTP Act, 1969, it was repealed and Thus, Competition Act, 2002 came into force.

Competition is "*a situation in which people or organizations compete with each other or something that not everyone can have.*"Although it is not defined in law but is generally understood to mean the process of rivalry to attract more customers or enhance profit. Competition law deals with market failures on account of restrictive business practices in the market .Actually if we trace the history of the promulgation of the Competition Act, 2002. We will find that the Competition law had its foundations in the *Sherman Act* (1890) and the *Clayton Act* (1914) both legislated in the United States.

In Indian scenario the governing legislation in growing market, competition laws in India is the Competition Act of 2002(hereinafter Competition Act) which replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. The main focus of this act was to abolish the agreements that prohibit the competition among the market players. The focus and the aim of the Competition Law are to provide a safeguard to the Consumers .Section 3 of the Competition Act, 2002 .Declares any such agreements to be void .It covers agreements in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision. Further, the Competition Act, 2002 empowers the Competition Commission to enquire and pass appropriate orders as it may deem fit in accordance with other provisions of the Act, in relation to agreements referred to in Section 3 which are entered into outside India but having an effect in Competition in India.

Competition Law is a very fast growing concept in India and the world as well .After the reformed economic policy in India, it has developed various new concepts. In this regards different legislations also came into existence to regulate the economic activities. However, not only India

but Europe, USA and many other countries are very aware towards the anti-competition activities and reformed their laws for regulating the economic activities. Anti competitive agreement means an agreement between two or more entrepreneurs for reducing competition in the market and create monopoly over particular economic activities. In India for restricting the monopoly practices and anti completion the legislation has put some efforts through legislation. In this context the MRTP Act, 1969 was promulgated. Later on it was abolished and Competition Act came into existence and the monopoly trade practices were imposed restrictions.

Sub-Section (3) of section 3 of The Competition Act, says that;

Any agreement entered into between enterprises or associations of enterprises or persons or associations of persons or between any person and enterprise or practice carried on, or decision taken by, any association of enterprises or association of persons, including cartels, engaged in identical or similar trade of goods or provision of services, which -

- (a) Directly or indirectly determines purchase or sale prices;
- (b) Limits or controls production, supply, markets, technical development, investment or provision of services;
- (c) Shares the market or source of production or provision of services by way of allocation of geographical area of market, or type of goods or services, or number of customers in the market or any other similar way;
- (d) Directly or indirectly results in bid rigging or collusive bidding, shall be presumed to have an appreciable adverse effect on competition.

Indian Scenario - The Constitution of India guarantees some basic freedoms that include the fundamental right to carry on any occupation, trade or business under Article 19(1)(g). For a fresh competition in the market and protecting the rights of consumers for the first time an Act known as Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (MRTP Act) came into existence and has been in force since 1970. Further, MRTP Act, 1969 was repealed and a new legislation known as Competition Act, 2002 was promulgated and further amended in 2007 as by

the Competition (Amendment) Act, 2007 and Competition (Amendment) Act, 2009

Conclusion - The main purpose of the Competition Act, 2002 was to abolish the anti-competitive practices and maintain a consumer favourable market in growing economy. It also prohibits the abuse of dominant position of any entrepreneur.

The Competition Act prohibits the pre settled and established players from denying access in any manner to other competitors in the market. It prohibits the unfair trade practices and unfair competition. The basic instinct behind this is to protect the interest of consumers so that they could get a better opportunity to bargain and choose the goods and services they like.

The Competition Act, 2002 impose restriction on horizontal and vertical agreements.

It also makes provision for Constitution of competition Commission in India. The Competition Commission has been given many powers in this regard including the financial penalties.

References:-

1. Competition Law by S.C. Tripathi (Central Law Publication)
2. Law of Competition in India by Siddharth Bawa (**Allahabad Law Agency**)
3. Competition Law in India by Dr. Souvik Chatterji (**Allahabad Law Agency**)
4. Competition Law in India by Abir Roy & Jayant Kumar (Eastern Law House)
5. Competition Act, 2002 by Agarwal V. K. (Bharat Law House)

अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं में संवेगात्मक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन

घनश्याम डेहरिया*

प्रस्तावना - भारतीय परंपरा में सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण के अनुसार सम्पूर्ण समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें से तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्व सामान्य जाति के अन्तर आते हैं, एवं चौथा वर्ग शूद्र अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जातियों एवं सामान्य जातियों से हमारा तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूहों से है। जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा समान संस्कृति का अनुशीलन करते हैं। अनुसूचित जाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास से पिछड़े हैं, इनमें संवेगात्मकता का अभाव है। व्यक्ति विकास में संवेगात्मक विकास होना महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन हेतु संवेगात्मक विकास एक महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत समय तक संवेगों को शक्ति से ओत - प्रोत समझा गया है। शायद इसी कारण से संवेगात्मक व्यवहार किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक उलब्धि मानव संवेगों पर नियंत्रण द्वारा दूसरों के भावों को समझकर संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यक्ति की उन्नति में उनके संवेगात्मक बुद्धि की कमी होगी तब तक व्यक्ति में सफलता प्राप्ति के संबंध में असफलता ही होगी एवं संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के जीवन में अन्तर्मन को विस्तार प्रदान करती है।

सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के रहन सहन में परिवर्तन पाया जाता है। सामान्य छात्र - छात्राओं को मिलने वाली सुविधाएँ एवं अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में अंतर पाया जाता है। जिस कारण इनके शैक्षिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इन विद्यार्थियों का वातावरण भी अलग - अलग प्राप्त है। जिसमें उनमें संवेगात्मक बुद्धि कम पाई जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य छात्र छात्राओं की संवेगात्मक बुद्धि पर क्या प्रभाव है। इसी जिज्ञासा के तहत यह अनुसंधान कार्य किया गया।

संवेगात्मक व्यक्ति में उच्च परिणाम प्राप्त करने का गुण पाया जाता है। वह संवेगात्मक रूप से नियंत्रित सामाजिक रूप से परिपक्व बौद्धिक योग्यता के दृष्टि कोण से उपयुक्त रहता है। अतः पिछड़ी हुई जातियों में से सभी गुण निम्न मात्रा में पाये जाते हैं जिस कारण से संवेगात्मक लब्धि में प्रभाव पड़ता है।

चर -

1. **स्वतंत्र चर** - अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्र छात्राएँ।
2. **परतंत्र चर** - हाई स्कूल स्तर के 14 - 16 वर्ष के बालक बालिका
3. **परिकल्पना** - अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति बालक/बालिका की संवेगात्मक बुद्धि उच्च एवं निम्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परीक्षण - संवेगात्मक बुद्धि मापनी - डॉ. एस. माथुर विश्वसनीयता परीक्षण

पुनः परीक्षण विधि के द्वारा विश्वसनीय गुणांक 0.81 पाया गया। वैधता - संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण की वैधता 0.72 प्राप्त हुई।

योजना - प्रस्तुत संकलन के लिए (14-16) वर्ष के छात्र - छात्राओं के विद्यालय में जाकर संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुत किया। फिर उच्च एवं निम्न में वर्गीकृत किया गया।

न्यादर्श (प्रस्तुत शोध में निम्नानुसार न्यादर्श लिया गया)

जाति	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	50	50	100
सामान्य जाति	50	50	100
योग	100	100	200

अन्तिम न्यादर्श

जाति	संवेगात्मक	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	उच्च	20	20	40
	निम्न	20	20	40
सामान्य जाति	उच्च	20	20	40
	निम्न	20	20	40
योग	उच्च	40	40	80
	निम्न	40	40	80

उच्च एवं निम्न संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न जातियों के छात्रों की तुलनात्मक परिणाम तालिका **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारांश तालिका **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

0.05 % स्तर पर सार्थकता के का मान - 2.29, 0.01 % स्तर पर सार्थकता के लिए का मान - 3.17

परिकल्पना का सत्यापन - सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं संवेगात्मक बुद्धि पर उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न सांख्यिकीय दृष्टि कोण कोई सार्थक अंतर नहीं क्योंकि प्राप्त (एफ) अनुपात का मान 0.29 है जो कि (0.05% स्तर पर 2.29, 0.01% स्तर पर 3.17) एफ का मान दोनों मानों से कम आया उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना स्वीकृत सिद्ध होती है।

छात्राओं की उच्च एवं निम्न तालिका संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न जातियों के छात्राओं की तुलनात्मक परिणाम तालिका **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी में उच्च एवं निम्न संवेगात्मक बुद्धि में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के विभिन्न परिणामों से स्पष्ट है कि सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर है क्योंकि प्राप्त (एफ) मान 2.82 आया है। जो 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए न्यूनतम निर्धारित मान 2.29 की अपेक्षा अधिक उच्च एवं निम्न संवेगात्मक बुद्धि की सामान्य छात्राओं की सबसे

कम है

अतः स्पष्ट होता है अनुसूचित जाति की छात्राओं का उच्च प्राप्तांक सबसे अधिक एवं सामान्य जाति की छात्राओं का कम है।

निष्कर्ष -


1. अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्र छात्राओं संवेगात्मक बुद्धि निम्न एवं उच्च परिणाम से स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक बुद्धि में निकाले गये क्रांतिक अनुपात के मान 0.29 है जो कि 0.05 प्रतिशत पर 2.29, 0.01 प्रतिशत स्तर पर 3.17 पर सार्थक नहीं है।
अतः स्पष्ट होता है कि निम्न एवं उच्च संवेगात्मक बालकों का कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति की छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि निम्न एवं उच्च परिणाम से स्पष्ट है कि सांख्यिकीय दृष्ट कोण से सार्थक अंतर है जो कि प्राप्त एफ मान 0.82 आया है जो 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए न्यूनतम निर्धारित मान 2.29 की अपेक्षा अधिक उच्च है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल डॉ. एच. के अनुसंधान :- विधियाँ प्रथम संस्करण, 1978 हर प्रसाद आर्गव एण्ड सग्स।
2. मंगल, डॉ. एस. के (1990) शिक्षा मनोविज्ञान परिमार्जित संस्करण, वंडन एजुकेशन पब्लिकेशन।
3. सिंह अरुण कुमार (1992) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ प्रथम संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड दिल्ली।
4. कपिल डॉ. एच. के सांख्यिकी के मूल तत्व द्वितीय संस्करण, 1998 विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
5. सिंह अरुण कुमार - आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, संशोधन एवं परिवर्तित संस्करण, 2000 मोतीलाल बनारसीदास, 41 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर दिल्ली।
6. श्रीवास्तव, डी. एन., वर्मा डॉ. प्रीति मनोविज्ञान, शिक्षा और अन्य सामाजिक मनोविज्ञानो में सांख्यिकीय, नवीनतम संस्करण 2018, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।

उच्च एवं निम्न संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न जातियों के छात्रों की तुलनात्मक परिणाम तालिका

संवेगात्मक बुद्धि	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचनन
उच्च	सामान्य जाति	20	89.85	10.29
	अनुसूचित जाति	20	89.55	14.48
निम्न	सामान्य जाति	20	88.00	8.68
	अनुसूचित जाति	20	87.85	7.77




सारांश तालिका

प्रसरण के स्रोत	स्वतंत्रता के अंश	वर्गों का योग	मध्यवर्ग	एफ अनुपात	सार्थकता
समूहों के बीच	5	150.45	30.09	0.29	नहीं
समूहों के मध्य	114	11543.56	101.25		
योग	119	1305.01			

छात्राओं की उच्च एवं निम्न तालिका संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न जातियों के छात्राओं की तुलनात्मक परिणाम तालिका

संवेगात्मक बुद्धि	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
उच्च	सामान्य जाति	20	87.30	7.98
	अनुसूचित जाति	20	94.45	8.86
निम्न	सामान्य जाति	20	85.90	8.46
	अनुसूचित जाति	20	90.55	10.93



बुंदेलखंड की स्त्री

मेघा मिश्रा *

प्रस्तावना - दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा बुंदेलखंड प्राचीनकाल से ही अपने स्त्री पुरुषों के शौर्य, साहस और दमिलेपन के लिए प्रसिद्ध रहा है। पथरीले डॉन्ग, बीहड़ों और निरंतर सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड के स्त्री पुरुषों में कठिन परिस्थितियों से जूझने की अद्भुत शक्ति दिखलाई पड़ती है। यह शक्ति उन्हें यहाँ के परिवेश ने दी है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में बसे इस क्षेत्र में खेती और मजदूरी ही लोगों की जीविका का साधन है। इन दोनों ही साधनों में स्त्रियाँ समान रूप से हाथ बटा कर अपने घर संचालन में सहयोग देती हैं। सिर्फ खेती या मजदूरी नहीं बल्कि अपने घर को संभालती हैं। इन स्त्रियों के घर और बाहर के कार्यों में जो शक्ति और क्षमता है उसे देख कर कोई भी आश्चर्य चकित हो सकता है। इन कर्मठ स्त्रियों की दैनिकचर्या सुबह 4 बजे से झाड़ा- बुहारी, उरैन पानी, पशुओं को चारा-पानी से प्रारम्भ होती है। गाय-भैंस दुहना, कंडे थापना, कलेऊ बनाना, खेत पर जाना, अनाज छानना-बीनना, चारा-कांड़ी लाना आदि के अलावा भी कई सारे कार्य देर रात बना खा कर बर्तनों के साफ करने तक निरंतर काम में लगे रह कर दिन का समापन होता है। अपने लिए न जी कर अपने परिवार के लिए जीने वाली यहाँ की स्त्रियाँ शारीरिक रूप से सुदौल और स्वस्थ तो हैं ही साथ ही ये साहस और हर परिस्थितियों से जूझने की क्षमता रखती हैं। इस वीरप्रसूता भूमि की स्त्रियों की शौर्य गाथाएं केवल लोक प्रसिद्ध ही नहीं अपितु विश्व प्रसिद्ध हैं। श्रीमती सुभद्रा चौहान की पंक्तियाँ - 'बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाना वो तो झांसी वाली रानी थी'। बुंदेलखंड की माटी, रानी और उनकी स्त्री सेना के साहस और शौर्य का बखान करती हैं। बुंदेली स्त्रियों ने जो अंग्रेज सेना के दांत खट्टे किए वह केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास के पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो अमर हो गया है। इसके अलावा भी बुंदेलखंड की अनेक स्त्रियाँ इतिहास के पन्नों पर अपने बुद्धिबल, साहस, शौर्य और अपने बलिदानों और अपनी कलाओं से इतिहास में अमिट रूप से अंकित हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही ताराबाई जिला जालौन की प्रथम महिला क्रान्तिकारी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का खुलकर विरोध किया। ताराबाई जालौन रियासत के राजा

बालाराव की बहन थी। ताराबाई ने भाई की मृत्यु के बाद जालौन रियासत का कार्यभार संभाला। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की नीतियों का सहयोग नहीं किया। राजद्रोह के आरोप पर ताराबाई को पति, पुत्र के साथ रियासत से निष्कासित कर मुंगेर (बिहार) जेल में भेज दिया जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। जालौन के बासियों में ताराबाई के लिए वही सम्मान, प्रेम भाव और गर्व है, जो झांसी के लोगों में रानी लक्ष्मीबाई के प्रति। ओरछा राज्य की राजमाता 'लडई सरकार' को भी अपनी कूटनीति, राजनीति के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड की स्त्री अपने मान, स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने से भी नहीं हटती। भारत का सबसे प्राचीन जौहर स्मारक सागर जिले के बीना तहसील में स्थित है। जौहर की कई ऐसी गाथाएँ हैं जो बुंदेली स्त्रियों के साहस, शौर्य का वर्णन करती हैं। कालपी राज्य की लोधा रानी, रतनगढ़ के राजा रतन सिंह की पुत्री मांडुला, गढ़कुंडार के खंगार राजा मान सिंह की पुत्री 'केसर दे' और चंदेरी के राजा 'मेदिनी राय' की रानी मणिमाला ने अपने मान - स्वाभिमान के लिए जौहर कुंड में स्वयं को स्वाहा कर लिया। इतिहास में विवादित मस्तानी जिनके वंश और जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, पर यहाँ बुंदेलखंड में पत्नी-बढ़ी और यहाँ की रक्षा के लिए बाजीराव के साथ मुगल सेना से युद्ध लड़ी। केवल वीरता में ही नहीं बल्कि बुंदेली स्त्रियों ने अपनी सांस्कृतिक कलाओं में बुंदेलखंड की पहचान कायम की है। गायिका 'असगरीबाई' जिन्होंने ध्रुपद गायन को नए आयाम दिए और बुंदेलखंडी ख्यालों को पहचान दिलाई। उनके इस कार्य पर भारत सरकार ने 2006 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। लोकगायिका रामकली रैकवार, फागकार हीराबाई आदि ने बुंदेली संस्कृति और बुंदेली स्त्रियों के मान को बढ़ाया है।

जिस तरह प्रकृति की विषमता और उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल बुंदेलखंड के विकास के लिए अब तक नहीं किया जा सका है, वैसे ही यहाँ की स्त्रीशक्ति को भी समुचित अवसर सुलभ नहीं हो पाया है। जिस दिन यहाँ स्त्री शक्ति का समुचित उपयोग होने लगेगा और स्त्रियों को अवसर मिलेंगे उस दिन निश्चित ही बुंदेली आम स्त्री अपने लिए जी सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

प्राचीन शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था

डॉ. प्रवीण ओझा*

प्रस्तावना – मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व होता है। व्यक्ति के व्यवहार को मानवीयता का आवरण पहनाने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। भारत में शिक्षा का आरंभ ऋग्वैदिक काल से ही हो गया था जबकि ब्राम्हणों द्वारा व्यक्तिगत एवं एकल स्तर पर शिक्षण के दायित्व का निर्वहन किया जाता था। कालान्तर में गुप्तकाल आने तक शिक्षण संस्थाओं का विकास होता गया जिनका चरम उत्कर्ष तक्षशिला, नालन्दा विश्वविद्यालय जैसे विश्वस्तरीय संस्थाओं के रूप में परिणित हो जाता है। प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं की, भले ही वे गुरु की व्यक्तिगत व्यवस्था हो या संस्थागत हो, वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः दान में प्राप्त राशि पर आधारित थी। समाज के आम व्यक्ति भी गुरुओं के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करते हुये शिक्षा के विकास हेतु यथाशक्ति ससम्मान दान देते थे तथा शासक वर्ग ने तो मुक्तहस्त से दान दिया। इसी दान राशि से पोषित प्राचीन शिक्षण संस्थाएँ उच्च प्रतिमानों को स्थापित कर सकीं। अनेक अभिलेखों, साहित्यिक ग्रंथों तथा इत्सिंग, व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों में इन दान के प्रचुर प्रसंग मिलते हैं जो इन प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था के वित्तीय व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

ऋग्वैदिक काल में शिक्षा के महत्व को स्थापित किया गया। इस समय प्रत्येक ब्राम्हण शिक्षक एवं उसका गृह शिक्षालय होता था। विद्यार्थी गुरु के घर रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य डॉ. अल्टेकर के अनुसार धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था जिससे आर्य संस्कृति का प्रचार हो।¹ जबकि बी.जी. गोखले के मतानुसार – 'इस प्रणाली का आयोजन इस प्रकार का था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाये, उसमें ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित हो, उसकी बुद्धि प्रखर हो और उसके व्यक्तित्व के विकास द्वारा उसके अन्दर चरित्र बल की स्थापना हो।'² इस युग में उपनयन संस्कार प्रारंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल शिक्षा एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग था। तत्कालीन शासक अश्वपति का कथन है कि 'मेरे राज्य में न कोई चोर है न व्याभिचारी और न निरक्षर।' इस काल में अनेक शिक्षण संस्थाएँ थीं। इनको संचालित करने का दायित्व राज्य का नहीं था। राजा समय-समय पर इनकी सहायता अवश्य करते थे। आचार्य आश्रमों में अध्यापन कार्य करते थे तथा वे ही विद्यार्थियों के निवास एवं भरण-पोषण की व्यवस्था करते थे। आश्रम चलाने के लिये विद्यार्थी खेती करते थे, पशु चराते थे तथा शिक्षा भी मांगते थे। विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था किन्तु अध्ययन समाप्त होने पर जब वह आचार्य का घर छोड़ता था तब वह गुरु को दक्षिणा अवश्य देकर जाता था। गुरुदक्षिणा के विषय में मनु का विचार था कि विद्यार्थी को गुरु को जब तक शिक्षा समाप्त न हो कोई धन नहीं देना चाहिये।³ इस युग के सोलह संस्कारों में से विद्यारंभ,

उपनयन, वेदारंभ तथा समावर्तन संस्कार गुरु एवं छात्र के पारस्परिक संबंधों पर आधारित थे।

वैदिक काल के बाद भी शिक्षा का विकास क्रम अनवरत जारी रहा। ऐसे ऋषियों के आश्रमों के उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनमें दस-दस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनका आचार्य कुलपति कहलाता था। वशिष्ठ, कण्व आदि इसी प्रकार के कुलपति थे। ये आश्रम आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः स्वावलम्बी थे। खेती, बाड़ी, पशुपालन दक्षिणा इन आश्रमों की आय के प्रमुख स्रोत थे। अपने आर्थिक स्वावलम्बन के कारण ही ये आश्रम अपने मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र थे तथा राजकीय हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त थे। यही वित्तीय व्यवस्था आगे भी चलती रही तथा दान की सहयोग राशि भी इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में सम्मिलित हो गयी। मौर्य युग में बौद्ध शिक्षा का असीमित विकास हुआ। ब्राम्हण शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था का भी प्रमुख आधार दान राशि ही थी। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में विहारों में शिक्षा दी जाती थी जिनमें विद्यार्थी भिक्षुओं की संख्या पर्याप्त होती थी। यहाँ अनेक अध्यापक यह कार्य करते थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग्ग में दो प्रकार के अध्यापकों के बारे में बताया गया है- उपाध्याय एवं आचार्य।⁴ दानी एवं परोपकारी व्यक्ति निर्धन छात्रों का व्यय स्वयं देते थे। बनारस में 500 निर्धन विद्यार्थियों वाला विद्यालय था। बनारस की जनता इसका पूरा व्यय दान से चलाती थी।⁵ कभी-कभी गृहपति एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को अपने यहाँ भोजन कराते थे।⁶ तक्षशिला में कुछ छात्रवृत्तियों के भी वर्णन मिलते हैं।

गुप्त शासकों के शिक्षा एवं विद्याप्रेम से देश में शिक्षा का प्रसार बृहत पैमाने पर हुआ। पाटलिपुत्र, बलभी, पद्मावती, अयोध्या, बनारस, मथुरा, नासिक आदि उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। इस समय तक तक्षशिला पर अर्थ बर्बर शासकों का अधिकार हो जाने के कारण वहाँ शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था तथा उसका महत्व घट गया था। इस युग में स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय हिन्दू सम्राटों को उदारता एवं प्रश्रय के कारण शिक्षा का विशाल केन्द्र बन गया था। अगली एक शताब्दी तक उसकी कीर्ति एशिया में फैली रही। ग्रामों में अनेक ब्राम्हण प्रारंभिक शिक्षा 'लिपिशालाओं' में दे रहे थे, उन्हें उन गाँवों के राजस्व का भाग अनुदान के रूप में राज्य की ओर से दिया जाता था। गुप्त शासकों के समकालीन वाकाटक शासकों को भी बुद्धिजीवी वर्ग को सुरक्षित रखने की बहुत चिंता थी। प्राचीन भारतीय परम्परा के ब्राह्मण जो पठन-पाठन में रत थे, उन्हें अग्रहार दान दिये जाते थे। इनके लिये प्रभावती के पूना ताम्रपत्र में एक अन्य दानग्राही ब्राह्मण के लिये देवशर्माचार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है।⁷ ये ग्रामों में गुरुकूल चलाते थे तथा शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। ऐसे व्यक्तिगत शिक्षा केन्द्रों को वाकाटक शासकों

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

ने अनेकानेक ग्रामदान दिये। इनकी आय से आचार्य स्वयं अपना तथा संरक्षण में रहने वाले विद्यार्थियों का भरण पोषण करते होंगे।⁹

ऐतिहासिक काल के उत्तरार्द्ध में अथवा राजपूत काल (लगभग 600 ई. से 1200 ई.) में उच्च शिक्षा के लिये सामूहिक संस्थाओं का उदय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। गुप्तकाल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महती योगदान दे रहा था।⁹ उसके अतिरिक्त भी अनेकानेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना इस युग को महत्वपूर्ण बनाती है। इनकी भी वित्तीय व्यवस्था राजपरिवार, धनिक वर्ग एवं दान दाताओं द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि से ही होने के प्रमाण मिलते हैं। आठवीं शताब्दी में हिन्दू मंदिरों में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाने लगी थी। दक्षिण भारत में लगभग एक दर्जन महाविद्यालय थे। इनमें अनेक विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ उनकी आवास व्यवस्था के साथ-साथ समृद्ध पुस्तकालयों की भी उत्तम व्यवस्था होती थी। तालगुंड अभिलेख के अनुसार कदम्ब वंश के शासक मयूर शर्मा ने कांची की घटिका में धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। घटिकाएँ वे संस्थाएँ थीं जिन्हें राजा या धनी व्यक्ति स्थापित करते थे। इस युग में प्रारंभिक शिक्षा गांव का अध्यापक ही विद्यार्थियों को देता था और गांव वाले उसके निर्वहण के लिये अन्न, वस्त्र इत्यादि देते थे। जन साधारण की शिक्षा का माध्यम वे कथा गोष्ठियाँ भी थीं, जिनका आयोजन गांव वाले करते थे। इनमें विद्वान ब्राम्हण धर्म ग्रंथों का पाठ एवं व्याख्या करते थे जिनके श्रोता चारों वर्णों के लोग होते थे। धर्मात्मा एवं दानी इन आयोजनों का पूरा व्यय वहन करते थे। नालंदा के अतिरिक्त सातवीं शती में काठियावाड़ का वलभी, विक्रमशील विहार भी जन सहयोग से संचालित बड़ा उच्च शिक्षा का केन्द्र था।¹⁰

पश्चिमी भारत में 945 ई. में एक गांव के मुखिया द्वारा विद्यार्थी संघ को पुस्तक भूमि खण्ड दान में देने तथा वहाँ के अध्यापक के रहने के लिये एक मकान देने का विवरण प्राप्त क्षेत्र है। उस गाँव के ब्राह्मणों ने संस्कार के समय धनराशि दान में देने का वचन दिया। नवीं शताब्दी में कश्मीर के शासक अवन्ति वर्मा ने एक वैष्णव मंदिर की स्थापना कर वहाँ व्याकरण की शिक्षा देने के लिये एक प्रसिद्ध विद्वान की नियुक्ति की। कश्मीर में ही दसवीं शताब्दी में राजा यश भास्कर ने आर्य देश के विद्यार्थियों के रहने के लिए एक मठ स्थापित किया। ग्यारहवीं शती तक तो यहाँ बंगाल तक के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आने लगे थे। यह शासकों की उच्च शिक्षा हेतु धन देने की प्रवृत्ति के कारण ही संभव हो रहा था। एपियाग्राफी इण्डिया के अनुसार 1155 ई. के एक अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश के क्षेत्र में राजमाता अल्हण देवी ने एक मठ और शिक्षा के प्रसार हेतु बड़ा भवन बनवाया था।¹¹ इसी गाँव के विवरण के अनुसार दक्षिणपथ के विक्रमादित्य षष्ठ के समय एक ब्राह्मण ने 104 महाजनों को अपनी दान में दी गयी भूमि का न्यासी (ट्रस्टी) नियुक्त किया। इस न्यास के अन्तर्गत कुछ भूमि एवं मकान व्याकरण एवं मीमांसा पढ़ाने वाले अध्यापक तथा कुछ भूमि एवं मकान गणित, ज्योतिष, छन्दशास्त्र एवं व्याकरण पढ़ाने वाले शिक्षक के भरण-पोषण के लिये दी गयी थी। इसी प्रकार विक्रमादित्य षष्ठ की महारानी द्वारा महाजनों को न्यास के रूप में एक गांव दिया गया जिसकी आय से शास्त्रों के एक टीकाकार, पुराणों के एक पाठक एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद के अध्यापकों का वेतन दिया जाता था।¹² इसी शासक के धर्माध्यक्ष ने पूर्व मीमांसा की शिक्षा हेतु एक सभा भवन बनवाया था इसी प्रकार यादव वंशी शासक सिंहावा के शासनकाल में ज्योतिष के अध्ययन हेतु एक मठ स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में ही काकतीय राज्य में एक शैव अध्यापक ने महाविद्यालय के

लिये कुछ भूमि दान की थी।¹³ इसमें तीन अध्यापक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ाते थे, पाँच तर्कशास्त्र, साहित्य, आगम (परम्परागत धर्म सिद्धान्त) पढ़ाते थे। जो वैद्य इन अध्यापकों, विद्यार्थियों और सेवकों की चिकित्सा करते थे, उन्हें भी कुछ भूमि दान में देने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

दक्षिण भारत में शिक्षण संस्थाओं के संचालन एवं विकास में शासकों एवं आम जन की दान राशि का अभूतपूर्व सहयोग रहा। पाण्डिचेरी के समीप बाहूर के विद्या संस्थान के लिये गंग पल्लव वंश के राजा विजय नृपतुंग वर्मा के मुख्य मंत्री ने तीन गाँव दान में दिये। कांचीपुरम में सिद्धेश्वर मंदिर के निकट स्थित संचालित महाविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था भी इसी प्रकार होती थी। राजराज प्रथम के काल में एक व्यक्ति द्वारा स्वर्ण मुद्राएँ दान की गयीं जिसके ब्याज से सामवेद का पाठ करने वाले ब्राम्हण के दक्षिणा दी जानी थी। राजेन्द्र चोल ने छोटी कक्षाओं के ऐसे 270 विद्यार्थियों के भरण-पोषण हेतु जो वेद, कल्पसूत्र और व्याकरण पढ़ते थे और बड़ी कक्षाओं के ऐसे 70 विद्यार्थियों के लिये जो व्याकरण और मीमांसा दर्शन पढ़ते थे, उन्हें ग्रामसभा ने धान उपज का कुछ भाग देने का निश्चय किया।¹⁴ चोल शासक राजाधिराज प्रथम के शासनकाल में वैदिक साहित्य के बारह और वेदांत, व्याकरण, रूपावतार, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, वैश्वानरस्मृति के सात सिद्धान्तों के अध्ययन हेतु ग्रामसभा ने कुछ भूमि खरीद कर दान की जिससे 260 विद्यार्थियों का भरण पोषण होता था। राजा वीर राजेन्द्र द्वारा भी महाविद्यालय के लिये भूमि दान में दी थी। विद्यार्थियों के साथ-साथ सेवकों, रसोइयों, वैद्यों का वेतन भी इसी राशि से दिया जाता था। विक्रम, चोल तथा राजराज द्वितीय के काल के भी इसी प्रकार के अभिलेख उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। यही क्रम सातवीं से दसवीं शताब्दी तक चलता रहा तथा शिक्षण संस्थाएँ दान राशि से पोषित होती रहीं। महमूद गजनवी के आक्रमणों से उत्तर भारत की अनेक शिक्षण संस्थाएँ नष्ट हो गयीं किन्तु दक्षिण में शिक्षा जगत में यही व्यवस्थाएँ सतत बनी रहीं।

इसी प्रकार प्राचीन काल में भारत की दोनों ही प्रकार की शिक्षण संस्थाओं ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में शासकों एवं आमजन की दान देने की प्रवृत्ति तथा उनका स्वयं का आर्थिक स्वावलम्बन विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अल्टेकर, ए.एस. - एजुकेशन इन एंशिएन्ट इण्डिया, पृष्ठ क्रमांक 37
2. मजूमदार, आर.सी. - वैदिक एज, पृष्ठ क्रमांक 384
3. मनु- मनु स्मृति- 2, 245
4. महावग्ग - 5, 4, 2
5. जातक - 1 - 239
6. जातक- 1 - 317
7. अभिलेख क्रमांक 2 - पं. - श्लोक 15
8. मिश्र, एम.डी. - वाकाटक राजवंश का इतिहास एवं संस्कृति, पृष्ठ क्रमांक 173
9. बील- लाइफ ऑफ व्हेनसांग, पृष्ठ क्रमांक 112
10. इत्सिंग - इत्सिंग रिकार्ड, पृष्ठ क्रमांक 177
11. एपियाग्राफिया इण्डिका - 2, 7
12. एपियाग्राफिया इण्डिका- 15, 350
13. एनुअल रिपोर्ट- साउथ इण्डियन एपियाग्राफी- 1917-94
14. एनुअल रिपोर्ट- साउथ इण्डियन एपियाग्राफी- 1917-33

किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 – एक विधिक अध्ययन

डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल *

शोध सारांश – आज के बालक कल के नागरिक हैं। उन्हीं के कंधों पर कल के भारत का भार है वे ही आने वाले समय के नेता हैं उन्हीं पर राष्ट्र का गौरव और गरिमा निर्भर है। उपरोक्त विचार वर्तमान संदर्भ में शोध एवं चिंतन का विषय है। उसकी सोच एवं समझ परिपक्व नहीं होती है। जिससे कुछ किशोर विधियों का उल्लंघन कर देते हैं ऐसे बालकों के सुधार एवं उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने, उचित देखरेख, संरक्षण एवं उपचार का उपबंध करना राज्य का कर्तव्य होता है। विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते पाये जाने वाले बालकों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 15 खण्ड 3, अनुच्छेद 39 खण्ड (ड) और खण्ड (च) अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के उपबंधों के अधिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाये और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाये। संविधान द्वारा यह कर्तव्य राज्यों को अधिरोपित किये गये है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को जिसमें ऐसे मानव विहित किये गये हैं जिनसे बालक के सर्वोत्तम हित संरक्षित हो सके। यह अध्ययन भारत में अधिनियमित किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है।

शब्द कुंजी – किशोर, न्याय, अपचारी, प्रावधान, विधि।

अध्ययन का उद्देश्य – इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के द्वारा अपचारी बालकों के मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का मूल्यांकन कर अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र पुर्णतः सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों प्राप्त सुचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

विवेचना – किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यह अधिनियम पूर्ववर्ती किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के स्थान इस अधिनियमित किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त हुआ है। अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इसके उद्देश्य निम्नानुसार है –

- 1 उपेक्षित एवं विधि-विवादित किशोरों की देखरेख और उनका संरक्षण,
- 2 उनके उपचार, विकास, पुनर्वास आदि के उपाय करना,
- 3 अपचारी किशोरों के प्रकरणों में न्याय निर्णयन करके उनके आवास संबंधी आदेश पारित किये जाना।

इस अधिनियम में कुल 70 धारायें तथा 5 अध्याय हैं। अधिनियम के अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 से 3, अध्याय 2 विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर धारा 4 से 28 तक, अध्याय 3 देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक धारा 29 से 39 तक, अध्याय 4 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना धारा 40 से 45 तथा अध्याय 5 प्रकीर्ण धारा 46 से 70 तक विस्तारित है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अद्यलिखित हैं –

धारा 4 – किशोर न्याय बोर्ड के गठन के संबंध में प्रावधान है। जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता होना आवश्यक होगा। बोर्ड द्वारा मामले के निपटारे के समय कमसे कम दो सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है जिसमें से एक न्यायिक

मजिस्ट्रेट होना चाहिए।

धारा 6 – में किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, यदि उनके समक्ष अपील या पुनरीक्षण हेतु प्रकरण लाया गया हो।

धारा 7 – में यह उपबंधित है कि अपचारी व्यक्ति द्वारा स्वयं किशोर होने की दलील प्रस्तुत की जाने की दशा में न्यायालय द्वारा इसके निर्धारण हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

धारा 8 – में संप्रेक्षण गृह संबंधी प्रावधान है। इनमें विचारणाधीन विधि-विवादित किशोरों को रखा जाता है। इन गृहों में विधि-विवादित किशोरों के रहने, भरण-पोषण, चिकित्सा एवं उपचार की समुचित व्यवस्था की जाती है।

यदि विधि-विवादित किशोर को किसी अपराध का दोषी पाया जात है तो किशोर न्याय बोर्ड उसे जमानत पर छोड़ सकता है या परिवीक्षा का लाभ देकर भी माता-पिता या संरक्षक को देखरेख हेतु सौंप सकता है। अन्य मामलों में किशोर को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विषेश गृह में रखा जा सकता है।

धारा 16 – के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड को विधि विवादित किशोर का अपराध सिद्ध होने पर भी निम्नलिखित आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी –

- 1 मृत्युदंड का दण्डादेश या
- 2 आजीवन कारावास का दण्ड या
- 3 जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दण्ड या
- 4 प्रतिभूति प्रस्तुत न करने पर कारावास का दण्ड।

उक्त उपबंधों का उद्देश्य किशोरों को लांछन से बचाना तथा कुख्यात अपराधियों के संपर्क से दूर रखना है। किसी भी विधि विवादित किशोर का

विचारण किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर वय का न हो।

धारा 19 - विधि-विवादित किशोर द्वारा कारित अपराध के लिए उसका विचारण एवं न्याय निर्णयन अधिनियम के अधीन किया जाने पर उसके दण्डादेश के परिणाम स्वरूप उस पर किसी प्रकार की नियोग्यता नहीं होगी। किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्यवाही गोपनीय स्वरूप की होगी तथा उनका प्रकाशन पूर्णतः निश्चिद है। इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाने पर दोषी व्यक्ति को एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 22 - के अन्तर्गत जब कोई विधि विवादित किशोर संप्रेक्षण गृह से भाग निकलता है तो उसके विरुद्ध बिना किसी कार्यवाही के उसे वापस संबंधित गृह को सौंप दिया जायेगा।

धारा 23, 24 एवं 25 - बालकों या किशोरों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना या भीख मांगने हेतु नियोजित करना या मादक द्रव्य या उन्हें मदिरा आदि का सेवन कराना आदि को अधिनियम की धारा 23, 24, एवं 25 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना गया है।

धारा 29 - में बालक कल्याण समिति के गठन।

धारा 30 - में समिति के संबंध में प्रक्रिया।

धारा 31 - में समिति की शक्तियाँ तथा

धारा 32 - में यह उपबंधित किया है कि जैसे ही बाल समिति को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो समिति अथवा विशेष पुलिस यूनिट का पुलिस अधिकारी विहित प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी जांच करेगा और संतुष्ट होने पर समिति उस बालक को किसी बाल गृह में भेजे जाने का आदेश पारित करेगी जहाँ बाल कल्याण अधिकारी या प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता तत्परता से उस बालक के बारे में आगे छानबीन करेंगे और तब तक बालक को बालगृह या आश्रय गृह में रखा जा सकेगा।

धारा 37 - के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए आश्रय गृहों का भी प्रावधान है। इन आश्रय गृहों में दीन-हीन, असहाय और उपेक्षित बालकों को रखा जाता है ताकि उनकी देख रेख हो सके और वे संरक्षित रहे।

धारा 40 - के अन्तर्गत पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया।

धारा 41 - में दत्ताक ग्रहण।

धारा 42 - में पोषण देखरेख के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

अधिनियम का अध्याय 5 प्रकीर्ण विषयों से संबंधित है। ये ऐसे विषय हैं जो अधिनियम की अंतर्वस्तु होते हुए भी उसके मूल पाठ में स्थान नहीं पा सके। आपराधिक विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि अभियुक्त के मामले में जांच या विचारण उसकी उपस्थिति में होना चाहिए और यह सिद्धांत अपचारी किशोरों की जांच या विचारण के प्रति भी लागू होता है।

धारा 47 - में यह उपबंधित है कि यदि जांच या विचारण के दौरान किशोर या बालक पर नियंत्रण रखना कठिन हो, तो उसकी अनुपस्थिति में ही कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।

यदि किशोर या बालक किसी ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त हो जिसका इलाज लंबे समय तक चल सकता है या वह किसी शारीरिक या मानसिक विकृति से पीड़ित हो जिसका इलाज किया जाना आवश्यक हो तो उसे अनुमोदित जगह या संस्था में आवश्यक उपचार हेतु भेज दिया जायेगा।

धारा 49 - में विधि विवादित किशोर की आयु के निर्धारण एवं इस संबंध

में उपधारणा के प्रावधान है।

धारा 54 - में विधि-विवादित किशोर एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बालकों के प्रकरण में जांच, अपील तथा पुनरीक्षण कार्यवाही की प्रक्रिया दर्शाई गई है। बोर्ड का सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अपने आदेश में फेर-बदल कर सकता है। वह मामले को किसी अन्य बोर्ड या न्यायालय, यथास्थिति, को अंतरित भी कर सकता है।

धारा 56 - के अधीन किशोर को उन्मोचित या अन्यत्र अंतरित करने की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वह किशोर आयु का न रह जाए अर्थात् उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।

यदि बोर्ड या राज्य सरकार उचित समझे, तो वह किशोर या बालक की बाल गृह या विशेष गृह में निवास की अवधि को घटाकर कम कर सकते हैं। ऐसा प्रायः तभी किया जाता है जब यह किशोर या बालक के हित में होता है।

धारा 59 - में यह उपबंधित है कि किसी विवाह या मृत्यु संबंधी संस्कार में भाग लेने हेतु या कोई अन्य उचित कारण होने पर विधि विवादित किशोर या देखरेख एवं संरक्षण में रह रहे बालक को बालगृह विशेष गृह से कुछ दिन अनुपस्थित रहने की छूट दी जा सकती है।

धारा 62 - द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वे राज्य शासन को निम्नलिखित बातों में परामर्श देने हेतु परामर्श बोर्ड का गठन कर सकते हैं।

किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 में किये गये सन् 2006 के संशोधन सन् 2006 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा धारा 62-क एक नई धारा के रूप में जोड़ी गई है। जिसमें यह उपबंधित है कि देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण इकाइयों स्थापित की जाएँगी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित की गई जो बाल संरक्षण इकाइयों से संबंधित है। इस अधिनियम के अधीन किशोर अपराधिकता के निवारण एवं उनसे निपटने हेतु विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाइयों के गठन का प्रावधान है।

उपसंहार - किशोर न्याय अधिनियम में उपरोक्त नये एवं सुधारात्मक प्रावधान होते हुए भी कुछ अपराधशास्त्री इसके अधीन अपनाई जाने वाली व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में अध्यक्ष की हैसियत से न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका वांछित नहीं है। अतः ये कार्य समाज सेवी संगठनों को सौंपा जाए तो अधिक उचित होगा तथा इससे अधिनियम के क्रियान्वयन में औपचारिकता और भी कम हो जायेगी। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा करना बाल एवं किशोर अपराधियों के वृद्ध हित में नहीं होगा क्योंकि इनसे जुड़ी कानूनी समस्याओं के समाधान हेतु किशोर न्याय बोर्ड में न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति आवश्यक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की प्रमुख बात यह है कि इसमें अपराधी बालक को अपचारी बालक न कहकर विधि विवादित बालक कहा गया है संभवतः इसका उद्देश्य बालक को लांछनास्पद संबोधन से बचाना है यद्यपि यह संबोधन कुछ अटपटा अवश्य लगता है।

विधि विवादित बालक का विचारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है जहाँ सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किये गये बालक/बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है या नहीं

तत्पश्चात् बालक की निश्चित जन्म तिथि के बारे में भी बोर्ड विश्वस्त हो लेता है ताकि उसकी आयु के बारे में कोई गलत फहमी न रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के एवं लड़कियाँ दोनों के लिए किशोर माने जाने हेतु आयु एक समान 18 वर्ष रखी गई है जो पूर्ववर्ती किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत लड़कों के लिए अधिकतम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वी. एन. परांजपे, अपराधशास्त्र
2. एम. एस. चौहान, अपराधशास्त्र
3. आर. के. नरूला, किशोर न्याय अधिनियम
4. के. पी. तिवारी, बाल अधिनियम
5. डॉ. बसंती लाल, बाबेल किशोर न्याय अधिनियम
6. डॉ. वी. एन. परांजपे, विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत

Medieval Art and Architecture in India

Sunil Sharma*

Abstract - The development of art and architecture during the Sultanate as well as during the Mughal Period has been discussed in the research paper.

Key Words - Indo-Islamic, arches, domes, decoration, artisans, style, ornamentation.

Introduction - The development of art and architecture during medieval period can be studied in two parts that is art and architecture in the Sultanate period and art and architecture in Mughal period. The architecture of the Sultanate period was in fact a mixture of Indian and Islamic art features. At its developed stage, it was called Indo-Islamic architecture. The mixture did not begin in the Sultanate period. Rather the Hindu architecture was influenced by the Islamic architecture since the 7th century. Somewhere the Arabic influences were prominent, whereas at other places the Iranian influences dominated and yet at some other places the Indian system of architecture was marked by religion and personal taste of the builders as it was in the buildings of Jaunpur Bengal, Bijapur etc. In the buildings of Delhi, the Islamic influences dominated. Beautiful buildings were built in wood at Kashmir.

In the beginning, the Muslims destroyed the temples of Hindus and Jains and built their mosques out of the same materials. Often the temples were changed into the Mosques. Qutub Minar is the best example of Delhi style. It was built first by Qutubuddin Aibak with a height of 71.4 Metres. India had the tradition of pillars. Qutub Minar has many other features like the Chchajjas linked with the main Minar, use of yellow stones on walls and on upper stories. The texts of Quran are inscribed on Qutub Minar. The Turks used local stones and capable local artisans. They built arches and domes lavishly. In the early stage small domes were built but when the artisans grew in experience, they learnt to use scientific methods to built big domes. Because of arches and domes, the construction of pillars was left. The buildings were constructed high. In the construction of domes, good quality of lime was used. In place of figures of men and animals, the decoration was designed in flowers and leaves. The Arabian script became the pattern of art. The joint method of decoration is called Arabask. Among the Khalji buildings, the important are the Tomb of Nizamud-din Aulia, Jamatkhana mosque and Alai Darwaza. There is a strange balance in the arches of Alai Darwaza. Scientific method was used for the first time in the construction of

domes. Many forts and palaces were built by Ghiyasuddin Tughlaq and Mohammad Tughlaq in the Tughlaq period. Many buildings were constructed at Tughlaqabad. The tomb of Ghiyasuddin is an example of new style which has been built on a high platform. The upper dome is built of white marble. In the Tughlaq buildings, the grandeur and showmanship is lacking which is found in the Khalji buildings. Due to religious and financial reasons, they did not pay any attention to decoration. They loved simplicity. The characteristics of Tughlaq buildings were steep walls called salami. They used the cheap earthen colour stones in place of costly stones. The Saiyyads and Lodhis attempted to imitate the Khalji buildings. In the buildings of Lodhis, the arches, beams and lintels are used. The Rajasthani and Gujrati style of architecture influenced the Lodhi buildings. Some octagonal tombs were built in the Lodhi period. The disintegration of Sultanate began with the Tughlaqs. The local rulers built the buildings in the regional style of architecture. Different types of buildings were built at Malwa Gujarat, Jaunpur and in South India. The Sharqi rulers developed a new type of architecture at Jaunpur between 1400 to 1478. It reflected lot of Hindu art. Broad steep walls, square pillars, small galleries were the main features of this art. The Mosques do not have minarets. The best example Jaunpur art is the Atala Devi Mosque. In the buildings of Bengal, the bricks have been used. Pointed arches and small pillars are its characteristics features. The Adina Mosque built by Sikander at Adina has 400 small domes which add to its beauty. The small Sona Mosque, big Sona mosque and Qadam Rasul are some important buildings of Bengal.

The Jami mosque of Ahmadabad shows the influence of Gujarat style of architecture. It was built in 1411. It has 260 pillars and 15 domes. The Jami mosque of Malwa, the Hindola Palace, Jahaj palace, the Charminar of Daulatabad are the main examples of the regional style in the Sultanate period. In different parts of the country in the Sultanate period, different style of architecture prevailed. Babur's invasion changed the History of India as well as the nature

*Teacher, R/o Pahariwala P/o Pallanwala, The. Khour, Distt. Jammu (J&K) INDIA

of architecture.

Architecture in the Mughal period- The Mughal period was an age of new thoughts and renaissance. Though the features of Sultanate architecture remained Persian in style, but the Mughal Emperors gave new direction and dimensions to architecture. Except Aurangzeb all Mughal rulers were great builders. Babur invited the disciples of Albanian architect, Sinan to India to construct mosques from Constantipole. He built many mosques in Agra, Bayana, Dholpur and Gwalior etc. to which he refers in his autobiography. The Kabuli Mosque of Panipat and Jami mosque still remind us of Babur's contribution to architecture. The change that came was the construction of fountains and tanks in the palaces. Babur was very much interested in planting the gardens. He built Aram Bagh at Agra. The Mughals planted the Nishat Bagh of Kashmir, Shalimar Bagh of Lahore and Pinjore Bagh at Punjab, which are still famous for their beauty. In Humayun's buildings, the ornamentation is of Iranian design. For some years, Sher Shah ruled in India and he too gave new direction to architecture. The Old Fort of Delhi was built by him and it is a legacy of art. Built in 1545 the Qila-i-Kunha mosque is one of the best specimens of architecture. The mosque of Shershah at Sahasram is a milestone on its basis Humayun's tomb and Taj Mahal were built. As Akbar became the emperor, there was tremendous development in architecture. Akbar had a lot of resources and enough time to build on a large scale. He built many buildings with guest houses, sarais, minarets schools and tanks. His forts at Agra, Allahabad and Lahore are still famous. The fort of Agra is built of red sandstone with magnificent gates. His architecture reflects Iranian, Rajasthani and Turki influences. Fatehpur Sikri was completed in 1580. It took about 8 years to build it. It reflects the best specimen of the

Mughal art. With an artificial lake there was buildings built in Bengali and Gujarati style. The Panchmahal built in its campus is like Buddhist monasteries. The pillars of this building are built like the pillars of Hindu temples. For the queens, he built palaces in Gujarati style.

The palace of Jodha Bai Deewan-i-Aam, Deewan-i-Khas and the Buland Darwaza are worth seeing. The Jami mosque built in marble is called by Fergusson as a romance in stone. Akbar built the Buland Darwaza to commemorate his Gujarat conquest, which represent the synthesis of Gujarati and the Iranian architectures. His Tomb built at Sikandra is different to his other buildings. The pietra dura style was adopted during the reign of Jahangir's time. In Etmatuddaula, built by NurJahan, this technique has been used in abundance. Jahangiri Mahal in Agra fort is a great achievement of this period. Shahjahan's period is called the Golden age of architecture. His buildings are Taj Mahal, Red fort of Delhi, Deewan-i-Aam, Deewan-i-Khas, Pearl mosque at Agra, Masjid-i-Jahanama etc. The tradition emerged of building double domes. The synthesis of different architectures is well reflected in Taj Mahal which the Mughals had adopted. The speciality of Taj Mahal is the big double dome and four long minarets on four corners. The ornamentation is lesser but its beauty is matchless. Aurangzeb did not do any remarkable work in the field of architecture. He built the Moti mosque of Delhi. Though many buildings were built even after Aurangzeb but their standard was not like the architecture of the great Mughals.

References : -

1. Indian history by Krishna Reddy
2. NCERT Textbook of Medieval India
3. Pratiyogita darpan
4. Indian History by Agnihotri

देश के विकास के लिए 'शराब है खराब' इन्दौर (म.प्र.) के सदर्थ में

डॉ. दीपक जैन *

शोध सारांश - भारत में गुजरात के बाद बिहार राज्य में शराब बंदी हो चुकी है अब म.प्र. की प्रकिया शुरू है। नर्मदा किनारे की शराब दुकाने 1 अप्रैल से बंद हो चुकी है। अब पूरे राज्य में अगले वर्ष तक सभी शराब दुकाने बंद हो जायेगी और पूर्ण शराब बंदी लागू हो जायेगी।

प्रस्तावना - वर्तमान में म.प्र. सरकार को खनिज, पेटोल और शराब बिक्री से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को शराब से 8 हजार करोड़ की आय हुई थी।

शोध अध्ययन का औचित्य एवं विषय का चयन - हम जानते हैं कि देश के विकास में मानव शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन शराब मनुष्य को कर्महीन, आलसी एवं व्यर्थ खर्चीला बना देती है। जिससे मनुष्य झगड़ालू एवं अपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। वह चोरी, लूट, डकैती, मर्डर जैसी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं। उसमें अधिकांश अपराधी शराब एवं अन्य नशे के आदि होते हैं। अपराधी, अपराध करने के बाद पछताते हैं। मैं एक प्रोफेसर होने के साथ-साथ जागरूक नागरिक हूँ। समाज तथा देश के विकास में बाधा करने वाली पूर्ण शराब बंदी के पक्ष में हूँ। अतः जिज्ञासा वश मैंने इस विषय का चयन किया है।

शोध का उद्देश्य - वर्तमान में शराब की लत ने अनेक लोगों को नशे का आदि हो गये हैं। अतः उनकी शराब छुड़वाने हेतु किये जाने वाले प्रयत्न का अध्ययन करना ही इस शोध का उद्देश्य है।

शोध परिकल्पनाएं - प्रस्तुत शोध में उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं रही हैं जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया जावेगा।

1. परिवार द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
2. समाज द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
3. म.प्र. सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।

शोध की विधि - इस शोधपत्र में द्वितीय समकों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। शोधपत्र में इंटरनेट, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित समकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है।

म.प्र. में शराब के दुष्परिणाम का अध्ययन एवं विश्लेषण - वर्तमान में शराब की लत ने अनेक लोगों को नशे का आदि बना दिया है। वे बिना शराब पीये नहीं रह पाते और नशे हेतु चोरी, लूट, डकैती, मर्डर जैसी अपराधिक गतिविधियों को शीघ्र अपना लेते हैं। जो परिवार, समाज एवं देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इंडिया स्पेड ने खुलासा किया है कि भारत में शराब पीने से प्रतिदिन 15 लोगों या हर 96 मिनट में 1 व्यक्ति की मौत हो रही है। भारत में प्रति व्यक्ति शराब के उपभोग में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2003-05 में 1.6 से बढ़कर 2010-12 में 2.2 लीटर हो गई थी। विश्व

स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 11 प्रतिशत से अधिक लोग शराबी हो गये। भारत में गुजरात और नागालैंड में शराब बंदी है। इस साल अप्रैल में बिहार में शराब के उत्पादन, बिक्री एवं उपभोग पर रोक लगा दी गई है। केरल में अगस्त 2014 से शराब की बिक्री सिर्फ 5 सितारा होटल तक सीमित कर दी गई थी। एनसीआरबी के आकड़ों के अनुसार शराब के प्रभाव से सबसे अधिक मौते महाराष्ट्र में होती है। शराब से मौतों में म.प्र. दूसरे एवं तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। जहरीली शराब पीने से 2014 में 1699 लोगों की मौत हुई थी जो 2013 में 387 लोगों की मौत की तुलना में 339 प्रतिशत ज्यादा है।

म.प्र. में शराब बंदी - भारत में गुजरात के बाद बिहार राज्य में शराब बंदी हो चुकी है अब म.प्र. की प्रकिया शुरू है। इस हेतु मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार से चर्चा चल रही है ताकि म.प्र. में विभिन्न अपराधों पर लगाम लगा सके। म.प्र. की एक टीम गुजरात एवं बिहार भेजी जायेगी जो शराबबंदी लागू में सरकार की सफलता का जायजा लेगी। यदि म.प्र. में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जायेगी तो अधिकांश अपराधों पर रोक लग जायेगी।

निष्कर्ष एवं सुझाव - देश के विकास के लिए 'शराब है खराब' इन्दौर 'म.प्र.' के सदर्थ में के विषय का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि शराब पीने से व्यक्ति, उसका आदि और उसकी कार्यक्षमता क्षीण हो जाती है। वह अपराधिक मामलों में शीघ्र जुड़ जाता है। यदि म.प्र. सरकार थोड़े राजस्व प्राप्ति के स्थान पर पूर्ण शराबबंदी कर दे तो म.प्र. से अपराध छूमंतर हो जायेगा इसे और अधिक सफल बनाने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार हैं-

1. बच्चों को छोटपन से ही शराब सेवन के दुष्परिणाम को समझाना चाहिए।
2. शराब पीने वाले को घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए।
3. मित्रों, पारिवारिक मित्रों को शराब पीने के दुष्परिणाम की जानकारी देना चाहिए।
4. समाज को भी समाज वालों को शराब न पीने हेतु जाग्रत करना चाहिए।
5. घर में कोई शराब पीये तो बाकि परिवार वालों को उसका विरोध करना चाहिए।
6. ऐसे व्यक्ति जो शराब पीते हैं उन्हें समाज से बाहर कर देना चाहिए।
7. शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब मुक्ति केन्द्र में भर्ती करा देना चाहिए।
8. म.प्र. सरकार को गुजरात एवं बिहार राज्य की तरह पूर्ण शराब बंदी कर देना चाहिए।

9. शराबबंदी हेतु महिलाओं को भी व्यापक आंदोलन करना चाहिए। प्रकाशन, इन्दौर, 2006-07
10. सभी नागरिक जागरूक को होकर ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो वास्तव में म.प्र. शराबबंदी लागू करे।
 3. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
 4. प्रतियोगिता निदेशिका, प्रकाशन विभाग, वैशाली नगर, इन्दौर
 5. दैनिक भास्कर, प्रकाशन विभाग, प्रेस कॉम्प्लेक्स इन्दौर
 6. नई दुनिया, प्रकाशन विभाग, बाबु छजलानी मार्ग, इन्दौर
 7. दैनिक जागरण, नई दिल्ली
 8. पत्रिका राजस्थान

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, कोठारी डॉ. मिलिन्द, रमेश बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, 2006-07
2. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, चंदेल डॉ. योगिता, देवी अहिल्या

मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना

डॉ. गंगाराम वारकेल *

शोध सारांश - भारत एक विकासशील देश है। इस देश के विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित होने में अनेक कारण जैसे- अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि उत्तरदायी है। कोठारी कमीशन (1964-66) का कथन प्रासंगिक है कि - 'भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।' अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कई योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं, जिनके माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन हो सके। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव द्वारा 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई। इस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर को सौंपा है। विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के सहयोग से इस परियोजना पर 1976-77 से कार्य आरंभ कर दिया है। इस शोध कार्य का उद्देश्य- 'मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना।' इस शोध कार्य की परिकल्पना- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यमों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं है। प्रस्तुत शोध एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध था। इस समष्टि में से उद्देश्यपरक (Purposive) न्यादर्श तकनीक द्वारा न्यादर्श का चयन किया गया। न्यादर्श का चयन धार जिले के 7 विकासखण्डों से विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से 50 महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों का चयन किया गया। प्रदत्त का विश्लेषण स्वतंत्र टी परीक्षण (Independent 't' test) एवं प्रतिशत मान विधि का उपयोग किया गया। कथन वार प्रतिशत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका के सन्दर्भ में, महिला एवं पुरुष कर्मचारियों द्वारा प्राप्त समेकित प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक रही व मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका को महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में प्रभावी पाया गया।

प्रस्तावना - भारत एक विकासशील देश है। इस देश के विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित होने में अनेक कारण जैसे- अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि उत्तरदायी है। इन श्रेणी में एक अन्य कारण अशिक्षा भी है। निश्चित तौर पर शिक्षा किसी भी समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का केन्द्र बिन्दु होती है। शिक्षा और शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा ही समाज व राष्ट्र का सही दिशा में विकास सम्भव है। यहां कोठारी कमीशन (1964-66) का कथन प्रासंगिक है कि - 'भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।' अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कई योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं, जिनके माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन हो सके। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ निम्नानुसार हैं- 1) पढ़ों और पढ़ाओ योजना, 2) बालिकाओं के शिक्षा के प्रयास, 3) यूनिसेफ की शिक्षा योजनाएँ, 4) शाला सुविधाएँ, 5) शिक्षा गारण्टी योजना, 6) रूपांतरण योजना, 7) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, 8) शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, 9) शिक्षक समाख्या परियोजना, 10) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, 11) विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा व्यवस्था, 12) औपचारिकतर शिक्षा, 13) मनीषा योजना, 14) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण, एवं 15) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिये विशेष कार्यक्रम।

इन योजनाओं की श्रेणी में एक योजना मध्यान्ह भोजन योजना भी है।

मध्यान्ह भोजन योजना एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना व शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना है। साथ ही यह विद्यार्थियों के उचित पोषण को भी सुनिश्चित करती है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भरसक प्रयत्न किए गए हैं। यद्यपि इन प्रयासों के बावजूद क्या यह योजना अपने लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त कर चुकी है और क्या इसकी प्राप्ति में गुणवत्ता व शुद्धता को ध्यान में रखा जा रहा है? सरल शब्दों में यह योजना अपने लक्ष्यों के सन्दर्भ में उपयोगी रही या इसी दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं? इन समस्त प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा में ही शोधकर्ता द्वारा इस प्रकरण का शोध विषय के रूप में चयन किया गया है।

मध्यान्ह भोजन से तात्पर्य - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद् कार्यक्रम के सम्पूर्ण नियोजन का दायित्व वहन करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

विद्यालय में बालकों को लगभग 6 घण्टे रहना पड़ता है और सायंकाल को जब उन्हें खाना मिलता है तो इस बीच लगभग 6:30 से 7 घण्टे का अन्तर पड़ता है। बालकों को भोजन हेतु इतना अन्तर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं जबकि बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं व विद्यालय में

पढ़ने खेलने मस्ती करने आदि में अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है। अतः उन्हें विद्यालय समय में भी भोजन (संतुलित) की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के समय के बीच में विद्यार्थियों को भोजन दिया जाना ही मध्याह्न भोजन कहलाता है।

विकासशील देशों में स्कूल में बच्चों को खाना देने के कई कानून बनाये गये हैं। यूनेस्को (UNESCO) द्वारा भी बच्चों को दोपहर के समय दूध देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत में लगभग सभी राज्यों में यह योजना क्रियान्वित हो चुकी है।

मध्याह्न भोजन का महत्व व उपयोगिता – वर्तमान में सरकार ने प्रत्येक गाँव में प्राथमिक शालायें खुलवा दी हैं। इन सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती। साथ ही सरकार बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म, सभी विद्यार्थियों को किताबें, छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान कर रही है, ताकि गरीब घर के बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकें। इतना सब मिलने के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। भारत में कहीं-कहीं क्षेत्रों में इतनी गरीबी है कि बहुत से बच्चे स्कूल खाली पेट आते हैं। भूख के कारण पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। इस तरह पढ़ाई में वे पिछड़ जाते हैं और फिर स्कूल आना छोड़ देते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों को संतुलित भोजन देना जरूरी समझा। जिसे सन् 1997 से माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं के बच्चों को भी दिया जाने लगा है। इसी दृष्टि से मध्याह्न भोजन का महत्व एवं उपयोगिता उल्लेखनीय है।

मध्याह्न भोजन योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – मध्यप्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालायों के विद्यार्थियों को कच्चा खाद्यान्न वितरित किया जाता था, परन्तु याचिका क्रं. 196/2001 के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पके हुये भोजन के वितरण का आदेश पारित किया गया। माह जनवरी 2004 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दलिया / खिचड़ी के स्थान पर विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2007 माह अक्टूबर से कार्यक्रम का विस्तार शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों की शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालायों में किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2008 से प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालायों में मध्याह्न भोजन योजनाओं लागू किया गया।

रोजगार आवश्वासन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 313 विकास खण्डों में मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 से संचालित है। 50 जिलों के सभी आदिवासी विकास खण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एवं शेष विकास खण्डों में शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम संचालित है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस योजना के संचालन का दायित्व प्रदेश में नोडल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं संचालक पंचायत को सौंपा गया है।

देश के विभिन्न भागों में हुए पोषण सर्वेक्षणों से निश्चित प्राथमिक शिक्षा से ज्ञात हुआ है कि पोषक तत्वों के अभाव से बालक अत्यधिक दुष्प्रभावित होते हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास के लिये पौष्टिक भोजन की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, स्कूल जाने वाले बालकों की शारीरिक वृद्धि निरन्तर होती रहती है। इसलिये उनके भोजन में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा मिलनी चाहिये। बालक अत्यधिक क्रियाशील

होता है इसलिये उन्हें अधिक ऊर्जा की एवं पोषक भोजन की आवश्यकता होती है।

मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन – भारत शासन के संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रं. 196/2001 में पारित अंतरिम आदेश के पालन में देश के सभी शासकीय प्राथमिक शालायों के छात्रों को शाला लगने के समय गर्म पका हुआ भोजन वितरित किया जाना अनिवार्य किया गया है जिसे सन् 1997-98 में माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

जापान में सन् 1800, ब्राजील में 1932, अमेरिका में 1946 से बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई 1956 में तमिलनाडु में छोटे स्तर पर यह योजना शुरू की गई थी। मध्यप्रदेश में यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव द्वारा 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई।

मध्यप्रदेश में योजना का क्रियान्वयन – यह यूनीसेफ की परियोजना क्रमांक 4 है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के निरंतर विकास में सहायता हेतु प्रस्तावित है।

मध्याह्न भोजन योजना की प्रमुख समस्याएँ – मध्याह्न भोजन योजना की प्रमुख समस्याएँ अष्ट हैं- 1) ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक एवं पालकगण का अशिक्षित होना, 2) मध्याह्न भोजन में शिक्षकों की रुचि का अभाव, 3) विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का होना, 4) मध्याह्न भोजन के कारण शिक्षण प्रक्रिया का एवं परिणामों का प्रभावित होना, 5) मध्याह्न भोजन में खाना बनाने वाले व्यक्तियों का अस्पृश्य जाति का होना (क्योंकि आज भी गांवों में जात-पात को मानते हैं), 6) समय समय पर आवंटन प्राप्त न हो पाना, 7) मध्याह्न भोजन योजना में आने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता का अभाव, 8) मध्याह्न भोजन योजना में बनाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, 9) मध्याह्न भोजन में दिये जाने वाला भोजन मेनू के अनुरूप वितरण का अभाव, 10) संपन्न परिवार के बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण नहीं करना, 11) मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मचारी के प्रति ग्रामिणों का दृष्टिकोण, 12) विद्यालयों में किचन, बर्तन, जलाऊ लकड़ी इत्यादि की समस्या 13) मध्याह्न भोजन योजना के फलस्वरूप शिक्षकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त कार्यभार।

औचित्य – मानव व्यक्तित्व के विकास एवं राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा का अतुलनीय महत्व है। शिक्षा के माध्यम से समाज व राष्ट्र हेतु बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होता है, जो राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देता है। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा देने व गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा-समय-समय पर अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं जैसे – निरोपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, आपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना, सर्वशिक्षा अभियान, जिला-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि। इन योजनाओं में मध्याह्न भोजन योजना भी एक है। यह योजना विद्यार्थियों के पोषण में सुधार के साथ समय-समय पर उनके प्रवेश, उपस्थिति, ठहराव व उपलब्धि से संबंधित है।

मध्याह्न भोजन योजना निःसंदेह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। पूर्व शोध कार्यों के समीक्षात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन के मूल्यांकन से संबंधित कई शोध कार्य किए गए हैं जिनमें सेव्यास (1992), सक्सेना एवं मित्तल (1995), दुधे (1998), सोनी (2000), कानूनगो (2002), बाला (2003), जैन (2005), ठाकुर (2005), चौधरी (2008), वेदुकुरी एवं राजु (2009), लक्ष्मरया व अन्य (2009) नांबियार एवं अन्य (2010), दीपालिका (2010), हिरानी

(2010), पाल एवं ठाकुर (2011), नांगिया और पूनम (2011), भोयते और अय्यर (2011), बाबुलाल (2012), एवं पॉल व मण्डल (2012) द्वारा किये गये शोध कार्य शोधक को उपलब्ध हो पाए है। यद्यपि इन शोध कार्यों के द्वारा भी मध्यान्ह भोजन योजना के विविध पक्षों से संबंधित मूल्यांकन किया गया, परन्तु यह शोध कार्य सीमित संख्या में है। मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित अल्प शोधकार्य शोधकर्ता को उपलब्ध हो पाए साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना का मूल्यांकन सम्बन्धी कोई शोध कार्य शोधक को उपलब्ध नहीं हो पाया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना का शैक्षिक सन्दर्भों के प्रसंग में मूल्यांकन सम्बन्धी कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया गया है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध कार्य का अग्र उद्देश्य था- मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना।

परिकल्पना - प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध का प्रकार - प्रस्तुत शोध एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध है, जिसमें शिक्षा से संबंधी एक महत्वाकांक्षी योजना 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की उपयोगिता' के मूल्यांकन हेतु 50 महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध कार्य की समष्टि धार जिले के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना में सम्मिलित महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारी (मध्यान्ह भोजन बनाने वाले) थे। इस समष्टि में से उद्देश्यपरक (Purposive) न्यादर्श तकनीक द्वारा न्यादर्श का चयन किया गया। न्यादर्श का चयन धार जिले के 7 विकासखण्डों से किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से एक-एक विद्यालय का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।

विकासखण्ड व विद्यालय वार संलग्न कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती तालिका-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	संलग्न कर्मचारी
1	मनावर	प्राथमिक विद्यालय मनावर, तह.- मनावर जिला-धार, म.प्र.	08
2	धरमपुरी	प्राथमिक विद्यालय ग्राम-लोहारी, तह.-धरमपुरी जिला-धार, म.प्र.	05
3	उमरबन	प्राथमिक विद्यालय ग्राम-लवाणी, तह.-धार जिला-धार, म.प्र.	06
4	गंधवानी	प्राथमिक विद्यालय गंधवानी, तह.- गंधवानी जिला-धार, म.प्र.	09
5	इही	प्राथमिक विद्यालय इही, तह.-इही जिला-धार, म.प्र.	07
6	निसरपुर	प्राथमिक विद्यालय ग्राम-भेसलाय, तह.-कुक्षी जिला-धार, म.प्र.	07
7	कुक्षी	प्राथमिक विद्यालय कुक्षी, तह.- कुक्षी जिला-धार, म.प्र.	06
	कुल		50

लिंगवार न्यादर्श संख्या को प्रदर्शित करती तालिका

क्र.	लिंग	संख्या
1.	महिला संलग्न कर्मचारी	25
2.	पुरुष संलग्न कर्मचारी	25
	कुल	50

उपकरण - प्रस्तुत शोध कार्य हेतु महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों (मध्यान्ह भोजन बनाने वाले) की प्रतिक्रियाओं के प्रदत्त एकत्रित किए गए। प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करने हेतु शोधक द्वारा प्रतिक्रिया मापनी विकसित की गयी। प्रतिक्रिया मापनी में कुल 20 कथन थे। इन कथनों में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन सम्मिलित किए गए। इन कथनों की संख्या क्रमशः 10-10 थी। महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं हेतु प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक कथन पर तीन बिन्दु मापनी सहमत, अनिश्चित व असहमत का उपयोग किया गया। तीन बिन्दु मापनी पर सकारात्मक कथनों हेतु क्रमशः 3, 2 व 1 तथा नकारात्मक कथनों हेतु क्रमशः 1, 2 व 3 अंक भार का उपयोग किया गया। प्रतिक्रिया मापनी में मध्यान्ह भोजन योजना के विभिन्न पक्षों जैसे- नियमितता, मात्रा व गुणवत्ता, नामांकन व वितरता (ड्रापआउट) दर पर प्रभाव, स्वच्छता/साफ-सफाई, निरीक्षण कार्य, शिक्षण कार्य पर प्रभाव, अतिरिक्त कार्य शर आदि के संबंधित कथन शामिल किए गए थे।

प्रदत्त संकलन - सर्वप्रथम धार जिले के 7 विकासखण्डों में चयनित विद्यालयों से चयनित न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों के प्राचार्यों से अनुमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् न्यादर्श के रूप में चयनित महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों (मध्यान्ह भोजन बनाने वाले) से आत्मीय संबंध स्थापित कर शोध का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि प्रस्तुत शोध से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और केवल शोध कार्य हेतु उपयोग में लाया जाएगा। तत्पश्चात् समस्त महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों से शोधक द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया मापनी भरवायी गई। प्रतिक्रिया मापनी भरवाने के पश्चात प्रतिक्रिया मापनी के सकारात्मक एवं नकारात्मक कथनों का अंक भार के आधार पर फलांकन किया गया। इस प्रकार शोध हेतु चयनित न्यादर्श से मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका के प्रति प्रतिक्रियाओं के प्रदत्त एकत्रित कर लिए गये।


विश्लेषण विश्लेषण - 'मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का महिला एवं पुरुष संलग्न कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना।' इस उद्देश्य से संबंधित प्रदत्त का विश्लेषण 'स्वतंत्र 'टी' परीक्षण (Independent 't' test)' द्वारा किया गया।

तालिका (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका से स्पष्ट है कि लिंग के लिए टी का मान 0.27 है, जिसके लिए स्वतंत्रता की कोटि= 48 पर, द्वि-पुच्छीय सार्थकता का मान 0.79 है, जो कि 0.05 से बड़ा है, अतः गणना से प्राप्त 'टी' का मान स्वतंत्रता की कोटि= 48 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, अर्थात् महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना 'मध्यान्ह भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं है' निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में मध्यान्ह भोजन योजना

को एक समान रूप से प्रभावी पाया गया।

महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के मध्याह्न भोजन योजना के प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्यों को दर्शाता रेखाचित्र



निष्कर्ष- अतः विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में मध्याह्न भोजन योजना को एक समान रूप से प्रभावी पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **जैन, पी.** : मध्याह्न भोजन योजना की पूर्ववर्ती कार्यप्रणाली एवं वर्तमान कार्यप्रणाली का शैक्षिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 2004-05.
2. **चौधरी, के. के.** : मिड-डे मील योजना के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, अक्टूबर 2009, पृ. 47-59.
3. **करजगावकर, ए.** : जनसंख्या वृद्धि पर शिक्षा का प्रभाव - उज्जैन

जिले के विशेष सन्दर्भ में, अप्रकाशित शोध (पी-एच.डी.), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 1988.

4. कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा जारी किये गये आदेश-विषयमध्याह्न भोजन कार्यक्रम का शैक्षणिक सन् 2008-09, 2007-08 में प्रभावी क्रियान्वयन करने बाबद्।
5. **हिरानी, के.** : मध्याह्न भोजन की उपयोगिता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन शासकीय माध्यमिक विद्यालय, अम्बोलिया, इन्दौर के संदर्भ में. एम.ए. (शिक्षा) लघुशोध, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, 2009-2010.
6. **दीपालिका** : प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एवं निःशुल्क पुस्तकों के वितरण कार्यक्रम का विद्यार्थियों के नामांकन, बौद्धिक विकास एवं अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, (पी-एच.डी.), (शिक्षा) शोध-ग्रन्थ, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, (उ.प्र.), 2010.
7. **ठाकुर एम.** : शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर चल रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष के आधार पर मूल्यांकन, एम. एड. लघुशोध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2005.
8. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सैडमैप) 2007.
9. राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा इन्दौर द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका 'स्व सहायता समूह' 2007-2008.
10. म.प्र. शासन प्रकाशन : म.प्र. शासन प्रकाशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'
11. **रोशन, आर.** : 'मध्याह्न भोजन की दर्शनिक महत्ता' शिक्षा दीप मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, 2000.
12. **पाल, एच, आर. व ठाकुर, एम.** : शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर चल रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष के आधार पर मूल्यांकन, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, मई-जून, 2011. पृ. 7-14.
13. **सक्सेना, आर.** : 'मध्याह्न भोजन का शिक्षा में महत्व' वल्लभ प्रकाशन, गाजियाबाद, 2002.
14. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** : मानव संसाधन विकास मंत्रालय-भारत सरकार (शिक्षा विभाग), दिल्ली, 1986.
15. **मेहरोत्रा, एस. पी.** : प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार स्वास्थ्य स्थिति-भारतीय शैक्षिक समीक्षाएँ, बरेली जिले के सन्दर्भ में अध्ययन, अंक 48 (1), जनवरी 2011.

लंगवार न्यादर्श संख्या, माध्य फलानक, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य को प्रदर्शित करती तालिका

लिंग	न्यादर्श संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता की कोटि (df)	'टी' मूल्य	सार्थकता स्तर
महिला	25	65.32	9.02	48	0.27	0.79
पुरुष	25	64.64	8.77			

सा.न. - 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं